हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पहले इसका नाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट वित्त कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड था)

(भारत सरकार का उद्यम)

निगमन (इनकॉर्पोरेशन) की तिथि एवं स्थान: **25** अप्रैल, **1970**, नई दिल्ली; **CIN: L74899DL1970GOI005276, PAN: AAACH0632A, LEI: 335800KSC46MN2VPTI91** आरबीआई द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र: **N-14.03626**

पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय: हडको भवन, कोर 7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - **110003**

दूरभाष: **(011) 24649610-23, 24627113-15, 24627091, 92, 95,** फैक्स: **(011) 24625308,**

ई-मेल: **capitalgainbonds@hudco.org**, वेबसाइट: **www.hudco.org.in**

प्रमोटर: भारत के राष्ट्रपति, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्यरत

वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक (वित्त): श्री दलजीत सिंह खत्री, ई-मेल: **df@hudco.org;** दूरभाष: **(011) 24627093;** फैक्स: **011-24627035** अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव श्री विकास गोयल, कंपनी सचिव; ई-मेल: **cswhudco@hudco.org;** दूरभाष: **(011) 24646899;** फैक्स: **(011)24615534**

मुख्य सूचना दस्तावेज (केआईडी) दिनांक **[07** मई **2025]**

54 ईसी बॉन्ड

10,000 रुपये (दस हजार रुपये) प्रत्येक के ऋणपत्र की प्रकृति में सुरक्षित, कर योग्य, रीडेमेबल, असूचीबद्ध, रेटेड, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड का निजी प्लेसमेंट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत लाभ के साथ "ऑन टैप" आधार पर सममूल्य पर नकद, श्रृंखला। ("बॉन्ड"), कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प।

गैर हस्तांतरणीय और गैर परक्राम्य (नेगोशिएबल) बॉन्ड

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, बॉन्ड में किए गए निवेश को आवंटन की अनुमानित तिथि से कम से कम 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए। बॉन्ड 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए हैं और गैर-हस्तांतरणीय और गैर-परक्राम्य(नेगोशिएबल) हैं और किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए सुरक्षा के रूप में पेश नहीं किए जा सकते हैं। हालाँकि, बॉन्डधारक की मृत्यु की स्थिति में, इस सूचना ज्ञापन के पैराग्राफ 13.25 और 13.26 के अनुसार बॉन्ड के हस्तांतरण की अनुमति है।

			कूपन दर
5.25%	वार्षिक	आवंटन की अनुमानित तिथि से 5 (पांच) वर्ष।	रु. 10,000 (दस हजार रुपये) प्रति बॉन्ड

भुगतान आवृत्ति	रीडेम्पशन तिथि	रीडेम्पशन राशि	कूपन

हमारे प्रमोटर

भारत के राष्ट्रपति आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं

सामान्य जोखिम

बॉन्ड में निवेश जोखिम भरा है, और निवेशकों को ऐसी प्रतिभूतियों में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे ऐसे निवेशों से जुड़े जोखिम को वहन करने में सक्षम न हों। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस पेशकश में निवेश करने से पहले एक सूचित निर्णय लें और जोखिम कारकों को ध्यान से पढ़ें। निवेश का निर्णय लेने के लिए, निवेशकों को इसमें शामिल जोखिमों सहित मुद्दे की अपनी जांच पर भरोसा करना चाहिए। निवेशकों का विशेष ध्यान मुख्य सूचना दस्तावेज़ के खंड X के अंतर्गत निहित जोखिम कारकों के विवरण पर आकर्षित किया जाता है। ये जोखिम गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों या ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदने के निवेशक के निर्णय से संबंधित सभी जोखिमों और विचारों की पूरी सूची नहीं हैं और न ही इनका उद्देश्य ऐसा होना है।

क्रेडिट रेटिंग

इस इश्यू के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित बॉन्ड को आईआरआरपीएल द्वारा 'आईएनडी एएए' (स्थिर), आईसीआरए रेटिंग्स द्वारा '[आईसीआरए] एएए' (स्थिर) और केयर रेटिंग्स द्वारा 'केयर एएए' (स्थिर) के रूप में पुष्टि की गई है, क्रमशः 25 अप्रैल, 2025, 29 अप्रैल, 2025 और 10 अप्रैल, 2025 के उनके पत्रों के माध्यम से। विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति, औचित्य और रेटिंग पत्र के लिए कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के अनुलग्नक-ई को देखें।

बैकर्स का मुद्दे पर विचार

संग्रह शाखाएँ

योग्य निवेशक

योग्य निवेशकों से संबंधित विवरण के लिए, पृष्ठ संख्या **119** देखें

एनसीडी धारकों के लिए ट्रस्टी	इस मुद्दे के रजिस्ट्रार	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां		
बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड **5** डब्ल्यू, **5** वीं मंजिल, मेट्रो पॉलिटन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, **400051** टेलीफोन: **022 – 46060278** ईमेल:**compliance@beacontrustee.co.in** वेबसाइ	**केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर **31-32,** गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद **500 032,** तेलंगाना दूरभाष:**(040) 67162222,** टोल फ्री नंबर **18003094001,**	**आईआरआरपीएल (इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड)** वॉकहार्ट टॉवर, लेवल 4, वेस्ट विंग, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ए, मुंबई-**400 051** टेलीफोन: (022) 45333200, 23716199 फैक्स: (022) 45333238, 23318701 ईमेल: **shrikant.dev@**	**आईसीआरए लिमिटेड** बिल्डिंग नंबर **8,** दूसरी मंजिल, टॉवर ए, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज **II,** गुड़गांव-**122002** टेलीफोन: **(0124) 4545300** फैक्स: **(0124)4050424** ईमेल: **info@icraindia.com** वेबसाइट:	**केयर रेटिंग लिमिटेड** **13** वीं मंजिल, वीडियो कॉन टॉवर, ई-**1** ब्लॉक, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-**110055** टेलीफोन:**+911145333200. 45333235**(डायरेक्ट) फैक्स:**+911145333238** ईमे

ट:**http://beacontrustee.co.in/**ध्यान दें: श्री कौस्तुभ कुलकर्णी सेबी पंजीकरण संख्या:**IND000000569**	फैक्स:**(040)23431551** ईमेल आईडी: **einward.ris@kfint** इसी**h.com** वेबसाइट: **www.kfint** इसी**h.com** संपर्क व्यक्ति: श्रीमान. के वी.एस. गोपालकृष्ण सेबी पंजीकरण संख्या: **INR000000221**	**indiaratings.co.in** वेबसाइट: **www.indiaratings.co.in** संपर्क व्यक्ति: श्री देवेंद्र पंत सेबी पंजीकरण संख्या: **IN/CRA/002/1999**	**www.icra.in** संपर्क व्यक्ति: श्री अतुल बेक सेबी पंजीकरण संख्या: **IN/CRA/008/2015**	ल:**Gaurav.dixit@careredge.in** वेबसाइट:**www.careratings.com** संपर्क व्यक्ति: श्री गौरव दीक्षित सेबी पंजीकरण संख्या **IN/CRA/004/1999**

वैधानिक लेखापरीक्षक

एसएआरसी एंड एसोसिएट्स, डी-**191**, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-**1**, नई दिल्ली-**110020**, संपर्क व्यक्ति: सीए कमल अग्रवाल, दूरभाष: **(011) 011-46601070-71**; ई-मेल:**kamal@sarcmail.in**, वेबसाइट:**https://www.sarcassociates.com**

क्रम स.	विवरण	पृ.स.
I.	अस्वीकरण	3
II.	परिभाषाएँ / संक्षिप्ताक्षर	5
III.	जारीकर्ता की जानकारी	6
IV.	जारीकर्ता के बारे में/व्यवसाय का संक्षिप्त अवलोकन/उद्यमियों की गतिविधियाँ और व्यवसाय की रूपरेखा	8
V.	प्रचालन और वित्तीय मुख्य बातें	35
VI.	इतिहास और कुछ कॉर्पोरेट मामले	67
VII.	पूंजी संरचना	81
VIII.	हमारा प्रबंधन	88
IX.	जोखिम कारकों की प्रबंधन धारणा	95
X.	उधारों का विवरण, नवीनतम तिमाही के अंत में, हडको द्वारा जारी कॉर्पोरेट गारंटी, बोर्ड की उधार लेने की शक्तियाँ और अन्य संबंधित प्रकटीकरण	100
XI.	कानूनी और अन्य जानकारी	111
XII.	शर्तें	119
XIII.	प्रस्ताव की शर्तें	124
XIV.	सामग्री अनुबंध और निरीक्षण के लिए दस्तावेज	137
XV.	घोषणा	138
XVI.	अनुलग्नक/संलग्नक	139

I. अस्वीकरण

सामान्य अस्वीकरण

07 मई 2025 की तारीख वाला यह मुख्य सूचना दस्तावेज़ न तो प्रॉस्पेक्टस है, न ही प्रॉस्पेक्टस के बदले में कोई बयान या कोई निजी प्लेसमेंट ऑफ़र लेटर। यह दस्तावेज़ आम तौर पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("हडको" या "कंपनी" "जारीकर्ता") द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड की सदस्यता लेने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए ऑफ़र या आमंत्रण नहीं माना जाएगा। यह मुख्य सूचना दस्तावेज़ केवल योग्य निवेशकों के उपयोग के लिए है और इसे तीसरे पक्ष को प्रसारित या वितरित नहीं किया जाना चाहिए। यह बॉन्ड इश्यू पूरी तरह से निजी प्लेसमेंट के आधार पर किया जाएगा। यह सूचना ज्ञापन जारीकर्ता द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए सदस्यता लेने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए ऑफ़र या आमंत्रण नहीं माना जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 26 बॉन्ड जारी करने पर लागू नहीं होती है, और इसलिए इस मुख्य सूचना दस्तावेज के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 26 के संबंध में कोई अतिरिक्त खुलासा नहीं किया गया है और तदनुसार, इस मुख्य सूचना दस्तावेज की एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास दाखिल नहीं की गई है।

यह मुख्य सूचना दस्तावेज, बॉन्ड जारी करने में निवेश करने का प्रस्ताव करने वाले पक्षों को हडको के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है और इसमें ऐसी सभी जानकारी शामिल करने का दावा नहीं किया गया है जिसकी किसी भी ऐसी पार्टी को यहां की तिथि के बाद आवश्यकता हो सकती है। जारीकर्ता इस मुख्य सूचना दस्तावेज या बॉन्ड जारी करने के संबंध में जारीकर्ता द्वारा या उसके कहने पर जारी की गई किसी अन्य सामग्री के अतिरिक्त दिए गए बयानों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और योग्य निवेशक किसी अन्य सूचना स्रोत पर भरोसा करके ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे। हडको बाद की घटनाओं को दर्शाने के लिए इस मुख्य सूचना दस्तावेज को अपडेट करने का काम नहीं करता है। हडको किसी भी विज्ञापन या अन्य सामग्री में दिए गए कथनों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और कोई भी व्यक्ति सूचना के किसी अन्य स्रोत पर भरोसा करता है तो वह अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करता है।

भावी ग्राहकों को किसी भी निवेश करने से पहले जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति और मामलों का अपना स्वतंत्र मूल्यांकन और जांच करनी चाहिए, और जारीकर्ता की ऋण योग्यता का अपना मूल्यांकन करना चाहिए और बॉन्ड में निवेश करने का आर्थिक जोखिम उठाने में सक्षम होना चाहिए। संभावित ग्राहकों की यह जिम्मेदारी है कि वे बॉन्ड की सदस्यता लेने और खरीदने के लिए प्रस्ताव देने के लिए आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन या प्राधिकरण प्राप्त कर लें। योग्य निवेशकों को बॉन्ड में निवेश से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और निवेश संबंधी विचारों के बारे में अपने स्वयं के वित्तीय, कानूनी, कर और अन्य पेशेवर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए और ऐसे निवेश और ऐसे योग्य निवेशक की विशेष परिस्थितियों के लिए ऐसे निवेश की उपयुक्तता का विश्लेषण करना चाहिए। जिस व्यक्ति को यह मुख्य सूचना दस्तावेज प्राप्त हुआ है, वह जारीकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पुनरुत्पादित या वितरित नहीं करेगा या इसके बारे में सार्वजनिक रूप से या किसी तीसरे पक्ष को कोई घोषणा नहीं करेगा।

इस मुद्दे से जुड़े कोई भी मध्यस्थ, जिसमें मोबिलाइजर या कानूनी सलाहकार, या उनके एजेंट या सलाहकार शामिल हैं, जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति या मामलों या बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा करने या किसी योग्य निवेशक को सलाह देने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मुख्य सूचना दस्तावेज से जुड़े मध्यस्थों और उनके एजेंटों या सलाहकारों ने इसमें निहित जानकारी को अलग से सत्यापित नहीं किया है। तदनुसार, कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या उपक्रम, व्यक्त या निहित, नहीं किया जाता है और किसी भी ऐसे मध्यस्थ, एजेंट, कानूनी सलाहकार या सलाहकार द्वारा मुख्य सूचना दस्तावेज या जारीकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य जानकारी में निहित जानकारी की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाती है। तदनुसार, इस मुद्दे से जुड़े सभी ऐसे मध्यस्थों, एजेंटों, कानूनी सलाहकारों या सलाहकारों का मुख्य सूचना दस्तावेज या इस मुद्दे के संबंध में जारीकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य जानकारी में निहित जानकारी के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

जारीकर्ता किसी भी अप्रत्याशित विकास की स्थिति में निर्गम समापन तिथि से पहले बॉन्ड जारी करने के निजी प्लेसमेंट को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो आर्थिक और विनियामक वातावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, जिसमें महामारी, महामारी आदि के कारण लागू कानून में कोई बदलाव शामिल है। ऐसी स्थिति में, जारीकर्ता हडको 54 इसी बॉन्ड की नई श्रृंखला के तहत आवंटन करेगा, यदि उस समय सदस्यता के लिए खुला हो। योग्य निवेशक पुष्टि करते हैं कि वे इस खंड के तहत निर्धारित सामग्री से अवगत हैं और समझते हैं।

II. परिभाषाएँ/ संक्षिप्ताक्षर	
ए वाई	मूल्यांकन वर्ष
आवंटन/आवंटित/आवंटित	निर्गम के अनुसार सफल आवेदकों को बॉन्ड का जरी करना और आवंटन करना।
आवंटिती	एक सफल आवेदक जिसे निर्गम के अनुसार बॉन्ड आवंटित किए गए हैं, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से
आवेदक/निवेशक	इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के अनुभाग "टर्म शीट" में एक योग्य निवेशक को परिभाषित किया है।
आवेदन प्रपत्र	वह प्रपत्र जिसके अनुसार आवेदक बॉन्ड की सदस्यता लेने का प्रस्ताव देगा और जिसे बॉन्ड के आवंटन के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा।
बोर्ड/निदेशक मंडल	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल या उसकी समिति, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो
बॉन्ड	सुरक्षित, कर योग्य, प्रतिदेय, असूचीबद्ध, रेटेड, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड, 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) प्रत्येक के डिबेंचर की प्रकृति में "ऑन टैप" आधार पर नकद के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत लाभ के साथ, संशोधित रूप में, कुल मिलाकर रु। 100 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) से अधिक की राशि के साथ-साथ अधिक सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प।
बॉन्डधारक(गण)	बॉन्डधारक जिसका नाम हडको द्वारा बनाए गए डिबेंचर धारकों के रजिस्टर और लाभार्थी मालिकों में दर्ज है।
लाभार्थी स्वामी(गण)	बॉन्ड धारक (धारकों) के पास डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में बॉन्ड (बॉन्डो) हैं (डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा के खंड (क) में परिभाषित बॉन्ड (बॉन्ड) के 'लाभकारी मालिक')।
बीएसई	बी एस ई लिमिटेड
रिकॉर्ड तिथि	ब्याज के भुगतान/मूलधन की चुकौती के लिए संदर्भ तिथि
सीएआर	पूंजी पर्याप्तता अनुपात
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीएआरइ	क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड
सीडीएसएल	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
सीएमडी	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ऋण प्रतिभूतियां	निश्चित परिपक्वता अवधि वाली गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ जो ऋणग्रस्तता उत्पन्न करती हैं या स्वीकार करती हैं और इसमें डिबेंचर, बॉन्ड या कोई अन्य प्रतिभूति शामिल है, चाहे वह परिसंपत्तियों/संपत्तियों पर प्रभार का गठन करती हो या नहीं, लेकिन इसमें सुरक्षा रसीदें, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित मुद्रा बाजार उपकरण और सरकार या ऐसे अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्ड शामिल नहीं हैं, जिन्हें सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
डीडीए	आवंटन की मान्य तिथि
मान्य आवंटन तिथि	जारीकर्ता द्वारा घोषित कट-ऑफ तिथि जिससे बॉन्ड पर ब्याज सहित बॉन्ड के अंतर्गत सभी लाभ बॉन्डधारक(ओं) को उपलब्ध होंगे। बॉन्ड का वास्तविक आवंटन (अर्थात निदेशक मंडल या उसकी समिति से अनुमोदन) आवंटन की निर्धारित तिथि के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि को हो सकता है।
डिपॉजिटरी	सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 1996 के तहत सेबी के साथ पंजीकृत एक डिपॉजिटरी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
डिपॉजिटरी अधिनियम	डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, समय-समय पर संशोधित
डिपॉजिटरी प्रतिभागी	डिपोजिटरी अधिनियम के तहत परिभाषित एक डिपोजिटरी प्रतिभागी
डीपी	डिपॉजिटरी प्रतिभागी
डीआरआर	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व
ईपीएस	प्रति शेयर आय
आईआरआरपीएल	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (फिचग्रुप)
ईटीएफ	एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
एफआईएस	वित्तीय संस्थान
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफपीआई	सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 के तहत परिभाषित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। सेबी के साथ पंजीकृत।
वित्तीय वर्ष/वित्त वर्ष	उस विशेष वर्ष की 31 मार्च को भेजे जाने वाले बारह महीने की अवधि
भारत सरकार	भारत सरकार/केंद्र सरकार
सामान्य सूचना दस्तावेज़/निजी प्लेसमेंट ज्ञापन/ निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव सह आवेदन पत्र/ऑफ़र दस्तावेज़/जारी दस्तावेज़	17 सितंबर, 2024 की तारीख वाले सामान्य सूचना दस्तावेज़ का अर्थ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रेटेड, सूचीबद्ध, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी डिबेंचर जारी करने के लिए जारी किया गया यह निर्गम दस्तावेज़ / निजी प्लेसमेंट ज्ञापन / निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव सह आवेदन पत्र / प्रस्ताव दस्तावेज़ होगा।
ट्रस्टी	एनसीडी धारकों के लिए ट्रस्टी, इस मामले में बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड है।
जारीकर्ता/हडको/कंपनी	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के तहत अधिसूचित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसका पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय हडको भवन, कोर 7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 है।
आई.टी. अधिनियम	आयकर अधिनियम, 1961, समय-समय पर संशोधित
सूचीबद्धता समझौता	भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के लिए समझौता
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसीडी	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर
पैन	स्थायी खाता संख्या
रुपये/आईएनआर	भारतीय राष्ट्रीय रुपया
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरटीजीएस	वास्तविक समय सकल निपटान
रजिस्ट्रार	इश्यू के रजिस्ट्रार, इस मामले में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं।
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी अधिनियम, 1992 के तहत गठित
सेबी अधिनियम	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, समय-समय पर संशोधित समय
सेबी एनसीएस विनियम	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021।
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
कंपनी अधिनियम	संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 और/या कंपनी अधिनियम, 2013, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक, जैसा लागू हो।
इश्यू/ऑफर/प्राइवेट प्लेसमेंट'	डिबेंचर की प्रकृति में सुरक्षित, कर योग्य, प्रतिदेय, गैर-सूचीबद्ध, रेटेड, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड की पेशकश, प्रत्येक 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) के बराबर नकद के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत लाभ के साथ कुल 100 करोड़ रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) और ओवर सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प।

III. इश्यू हाईलाइट

आयकर अधिनियम, **1961** की धारा **54** ईसी के अंतर्गत लाभ के साथ सममूल्य पर नकद के लिए **10,000** रुपये (दस हजार रुपये) प्रत्येक के ऋणपत्र के रूप में गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी, सुरक्षित, रेटेड, असूचीबद्ध, प्रतिदेय, कर योग्य बॉन्ड जारी करना, निजी प्लेसमेंट-श्रृंखला **I** - टैप आधार पर।

इश्यू	हडको कैपिटल गेन टैक्स छूट बॉन्ड - श्रृंखला-I
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए लिमिटेड द्वारा 'आई सी आर ए ए ए'। केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा 'केयर एएए'। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 'आईएनडी एएए'।
इश्यू आकार	100 करोड़ रुपये (सौ करोड़ रुपये) प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प
अंकित मूल्य	प्रति बॉन्ड 10,000 रुपये (दस हजार रुपये)।
जारी मूल्य	प्रति बॉन्ड 10,000 रुपये (दस हजार रुपये)
कूपन दर	5.25% वार्षिक
जारी करने की तिथि	जारी करने की आरंभिक तिथि: 7 मई, 2025 (संभावित) जारी करने की समाप्ति तिथि: 31 मार्च, 2026 या हडको द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार तय की गई तिथि।
न्यूनतम आवेदन आकार	10,000 रुपये (दस हजार रुपये) प्रत्येक के दो बॉन्ड (अर्थात न्यूनतम 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये)
अधिकतम आवेदन आकार	500 (पांच सौ) बॉन्ड, जिनका मूल्य रु. 10,000 (दस हजार रुपये) प्रत्येक है (अर्थात एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु. 50,00,000 (पचास लाख रुपये) (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के प्रावधानों के अधीन, जैसा कि संशोधित किया गया है)
सदस्यता का तरीका	प्राइवेट प्लेसमेंट।
चेक/ड्राफ्ट के नाम से तैयार किया जाना चाहिए	एचडीएफसी को छोड़कर सभी संग्रह बैंकों के लिए "हडको कैपिटल गेन बॉन्ड"। एचडीएफसी के मामले में खाते का नाम "हडको कैपिटल गेन बॉन्ड संग्रह खाता" है।
आबंटन की मान्य तिथि	प्रत्येक माह का अंतिम दिन जिसमें सदस्यता राशि प्राप्त होती है और हडको 54 ईसी संग्रह खाते में जमा की जाती है।
ब्याज भुगतान और तारीख	प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को
अवधि	आबंटन की मानी गई तिथि से 5(पांच) वर्ष/60(साठ) महीने।
रीडेम्प्शन/ परिपक्वता	सममूल्य पर, आबंटन की मानी गई तारीख से 5 वें (पांच) वर्ष/60 (साठ) महीने के अंत में।
पारदर्शिता	यह हस्तांतरणीय नहीं है, इस पर बातचीत नहीं की जा सकती तथा इसे किसी ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में नहीं दिया जा सकता।
ट्रस्टी	बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, मुंबई
बैंकर्स टू इशू	

विवरण	एचडीएफसी बैंक	आईसीआईसीआई बैंक	यस बैंक	एक्सिस बैंक	इंडसइंड	कैमरा
लाभार्थी का नाम	हडको कैपिटल गेन बॉन्ड कलेक्शन खाता	हडको कैपिटल गेन बांड्स				
खाता नंबर	50200109629574	000405163236	00168110000111	92502002 0084002	201034 058456	110034 338611
आई एफ एस सी	HDFC0000003	ICIC0000004	YESB0000016	UTIB0000007	INDB000005	CNRB0003525

नोट:

1. हडको अपनी वेबसाइट पर नोटिस देकर कूपन दर को संशोधित करने और/या विस्तार करने और/या इश्यू को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। योग्य निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक में आवेदन जमा करने से पहले हडको/मोबिलाइजर्स से परामर्श लें।
2. हडको द्वारा प्रस्तुत लेकिन अस्वीकृत सभी आवेदन हडको द्वारा आवेदक/संग्रह बैंकर को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिए जाएंगे।
3. न्यूनतम **20,000** रुपये (बीस हजार रुपये) (इसके बाद **10,000** रुपये (दस हजार रुपये) के गुणकों में) के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अंश में प्राप्त कोई भी राशि योग्य निवेशक को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

IV.इश्यू जानकारी	
जारीकर्ता के नाम	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम) पहले इसका नाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट वित्त कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड था)
जारीकर्ता के प्रमोटर	भारत के राष्ट्रपति आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं
पंजीकृत/मुख्य कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय	हडको भवन, कोर 7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 74899DL1970GOI005276
इनकारपोरेशन की तारीख	25 अप्रैल, 1970
सीआई एन	L74899DL1970GOI005276
पैन	AAACH0632A
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र	N-14.03626
संपर्क व्यक्ति	श्री एलवीएस सुधाकर बाबू, कार्यकारी निदेशक (वित्त)
टेलीफोन नं.	(011)24649610-27,24627397
फैक्स नंबर	(011)24648179
वेबसाइट	www.hudco.org
-मेल	bondshudco@hudco.org,bondsteam@hudco.org.in
वैधानिक लेखा परीक्षक	एस ए आर सी एंड एसोसिएट्स, डी-191, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज - 1 नई दिल्ली-110020, संपर्क व्यक्ति: सीए. कमल अग्रवाल टेलीफोन: (011) 011-46601070-71, ई-मेल: kamal@sarcmail.in, वेबसाइट: https://www.sarcasassociates.com/
इस इश्यू के लिए अनुपालन अधिकारी	श्री विकास गोयल, कंपनी सचिव हडको भवन, कोर-7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 टेलीफोन: (011) 24646899, फैक्स: (011) 24615534 -मेल:csw हडको@हडको.org
मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री दलजीत सिंह खतरी, हडको भवन, कोर-7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 फोन(011)-24627093, फैक्स:(011)-24627035। -मेल:df@हडको.org
मुख्य सूचना दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम/ मुख्य सूचना दस्तावेज	कंपनी के निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी के.आई.डी. पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है: i) श्री एल.वी.एस. सुधाकर बाबू, कार्यकारी निदेशक (वित्त) ii) श्री विकास गोयल, कंपनी सचिव
वैधानिक लेखा परीक्षक	एस.ए.आर.सी. एंड एसोसिएट्स, डी-191, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, नई दिल्ली-110020, संपर्क व्यक्ति: सी.ए. कमल अग्रवाल, दूरभाष: (011)011-46601070-71, ई-मेल: kamal@sarcmail.in,वेबसाइट: https://www.sarcassociates.com/
डिबेंचरट्रस्टी	**BEACONTRUSTEESHIPLIMITED** पता: 5 डब्ल्यू, 5 वीं मंजिल, द मेट्रोपॉलिटन, बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400051 टेलीफोन: 022 – 46060278 ध्यान दें: श्री कौस्तुभ कुलकर्णी -मेल: compliance@beacontrustee.co.in वेबसाइट: http://beacontrustee.co.in/ सेबी पंजीकरण संख्या: IND000000569

इश्यू' के रजिस्ट्रार	KFINTECH Inspired By Passion. Driven By Technology. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर **31-32,** गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद **500032,** भारत टेलीफोन: **(040) 6716 2222,** टोल फ्री नंबर: **18003094001** फैक्स**(040)23431551** ईमेल आईडी: **einward.ris@kfintech.com,** वेबसाइट: **www.kfintech.com** संपर्क व्यक्ति: श्री के वी एस गोपाल कृष्ण सेबी पंजीकरण संख्या:**INR000000221**		
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	India Ratings & Research A Fitch Group Company आई आर आर पी एल (इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड) वॉक हार्ड टॉवर, लेवल **4,** वेस्ट विंग, बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई-**400051** टेलीफोन: **(022)45333200.23716199** फैक्स: **(022) 45333238,23318701** ईमेल: **shrikant.dev@indiaratings.co.in** वेबसाइट: **www.indiaratings.co.in** संपर्क व्यक्ति: श्री देवेंद्र पंत सेबी पंजीकरण संख्या: **IN/CRA/002/1999**	ICRA आई सी आर ए लिमिटेड बिल्डिंग नंबर **8,** दूसरी मंजिल, टॉवर ए, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज **II,** गुड़गांव-**122002** टेलीफोन: **(0124) 4545300** फैक्स: **(0124) 4050424** ईमेल: **info@icraindia.com** वेबसाइट: **www.icra.in** संपर्क व्यक्ति: श्री अतुल बेक सेबी पंजीकरण संख्या: **IN/CRA/008/2015**	CARE Ratings Professional Risk Opinion केयर रेटिंग लिमिटेड **13** वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ई-**1** ब्लॉक, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-**110055** टेलीफोन: **+91;-011;-45333200, 45333235** (डायरेक्ट) फैक्स: **+91-011-45333238** ईमेल:**Gaurav.dixit@careedge.in** वेबसाइट: **www.careratings.com** संपर्क व्यक्ति: श्री गौरव दीक्षित सेबी पंजीकरण संख्या: **IN/CRA/004/1999**
	इस इश्यू के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित एनसीडी को आईआरआरपीएल द्वारा 'आईएनडी एएए' (स्थिर) तथा आईसीआरए रेटिंग्स द्वारा '[आईसीआरए] एएए' (स्थिर) तथा केयर रेटिंग्स द्वारा 'केयर एएए' (स्थिर) के रूप में पुष्टि की गई है, क्रमशः 25 अप्रैल, 2025, 29 अप्रैल, 2025 तथा 10 अप्रैल, 2025 के उनके पत्रों के माध्यम से। जारीकर्ता घोषणा करता है कि रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग डिबेंचर जारी करने तथा सूचीबद्ध करने की तिथि पर मान्य होगी। विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति, औचित्य तथा रेटिंग पत्र के लिए कृपया मुख्य सूचना दस्तावेज के अनुलग्नक-ई को देखें।		
इस इश्यू पर विधिक सलाहकार			
गारंटर	वर्तमान मामले में कोई गारंटर नहीं है।		

निदेशकों, लेखा परीक्षकों, निर्गम के बैंकरों, ट्रस्टियों, वकील या अधिवक्ताओं, निर्गम के विधिक सलाहकारों, निर्गम के प्रमुख प्रबंधकों, निर्गम के रजिस्ट्रार और उधारदाताओं (यदि आवश्यक हो, तो समझौते की शर्तों के अनुसार) और विशेषज्ञों की सहमति:

निदेशकों की सहमति	20 मार्च, 2024 के बोर्ड संकल्प के अनुसार डिबेंचर जारी करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।
लेखा परीक्षकों की सहमति	लागू नहीं, क्योंकि निर्गम निजी प्लेसमेंट के आधार पर है
बैंकर्स की सहमति	
डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति	02 मई 2025 के सहमति पत्र के अनुसार।
सॉलिसिटर या अधिवक्ताओं की सहमति	लागू नहीं
विधिक सलाहकारों की सहमति	
सहमति रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा जारी 24 अप्रैल 2025 के सहमति ईमेल के अनुसार।

V. जारीकर्ता के बारे में/व्यवसाय का संक्षिप्त अवलोकन/जारीकर्ता की गतिविधियाँ और व्यवसाय की रेखा

हडको का परिचय

- हडको एक वित्तीय संस्थान है जिसे देश में हाउसिंग एंड अर्बन (यूआई) डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का अधिदेश प्राप्त है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति कंपनी में बहुमत नियंत्रण रखते हैं।
- हडको का ऋण मुख्य रूप से हाउसिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर खंड में राज्य उपक्रमों पर केंद्रित है, जिसमें अधिकांश ऋण राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित और/या पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित हैं।
- कंपनी को अप्रैल 2024 में 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप हडको को अधिक प्रचालनऔर वित्तीय लचीलापन मिला। 23 अगस्त, 2024 को, आरबीआई ने हडको को एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया है।
- हडको ने पिछले पांच दशकों में पूरे देश में 20 मिलियन से अधिक हाउसिंग इकाइयों का समर्थन किया है शैक्षिक, स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधाओं को कवर करने वाली सामाजिक अवसंरचना और आईटी पार्क, एसईजेड, बिजली, परिवहन और वाणिज्यिक/संस्थागत भवनों को कवर करने वाली आर्थिक और वाणिज्यिक अवसंरचना।
- हडको भारत सरकार के प्रयासों को पूरक बनाने में रणनीतिक साझेदार है-पी मई 2.0, स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन आदि।

कुंजी शक्ति

भारत सरकार ने अप्रैल, 2024 में हडको को 'नवरत्न' का दर्जा दिया है। यह दर्जा हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में हडको बाजार में लंबे समय से चली आ रही स्थिति को मजबूत करेगा। हडको के पास 21 क्षेत्रीय कार्यालयों और 11 विकास कार्यालयों के नेटवर्क के साथ पूरे देश में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की व्यापक परियोजनाएँ हैं। दशकों से अपने कारोबार के दौरान, कंपनी ने पूरे देश में विभिन्न राज्य सरकार की एजेंसियों और उसके संगठनों जैसे विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय, जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड, सड़क और पुल विकास निगम आदि के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित और बढ़ावा दिया है। हडको के पास वित्त, कानून, वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी और क्षेत्रीय नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन और जनसंपर्क, सामाजिक विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों से बहु-विषयक पेशेवरों का मानव संसाधन आधार है। हडको के पास अनुसंधान गतिविधियों के साथ-साथ हाउसिंग क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अपना स्वयं का प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मानव निपटान प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) है।

अवसर:

हडको को नवरत्न का दर्जा दिए जाने से हडको के लिए ढेरों अवसर खुल गए हैं। यह दर्जा कंपनी के सभी मुख्य क्षेत्रों जैसे संसाधन जुटाने, व्यवसाय सृजन से लेकर लाभप्रदता तक को सहायता प्रदान करेगा। हडको के बोर्ड ने अब रणनीतिक गठबंधनों, संयुक्त उद्यमों, पूंजीगत व्यय (CAPEX) और मानव संसाधन (HR) के संबंध में शक्तियों में वृद्धि की है। इससे हडको को बाजार में खुद को उपयुक्त रूप से बदलने और नए जोश के साथ व्यवसाय करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण हडको के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करता है। देश में हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ-साथ तेजी से शहरीकरण हो रहा है। सरकार ने 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन पर काम शुरू किया है जो अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण विकास गति प्रदान करेगा। यह हाउसिंग और विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारी निवेश को उत्प्रेरित करेगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टों ने पहले ही शहरी क्षेत्र के लिए भारी निवेश आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। इस प्रकार, हडको के लिए व्यवसाय विस्तार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, विशेषकर नए आरबीआई नियामक ढांचे में एचएफसी से एनबीएफसी-आईएफसी (इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी) की स्थिति में इसके आसन्न परिवर्तन को देखते हुए।

व्यावसायिक गतिविधियों का सारांश

हम एक तकनीकी-वित्तीय संस्था हैं जो पूरे भारत में हाउसिंग एंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण और संवर्धन में लगी हुई है। हम 25 अप्रैल, 1970 को एक सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित हुए, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना और हाउसिंग एंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम चलाना है। हम कंपनी अधिनियम की धारा 4ए के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था हैं और हमें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। हमारे क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और विकास कार्यालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से हमारी अखिल भारतीय उपस्थिति है और हाउसिंग एंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए भारत सरकार की विकास योजनाओं और इसकी नीतियों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा व्यवसाय मोटे तौर पर निम्नलिखित दो व्यावसायिक प्लेटफ़ॉर्म में वर्गीकृत है:

- हाउसिंग वित्त, जहां हमारे वित्तपोषण के लाभार्थियों में राज्य सरकार की एजेंसियां और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों से संबंधित उधारकर्ता शामिल हैं।

- <u>अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त,</u> जिसमें हमारे वित्तपोषण के लाभार्थियों में सामाजिक अवसंरचना और क्षेत्र विकास, जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी, सड़क और परिवहन, बिजली, उभरते क्षेत्र, वाणिज्यिक अवसंरचना और अन्य से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

हम शहरी और क्षेत्रीय नियोजन, डिजाइन और विकास, पर्यावरण इंजीनियरिंग, सामाजिक विकास, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य क्षेत्रों में परामर्श सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारा व्यवसाय HSMI और वैकल्पिक निर्माण सामग्री और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी संवर्धन के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों द्वारा समर्थित है।

31 दिसंबर 2024 तक, कंपनी के स्थापना के बाद से कुल स्वीकृत/स्वीकृत ऋण 4,03,301.63 करोड़ रुपये थे, जिनमें से 98,482.15 करोड़ रुपये या 24.42% हाउसिंग वित्त ऋण और 3,04,819.48 करोड़ रुपये या 75.58% अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त ऋण थे। 31 दिसंबर, 2024 तक कंपनी का कुल बकाया ऋण पोर्टफोलियो 1,18,931.00 करोड़ रुपये था, जिसमें से 47,778.00 करोड़ रुपये या 40.17% हाउसिंग वित्त ऋण थे और 71,153.00 करोड़ रुपये या 59.83% अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त ऋण थे।

हमने लगातार वित्तीय प्रदर्शन और वृद्धि का ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है। संकेतित अवधि के लिए हमारे कुछ प्रमुख विकास और दक्षता संकेतक नीचे दिए गए हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

कुछ प्रमुख प्रचालनसंकेतक	31.12.2024 **तक**	**वित्तीय** 2024	**वित्तीय** 2023	**वित्तीय** 2022
ऋण पुस्तिका (करोड़ रुपए में)	1,18,931.00	92,654.00	80,743.32	78,512.98
दीर्घावधि ऋण-इक्विटी अनुपात	5.17	4.05	3.96	4.09
सीआरएआर(%)(30 सितम्बर 2024 तक)	48.27%	57.65%	73.79%	74.29%
सकल एनपीए(%)	1.88%	2.71%	3.42%	3.58%
नेट एनपीए(%)	0.27%	0.36%	0.52%	0.51%

इस मुख्य सूचना दस्तावेज के प्रचालन की तारीख से ठीक पहले की अवधि के लिए हमारी कुल आय, कर के लिए प्रावधान करने से पूर्व और उपरांत का लाभ, तथा नेट ब्याज आय नीचे दी गई है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31.12.2024 **तक**	**वित्तीय** 2024	**वित्तीय** 2023	**वित्तीय** 2022
कुल आय	2,770.14	7,948.10	7,086.18	6,997.66
नेट ब्याज आय (एनआईआई)*	983.05	2,692.39	2,477.54	2,360.02
कर एवं प्रावधान पूर्व लाभ	931.66	2,843.44	2,289.41	2,345.94
कर एवं प्रावधान उपरांत लाभ	735.03	2,116.74	1,701.62	1,716.60

*नेट ब्याज आय= "एनआईआई" ब्याज आय (ऋण पर ब्याज, स्टाफ अग्रिम, सार्वजनिक जमा पर ऋण और बैंकों के साथ सावधि जमा) और अन्य आय का प्रतिनिधित्व करता है जो सीधे ऋण और अग्रिम (जैसे ऋण आवेदन शुल्क और ऋण की स्वीकृति / संवितरण पूर्व उधारकर्ताओं द्वारा देय फ्रंट-एंड नेट) से संबंधित है, घटाया(-) ब्याज व्यय (सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण पर ब्याज सहित) और अन्य उधार लागत।

5.2.1 ताकत और प्रतिस्पर्धी लाभ

हमारा मानना है कि हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्त के प्रावधान में हमारी बाजार स्थिति को बनाए रखने और सुधारने के लिए हमारी मुख्य ताकतें इस प्रकार हैं:

हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की योजनाओं में प्रमुख रणनीतिक स्थान:
हम एक सरकारी कंपनी हैं जो आवासीय उद्देश्यों के लिए घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करती है, हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करती है या उन्हें कार्यान्वित करती है और ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त धन का प्रबंधन करती है। हमारा मानना है कि हम भारतीय हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की चल रही योजनाओं में प्रमुख रणनीतिक स्थान पर बने रहेंगे। भारत सरकार की योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त, हम मूल्यांकन, निगरानी, कौशल विकास आदि के माध्यम से जेएनयूआरएम और आरएवाई जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार की निगरानी और सहायता भी करते हैं।

हर साल, हम भारत सरकार के साथ एक 'एमओयू' पर हस्ताक्षर करते हैं जो हमारे व्यवसाय लक्ष्यों यानी हाउसिंग फाइनेंस, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त, परामर्श सेवाएँ और लाभप्रदता की वार्षिक प्रचालन उपलब्धियों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

हमारे वर्तमान एमओयू के तहत, भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपायों पर सहमति व्यक्त की है जो हमारे व्यवसाय के विकास को सुविधाजनक बनाएंगे, हमारे सामने आने वाले जोखिमों को कम करेंगे और भारत सरकार की हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में हमारी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

मजबूत वित्तीय स्थिति:

हमारा व्यवसाय विभिन्न परिपक्वताओं की इक्विटी और बाजार उधारी के माध्यम से वित्तपोषित है, जिसमें बॉन्ड/डिबेंचर और टर्म लोन शामिल हैं। भारत सरकार के साथ हमारे संबंध वर्तमान में हमें कम लागत वाली फंडिंग तक पहुँच प्रदान करते हैं और इसके अतिरिक्त हमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। घरेलू स्तर पर, हमारे पास IRRPL (फिच ग्रुप), ICRA और CARE में से प्रत्येक से दीर्घकालिक उधार के लिए AAA (स्थिर) उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है।

हमने अपने वित्तपोषण व्यवसाय को शुरू से ही लाभप्रद रूप से संचालित किया है, जिसमें क्रमशः वित्त वर्ष 2024, 2023 और 2022 के लिए 2,116.74 रुपये, 1,701.62 करोड़ रुपये और 1,716.60 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ शामिल है। 31 दिसंबर, 2024 तक हमारी कुल संपत्ति 17,965.59 करोड़ रुपये थी। हमारे निरंतर प्रदर्शन और लाभप्रदता ने हमें नवरत्न का दर्जा दिलाया, जो हमें वर्ष 2024-25 में प्रदान किया गया।

अखिल भारतीय उपस्थिति:

हमारी उपस्थिति पूरे भारत में है। नई दिल्ली में हमारे पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण विंग के अतिरिक्त, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली (एनसीआर), दीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में 21 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और अगरतला, आइजोल, गोवा, इंफाल, ईटानगर, कोकराझार, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, शिलांग, शिमला और गंगटोक में 11 विकास कार्यालय हैं। हमने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1,800 शहरों और कस्बों में ग्राहकों को हाउसिंग एंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान किया है।

स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड:

वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में हमारे 54 वर्षों के अनुभव ने हमें एक मजबूत ब्रांड स्थापित करने में मदद की है जिसने हमें बाजार में अपना कवरेज बढ़ाने में सक्षम बनाया है। हमारे उत्पादों का लाभ राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों और आम जनता द्वारा उठाया जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक, कंपनी के स्थापना के बाद से कुल स्वीकृत/स्वीकृत ऋण 4,03,301.63 करोड़ रुपये थे, जिनमें से 98,482.15 करोड़ रुपये या 24.42% हाउसिंग वित्त ऋण थे और 3,04,819.48 करोड़ रुपये या 75.58% अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त ऋण थे। 31 दिसंबर 2024 तक, कंपनी का कुल बकाया ऋण पोर्टफोलियो 1,18,931.00 करोड़ रुपये था, जिसमें से 47,778.00 करोड़ रुपये या 40.17% हाउसिंग वित्त ऋण थे और 71,153.00 करोड़ रुपये या 59.83% अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त ऋण थे।

हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विविध परामर्श सेवाएँ:

हडको हमेशा से ही परामर्श सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने में शामिल रहा है, जिससे इसकी समग्र छवि और ब्रांड निर्माण में योगदान मिला है। संवेदनशील और सतत विकास संबंधी चिंताओं को संतुलित करते हुए विकास के अवसरों को अधिकतम करने का हमारा प्रयास रहा है। हडको ने समय-समय पर जिम्मेदार और विवेकपूर्ण पहल की है ताकि व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से रहने योग्य और टिकाऊ शहर बनाए जा सकें जो स्थानीय संस्कृति और लोकाचार को दर्शाते हैं और शहरी क्षेत्र में नियोजन और डिजाइन चुनौतियों के लिए एकीकृत और टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं। परामर्श प्रचालन में पेशेवरों की बहु-विषयक और प्रतिस्पर्धी टीम 54 वर्षों की पेशेवर प्रतिबद्धता और हडको द्वारा निष्पादित अग्रणी परियोजनाओं की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जो वास्तुकला और नियोजन के क्षेत्रों में तकनीकी कर्मियों, लंबे अनुभव और विशेषज्ञता की अपनी अंतर्निहित ताकत का उपयोग करती है। हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ हडको की परामर्श सेवा विंग ने अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी रहते हुए अद्वितीय डिजाइन अवधारणाएँ प्रदान करते हुए शुल्क-आधारित परामर्श पर एक विशिष्ट जोर दिया है, लेकिन हडको को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमुख तकनीकी वित्तीय संस्थान के रूप में ब्रांडिंग करने में भी योगदान दिया है। हडको के क्षेत्रीय कार्यालय सभी राज्यों की राजधानियों में मौजूद हैं, जो हडको की बहुमुखी प्रतिभा और परामर्श कार्यों की पहुंच को बढ़ाते हैं। हडको ने लंबी अवधि वाले प्रतिष्ठित असाइनमेंट पर काम जारी रखा है; जिसमें 'वर्टिकल हाउसिंग कॉलोनी: बेमिना, श्रीनगर में शहजर अपार्टमेंट' के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना शामिल है। शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के क्षेत्र में, हडको कंसल्टेंसी वर्तमान में जीआईएस प्लेटफॉर्म पर "बिहार राज्य में राजगीर क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्र और नालंदा महाविहार विश्व धरोहर स्थल के लिए एकीकृत मास्टर प्लान" तैयार कर रही है। प्रतिष्ठित परियोजना को हडको द्वारा अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग विभाग, बिहार सरकार के साथ समझौते के अनुसार चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। हडको बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय ने एचएएल कर्मचारियों के लिए चरण-III क्वार्टरों की 3 स्टार ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के साथ वास्तुकला और इंजीनियरिंग परामर्श कार्य शुरू किया है, जिसमें एचएएल के परिसर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 584 बहुमंजिला हाउसिंग अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एचएएल ने परियोजना के चरण-III क्वार्टरों - एचएएल स्टाफ क्वार्टरों-टाइप ए, बी और सी बैंगलोर के निर्माण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चरण-III क्वार्टरों - टाइप ए, बी और सी बैंगलोर में स्थापना और संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए हडको बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय को दो और परामर्शी कार्य सौंपे हैं। पुडुचेरी विकास

कार्यालय के माध्यम से हडको चेन्नई आरओ 'कुमारगुरु पल्लम - पुडुचेरी में व्यापक ईडब्ल्यूएस हाउसिंग ले-आउट' के लिए डीपीआर तैयार करने, थिरुनल्लर नगर विकास योजना के मास्टर प्लान, चरण -2, अरुलमिघु मरियम्म मंदिर समयपुरम के लिए कतार परिसर का विकास, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में आध्यात्मिक सर्किट, हडको, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के तहत एकीकृत प्रबंधन योजनाओं (आईएमपी) के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए एक पैनलबद्ध संस्था है, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पर्यावरण इंजीनियरिंग परामर्श के हिस्से के रूप में, हडको ने भारत भर में पाँच आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन किया, अर्थात्; तमज़े, यानचेंटसो और खेचेपेरी वेटलैंड्स (सिक्किम), थोल वेटलैंड (गुजरात) और दो यांग वेटलैंड (नागालैंड) जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग 55 करोड़ रुपये है।

कुशल और पेशेवर कार्यबल का व्यापक पूल:
हमारे पास वित्त, कानून, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, योजना और डिजाइनिंग, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से लेकर विविध पृष्ठभूमि के कर्मचारियों का एक बड़ा समूह है।

इसके अतिरिक्त HSMI और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी प्रमोशन गतिविधियों के माध्यम से हमारी शोध और प्रशिक्षण गतिविधियाँ हमें वित्त और परामर्श सेवाएँ प्रदान करने और इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण को सक्षम करने के संबंध में हमारी व्यावसायिक प्रक्रिया को और मजबूत करने में सक्षम बनाती हैं।

रणनीति
चार व्यावसायिक नीति कोशल के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:

हाउसिंग और शहरी *इन्फ्रास्ट्रक्चर* पर सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भागीदारी बढ़ाना:
हमने पहले भी हाउसिंग और शहरी बुनियादी ढांचे पर सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्त प्रदान किया है और प्रदान करना जारी रखा है। हाउसिंग वित्त व्यवसाय के तहत हमारी सामाजिक हाउसिंग श्रेणी को विशेष रूप से कमजोर वर्गों के हाउसिंग कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया है। हम केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य कार्य योजनाओं में खुद को शामिल करके हाउसिंग और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपनी भागीदारी बढ़ाएँगे जहाँ वित्तपोषण की आवश्यकता हो सकती है।

हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में वृद्धि:
हम भारत में हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में और वृद्धि करना चाहते हैं, जिसमें रणनीतिक, भौतिक और भौगोलिक विकास पर जोर दिया जाएगा, और अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत और विस्तारित करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में नए अवसरों की पहचान की जाएगी। हमारा भौगोलिक विकास छोटे शहरों तक बढ़ाया जाएगा, जहां हमारा मानना है कि हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त की अधिक मांग है।

विभिन्न एजेंसियों के साथ रणनीतिक गठबंधन विकसित करना:
केंद्र और राज्य सरकारों/सरकारी एजेंसियों के साथ हमारे कई वर्षों से घनिष्ठ संबंध हैं। इस घनिष्ठ संबंध का लाभ उठाने के लिए, हम वित्तपोषण के साथ-साथ शुल्क-आधारित गतिविधियों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम जैसे रणनीतिक गठबंधन स्थापित करने का इरादा रखते हैं।

शुल्क आधारित गतिविधियों से आय में वृद्धि:
पिछले 54 वर्षों में हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में हमारे पास बहुत समृद्ध और विविध विशेषज्ञता है, साथ ही इसके बहुआयामी प्रतिभा पूल के साथ, हम अपनी शुल्क आधारित गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। राज्य सरकार के साथ हमारे घनिष्ठ सहयोग का लाभ उठाकर इसे और अधिक समर्थन मिलेगा, खासकर जे.एन.एन.यू.आर.एम. और आर.ए.वाई. जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में। हम परामर्श के माध्यम से हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त क्षेत्र में अपने व्यवसाय को पूरक बनाना चाहते हैं।

हमारे व्यवसाय प्लेटफ़ॉर्म
हडको केंद्रीय और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, हाउसिंग बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, राज्य सरकार के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शहरी सुधार ट्रस्ट, पुलिस हाउसिंग निगम, राज्य स्तरीय शीर्ष हाउसिंग सहकारी समितियों आदि जैसी राज्य सरकार की एजेंसियों को हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रहा है।

हाउसिंग वित्त

31 दिसंबर 2024 तक, हमने 98,482.15 करोड़ रुपये (खुदरा वित्त सहित) का हाउसिंग वित्त स्वीकृत किया है, जो हमारी कुल वित्तपोषण गतिविधियों का 24.42% है। हाउसिंग वित्त को सामाजिक आवास, आवासीय अचल संपत्ति और हडको निवास के वित्तपोषण में वर्गीकृत किया जा सकता है।

हाउसिंग (सामाजिक हाउसिंग और आवासीय अचल संपत्ति) – हाउसिंग के तहत, घरों/फ्लैटों के निर्माण, साइट और सेवा योजना सहित आवासीय भूखंडों, स्टाफ आवास, सहकारी आवास, भूमि अधिग्रहण, आवासीय टाउनशिप के विकास आदि के लिए सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं। सुरक्षा और पुनर्भुगतान तंत्र की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार/एजेंसियों को ऋण दिया जाता है।

समाज के कमजोर वर्ग की हाउसिंग आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जाता है। अब तक हडको ने 20.14 मिलियन (परियोजना) आवासीय इकाइयों को वित्तपोषित किया है, जिनमें से 93.51% से अधिक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी से संबंधित हैं। हडको ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउसिंग के लिए नरम वित्तीय शर्तें प्रदान करता है जिसमें कम ब्याज दरें, ऋण की बड़ी अवधि और लंबी चुकौती अवधि शामिल है। हडको कमजोर वर्गों की हाउसिंग आवश्यकता को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। हाउसिंग के तहत एक सावधि ऋण की अवधि आम तौर पर 20 साल तक होती है।

हडको हडको-निवास के तहत व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर रहा था जिसे 01.04.2024 से बंद कर दिया गया था।

दीर्घकालिक ऋणों के तहत सुरक्षा हाउसिंग परियोजना और उधारकर्ता की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि उधारकर्ता एक सार्वजनिक एजेंसी है, तो सुरक्षा विकल्पों में सरकारी गारंटी, बैंक गारंटी, परियोजना का बंधक या वैकल्पिक संपत्ति शामिल है। दीर्घकालिक ऋणों के तहत सुरक्षा कवरेज आम तौर पर उधारकर्ता के प्रकार के आधार पर किसी भी समय बकाया ऋण के 125% -150% से भिन्न होता है।

निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अवधि के लिए सामाजिक आवास, आवासीय अचल संपत्ति और हडको निवास के लिए स्वीकृत, वितरित और बकाया राशि दर्शाई गई है:

विवरण	**31.12.2024** तक	वित्तीय **2024**	वित्तीय **2023**
सामाजिक आवास	0	3,608.22	3,385.00
आवासीय अचल संपत्ति	1,650.00	286.17	27.59
हडको निवास	0	4.40	12.37
जिनमें से:			
व्यक्तिगत खुदरा ऋण	0	4.40	12.37
थोक खुदरा ऋण	0	0.00	-
अन्य			40.83
कुल	***1,650.00***	***3,898.79***	***3,465.79***
सामाजिक आवास	549.47	2284.54	1,750.00
आवासीय अचल संपत्ति	21.23	75.06	79.45
हडको निवास	0	6.28	8.55
कुल	***570.7***	***2,365.88***	***1,838.00***
सामाजिकआवास	39,615.71	42,161.49	42,234.25
आवासीय रियल एस्टेट	1,024.12	1127.80	1,287.35
हडको निवास	69.89538	221.94	239.72
जिनमें से:			
व्यक्तिगत खुदरा ऋण	69.89538	79.67	86.11
थोक खुदरा ऋण	0.00	142.27	153.61
कुल	**40,709.73**	***43,511.23***	***43,761.32***

<u>अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त</u>

हम विभिन्न प्रकृति की अवसंरचना परियोजनाओं ***(***"अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त"***)*** को वित्तपोषित करते हैं। ***31*** दिसंबर ***2024*** तक, हमने ***3,04,819.48*** करोड़ रुपये का अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त स्वीकृत किया है, जो हमारी कुल वित्तपोषण गतिविधियों का ***75.58%*** है। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त को सामाजिक अवसंरचना, विकास, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, सड़क और

परिवहन, बिजली, उभरते क्षेत्र, वाणिज्यिक अवसंरचना और अन्य में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जल आपूर्ति - जारीकर्ता असेवित क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं, पुनर्वास परियोजनाओं और मौजूदा जल आपूर्ति को बढ़ाने और उन आपूर्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। विशेष रूप से, जारीकर्ता राज्य सरकारों को छोटे और मध्यम आकार के शहरों के लिए अपनी स्वयं की जल आपूर्ति योजनाएँ शुरू करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य पूरी शहरी आबादी को निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करना है, साथ ही आपूर्ति की गुणवत्ता को बढ़ाना और घरेलू स्तर पर समग्र लागत को कम करना है।

सड़क एवं परिवहन - जारीकर्ता सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उधारकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण, निर्माण, एक्सप्रेसवे, राजमार्गों, शहर की सड़कों के उन्नयन और सुधार और परिवहन के प्रावधान के लिए परिवहन क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे, सबवे बाईपास, परिवहन टर्मिनलों, पार्किंग परिसरों और वाहनों का वित्तपोषण शामिल है।

बिजली-जारीकर्ता बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीनीकरण आदि परियोजनाएं शामिल हैं।

क्षेत्र विकास *(अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर)* / उभरते क्षेत्र-जारीकर्ता एसईजेड, औद्योगिक अवसंरचना *(गोदामों और औद्योगिक सम्पदाओं सहित)*, क्षेत्र विकास, आईटी पार्क, गैस पाइपलाइनों, तेल टर्मिनलों और दूरसंचार क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता के लिए ऋण प्रदान करता है।

सामाजिक अवसंरचना - जारीकर्ता स्वास्थ्य एवं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं *(जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान, सामुदायिक केंद्र और पार्क)* के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। जारीकर्ता उपयोगिता अवसंरचना को प्राथमिकता मानते हैं क्योंकि यह सीधे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जारीकर्ताओं ने राष्ट्रीय खेल गांव, स्टेडियम, खेल परिसर, शूटिंग रेंज, पार्क और खेल के मैदान, सरकारी अस्पताल, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुलिस अकादमी और अग्निशमन केंद्रों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया है। जारीकर्ताओं ने मरम्मत, विस्तार और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया है।

वाणिज्यिक अवसंरचना - जारीकर्ता शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, होटल, मनोरंजन केंद्र, कार्यालय भवन, व्यवसाय/व्यापार केंद्र, बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाएं, पर्यटन केंद्र, गेस्ट हाउस और टर्मिनल मार्केट को वित्तपोषित करता है।

सीवरेज और ड्रेनेज - जारीकर्ता सीवरेज, ड्रेनेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। जारीकर्ता ने सीवर लाइन बिछाने, पंपिंग स्टेशन, घर सीवर कनेक्शन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। जारीकर्ता ने बुनियादी स्वच्छता, एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता,वैम्बे, फुटपाथ निवासियों के लिए आश्रय और स्वच्छता सुविधाओं के कार्य योजना कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक स्तर पर शौचालय सुविधाओं के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार की मदद की है। जारीकर्ता का मानना है कि इसके योगदान ने राष्ट्र को गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में अपशिष्ट जल उपचार के कवरेज को बढ़ाने में मदद की है।

निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अवधि के लिए सामाजिक अवसंरचना और क्षेत्र विकास, जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी, सड़क और परिवहन, बिजली, उभरते क्षेत्र, वाणिज्यिक अवसंरचना और अन्य के लिए स्वीकृत, वितरित और बकाया राशि दर्शाई गई है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**31.12.2024** तक	वित्तीय **2024**	वित्तीय **2023**
सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं क्षेत्रीय विकास	1,027.59	622.04	4,525.31
जलआपूर्ति	4,800.78	3,490.73	750.00
सीवरेज एवं ड्रेनेज	135.36	-	-
सड़क और परिवहन	38,569.84	45,792	10,346.60
ऊर्जा*(पॉवर)*	43,537.17	23,333.7	1,717.86
उभरता क्षेत्र	1,930.00	3,399.3	-
वाणिज्यिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य	500.00	1,850	3,546.42
स्मार्ट शहर	0.00	-	220.00
कुल	**90,500.74**	**78,487.77**	**21,106.19**
सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं क्षेत्रीय विकास	93.12	1,968.44	-
जलआपूर्ति सीवरेज एवं ड्रेनेज	3,275.95	2,573.1	245.04
सड़क और परिवहन	6,444.75	3207.59	3,520.72

ऊर्जा (पॉवर)	19,595.29	6,282.7	-
उभरता क्षेत्र और वाणिज्यिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,780.5	1,589.34	2,862.15
कुल	***31,189.61***	***15,621.17***	***6,627.91***
सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं क्षेत्रीय विकास	11.38	378.50	1.25
जलआपूर्ति और सीवरेज एवं ड्रेनेज	17,218.54	14,628.28	13,450.78
सड़क और परिवहन	51,267.63	15,793.22	13,722.86
ऊर्जा (पॉवर)	0.00	10,394.55	4,653.48
सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं क्षेत्रीय विकास और अन्य	9,723.53	7,948.29	5,153.63
कुल	***78,221.08***	***49,143.44***	***36,982.00***

परामर्श सेवाएं

जारीकर्ता हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है और अपनी स्थापना के बाद से इस क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए ***300*** से अधिक परियोजनाओं को संभाल चुका है। इसका उद्देश्य भारत और विदेशों में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाओं के डिजाइन और नियोजन चरण के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, स्थापित करना, सहायता करना, सहयोग करना और परामर्श देना है। जारीकर्ता की परामर्श सेवाएँ उन संस्थानों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास विशेषज्ञता या जनशक्ति की कमी है या जो अपने प्रयासों को स्वयं पूरक बनाना चाहते हैं। जारीकर्ता की परामर्श सेवाएँ उन हाउसिंग या अर्बन डेवलपमेंट एजेंसियों के लिए भी उपयुक्त होंगी जो अपने दम पर या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, भारत सरकार, राज्य सरकारों या हाउसिंग वित्त संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके कार्यान्वयन के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करना चाहती हैं।

जारीकर्ता ने लागत प्रभावी आवास, पर्यावरण सुधार, विकास योजनाओं, आपदा के बाद पुनर्वास, भूदृश्य और संरक्षण के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

कार्य के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं***:***

- क्षेत्रीय योजना तैयार करना;
- मास्टर प्लान/विकास योजना तैयार करना;
- कम लागत वाले हाउसिंग डिजाइन;
- झुग्गी मुक्त शहर योजनाओं की तैयारी;
- झुग्गी पुनर्विकास, पुनर्वास और उन्नयन परियोजनाएं;
- विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूदृश्य योजना और डिजाइन;
- नदी-तट विकास योजनाओं की तैयारी;
- आंतरिक डिजाइन और उसका क्रियान्वयन;
- आपदा पश्चात पुनर्वास परियोजनाएं; पर्यावरण इंजीनियरिंग परियोजनाएं;
- संरचनात्मक डिजाइन; और
- परियोजना प्रबंधन।

जारीकर्ता द्वारा डिजाइन की गई कई परियोजनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें भारतीय आर्किटेक्ट्स संस्थान से "वास्तुकला में उत्कृष्टता" पुरस्कार, "आगा खान अंतर्राष्ट्रीय" पुरस्कार और साथ ही बिल्डिंग एंड सोशल हाउसिंग फाउंडेशन, यू.के. द्वारा प्रायोजित "विश्व पर्यावास" पुरस्कार शामिल हैं। जारीकर्ता को शहरी विकास मंत्रालय से जम्मू में सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए "शहरी नियोजन और डिजाइन में उत्कृष्टता" के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। कुछ अन्य उल्लेखनीय परियोजनाएं जिनके लिए पुरस्कार/मान्यता प्राप्त हुई है उनमें सिद्धेश्वर धाम सिक्किम के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजाइन की गई परियोजना के लिए भारतीय बिल्डिंग कांग्रेस पुरस्कार 2012 और भारतीय कंक्रीट संस्थान – अल्ट्रा टेक द्वारा पुडुचेरी में थिरुनल्लर क्यू कॉम्प्लेक्स के लिए उत्कृष्ट सार्वजनिक उपयोगिता भवन परियोजना पुरस्कार शामिल हैं।

हडको कंसल्टेंसी को उड़ीसा और गुजरात में आपदा पुनर्वास प्रयासों के लिए लोकसभा और राज्यसभा से भी महत्वपूर्ण सराहना मिली है। लातूर और उस्मानाबाद में भूकंप पुनर्वास प्रयासों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। एक अन्य ऐतिहासिक परियोजना जिसके लिए व्यापक वास्तुशिल्प डिजाइन परामर्श प्रदान किया गया है, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए नई दिल्ली में कार्यालय भवन है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में जारीकर्ता ने एम ओ ई एफ एंड सी सी के लिए तकनीकी परामर्श कार्य संभाला है।

आपदा पुनर्वास प्रयास -

जारीकर्ता ने आपदा के बाद पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें घरों और सामुदायिक भवनों का निर्माण और साथ ही क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। जारीकर्ता प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्वास में व्यापक रूप से शामिल रहा है, जैसे कि जबलपुर, लातूर, उस्मानाबाद, चमोली, भुज में भूकंप से प्रभावित लोगों के साथ-साथ उड़ीसा में चक्रवात के शिकार लोगों के पुनर्वास में भी। इसने तमिलनाडु में सुनामी पीड़ितों के लिए घरों और जम्मू-कश्मीर के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी आश्रय के रूप में सामुदायिक हॉल के निर्माण में भी योगदान दिया है। लेह में बादल फटने के पीड़ितों के लिए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए, जारीकर्ता ने प्रभावित परिवारों के लिए *133* प्रीफ़ैब स्टार्टर हाउस के निर्माण को वित्त पोषित किया है, जिसे घाटी में कठोर सर्दियों की शुरुआत से पहले सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जारीकर्ता ने केरल में आपदा पुनर्वास प्रयास भी किए हैं।

भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने में जारीकर्ता की भागीदारी-

जारीकर्ता की परामर्श सेवाओं में मूल्यांकन एवं निगरानी, वास्तुकला डिजाइन और शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

जारीकर्ता भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (पीएमएवाई-एचएफए (शहरी)) और दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ("डीएवाई-एनयूएलएम") के लिए डीपीआर डेस्क और साइट जांच / निरीक्षण, निगरानी, क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। राज्य शहरी विकास रणनीति, मास्टर प्लान / विकास योजना / शहर विकास योजना, नई टाउनशिप, स्लम मुक्त शहर कार्य योजना, सबके लिए आवास कार्य योजना, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सामाजिक विकास के लिए सलाहकार सहायता और/या शहरी और क्षेत्रीय नियोजन सहायता के रूप में परामर्श प्रदान किया जाता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन *(डे-एनयूएलएम)*-

डे-एनयूएलएम के तहत शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवा प्रदान की जानी है। इसकेअतिरिक्त, यह कार्यक्रम शहरी स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका संबंधी चिंताओं को भी संबोधित करता है, उन्हें उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, ताकि वे उभरते बाजार के अवसरों का लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम के तहत जारीकर्ता की वर्तमान भूमिका शहरी बेघरों के लिए आश्रय वर्टिकल के तहत विकसित रात्रि आश्रयों का निरीक्षण करना है, जो कार्यक्रम के तहत सात वर्टिकल में से एक है, और डे-एनयूएलएम योजना के सभी सात वर्टिकल को कवर करने वाले कार्यान्वयन समर्थन पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अपडेट करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना *(पीएमएवाई)*-सभी के लिए आवास *(एचएफए) (शहरी)*-

पीएमएवाई-एचएफए *(शहरी)* की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के संबंध में, जारीकर्ता को एनएचबी के साथ-साथ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, ताकि योजना की प्रगति की निगरानी की जा सके और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा सकें। जारीकर्ता सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नामांकन के संबंध में प्रमुख ऋणदाता संस्थानों के साथ बातचीत कर रहा है और उसने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए प्रमुख ऋणदाता संस्थानों के साथ कुल *90* समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और मध्यम आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए प्रमुख ऋणदाता संस्थानों के साथ कुल *82* समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जारीकर्ता को पीएमएवाई-एचएफए *(शहरी)* के तीन अन्य कार्यक्षेत्रों के लिए मूल्यांकन एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है*:* इन-सीटू स्लम विकास*;* भागीदारी में किफायती आवास*;* और लाभार्थी के नेतृत्व वाली निर्माण परियोजनाएं। व्यवसाय सहायता गतिविधियाँ हमारा व्यवसाय एचएसएमआई के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों, वैकल्पिक निर्माण सामग्री और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी संवर्धन द्वारा समर्थित है।

व्यवसाय समर्थन गतिविधियाँ

हमारा व्यवसाय एचएसएमआई और वैकल्पिक निर्माण सामग्री और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी संवर्धन के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों द्वारा समर्थित है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण-

हम मानव बस्ती विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण करते हैं ("अनुसंधान और प्रशिक्षण")। हमारा अनुसंधान और प्रशिक्षण मानव बस्ती प्रबंधन संस्थान ("एचएसएमआई") के माध्यम से किया जाता है। एचएसएमआई की स्थापना 1985 में एक हमारे खोज और प्रशिक्षण विंग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य पेशेवरों को सहायता प्रदान करना और प्रशासकों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं और मानव बस्ती विकास के मुद्दों और दिन-प्रतिदिन के अभ्यास से जुड़े अन्य लोगों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना था। एचएसएमआई एक क्षेत्र विशेषज्ञ संस्थान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और विकेन्द्रीकृत स्तरों पर काम करता है। यह अनुसंधान और प्रशिक्षण करने के लिए आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। वर्तमान में, एचएसएमआई निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों में चार केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और प्रशिक्षण करता है अर्थात शहरी गरीबी, मलिन बस्तियों और आजीविका केंद्र, परियोजना विकास और प्रबंधन केंद्र, सतत हाउसिंग केंद्र और किफायती हाउसिंग केंद्र।

एचएसएमआई द्वारा प्रशिक्षण-

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, एचएसएमआई ने 53 आईटीईसी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) और 7 ई-आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1258 विदेशी प्रतिभागियों को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण प्रदान किया है।

एचएसएमआई ने 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 776 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें हडको के अधिकारी और अन्य हितधारक शामिल थे, जैसे 'ऋण वसूली तंत्र में हालिया विकास-कानूनी पहलू (एसएआरएफएईएसआई, डीआरटी, ओटीएस और आईबीएस 2016 सहित)', 'हडको अधिकारियों के लिए खुदरा वित्त पर कार्यक्रम-थोक ऋण सहित', 'प्लास्टिक/प्रदूषण का समाधान', 'साइबर स्वच्छता और सुरक्षा' आदि। एचएसएमआई ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रायोजित ई-आईटीईसी कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसका विषय 'डीकार्बोनाइजिंग हैबिटेट कार्यक्रम-वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना' है। एचएसएमआई ने मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत "शहरी गरीबों के लिए आवास- नीति, योजना और कार्यान्वयन- भारतीय अनुभव" पर 52 वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16 विकासशील देशों के 28 प्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 14 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 प्रतिनिधियों के लिए "हाउसिंग III नए शहरी एजेंडा -

नीतियों, योजना और प्रथाओं के संदर्भ में पर्याप्त हाउसिंग के अधिकार को साकार करना" पर 53 वां आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

एचएसएमआई द्वारा अनुसंधान-

एचएसएमआई अनुसंधान कार्यक्रम इसकी प्रशिक्षण गतिविधियों का समर्थन करते हैं और इन्हें छोटे बजट के अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से विकसित किया गया है। एचएसएमआई अपने संकाय सदस्यों द्वारा किए गए इन-हाउस अनुसंधान और प्रायोजित अनुसंधान को अपने हाथ में लेता है। अनुसंधान के क्षेत्र मुख्य रूप से एकीकृत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी प्रबंधन, पर्यावरणीय मुद्दों, शहरी गरीबी उन्मूलन, अनौपचारिक वित्तपोषण और लैंगिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। इन अध्ययनों को अनुसंधान अध्ययन और कार्य पत्रों के रूप में प्रकाशित किया जाता है और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। एचएसएमआई द्वारा लगभग *150* अनुसंधान अध्ययन और कार्य पत्र लिए गए हैं।

एचएसएमआई के माध्यम से अनुसंधान और प्रशिक्षण ने हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऋण संचालन में सुधार करने के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं बनाने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, हमने देश में हाउसिंग और शहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान के लिए वार्षिक पुरस्कार भी स्थापित किए हैं।

भवन निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन-

हम स्थानीय सामग्रियों के उपयोग, प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और भवन निर्माण सामग्री और निर्माण के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हैं *("*भवन निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन*")*। इन नवीन और लागत प्रभावी हाउसिंग प्रौद्योगिकियों का प्रचार, प्रसार और संवर्धन करने के उद्देश्य से, हमने भारत सरकार के साथ मिलकर भवन निर्माण केंद्रों *("*भवन निर्माण केंद्र*")* के एक राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, *655* भवन केंद्रों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया था। भवन निर्माण केंद्र किफायती हाउसिंग के लिए एक प्रभावी निर्माण वितरण प्रणाली विकसित कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय सृजन में भी योगदान दे रहे हैं। वे विभिन्न कारीगरों को लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण देते हैं और भवन घटकों के उत्पादन और घरों और इमारतों के निर्माण में प्रौद्योगिकियों को पेश करते हैं।

भवन केंद्रों के माध्यम से भवन निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन केअतिरिक्त, हमने भवन निर्माण सामग्री उद्योगों को इक्विटी और सावधि ऋण सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की है ताकि भवन निर्माण सामग्री और घटकों का निर्माण किया जा सके जो पारंपरिक विकल्पों के लिए नवीन और वैकल्पिक हैं और ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के साथ कृषि और औद्योगिक कचरे का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम हडको-केएफडब्ल्यू के माध्यम से देश भर में आदर्श गांवों/आदर्श बस्तियों के विकास के लिए व्यक्तिगत परियोजना के लिए *70* लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेंगे।

कार्यक्रम और उत्पाद पोर्टफोलियो

आज हडको देश में हाउसिंग गतिविधियों को वित्तपोषित/प्रोत्साहित करने तथा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के प्रमुख उद्देश्य के साथ प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी-वित्तपोषण संस्थान के रूप में उभरा है। हडको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान करता है, जिसमें आवास, अवसंरचना, भवन प्रौद्योगिकी, परामर्श सेवाएँ, अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल हैं, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:

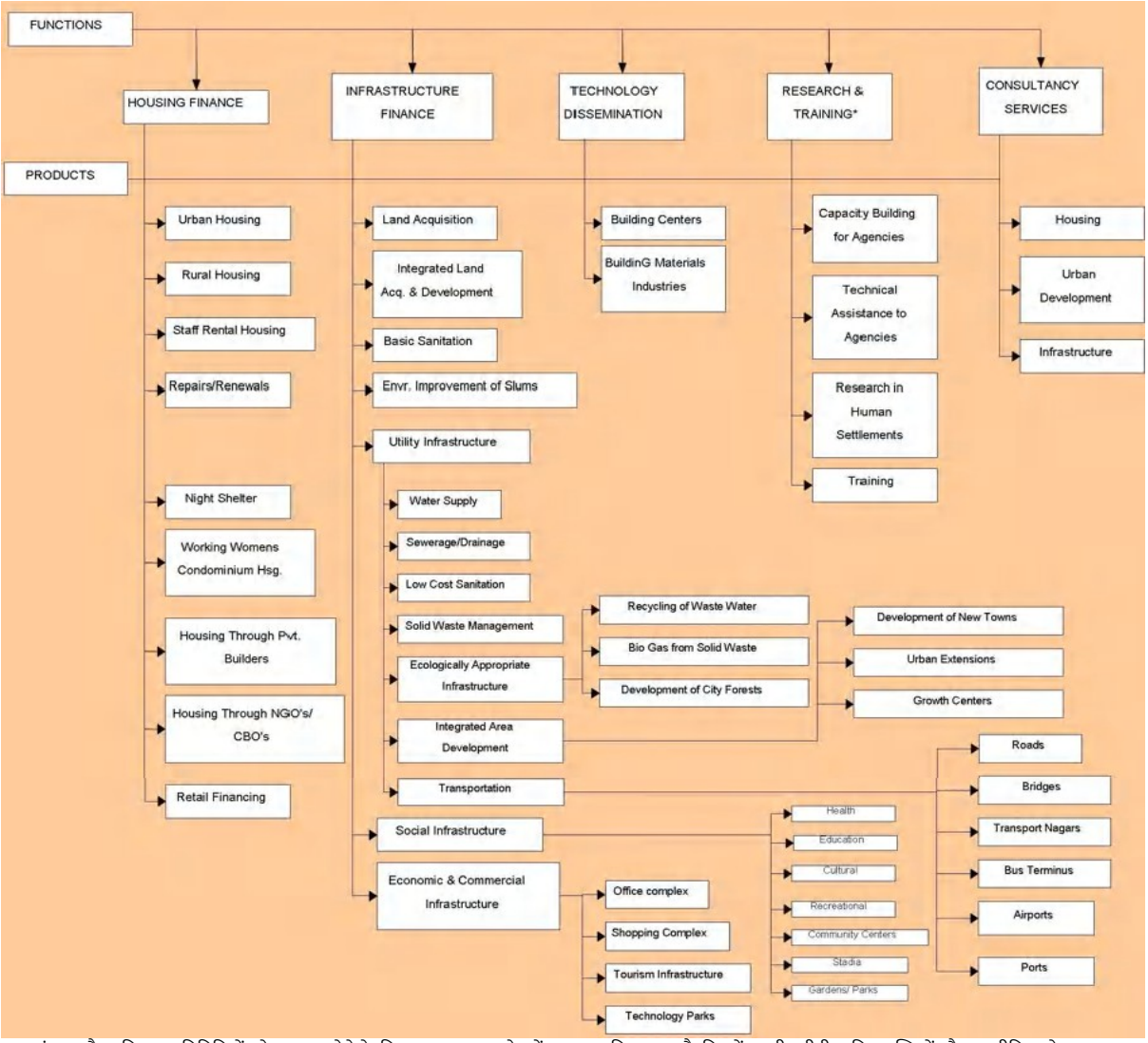

*अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को नया बल देने के लिए चार उत्कृष्टता केन्द्रों का गठन किया गया है, जिनमें शहरी गरीबी, मलिन बस्तियों और आजीविका केन्द्र (सीयूपीएसएल), सतत हाउसिंग केन्द्र (सीएसएच), परियोजना विकास और प्रबंधन केन्द्र (सीपीडीएम) और किफायती हाउसिंग केन्द्र (सीएएच) शामिल हैं।

परंपरागत रूप से हडको हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। हालांकि, बदलते बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हडको ने अपने प्रचालनक्षेत्र में विविधता लाकर कई अन्य क्षेत्रों को शामिल किया है, जैसे बिजली, दूरसंचार, मेट्रो, बंदरगाह, रेलवे, गैस पाइपलाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि, जबकि सामाजिक हाउसिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका ध्यान केंद्रित है।

हडको ने अब सक्रिय रूप से शुल्क आधारित व्यवसायों में प्रवेश किया है तथा डिजाइन और नियोजन के क्षेत्र में परामर्श परियोजनाएं शुरू की हैं। हडको सरकार की विभिन्न कार्ययोजना योजनाओं में भी सहायता कर रहा है, विशेष रूप से जे.एन.एन.यू.आर.एम. में, जहां हडको जे.एन.एन.यू.आर.एम. के विशिष्ट घटकों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। हडको ने राज्य सरकारों के लिए मास्टर प्लान और शहर विकास योजनाओं की तैयारी के लिए भी कार्यभार संभाला है। शुल्क आधार पर वाणिज्यिक परामर्श के तहत मूल्यांकन सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। मेगा आउटले के साथ बड़ी परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ, हडको ने निजी बिजली और अन्य परियोजनाओं के लिए कंसोर्टियम फंडिंग शुरू की है। हडको ने निजी औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण में भी कदम रखा है।

5.2.7 ऋण नीतियां/व्यावसायिक प्रक्रिया

जारीकर्ता ने हाउसिंग वित्त और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त प्रदान करने के लिए विस्तृत व्यवसाय प्रक्रिया स्थापित की है। चूंकि व्यक्तिगत खुदरा ऋण वर्तमान में भौतिक नहीं हैं, इसलिए जारीकर्ता ने व्यक्तिगत खुदरा ऋण के लिए अपनी व्यवसाय प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया है।

ऋण उत्पत्ति - जारीकर्ता के 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 विकास कार्यालय व्यवसाय विकास के लिए जिम्मेदार हैं। वे विभिन्न बाजार खंडों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन भी करते हैं और नए वित्तीय उत्पादों के विकास के लिए जारीकर्ता के कॉर्पोरेट कार्यालय को सिफारिशें करते हैं। जारीकर्ता का वर्तमान ध्यान राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को नए ऋण स्वीकृत करने पर है। अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत परियोजनाओं के मूल्यांकन की अपनी भूमिका के माध्यम से, जारीकर्ता ने विभिन्न राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। इससे जारीकर्ता को उन संस्थाओं को ऋण प्रदान करने का अधिक अवसर मिलता है, चाहे वे उन योजनाओं के तहत परियोजनाओं के लिए हों या अन्यथा।

ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति - ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति प्रक्रिया मुख्य रूप से जारीकर्ता के क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी एक में ऋण आवेदन की प्राप्ति और समीक्षा के साथ शुरू होती है। जारीकर्ता के पास अपने सभी ऋणों के लिए एक सामान्य ऋण आवेदन पत्र होता है। आवेदन की समीक्षा परियोजना और वित्त अधिकारी और कानून अधिकारी (अधिमानतः संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से) से युक्त एक विधिवत गठित मूल्यांकन टीम द्वारा की जाती है। मूल्यांकन टीम फिर एक निर्धारित प्रारूप में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है। यदि आवेदन किए गए ऋण की राशि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्वीकृत की जा सकने वाली राशि से अधिक है, तो आवेदन की जांच जारीकर्ता की परियोजना मूल्यांकन समिति (पी ए सी) द्वारा की जाएगी और निदेशकों (सी ओ डी) / सीएमडी / बोर्ड स्तर की समिति से अनुमोदन की आवश्यकता वाले ऋणों के लिए सिफारिश की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो मूल्यांकन टीम / संबंधित परियोजना मूल्यांकन समिति आवेदन पर समेकित टिप्पणियां भेजेगी और आवेदन की समीक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगेगी। ऋण आवेदन समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में, जारीकर्ता आवेदक के प्रकार और ऋण के प्रकार के आधार पर अन्य कार्यवाही भी करेगा, जैसे कि शीर्षक सत्यापन जाँच, गुणवत्ता और इसकी प्रवर्तनीयता, कानूनी योग्यता, तकनीकी व्यवहार्यता, माँग और विपणन क्षमता, वित्तीय व्यवहार्यता, पुनर्भुगतान संरचना, संपार्श्विक/बंधक का मूल्यांकन आदि। यदि संपार्श्विक का मूल्य एक निश्चित राशि से अधिक है, तो संपार्श्विक के मूल्य के आधार पर, जारीकर्ता संपार्श्विक का मूल्यांकन करने के लिए एक या दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, PAC एजेंडा तैयार किया जाता है और PAC के समक्ष रखा जाता है। यदि PAC स्वीकृति प्राधिकरण के विचार के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है, तो जारीकर्ता के निर्धारित प्रारूप में एक स्वीकृति/बोर्ड नोट तैयार किया जाता है, साथ ही किसी भी मुद्दे के साथ जो उन्हें लगता है कि सक्षम प्राधिकारी को ऋण स्वीकृत करने से पहले विचार करना चाहिए, यदि कोई हो।

अनुमोदन की शक्तियाँ क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों में निहित हैं। एक बार जब प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी किया जाता है।

संवितरण - संवितरण सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के पूरा होने के बाद किया जाता है, जिसमें, यदि लागू हो, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुरक्षा हित का निर्माण शामिल है।

परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ऋण के लिए संवितरण परियोजना की निर्माण प्रगति के जारीकर्ता के सत्यापन और उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होते हैं। संवितरण आमतौर पर परियोजना के विशिष्ट चरणों में होते हैं, जैसे निर्माण पूरा होने का प्रतिशत या विशेष मील के पत्थर पर।

निगरानी और डिफ़ॉल्ट समाधान - प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक डिफ़ॉल्ट समीक्षा समिति होती है जो उस क्षेत्र में उधारकर्ताओं द्वारा ऋण डिफ़ॉल्ट की निगरानी और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। जारीकर्ता की डिफ़ॉल्ट निगरानी और समाधान समिति जारीकर्ता के कॉर्पोरेट कार्यालय में डिफ़ॉल्ट विंग द्वारा दी गई जानकारी और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में डिफ़ॉल्ट समीक्षा समिति के मिनटों के आधार पर ऋण डिफ़ॉल्ट की आवधिक निगरानी और समीक्षा करती है। समिति क्षेत्रीय कार्यालयों और एजेंसियों से प्राप्त डिफ़ॉल्ट समाधान पैकेज/वन टाइम सेटलमेंट ("OTS") पैकेज की भी समीक्षा करती है और बकाया राशि की छूट/छूट के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोधों और सिफारिशों पर विचार करती है। इसके बाद समिति बोर्ड को विचार और अनुमोदन के लिए सिफारिशें करती है। डिफ़ॉल्ट और एनपीए की समीक्षा भी बोर्ड स्तर की समिति, एनपीए की समीक्षा के लिए समिति द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। एनपीए की समीक्षा के लिए गठित समिति, जब आवश्यक हो, व्यक्तिगत क्षेत्रीय कार्यालयों के चूक और एनपीए की भी समीक्षा करती है तथा चूक और एनपीए के व्यक्तिगत मामलों के समाधान/अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्देश देती है।

चूक की स्थिति में, जहां वसूली मुश्किल हो जाती है, जारीकर्ता के पास वसूली के लिए ऋण के लिए दी गई प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं।

मंजूरी/वितरण/उधार दरों आदि के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए - नीचे दिए गए लिंक का अनुसरण करके इसे एक्सेस किया जा सकता है:
https://hudco.org.in//Site/FormTemplete/frmTemp1PLargeTC1C.aspx?MnId=24&ParentID=23https://hudco.org.in//Site/FormTemplete/frmTemp1PLargeTC1C.aspx?MnId=293&ParentID=35https://hudco.org.in//writereaddata/finpat.pdf

जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग

केयर – केयर ने जारीकर्ता के दीर्घकालिक एनसीडी , दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं और सावधि जमा कार्यक्रम को "केयर-एएए" की रेटिंग दी है। केयर द्वारा "केयर एएए" को वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्चतम सुरक्षा वाले और सबसे कम क्रेडिट जोखिम वाले उपकरणों के लिए रेटिंग के रूप में परिभाषित किया गया है।

केयर ने जारीकर्ता के अल्पकालिक ऋण/वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रम और जारीकर्ता की अल्पकालिक बैंक सुविधाओं को "केयर A1+" की रेटिंग दी है। केयर द्वारा "केयरए 1+" को वित्तीय दायित्वों के समय पर भुगतान के संबंध में बहुत मजबूत सुरक्षा वाले और सबसे कम क्रेडिट जोखिम वाले उपकरणों के लिए रेटिंग के रूप में परिभाषित किया गया है।

आईआरआरपीएल - आईआरआरपीएल, जिसे पहले फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने जारीकर्ता के घरेलू एनसीडी, दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं और घरेलू सावधि जमा योजना को "आईएनडी-एएए" की रेटिंग दी है। "आईएनडी-एएए" को आईआरआरपीएल द्वारा वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा करने और सबसे कम क्रेडिट जोखिम उठाने के संबंध में उच्चतम सुरक्षा वाले उपकरणों के लिए रेटिंग के रूप में परिभाषित किया गया है।

आईसीआरए-आईसीआरए ने जारीकर्ता के दीर्घकालिक एनसीडी, दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं और सावधि जमा कार्यक्रम को "आईसीआरएएएए (स्थिर)" की रेटिंग दी है। "आईसीआरए एएए" को आईसीआरए द्वारा वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा करने और सबसे कम क्रेडिट जोखिम उठाने के संबंध में उच्चतम सुरक्षा वाले उपकरणों के लिए रेटिंग के रूप में परिभाषित किया गया है।

आईसीआरए ने जारीकर्ता के अल्पकालिक ऋण कार्यक्रम और जारीकर्ता की अल्पकालिक बैंक सुविधाओं को "आईसीआरए ए 1+" की रेटिंग दी है। आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए ए 1+" को वित्तीय दायित्वों के समय पर भुगतान के संबंध में सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री वाले और सबसे कम क्रेडिट जोखिम वाले उपकरणों के लिए रेटिंग के रूप में परिभाषित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय

31 मार्च, 2024 को, हडको ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उधार कार्यक्रम के लिए मूडीज और फिच, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से स्थिर दृष्टिकोण के साथ क्रमशः 'बीएए 3' और स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी-' की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना जारी रखा। दोनों निर्दिष्ट रेटिंग निवेश ग्रेड की हैं और हमारे देश की संप्रभु छत और समकक्ष हैं।

क्रेडिट रेटिंग (पिछले तीन वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष)-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	रेटिंग्स असाइन की गईं		
		आईआरआरपीएल	आईसीआरए	केयर
1.	2024-2025	AAA	AAA	AAA
2.	2023-2024	AAA	AAA	AAA
3.	2022-2023	AAA	AAA	AAA
4.	2021-2022	AAA	AAA	AAA

विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति, तर्कपूर्ण विवरण पत्र के लिए कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के "अनुलग्नक-ई" का संदर्भ लें।

5.2.9 उधार नीति/ संसाधन नियोजन नीति

एनएचबी/आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, जारीकर्ता ने संसाधन नियोजन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है, जो (i) वर्ष के दौरान निधि जुटाने के तरीके/स्रोतों तथा विभिन्न नियोजन, नीति और प्रचालनपहलुओं; (ii) आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक योजना; (iii) तरलता बफर का रखरखाव; और (iv) नीति की वैधता और समीक्षा पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

1. संसाधनों के मिश्रण के लिए वार्षिक योजना: नीति/अभ्यास के अनुसार, संसाधन जुटाने की योजना 'संसाधन योजना/नीति' के माध्यम से वार्षिक आधार पर बनाई जाती है, जिसे हर साल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसमें विभिन्न नियोजन, नीति और प्रचालन पहलू शामिल होते हैं जैसे कि वर्ष के लिए प्रस्तावित उधार की मात्रा, जिस तरीके/स्रोत से धन जुटाया जा सकता है, संसाधनों को जुटाने के लिए रणनीति और कार्य योजना, जिसमें आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक योजना, नियामक आवश्यकताएं, संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न मध्यस्थों की नियुक्ति की आवश्यकता, उधार लेने को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों के लिए आवश्यक प्रतिनिधिमंडल, बॉन्ड/डिबेंचर/सीपी जारी करने की शक्ति और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट की योजना क्षितिज और आवधिकता को भी शामिल किया गया है। कंपनी की उधारी की योजना एएलएम अंतराल, ब्याज बेमेल और मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

संसाधन जुटाने की अपनी रणनीति के एक हिस्से के रूप में, हडको घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से उधार ले रहा है और अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वित्त प्रदान करता है। उधार लेने के विभिन्न स्रोतों/तरीकों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण/ऋण की लाइनें, बॉन्ड/डिबेंचर, वाणिज्यिक/संरचित पत्र, एफसीएनआर (बी) ऋण, बैंकों से समतुल्य विदेशी मुद्रा में उधार, ईसीबी, बहुपक्षीय संस्थानों/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार, एफडी के खिलाफ ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा, कार्यशील पूंजी मांग ऋण आदि शामिल होंगे। समग्र उधार आवश्यकता प्रत्येक वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए वार्षिक/अंतरिम संसाधन योजना के अनुसार होगी, जिसे पहले से अंतिम रूप दिया जाएगा। तथापि, उधार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के मिश्रण को मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर अंतिम रूप दिया जा सकता है तथा वार्षिक उधार योजना के दौरान नए फंड/संसाधन जुटाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (कॉर्पोरेट योजना) सदस्यों वाली "बॉन्ड आवंटन समिति" के अनुमोदन के अधीन होगा, जिसमें बैठक का कोरम कोई भी दो सदस्य होंगे, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, न कि प्रॉक्सी या सीएमडी (जैसा भी मामला हो) द्वारा।

विवेकपूर्ण नीति के तहत, अल्पकालिक संसाधनों को बाजार की मौजूदा स्थितियों, आंतरिक तरलता स्थिति और वास्तविक प्रचालनआवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त समय पर लंबी अवधि या वैकल्पिक संसाधनों से प्रतिस्थापित किया जाता है। अल्पकालिक संसाधनों की सीमाएँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति/वार्षिक/अंतरिम संसाधन योजना के अनुसार होती हैं, जिनकी आवश्यकता पड़ने पर ALM आवश्यकताओं और मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर समीक्षा की जाती है। कंपनी दैनिक आधार पर निधि की स्थिति की समीक्षा भी करती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा में अधिशेष निधियों को पार्क करती है, जिसका उद्देश्य नकारात्मक कैरी को यथासंभव कम करना है।

2. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने**/**तरलता बफर के रखरखाव के लिए आकस्मिक योजना**:** पर्याप्त तरलता बनाए रखने और अंतरिम प्रचालन**/**आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक योजना बनाने के उद्देश्य से**,** कंपनी अल्प सूचना पर ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अल्पकालिक वित्तपोषण बनाए रखेगी। इसके अतिरिक्त**,** तिमाही आधार पर प्राप्त होने वाले बकाया ऋणों और अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्तियों का उपयोग भी आपातकालीन आवश्यकताओं सहित प्रचालनआवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, एचएफसी/एनबीएफसी को तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अंतर्गत तरलता बफर बनाए रखना आवश्यक है, जो 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तरलता तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) सुनिश्चित करके एचएफसी/एनबीएफसी की संभावित तरलता बाधाओं के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देगा।

3. नीति की वैधता और समीक्षा**:** यह नीति संसाधन नियोजन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होगी और इसकी हर वर्ष समीक्षा की जाएगी। यह नीति नई नियामक आवश्यकताओं या नीति ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता वाली किसी अप्रत्याशित घटना के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

5.2.0 संसाधन जुटाना/वित्तपोषण के स्रोत

हमें 2.00 करोड़ रुपये की प्रारंभिक इक्विटी पूंजी के साथ निगमित किया गया था। मुख्य सूचना दस्तावेज दाखिल करने की तिथि तक, हमारी जारी, सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 2,001.90 करोड़ रुपये है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, हम अपनी परिसंपत्तियों को वित्तपोषित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऋण शामिल हैं, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न परिपक्वताओं के उधार शामिल हैं। हमारे बाजार उधार में एनसीडी, ऋण, सार्वजनिक जमा और बाहरी वाणिज्यिक उधार शामिल हैं। 31 दिसंबर 2024 तक, हडको की कुल उधारी 1,00,807.09 करोड़ रुपये थी, जिसमें 92,909.89 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक उधारी और 7,897.20 करोड़ रुपये की अल्पकालिक उधारी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, 31 दिसंबर 2024 तक, नेटवर्थ के लिए दीर्घकालिक उधार 31 मार्च 2024 के 4.05 गुना के मुकाबले 5.17 गुना रहा।

31 दिसंबर 2024 तक, जारीकर्ता के पास 1,00,807.09 करोड़ रुपये की बकाया उधारी है, जिसमें से 15,783.75 करोड़ रुपये या 15.66% सुरक्षित और 85,023.33 करोड़ रुपये या 84.34% असुरक्षित है, जैसा कि नीचे दिया गया विवरण है:

	उधार लेने का स्रोत**/**तरीका	बकाया राशि	**31** दिसंबर **2024** तक **IND - AS** के अनुसार परिशोधित लागत **(**करोड़ रुपए में**)**	कुल उधार का **%**

		31 दिसंबर 2024 तक	(असंपरीक्षित)	
		(करोड़ रुपए में)		
		(असंपरीक्षित)		
A	सुरक्षित			
(i)	एनएचबी और अन्य से पुनर्वित्त सुविधा	3,411.37	3,411.37	3.38%
(ii)	सुरक्षितकर-मुक्त बॉन्ड	12,372.38	12,347.20	12.27%
	योग (ए)	**15,783.75**	**15,758.57**	15.66%
B	असुरक्षित			
(i)	करयोग्य बॉन्ड	36,826.00	36,813.63	36.53%
(ii)	बैंकों से मध्यम अवधि/दीर्घकालिक ऋण	22,725.81	22,725.81	22.54%
(iii)	बैंकों से अल्पावधि ऋण	7,897.20	7,897.20	7.83%
(iv)	बैंकों से एफसीएनआर(बी) ऋण	12,212.83	12,458.18	12.12%
(v)	ईसीबी/ओडीए	5,361.49	5,161.32	5.32%
	योग (बी)	**85,023.33**	**85,056.14**	84.34%
	कुल (ए+बी)	**1,00,807.09**	**1,00,814.71**	**100.00%**

घरेलू उधार

डिबेंचर/एनसीडी

कर योग्य बॉन्ड: जारीकर्ता विभिन्न श्रृंखलाओं के तहत असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, प्रतिदेय कर योग्य बॉन्ड जारी करता है, जिनकी परिपक्वता अवधि आवंटन की तिथि से 10 वर्ष तक होती है। 31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता के बकाया कर योग्य बॉन्ड 36,826 करोड़ रुपये थे, जिन पर 5.35% से 8.60% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दरें थीं। ये बॉन्ड निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए जाते हैं और वर्तमान में बीएसई पर "थोक ऋण बाजार खंड" में सूचीबद्ध हैं।

कर-मुक्त बॉन्ड: जारीकर्ता विभिन्न श्रृंखलाओं के तहत सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, प्रतिदेय कर-मुक्त बॉन्ड जारी करता है, जिनकी परिपक्वता अवधि आवंटन की तिथि से 10 से 20 वर्ष तक होती है। 31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता के बकाया कर-मुक्त बॉन्ड 12,372.38 करोड़ रुपये थे, जिन पर 7.02% से लेकर 9.01% प्रति वर्ष तक की निश्चित ब्याज दरें थीं। ये बॉन्ड खुदरा, कॉर्पोरेट और संस्थागत निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम या निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए जाते हैं और वर्तमान में एनएसई (निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए बॉन्ड) और एनएसई और बीएसई (सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए बॉन्ड) के पूंजी बाजार खंडों पर "संपूर्ण बिक्री ऋण बाजार खंड" में सूचीबद्ध हैं। जारीकर्ता केवल सरकार द्वारा अनुमत सीमा तक कर-मुक्त बॉन्ड जारी करने में सक्षम है और न तो जारीकर्ता या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम को भारत सरकार के पिछले बजट में कर-मुक्त बॉन्ड जारी करने के लिए कोई राशि आवंटित की गई थी। भारत सरकार कर-मुक्त बॉन्ड जारी करने से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग के रास्ते भी निर्दिष्ट कर सकती है। बकाया डिबेंचर/एनसीडी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित ऑफर डॉक्यूमेंट/प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर/डिबेंचर ट्रस्ट डीड देखें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इसे एक्सेस किया जा सकता है:

https://www.bseindia.com/markets/debt/memorandum_data.aspxhttps://
www.bseindia.com/markets/debt/Deventure.aspxhttps://www.nseindia.com/
companies-listing/corporate-filings-offer-documents

राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (एनएचबी) से पुनर्वित्त सहायता

एनएचबी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के तहत हाउसिंग के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में एचएफसी को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। 31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता ने एनएचबी के ग्रामीण आवास निधि और शहरी आवास निधि के तहत 411.37 करोड़ रुपये की स्वीकृत पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की है, जिसे कई किस्तों में पूरी तरह से निकाला गया था, जिसमें से 411.37 करोड़ रुपये बकाया थे। ये ऋण पुनर्वित्त निकाले जाने वाली तिमाही के बाद की तिमाही से शुरू होने वाली अधिकतम 60 समान तिमाही किस्तों में चुकाए जाने योग्य हैं और इनकी ब्याज दरें 4.68% से 5.11% तक हैं।

भारतीय बैंकों से दीर्घकालिक ऋण
समय-समय पर, जारीकर्ता को विभिन्न भारतीय बैंकों से सुरक्षित और असुरक्षित दीर्घकालिक ऋणों से लाभ मिलता है।

31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता के पास भारतीय बैंकों से 22,725.81 करोड़ रुपये के असुरक्षित मध्यम अवधि के ऋण थे, जिन्हें बाहरी बेंचमार्क जैसे रेपो रेट और टी-बिल से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दरों पर उठाया गया है, जो 7.45% से 7.77% प्रति वर्ष प्रति माह के बीच है। इन ऋणों की परिपक्वता अवधि लाभ उठाने की तिथि से 2 से 3 वर्ष तक होती है। जारीकर्ता 1 दिन से 7 दिनों की अग्रिम सूचना के अधीन बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के बकाया अवधि ऋण देनदारियों का पूर्व भुगतान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बैंकों से प्राप्त बकाया ऋणों/एनएचबी से पुनर्वित्त सहायता की विस्तृत शर्तों के लिए - किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) के दौरान कार्य घंटों के दौरान जारीकर्ता के हमारे मुख्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध सामग्री दस्तावेजों का हिस्सा बनने वाले ऋण समझौतों को देखें।

सार्वजनिक जमा
जारीकर्ता अपने ग्राहकों को जमा उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। सार्वजनिक जमा राशियाँ जमा करने की तिथि से 12 से 84 महीनों तक की व्यक्तिगत रूप से अनुबंधित परिपक्वताओं के अनुसार चुकाई जानी हैं। 31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता के पास कुल 50,000 रुपये की सार्वजनिक जमाराशियाँ थीं, जिन पर 6.75%-7.80% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की एक निश्चित दर थी। उस तिथि तक, इसकी सार्वजनिक जमा राशियाँ एनएचबी द्वारा निर्धारित एनओएफ के तीन गुना की सीमा के भीतर थीं। एचएफसी के निर्देशों के अनुसार जारीकर्ता की सार्वजनिक जमा राशियाँ ट्रस्ट के विलेख द्वारा सृजित वैधानिक तरलता परिसंपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज द्वारा सुरक्षित हैं।

हडको ने 1 जुलाई, 2019 से सार्वजनिक जमा योजना के तहत सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार/नवीनीकृत करना बंद कर दिया था, तदनुसार, हडको द्वारा कोई भी नई जमाराशि स्वीकार/नवीनीकृत नहीं की गई।

अन्य ऋण
समय-समय पर, जारीकर्ता को विभिन्न भारतीय बैंकों से असुरक्षित अल्पकालिक ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण का लाभ मिलता है। ये सुविधाएँ अल्पकालिक प्रकृति की हैं, मांग पर चुकाई जा सकती हैं और अस्थिर ब्याज दरों के अधीन हैं। 31 दिसंबर 2024 तक, जारीकर्ता के पास अल्पकालिक ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण के तहत कुल 7,897.20 करोड़ रुपये बकाया थे, जिनकी ब्याज दरें उस तिथि तक 7.10%-7.23% प्रति वर्ष थीं।

31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता के पास भारतीय बैंकों से 1,455 मिलियन अमरीकी डॉलर (यानी, 12,212.83 करोड़ रुपये) का एफसीएनआर (बी) ऋण बकाया है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए 5.89% से 6.29% तक की कुल पोस्ट हेज फिक्स्ड लागत वहन करता है, जिसे 1 वर्ष की अवधि के लिए एम्बेडेड हेजिंग विकल्पों के साथ 2.70% से 3.25% की ब्याज दर पर सीएचएफ में स्वैप किया गया है।

बैंक गारंटी सुविधाएँ
जारीकर्ता को विभिन्न भारतीय बैंकों से असुरक्षित बैंक गारंटी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। 31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता की बैंक गारंटी सुविधाओं की कुल राशि 475.31 करोड़ रुपये थी और इसकी वैधता अवधि 27 जून, 2027 तक थी।

अंतर्राष्ट्रीय उधार
बहुपक्षीय संस्थाओं से बाह्य वाणिज्यिक उधार और ऋण 31 दिसंबर, 2024 तक, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जारीकर्ता के बकाया विदेशी मुद्रा ऋण 61.81 करोड़ रुपये थे (जिनमें से सभी अमेरिकी डॉलर में उधार लिए गए थे)। यूएसएआईडी से लिए गए 61.81 करोड़ रुपये के ऋण बाहरी वाणिज्यिक उधार की प्रकृति के हैं, जो फ्लोटिंग रेट प्रॉमिसरी नोट्स के रूप में हैं, जिनकी गारंटी यूएसएआईडी द्वारा दी जाती है और भारतीय बैंक(ओं) द्वारा काउंटर-गारंटी दी जाती है। इन ऋणों की परिपक्वता अवधि संवितरण की तिथि से 20 से 30 वर्ष तक होती है। यूएस कैपिटल मार्केट से लिए गए ऋण पर एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) और क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड पर प्रति वर्ष 0.18% से लेकर 0.035% तक की ब्याज दर का प्रसार होता है, जो ऋणों को नई बेंचमार्क दरों पर बदलने पर लागू होता है। इसकेअतिरिक्त, 31 दिसंबर, 2024 तक, जारीकर्ता के पास एसएमबीसी (62 बिलियन जेपीवाई) एमयूएफजी (16 बिलियन जेपीवाई) और मिजुहो (16 बिलियन जेपीवाई) से 94 बिलियन जेपीवाई (यानी 5299.22 करोड़ रुपये) का बकाया ईसीबी उधार है, जो टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट औसत दर) से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ-साथ 0.584% प्रति वर्ष (भारित औसत प्रसार) का प्रसार है।

बहुपक्षीय संस्थाओं से बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार और ऋण की विस्तृत शर्तों के लिए - ऋण समझौतों को देखें जो

महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हिस्सा हैं जो किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) के कार्य घंटों के दौरान जारीकर्ता के हमारे प्रधान कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

प्रतिस्पर्धा

हमारे प्राथमिक प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, वित्तीय संस्थान और आईएफसी हैं।

विनियमन

हम कंपनियों के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी हैं। हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी हैं। 23 अगस्त, 2024 को आरबीआई ने हडको को -IFC के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है।

आरबीआई ने 22 अक्टूबर, 2021 के परिपत्र संख्या DOR.CRE.Rइसी.No.60/03.10.001/2021-22 के माध्यम से एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन (SBR) पेश किया है और ये दिशानिर्देश 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हो गए हैं।

इस ढांचे के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी अभी भी संक्रमण काल में हैं और इसलिए आरबीआई ने उन्हें ऊपरी परत नियामक ढांचे के अधीन नहीं करने का फैसला किया है। एनबीएफसी-मध्य परत (ML) के लिए लागू दिशानिर्देश कंपनी पर लागू होंगे। कंपनी पर लागू प्रकटीकरण नियामक प्रकटीकरण के तहत खातों के नोट्स में किए गए हैं।

5.2.12 ***कॉर्पोरेट/संगठन संरचना:***

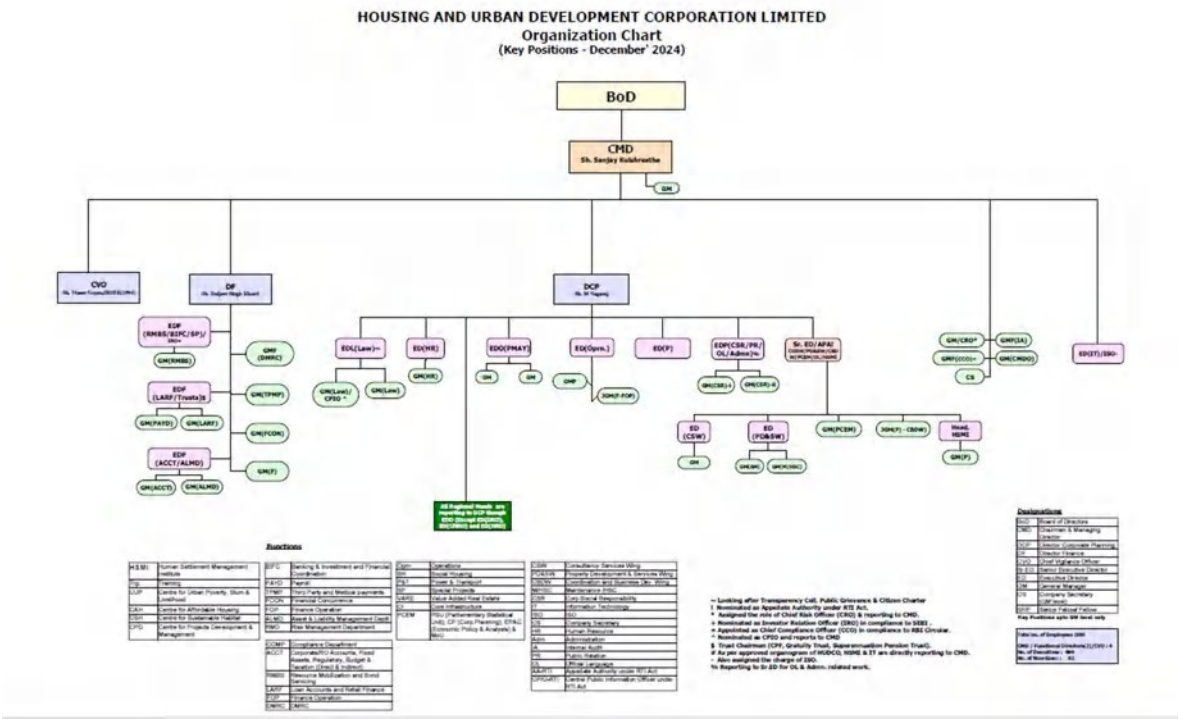

समूह संरचना

1. **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

एसोसिएट कंपनियाँ

(1) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
(2) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
(3) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
(4) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन *(एएलएम)* प्रकटीकरण*:*

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी/हाउसिंग वित्त कंपनी के लिए लागू नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय *(*यानी, 31 मार्च, 2024) के लिए प्रकटीकरण*:*

(क) पिछले तीन वर्षों *(*यानी,1 अप्रैल, 2021 से*)* के दौरान जुटाई गई ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम आय से कंपनी द्वारा किए गए ऋण का विवरण*:*

क्रम सं.	बॉन्ड श्रृंखला का विवरण	निर्गम की राशि/आय (करोड़ रुपए में)	मुद्दे का उद्देश्य	निर्गम राशि का उपयोग (करोड़ रुपए में)		
				ऋण	ऋण सेवा और अन्य प्रचालनु आवश्यकताएँ	कुल
अ	वित्त वर्ष **2025-26**					
1.	6.90% हडको करयोग्य एन सी डी 2025 सीरीज ए	2,430.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय / प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, ऋण और संवितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारी का पुनर्भुगतान और/या जारीकर्ता के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	2,430.00*	2,430.00
आ	वित्त वर्ष **2024-25**					
1.	7.48% हडको करयोग्य एन सी डी 2024 सीरीज ए	1,936.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, ऋण और संवितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारी का पुनर्भुगतान और/या जारीकर्ता के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	50.00	1,886.00*	1,936.00
2.	7.28% हडको करयोग्य एन सी डी 2024 सीरीज बी	1,850.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार गतिविधियां, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	1,850.00*	1,850.00
3	7.15% हडको करयोग्य एन सी डी 2024 सीरीज सी	2,000.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार गतिविधियां, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	2,000.00*	2,000.00
4	7.12% हडको करयोग्य एन सी डी 2024 सीरीज डी	1,230.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार गतिविधियां, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	1,230.00*	1,230.00
5	7.29% हडको करयोग्य एन सी डी 2024 सीरीज ई	2,910.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियां, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में कोई अन्य उद्देश्य।	0.00	2,910.00*	2,910.00

6	7.37% हडको करयोग्य एन सी डी 2024 सीरीज एफ	2,842.50	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार गतिविधियां, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	2,842.50*	2,842.50
7	7.19% हडको करयोग्य एन सी डी 2024 सीरीज जी	2,000.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार गतिविधियां, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	2,000.00*	2,000.00
अ	वित्त वर्ष **2023-24**					
1.	7.48% हडको करयोग्य एन सी डी 2023 सीरीज ए	1,500.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, ऋण और संवितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारी का पुनर्भुगतान और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	40.00	1,460.00*	1,500.00
अ	वित्त वर्ष **2022-23**					
1.	7.54% हडको कर योग्य एन सी डी 2022 सीरीज ए	1,500.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, ऋण और संवितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारी का पुनर्भुगतान और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	22.05	1,477.95*	1,500.00
2.	7.52% हडको कर योग्य एन सी डी 2022 सीरीज बी	470.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, ऋण और संवितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारी का पुनर्भुगतान और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	470.00*	470.00
3.	7.68% हडको कर योग्य एन सी डी 2022 सीरीज सी	2000.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ताकि व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, ऋण संवितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारी का पुनर्भुगतान और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	0.00	2000.00*	2000.00
आ	वित्त वर्ष **2021-22**					
1	5.59% हडको कर योग्य एन सी डी 2021 सीरीज ए	1,000.00	ऋण देने के प्रयोजनों, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, हडको के संसाधन आधार को बढ़ाने और अन्य प्रचालनआवश्यकताओं (ऋण सेवा सहित, जिसमें मूल राशि के साथ-साथ कंपनी द्वारा पूर्व में प्राप्त विभिन्न ऋण सुविधाओं के ब्याज भुगतान और ऋण और बाजार	0.00	1,000.00*	1,000.00

			उधार सहित इसके खातों की पुस्तकों में वर्तमान में बकाया दोनों की सेवा शामिल है) के लिए उपयोग के लिए।			
2	5.62% हडको कर योग्य एन सी डी 2022 सीरीज बी	1,500.00	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ताकि व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, ऋण संवितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारी का पुनर्भुगतान और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	1,500.00	0.00	1,500.00
* कंपनी देश भर में हाउसिंग और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में है। निर्गम की आय का उपयोग कुछ अल्पकालिक रुपया उधार (ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण/अवधि मांग ऋण/सुविधाओं की प्रकृति में) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जो आवास/इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए तत्काल संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपने ऋणदाताओं से लिया गया था, जैसा कि निर्गम के उद्देश्यों में प्रकटीकरण किया गया है।						

(आ) ऋण नीति

कृपया ऋण के लिए ऋण नीति/जारीकर्ता व्यवसाय प्रक्रिया से संबंधित विवरण के लिए इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या **18** पर अनुभाग **4.2.7** देखें।

एसोसिएट्स, बोर्ड से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटरों, अन्य, आदि को दिए गए ऋणों/अग्रिमों का वर्गीकरण-

वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। संबंधित पार्टी लेन-देन के विवरण को क्रमशः स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन-देन एक दूसरे से अलग थे और इसके व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत सूचीबद्ध किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।

(क) एसोसिएट्स

(1) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड

(2) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

(3) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड

(4) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

क्रम सं.	निदेशक(कों)	स्थिति
1	श्री.संजय कुलश्रेष्ठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (16.10.2023से लागू)
2	श्री एम.नागराज	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग (डीसीपी), (पूर्णकालिक निदेशक)(01.02.2019 से लागू)
3	श्री दलजीत सिंह खतरी	निदेशक वित्त (डीएफ) (14.08.2024 से लागू) मुख्य वित्तीय अधिकारी (25.09.2024 से लागू)
4	श्री विकास गोयल	कंपनी सचिव (26.02.2024 से लागू)

(ग) एसोसिएटस के साथ लेन-देन: एसोसिएट में निवेश **(31 दिसंबर, 2024 तक)**

(करोड़ रुपए में)

स्वामित्व का अनुपात	25%	40%	26		
लेन-देन की प्रकृति	**इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड**	**सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड**	**प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड**	**सिग्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.**	**कुल**
निवेश					
1 अप्रैल, **2024** तक शेष राशि	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन (31 दिसंबर, 2024 तक):

(i) श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी, 16 अक्टूबर, 2023 को हडको में शामिल हुए। उन्होंने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए 2,00,000 रुपये का त्योहार अग्रिम और 2,00,000 रुपये का कल्याण अग्रिम लिया है। त्योहार अग्रिम के रूप में 1,33,332 रुपये की राशि बकाया है और 31 दिसंबर, 2024 तक 3,222 रुपये के ब्याज सहित 1,77,776 रुपये कल्याण अग्रिम के रूप में बकाया है।

(ii) श्री एम. नागराज, डीसीपी ने तिमाही के दौरान कोई अग्रिम नहीं लिया है। इसलिए, 31 दिसंबर, 2024 तक अग्रिम के लिए कोई बकाया नहीं है।

(iii) अग्रिम श्री दलजीत सिंह खत्री ने 14 अगस्त, 2024 को डीएफएचयूडीसीओ के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने तिमाही के दौरान कोई राशि नहीं ली है। इसलिए, 31 दिसंबर, 2024 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया नहीं है।

(iv) श्री डी. गुहान, पूर्व निदेशक वित्त, 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। अग्रिम के रूप में कुछ भी बकाया नहीं था।

(v) श्रीमती रेवा सेठी 28 जून 2024 से 13 अगस्त 2024 तक सीएफओ थीं। उन्होंने तिमाही के दौरान कोई अग्रिम नहीं लिया है। वे 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गई हैं और 31 दिसंबर 2024 तक कोई बकाया नहीं है।

(vi) श्री विकास गोयल, कंपनी सचिव 16 फरवरी, 2024 को हडको में शामिल हुए और 26 फरवरी, 2024 से कंपनी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने तिमाही के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। इसलिए, 31 दिसंबर, 2024 तक कोई अग्रिम राशि बकाया नहीं है।

(घ) प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों का पारिश्रमिक भारतीय लेखा मानक 24 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण में निर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के लिए नीचे समग्र रूप से निर्धारित किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

	Ason 31.12.2024	2023-24	2022-23
अल्पकालिक कर्मचारियों के लाभ	1.36	1.77	1.44
रोजगार के बाद के लाभ	0.96	0.37	0.18
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.60	0.66	1.04
टर्मिनल लाभ	0.00	-	-
कुल	**2.92**	**2.80**	**2.66**

#इसमें ग्रेच्युटी और मुआवजा अनुपस्थिति शामिल नहीं है क्योंकि ये कंपनी के लिए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर खातों की पुस्तकों में प्रदान किए जाते हैं और इसलिए व्यक्तिगत राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

6 जून, 2022 को जारी डी.पी.एल.ए. के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान के बदले 1,000 किलोमीटर प्रति माह तक निजी उपयोग के लिए स्टाफ कार का उपयोग करने का अधिकार है।

31 दिसंबर**, 2024** तक अग्रिमों **(**बकाया मूलधन**)** की सांद्रता के संबंध में शीर्ष **20** उधारकर्ताओं का कुल जोखिम**:**

विवरण	राशि (रुपये करोड़ में)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए कुल अग्रिमों के संकेन्द्रण के संबंध में शीर्ष 20 उधारकर्ताओं को दिया गया समेकित ऋण (करोड़ रुपए में)	95,408.52
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत (% में)	80.27%

31 दिसंबर**, 2024** तक एक्सपोज़र के संकेन्द्रण **(**ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र सहित**)** के संबंध में शीर्ष **20** उधारकर्ताओं को समेकित एक्सपोज़र**:**

विवरण	राशि (रुपये करोड़ में)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल जोखिम (करोड़ रुपए में)	1,01,152.56
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल जोखिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति जोखिम का प्रतिशत (% में)	78.37%

31 दिसंबर **2024** तक अतिदेय और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत ऋणों का विवरण **(**ईसीएल मॉडल के अनुसार**):**

सकल चरण-*3* परिसंपत्तियों का संचलन	राशि (करोड़ रु.)
(क) प्रारंभिक शेष	**2,512.99**
(ख) ***31*** दिसंबर, ***2024*** को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि	1.85
(ग) ***31*** दिसंबर, ***2024*** को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कमी	280.85
(घ) समापन शेष	**2,233.99**

सकल चरण-*3* परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का आंदोलन ***(***ईसीएल मॉडल के अनुसार***):***

*सकल चरण-***3** *परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का आंदोलन* (*ईसीएल मॉडल के अनुसार*)	राशि (करोड़ रु.)*
(क) प्रारंभिक शेष	**2,183.04**
(ख) ***31*** दिसंबर, ***2024*** को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि	0.99
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लिखना	271.71
(घ) समापन शेष	**1,912.31**

**IND-AS* शेष के अनुसार

(ग) उन उद्योगों/क्षेत्रों के संबंध में पोर्टफोलियो सारांश जिनके लिए कंपनी द्वारा उधार लिया गया है :

कृपया उन उद्योगों/क्षेत्रों के विवरण के लिए पृष्ठ संख्या 10 पर "जारीकर्ता का व्यवसाय" अनुभाग देखें जिनसे कंपनी ने उधार लिया है।

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए जारीकर्ता के एनपीए जोखिम (सकल और नेट दोनों जोखिम) और जारीकर्ता के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उसके लिए किए गए प्रावधान -

संयुक्त उद्यम/क्षेत्रों के संबंध में पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा उधार लिया गया है:

राशि (करोड़ रु.)

विवरण	**31.12.2024** तक	वित्तीय **2024**	वित्तीय **2023**	वित्तीय **2022**
ऋण पुस्तिका	1,18,931.00	92,654.00	80,743.32	78,512.98
सकल एनपीए	2233.99	2,513.00	2,759.17	2,809.20
नेट एनपीए	321.68	329.96	407.25	387.80
प्रावधान कवरेज	1912.31	2183.04	2,351.92	2,421.39

(ङ) जारीकर्ता द्वारा सुरक्षित बनाम असुरक्षित उधार की मात्रा और प्रतिशत ***(***स्टैंडअलोन आधार पर - ***IND-AS*** के अनुसार***):***

नीचे हमारी कंपनी के 1,00,814.68 करोड़ रुपये के बकाया उधारों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2024 तक 15,758.57 करोड़ रुपये या 15.63% सुरक्षित थे और 85,056.11 करोड़ रुपये या 84.37% असुरक्षित थे:

	उधार लेने का स्रोत/तरीका	**31** दिसंबर, **2024** तक बकाया राशि (**IND-AS** के अनुसार परिशोधित लागत) (करोड़ रुपए में)	कुल उधार का **%**
अ	सुरक्षित		
(i)	एनएचबी से पुनर्वित्त सुविधा	3,411.37	3.38%
(ii)	सुरक्षितकर-मुक्त बॉन्ड	12,347.20	12.25%
	योग (अ)	**15,758.57**	15.63%
आ	असुरक्षित		
(i)	करयोग्य बॉन्ड	36,813.63	36.52%
(ii)	बैंकों से मध्यम अवधि/दीर्घकालिक ऋण	22,725.81	22.54%
(iii)	बैंकों से अल्पावधि ऋण	7,897.20	7.83%
(iv)	विदेशी मुद्रा उधारी	12,458.15	12.36%
(v)	ईसीबी/ओडीए	5,161.32	5.12%
	योग (आ)	**85,056.11**	84.37%
	कुल (अ+आ)	**1,00,814.68**	100.00%

(च) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनबीएफसी में प्रमोटर की हिस्सेदारी में एक निश्चित सीमा से अधिक कोई भी बदलाव। वर्तमान में, आरबीआई ने ऐसी सीमा 26% निर्धारित की है।

शून्य

(छ) प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण - सेगमेंट विभाजन और ऋणों का प्रकार:

दिए गए ऋणों/अग्रिमों का वर्गीकरण, ऋणों के प्रकार, बकाया ऋणों का मूल्य, ऋण का क्षेत्र, टिकट आकार के अनुसार बकाया ऋणों का मूल्य, उधारकर्ताओं का भौगोलिक वर्गीकरण, परिपक्वता प्रोफ़ाइल आदि के अनुसार:

31 दिसंबर **2024** को कंपनी द्वारा दिए गए ऋण/अग्रिम (बकाया मूलधन) के प्रकार:

क्रम सं.	ऋण का प्रकार	राशि (करोड़ रुपए में)	ए यू एम का प्रतिशत (%)
1	सुरक्षित		
	-मूर्त संपत्तियों द्वारा सुरक्षित	11,083.37	9.32%
	-बैंक गारंटी/सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित	1,07,835.90	90.67%
2	असुरक्षित(नकारात्मक ग्रहणाधिकार/अन्य*)	11.52	0.01%
	प्रबंधन के अंतर्गत कुल संपत्ति (ए यू एम)	**1,18,930.79**	**100.00%**

31 दिसंबर, 2024 को क्षेत्रीय जोखिम के आधार पर ऋण के प्रकार:

क्रम सं.	एयूएम का सेगमेंट ब्यौरा	राशि (करोड़ रुपए में)	ए यू एम का प्रतिशत (%)
1.	खुदरा		
क	बंधक (गृह ऋण और संपत्ति के विरुद्ध ऋण) - हडको निवास - व्यक्तिगत खुदरा ऋण	69.89	0.06%
ख	स्वर्ण ऋण	-	-
ग	वाहन वित्त	-	-
घ	एमएफआई	-	-
ङ	एम एंड एसएमई	-	-
च	पूंजी बाजार वित्तपोषण (शेयरों के विरुद्ध ऋण, मार्जिन वित्तपोषण)	-	-
छ	अन्य	-	-
2	थोक		
क	इनफ्रास्ट्रक्चर		
	-सामाजिक बुनियादी ढांचा और क्षेत्र विकास	11.38	0.01%
	-वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा और अन्य	-	-
ख	रियल एस्टेट (बिल्डर ऋण सहित) – हाउसिंग रियल एस्टेट	7,492.95	6.30%
ग	प्रमोटर वित्तपोषण		लागू नहीं
घ	कोई अन्य क्षेत्र (जैसा लागू हो) -		
(i)	सामाजिक आवास	40639.83	34.17%
(ii)	जल आपूर्ति और सीवरेज और जल निकासी	17,218.54	14.48%
(iii)	सड़क और परिवहन	51267.63	43.11%
(iv)	ऊर्जा(पॉवर)	-	-
(v)	उभरता हुआ क्षेत्र	2,230.59	1.88%
(vi)	हडको निवास - थोक ऋण	0.00	0.00
3	अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	**1,18,930.80**	**100.00%**

31 दिसंबर **2024** तक टिकट आकार के अनुसार बकाया ऋणों का मूल्यवर्ग:

क्रम सं.	टिकट का आकार (उत्पत्ति के समय)*	राशि (करोड़ रुपए में)	ए यू एम का प्रतिशत (%)
1.	2 लाख रुपये तक	4.76	0.00%
2.	2-5 लाख रुपये	15.25	0.01%
3.	5-10 लाख रुपये	31.81	0.03%
4.	10-25 लाख रुपये	99.80	0.08%
5.	25-50 लाख रुपये	173.68	0.15%
6.	50 लाख-1 करोड़ रुपये	274.26	0.23%
7.	1-5 करोड़ रुपये	1,212.42	1.02%
8.	5-25 करोड़ रुपये	3,245.22	2.73%
9.	25-100 करोड़ रुपये	12,505.40	10.51%
10.	>100 करोड़ रुपये	1,01,368.20	85.23%
	कुल	1,18,930.80	100%

*उपर्युक्त जानकारी उधारकर्ता स्तर पर डेटा प्रदान की गई है (और ऋण खाते के आधार पर नहीं, क्योंकि ग्राहक के पास एकाधिक ऋण खाते हो सकते हैं)।

(ज) उधारकर्ताओं का विवरण-**31** दिसंबर, **2024** के अनुसार उधारकर्ताओं का भौगोलिक वर्गीकरण:

क्रम सं.	शीर्ष **5** राज्य/क्षेत्र	ए यू एम का प्रतिशत **(%)**
1.	दिल्ली,एनसीआर	18.17%
2.	महाराष्ट्र	13.50%
3.	राजस्थान	13.23%
4.	तेलंगाना	11.91%
5.	आंध्रप्रदेश	09.93%
	कुल	**66.74%**

(झ) सकल एनपीए का ब्यौरा (सेगमेंट)

सेगमेंट सकल चरण-***3*** परिसंपत्तियां (सकल एनपीए) ***31*** दिसंबर,***2024*** तक:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	31 **दिसंबर** 2024 **तक सेगमेंट सकल चरण**-3 **ए परिसंपत्तियां**	(**राशि करोड़ रुपए में**)	**ए यू एम का प्रतिशत** (%)
1.	खुदरा		
क	बंधक (गृह ऋण और संपत्ति के विरुद्ध ऋण-हडको निवास- व्यक्तिगत खुदरा ऋण	19.49	0.02%
ख	स्वर्ण ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं
ग	वाहन वित्त	लागू नहीं	लागू नहीं
घ	एमएफआई	लागू नहीं	लागू नहीं
ङ	एम एंड एसएमई	लागू नहीं	लागू नहीं
च	पूंजी बाजार वित्तपोषण (शेयरों के विरुद्ध ऋण, मार्जिन वित्तपोषण)	लागू नहीं	लागू नहीं
छ	अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2	थोक		
क	इन्फ्रास्ट्रक्चर	-	-
	-सामाजिक बुनियादी ढांचा और क्षेत्र विकास	-	-
	-वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा और अन्य	-	-
ख	रियल एस्टेट (बिल्डर ऋण सहित)- हाउसिंग रियल एस्टेट	962.32	0.81%
ग	प्रमोटर वित्तपोषण	-	-
घ	कोई अन्य क्षेत्र (जैसा लागू हो)		-
(i)	सामाजिक आवास	13.33	0.01%
(ii)	जल आपूर्ति और सीवरेज और जल निकासी	18.41	0.02%
(iii)	सड़क और परिवहन	282.41	0.24%
(iv)	ऊर्जा (पॉवर)	588.16	0.49%
(v)	उभरता हुआ क्षेत्र	349.87	0.29%
(vi)	हडको निवास-थोक ऋण	0.00	0.00%
	कुल	2233.99	1.88%

(ञ) परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का ब्यौरा*:*

31 दिसंबर*, **2024*** तक एकल आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न*:*

(राशि करोड़ रुपए में)

बकेट **31** दिसंबर, **2024** तक	जमा	निवेश	अग्रिम	घरेलू उधार (सार्वजनिक जमाराशियाँ शामिल हैं)	विदेशी मुद्रा आइटम	
					संपत्ति	देयताएं
30/31 *दिन तक*	0.00	150.00	454.3473	1,999.99	0.00	856.232
1 महीने से अधिक **2** महीने तक	0.00	0.00	3,720.897	0.00	0.00	856.232
2 महीने से अधिक **3** महीने तक	0.005	126.2867	400.1049	1,000.00	0.00	856.232
3 महीने से अधिकऔर **6** महीने तक	0.00	0.00	4,818.217	3,633.00	0.00	1771.22
6 महीने से अधिकऔर **1** साल तक	0.00	5.00	10,059.19	12,064.55	0.00	8,289.26
1 साल से अधिकऔर **3** साल तक	0.00	365.00	40,085.67	25,259.30	0.00	272.05
3 साल से अधिकऔर **5** साल तक	0.00	280.00	50,665.7703	29,679.89	0.00	5,121.27
5 साल से अधिक	0.00	394.7793	52,222.6203	9,147.12	0.00	8.38
कुल	**0.005**	1,321.066	1,62,426.8195	82,783.84	0.00	18,030.87

(ट) स्टॉक एक्सचेंज को नवीनतम एएलएम विवरणों का प्रकटीकरण*:*

एएलएम बकेट	**नकद प्रवाह**	**नकद बर्हि प्रवाह**
1 दिन 7 दिन	307.2531	108.7138
8 दिन 14 दिन	0.5526	858.3107
14 दिन से अधिक एक माह	452.6011	2,345.911
1 माह से अधिक 2 माह तक	3,723.288	1,528.518
2 माह सेअधिक 3 माह तक	528.9228	2,681.094
3 महीने से अधिक और **6** महीने तक	4,826.467	6,682.578
6 महीने से अधिक और **1** वर्ष तक	10,125.500	23,298.91
1 वर्ष से अधिक और **3** वर्ष तक	40,456.34	34,111.41
3 वर्ष से अधिक और **5** वर्ष तक	50,951.43	39,967.27
5 वर्ष से अधिक	55,029.18	32,512.54
कुल	**1,66,401.5**	**1,44,095.3**

(ठ) आरबीआई द्वारा परिभाषित "समूह" का हिस्सा बनने वाले उधारकर्ताओं को आगे ऋण देना –

यदि जारीकर्ता एनबीएफसी है और जारी करने का उद्देश्य किसी ऐसी इकाई को ऋण देना है जो एक 'समूह कंपनी' है*,* तो प्रकटीकरण निम्नलिखित प्रारूप में किया जाएगा*:*

- उधारकर्ता का नाम
- ऐसे उधारकर्ता *(*समूह*)* को अग्रिम*/*जोखिम की संख्या *(*करोड़ रुपये में*)*
- जोखिम का प्रतिशत

लागू नहीं

अन्य मामले*/*रिपोर्ट*:*

यदि ऋण प्रतिभूतियों*/*गैर-परिवर्तनीय रेडीमेबल अधिमान्य शेयरों के निर्गम से प्राप्त आय या आय का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाना है*:*		टिप्पणी
(क)	(i) किसी व्यवसाय की खरीद में; या (ii) किसी व्यवसाय में किसी हित की खरीद में और उस खरीद के कारण, या उसके परिणामस्वरूप या इसके संबंध में की जाने वाली किसी बात के कारण, कंपनी ऐसे व्यवसाय में पचास प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ या हानि या दोनों में से किसी एक पर ब्याज पाने की हकदार हो जाएगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसका नाम जारी किए गए दस्तावेज़ में होगा) द्वारा की गई रिपोर्ट पर- क. निर्गम दस्तावेज के जारी होने की तिथि से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए व्यवसाय का लाभ या हानि; और	लागू नहीं

	क. व्यवसाय की परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिस तिथि तक व्यवसाय के खाते बनाए गए थे, वह तिथि जो निर्गम दस्तावेज के जारी होने की तिथि से एक सौ बीस दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
(ख)	किसी भी अचल संपत्ति के क्रय या अधिग्रहण में, जिसमें अचल संपत्ति का अप्रत्यक्ष अधिग्रहण भी शामिल है, जिसके लिए तीसरे पक्ष को अग्रिम भुगतान किया गया है, निम्नलिखित के संबंध में प्रकटीकरण: (i) विक्रेताओं के नाम, पते, विवरण और व्यवसाय; (ii) विक्रेता को नकद में भुगतान की जाने वाली या देय राशि और जहां एक से अधिक विक्रेता या कंपनी उप-क्रेता है, वहां प्रत्येक विक्रेता को भुगतान की जाने वाली या देय राशि, सद्भावना के लिए भुगतान की जाने वाली या देय राशि को अलग से निर्दिष्ट करना; (iii) कंपनी द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित ऐसी संपत्ति में स्वामित्व या हित की प्रकृति; और (iv) पिछले दो वर्षों में संपत्ति से संबंधित प्रत्येक लेन-देन का विवरण, जिसमें संपत्ति के किसी विक्रेता या किसी व्यक्ति का, जो लेन-देन के समय कंपनी का प्रमोटर या निदेशक या प्रस्तावित निदेशक था, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित था, लेन-देन की तारीख और ऐसे प्रमोटर, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक का नाम निर्दिष्ट करते हुए और लेन-देन के संबंध में ऐसे विक्रेता, प्रमोटर, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक द्वारा या उसे देय राशि बताते हुए: बशर्ते कि यदि विक्रेताओं की संख्या पांच से अधिक है, तो ऊपर अपेक्षित प्रकटीकरण समेकित आधार पर किया जाएगा, जिसमें आसन्न आधार पर अर्जित की जा रही अचल संपत्ति का उल्लेख किया जाएगा, साथ ही स्थान/कुल क्षेत्रफल और जिन विक्रेताओं से अधिग्रहण किया जा रहा है उनकी संख्या और भुगतान की जा रही समग्र कीमत का भी उल्लेख किया जाएगा। प्रत्येक अचल संपत्ति के लिए न्यूनतम राशि, अधिकतम राशि और भुगतान की गई/देय औसत राशि का विवरण भी प्रकट किया जाना चाहिए।	
(ग)	अगर:	

	(i) ऋण प्रतिभूतियों/गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के निर्गम से प्राप्त आय या आय का कोई भाग या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरीके से लागू किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय में शेयरों का अधिग्रहण किया जा सकता है; और (ii) उस अधिग्रहण के कारण या उसके परिणामस्वरूप किए जाने वाले किसी भी कार्य के कारण, उस कॉर्पोरेट निकाय को कंपनी की किसी सहायक कंपनी से रिपोर्ट लेनी होगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसका नाम जारी किए गए दस्तावेज़ में दर्ज होगा) द्वारा – क. जारी दस्तावेज के जारी होने से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए दूसरे निकाय कॉर्पोरेट के लाभ या हानि; और ख. दूसरे निकाय कॉर्पोरेट की संपत्ति और देनदारियाँ उस नवीनतम तिथि तक जिस तक उसके खाते बनाए गए थे।	
(घ)	उक्त रिपोर्ट में: (i) यह दर्शाया जाएगा कि रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य निगमित निकाय के लाभ या हानि का, अधिग्रहित किए जाने वाले शेयरों के संबंध में, जारीकर्ता कंपनी के सदस्यों से क्या संबंध होगा और शेष शेयरों के धारकों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में क्या भत्ता दिया जाना आवश्यक होगा, यदि जारीकर्ता कंपनी के पास अधिग्रहित किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी भौतिक समय था; और (ii) जहां अन्य निगमित निकाय की सहायक कंपनियां हैं, वहां निगमित निकाय और उसकी सहायक कंपनियों के लाभ या हानि तथा परिसंपत्तियों और देनदारियों का, ऊपर पैराग्राफ (सी) (ii) में दिए गए तरीके से निपटान किया जाएगा।	
(ङ)	व्यापक उधार और ऋण नीति जिसमें पुनर्निर्धारण, पूर्वभुगतान, जुर्माना, चूक जैसे सावधि ऋणों के प्रमुख नियमों और शर्तों का सारांश शामिल है; और जहां ऐसा उधार या ऋण जारीकर्ता और उसकी सहायक कंपनियों या एसोसिएट्स के बीच होता है, पुनर्निर्धारण, पूर्वभुगतान, जुर्माना, चूक सहित सावधि ऋणों के नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों का खुलासा किया जाएगा।	कंपनी की उधार नीति के लिए कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 18 पर अनुभाग 5.2.7 देखें। कंपनी की उधार नीति के लिए कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 18 पर अनुभाग 5.2.9 देखें।
(च)	जारीकर्ता कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की प्रतिभूतियों की कुल संख्या, जिन्हें प्रवर्तक समूह द्वारा खरीदा या बेचा गया है, तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा, जो जारीकर्ता कंपनी का प्रवर्तक है, तथा जारीकर्ता कंपनी के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों द्वारा, जारी दस्तावेज को कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने की तिथि से ठीक पहले के छह महीनों के भीतर प्रकट किया जाएगा।	जारी होने की तिथि से ठीक पहले छह महीने के भीतर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है दस्तावेज़
(छ)	निम्नलिखित से संबंधित मामले: (i) सामग्री अनुबंध; (ii) समय और स्थान जिस पर दस्तावेज़ों के साथ अनुबंध जारी होने की तिथि से लेकर सदस्यता सूची के बंद होने की तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।	कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 148 पर अनुभाग XIV- सामग्री अनुबंध और दस्तावेज़ देखें।
(ज)	लेखा परीक्षित रिपोर्ट के प्रासंगिक पृष्ठ संख्या का संदर्भ जो जारी दस्तावेज के जारी होने से ठीक पहले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दर्ज किए गए संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण निर्धारित करता है।	कृपया अनुभाग VI- इतिहास और कुछ कॉर्पोरेट मामले पृष्ठ देखें। इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ का 66वाँ भाग।

(झ)	जारी दस्तावेज के जारी होने के वर्ष से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में लेखा परीक्षकों की आपत्तियों या अर्हताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों का सारांश, तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों और वित्तीय स्थिति पर उनके प्रभाव, तथा प्रत्येक उक्त आपत्तियों या अर्हताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए और उठाए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक कदम।	कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 34 पर अनुभाग V – प्रचालनऔर वित्तीय मुख्य बिंदु देखें।
(ञ)	विवरण:- प्रतिभूति कानून या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत शुरू की गई या संचालित की गई कोई जांच, निरीक्षण या जांच; - दायर किए गए अभियोग, यदि कोई हो (चाहे लंबित हो या नहीं); और - जारीकर्ता के कंपनी होने और उसकी सभी सहायक कंपनियों के मामले में जारी दस्तावेज जारी करने के वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों में लगाया गया जुर्माना या अपराध।	कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ का अनुभाग VI- इतिहास और कुछ कॉर्पोरेट मामले देखें।
(ट)	पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में जारीकर्ता के विरुद्ध किए गए भौतिक धोखाधड़ी के तथ्यों का ब्यौरा, यदि कोई हो, और जारीकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई।	कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ का अनुभाग VI- इतिहास और कुछ कॉर्पोरेट मामले देखें।

VI. प्रचालनऔर वित्तीय मुख्य विशेषताएं

वित्तीय जानकारी (स्टैंडअलोन और समेकित)
कॉलम वित्तीय विवरण-

इंड-एएस (स्टैंडअलोन आधार पर) के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	30 सितम्बर 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	30 सितम्बर 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
I	संपत्ति				
1	वित्तीय संपत्ति				
क	नकद और नकद समतुल्य	379.55	369.88	522.61	47.83
ख	बैंक बैलेंस (क) के अतिरिक्त अन्य	18.76	17.48	278.33	21.02
ग	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	1310.72	305.89		0.02
घ	प्राप्तियां				
ङ	-व्यापार प्राप्तियां	1.22	1.22	1.25	1.38
च	-अन्य प्राप्तियां	8.59	1.31	2.70	0.53
छ	ऋण	1,10,291.08	91,365.05	80,116.04	79,236.97
ज	निवेश	836.16	298.81	212.96	631.37
झ	अन्य वित्तीय संपत्तियां	624.54	603.67	590.18	587.20
ञ	योग(1)	1,13,470.62	92,963.31	81,724.07	80,526.32
2	गैर-वित्तीय संपत्तियां				
क	वर्तमान कर संपत्ति (नेट)	1.21	-		-
ख	निवेश संपत्ति	19.13	19.59	19.99	20.47

ग	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	53.68	55.98	59.11	61.92
घ	पूंजी कार्य-प्रगति	14.10	13.61	13.13	17.48
ङ	अमूर्त संपत्तियां	2.30	1.36	2.01	2.01
च	अन्य अमूर्त संपत्तियां	12.24	12.71	7.37	7.48
	अन्य गैर-वित्तीय संपत्तियां	347.86	357.52	338.38	335.28
	योग(2)	450.52	460.77	439.99	444.64
	कुल संपत्तियां (1+2)	**1,13,921.14**	**93,424.08**	**82,164.06**	**80,970.96**
II	देयताएं और इक्विटी				
क	देयताएं	-	-	-	-
1	वित्तीय देयताएं	-	-	-	-
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	-	-	-	-
(ख)	देयताएं	-	-	-	-
(i)	व्यापार देय	-	-	-	-
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया बकाया	-	-	-	-
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया बकाया	-	-	0.05	0.05
(ii)	अन्य देय	-	-	-	-
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया बकाया	0.02	0.17	0.09	0.20
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया बकाया	7.89	14.11	5.96	7.69
(ग)	ऋण प्रतिभूतियाँ	47,928.65	42,146.27	44,722.09	48,192.09
(घ)	उधार	45,636.67	31,849.59	18,552.48	14,711.28
(ङ)	जमा	0.01	0.04	1.01	1.71
(च)	अन्य वित्तीय देयताएँ	1,453.68	1,121.67	1635.56	1,203.75
	योग (क-1)	95,026.92	75,131.85	64,917.24	64,116.77
2	गैर-वित्तीय देयताएँ				
(क)	वर्तमान कर देयताएँ (नेट)	-	46.11	22.31	14.56
(ख)	प्रावधान	374.39	359.14	355.28	342.52
(ग)	स्थगित कर देयताएँ (नेट)	1,347.11	1228.45	1086.71	1,006.12
(घ)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	48.37	44.23	58.12	45.74
	योग (क-2)	1,769.87	1,677.93	1522.42	1,408.94
	योग (क)	96,796.79	76,809.78	66,439.66	65,525.71
B	इक्विटी				
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	2,001.90	2,001.90	2001.90	2,001.90
(ख)	अन्य इक्विटी	15,122.45	14,612.4	13,722.50	13,443.35
	योग (ख)	17,124.35	16,614.3	15,724.40	15,445.25
	कुल योग्यताएँ और इक्विटी (क+ख)	**1,13,921.14**	**93,424.08**	**82,164.06**	**80,970.96**

एचआईएनडी - ए एस (स्टैंडअलोन आधार) के अनुसार लाभ और हानि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
I	आय				
अ	प्रचालन से आय				
क	ब्याज आय	2745.54	7653.21	1,980.12	6,983.44
ख	लाभांश आय	0.01	5.89	0.12	0.06
ग	किराये से आय	14.30	54.76	14.65	54.18
घ	फीस और कमीशन आय	0.00	0.64	0.01	2.66
ङ	उचित मूल्य परिवर्तनों पर नेट लाभ	(0.02)	68.69	17.27	7.46
च	सेवाओं की बिक्री	0.40	1.10	0.49	1.66
	प्रचालन से कुल राजस्व (क)	2,760.23	7,784.29	2,012.66	7,049.46
आ	अन्य आय	9.91	163.81	10.28	36.72
	कुल आय I(ए+बी)	2,770.14	7,948.10	2,022.94	7,086.18
II	व्यय				
क	वित्त लागत	1,762.49	4,960.82	1,312.73	4,507.08
ख	फीस और कमीशन व्यय	0.34	3.12	1.48	2.13
ग	उचित मूल्य परिवर्तनों पर नेट घाटा	0.00	0.00	0.00	0.00
घ	कर्मचारी लाभ व्यय	60.21	232.51	31.76	186.62
ङ	वित्तीय साधनों पर हानि	(16.84)	(208.09)	(59.01)	(73.69)
च	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	2.63	9.86	2.46	11.31
छ	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ	12.25	45.57	11.39	44.98
ज	अन्य व्यय	17.40	60.87	26.04	118.34
	कुल व्यय II(पर)	1,838.48	5,104.66	1,326.85	4,796.77
III	लाभ/(हानि)कर से पूर्व (I-II)	931.66	2,843.44	696.13	2,289.41
IV	कर व्यय:				
	(i)वर्तमान कर	182.07	510.50	123.76	435.00
	(ii)स्थगित कर	14.56	215.68	53.14	154.19
	(iii)कर का समायोजन पिछले वर्ष (नेट)	0.00	0.52	0.00	(1.40)
	कुल कर व्यय IV (I+ii+iii)	196.63	726.70	176.90	587.79
V	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (III-IV)	735.03	2,116.69	519.23	1,701.62
VI	अन्य व्यापक आय				
अ (i)	ऐसी वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनर्मापन	(3.64)	9.53	5.29	33.06
(ii)	ऐसी वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.91	(2.40)	(1.33)	(8.32)
आ (i)	लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटम (आइटम और राशि निर्दिष्ट करें)	145.58	16.90		-
(ii)	लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटम से संबंधित आयकर	(36.64)	(4.25)		-
	योग (अ+आ)	106.21	19.78	3.96	24.74
	अन्य व्यापक आय (VI)	106.21	19.78	3.96	24.74

VII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (V+VI)	841.24	2136.47	523.19	1,726.36
	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए)				
	बेसिक (रु.)	3.67	10.57	2.59	8.50
	डायल्यूटिड (रु.)	3.67	10.57	2.59	8.50

भारत के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण (स्टैंडअलोन के आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
अ	प्रचालन गतिविधियाँ				
	कर पूर्व लाभ	1684.74	2843.44	1204.23	2289.41
	कर पूर्व लाभ का समायोजन नकदी प्रवाह:				
(i)	मूल्यह्रास और परिशोधन	4.50	9.86	4.92	11.31
(ii)	वित्तीय साधनों पर हानि	(251.84)	(208.09)	(50.86)	(73.69)
(iii)	अवास्तविक विदेशी मुद्रा लाभ/हानि और उधार पर ईआईआर	(51.14)	(3.75)	(0.06)	10.45
(iv)	व्यापार और डेरिवेटिव के लिए रखे गए निवेश पर अवास्तविक हानि/(लाभ)	(37.04)	(68.71)	(0.03)	(7.75)
(v)	हेज्ड आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन	0.00	0.02	0.02	0.29
(vi)	लाभांश आय	(7.28)	(5.89)	(5.66)	(0.06)
(vii)	निवेश पर ब्याज (बॉन्ड)	(16.84)	(24.01)	(10.08)	(14.34)
(viii)	कर्मचारी लाभ और सीएसआर के लिए प्रावधान	(212.80)	38.72	15.89	36.14
(ix)	आयकर अधिनियम के तहत ब्याज के लिए प्रावधान	0.00	1.5	0.00	0.60
(x)	स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ) (नेट)	(0.01)	(7.63)	(7.65)	(0.07)
(xi)	अग्रिमों पर ईआईआर	1.98	4.71	2.52	5.49
(xii)	सुरक्षा जमा और सेवाओं के लिए जमा की छूट	0.02	0.02	0.00	(0.02)
(xiii)	कर्मचारी अग्रिमों पर आय पर ब्याज की छूट	(0.94)	(2.05)	(1.08)	(2.13)
(xiv)	कर्मचारी अग्रिमों की कर्मचारी लागत की छूट	0.94	1.89	1.02	1.93
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	1114.29	2579.98	1153.18	2257.56
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
(i)	ऋण	(18711.35)	(11970.86)	(830.73)	(2228.13)
(ii)	व्यापारी प्राप्य, वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियां	(19.80)	(31.74)	(265.36)	23.07
(iii)	व्युत्पन्न	(1004.82)	(305.89)		
(iv)	व्यापार देय और वित्तीय देयताएं	282.48	(46.23)	442.35	(481.94)
		(19453.49)	(12354.72)	(653.74)	(2687.00)
	आयकर का भुगतान (वापसी का नेट)	(262.31)	(512.00)	(219.28)	(421.04)
	नेटकैश प्रचालन गतिविधियों से/(प्रयुक्त) प्रवाह-अ	(18601.51)	(10286.74)	280.16	(850.48)
आ	निवेश गतिविधियाँ				
(i)	निश्चित और अमूर्त संपत्तियों की खरीद	(2.69)	(4.18)	2.63	(2.27)
(ii)	संपत्ति और उपकरणों की बिक्री से आय	0.00	8.06	7.85	0.18

(iii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश	(483.47)	338.67	352.78	(350.57)
(iv)	प्राप्त लाभांश	7.28	5.89	5.66	0.06
(v)	निवेश के रीडेम्पशन पर प्राप्त राशि	0.00	86.65	75.72	-
	निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) नेट नकदी प्रवाह – आ	(478.88)	435.09	444.64	(352.60)
इ	वित्तीय गतिविधियाँ				
(i)	उधारों में परिवर्तन			370.56	1391.59
(ii)	डीडीटी सहित लाभांश का भुगतान	(530.50)	(920.87)	(620.59)	(700.67)
(iii)	जमा प्रदत्त किया गया	(0.04)	(1.67)	-	-
(iv)	ऋण प्रतिभूति जारी की गई	5786.00	1500.00	-	-
(v)	ऋण प्रतिभूति प्रदत्त किया गया	0.00	(7551.67)	-	-
(vi)	रुपया दीर्घकालिक/अल्पकालिक उधार जुटाया गया	14456.20	15657.06	-	-
(vii)	रुपया दीर्घकालिक/अल्पकालिक उधार चुकाया गया	(8299.10)	(3326.27)	-	-
(viii)	विदेशी मुद्रा उधार जुटाया गया	7682.79	4829.12	-	-
(ix)	विदेशी मुद्रा उधार चुकाया गया	(5.29)	(12.00)	-	-
				-	-
	वित्तीय गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह-इ	19090.06	10173.70	(250.03)	690.92
	नकदी और नकद समकक्षों में नेट वृद्धि-अ+आ+इ	9.67	322.05	474.77	(512.16)
	नकद और नकद समकक्ष-प्रारंभिक शेष	369.88	47.83	47.83	559.99
	नकद और नकद समकक्ष-समापन शेष	379.55	369.88	522.61	47.83

स्टैंडअलोन के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	30 सितम्बर 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	30 सितम्बर 2023 तक	31 मार्च 2023 तक
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
I	संपत्ति				
1	वित्तीय संपत्ति				
क	नकद और नकद समकक्ष	379.55	369.88	522.61	47.83
ख	बैंक बैलेंस (क) के अतिरिक्त अन्य	18.79	17.48	278.33	21.02
ग	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	1,310.72	305.89	-	0.02
घ	प्राप्तियां				
	-व्यापार प्राप्तियां	1.22	1.22	1.25	1.38
	-अन्य प्राप्तियां	8.59	1.31	2.70	0.53
ङ	ऋण	1,10,291.08	91,365.05	80,116.04	79,236.97
च	निवेश	834.16	296.81	210.96	629.37
छ	एसोसिएट्स में निवेश	0.26	0.26	0.22	0.31
ज	अन्य वित्तीय संपत्तियां	624.54	603.67	590.18	587.20
	योग(1)	1,13,468.88	92,961.57	81,722.29	80,524.63
2	गैर-वित्तीय संपत्तियां				
क	वर्तमान कर संपत्ति (नेट)	1.21	-	-	-
ख	निवेश संपत्ति	19.13	19.59	19.99	20.47
ग	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	53.68	55.98	59.11	61.92
घ	पूंजी कार्य-प्रगति	14.10	13.61	13.13	17.48
ङ	अमूर्त संपत्ति विकासाधीन	2.30	1.36	2.01	2.01
च	अन्य अमूर्त संपत्ति	12.24	12.71	7.37	7.48
छ	अन्य गैर-वित्तीय संपत्ति	347.86	357.52	338.38	335.28
	योग (2)	450.52	460.77	439.99	444.64
	कुल संपत्ति (1+2)	1,13,919.40	93,422.34	82,162.28	80,969.27
II	देनदारियां और इक्विटी				
A	देनदारियां	-	-	-	-
1	वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-
क	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	-	-	-	-
ख	देय	-	-	-	-

(i)	व्यापार देय	-	-	-	-
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया बकाया	-	-	-	-
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया बकाया	-	-	0.05	0.05
(ii)	अन्य देय				
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया बकाया	0.02	0.17	0.09	0.20
	-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया बकाया	7.89	14.11	5.96	7.69
ग	ऋण प्रतिभूतियां	47,928.65	42,146.27	42,722.09	48,192.09
घ	उधार	45,636.67	31,849.59	18,552.48	14,711.28
ङ	जमाराशि	0.01	0.04	1.01	1.71
च	अन्य वित्तीय देयताएँ	1,453.68	1,121.67	1635.56	1,203.75
	योग(अ-1)	95,026.92	75,131.85	64,917.24	64,116.77
2	गैर-वित्तीय देयताएँ				
क	वर्तमान कर देयताएँ(नेट)	-	46.11	22.31	14.56
ख	प्रावधान	374.39	359.14	355.28	342.52
ग	स्थगित कर देयताएँ(नेट)	1,347.11	1,228.45	1086.31	1,006.12
घ	अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	48.37	44.23	58.12	45.74
	योग(अ-2)	1,769.87	1,677.93	1522.42	1,408.94
	योग(अ)	96,796.79	76,809.78	66,439.66	65,525.71
आ	इक्विटी				
क	इक्विटी शेयर पूंजी	2,001.90	2,001.90	2001.90	2,001.90
ख	अन्य इक्विटी	15,120.71	14,610.66	13,720.72	13,441.66
	योग(आ)	17,122.61	16,612.56	15,722.62	15,443.56
	कुल योग्यताएँ और इक्विटी(अ+आ)	**1,13,919.40**	**93,422.34**	**82,162.28**	**80,969.27**

लाभ एवं हानि का विवरण (स्टैंडअलोन के आधार पर)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
		अलेखापरीक्षित	**लेखापरीक्षित**	**अलेखापरीक्षित**	**लेखापरीक्षित**
I	आय				
अ	प्रचालन से आय				
क	ब्याज आय	2,745.54	7,653.21	1980.12	6,983.44
ख	लाभांश आय	0.01	5.89	0.12	0.06
ग	किराये से आय	14.30	54.76	14.65	54.18
घ	फीस और कमीशन आय	-	0.64	0.01	2.66
ङ	उचित मूल्य परिवर्तनों पर नेट लाभ	(0.02)	68.69	17.27	7.46
च	सेवाओं की बिक्री	0.40	1.10	0.49	1.66
	प्रचालन से कुल आय (अ)	2,760.23	7,784.29	2,012.66	7,049.46
आ	अन्य आय	9.91	163.81	10.28	36.72
	कुल आय I (अ+आ)	2,770.14	7,948.10	2,022.94	7,086.18
II	व्यय				
क	वित्त लागत	1,762.49	4,960.82	1,312.73	4,507.08
ख	फीस और कमीशन व्यय	0.34	3.12	1.48	2.13
ग	उचित मूल्य परिवर्तनों पर नेट हानि	0.00	0.00	0.00	0.00
घ	कर्मचारी लाभ व्यय	60.21	232.51	31.76	186.62
ङ	वित्तीय साधनों पर हानि	(16.84)	(208.09)	(59.01)	(73.69)
च	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	2.63	9.86	2.46	11.31
छ	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ	12.25	45.57	11.39	44.98
ज	अन्य व्यय	17.40	60.87	26.04	118.34
	कुल व्यय II (क से ज तक)	1,838.48	5,104.66	1,326.85	4,796.77
III	कर पूर्व लाभ और सहयोगी में लाभ/(हानि) का हिस्सा	931.66	2,843.44	696.09	2,289.41
IV	सहयोगी में लाभ/(हानि) का हिस्सा (कर का नेट)	0.00	(0.05)	0.04	(0.19)
V	कर पूर्व लाभ/(हानि)**(V-IV)**	931.66	2,843.39	696.13	2,289.22
VI	कर व्यय:				
	(i)वर्तमान कर	182.07	510.50	123.76	435.00
	(ii)स्थगित कर	14.56	216.20	53.14	154.19
	(iii)पिछले वर्षों के कर का समायोजन (नेट)	0.00	0.52	0.00	(1.40)
	कुल कर व्यय **VI(i+ii+iii)**	196.63	726.70	176.90	587.79

VII	अवधि के लिए लाभ/(हानि)**(V-VI)**	735.03	2,116.69	519.23	1,701.43
VIII	अन्य व्यापक आय				
अ (i)	ऐसी वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ(हानि) का पुनर्मापन	(3.64)	9.53	5.29	33.06
(ii)	ऐसी वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.91	(2.40)	(1.33)	(8.32)
आ(i)	ऐसी वस्तुएँ जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (वस्तुओं और राशि)				
	-नकदी प्रवाह हेज में लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा	546.49	54.00	0.00	0.00
	-हेजिंग रिजर्व की लागत	(400.91)	(37.10)	0.00	0.00
(ii)	लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित आयकर				
	-नकदी प्रवाह हेज में लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा	(137.54)	(13.59)	0.00	0.00
	-हेजिंग रिजर्व की लागत	100.90	9.34	0.00	0.00
	योग (अ+आ)	108.94	19.78	3.96	24.74
	अन्य व्यापक आय **(VIII)**	108.94	19.78	3.96	24.74
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय **(VII+VIII)**	841.24	2136.52	523.19	1,726.17
	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालन के लिए)				
	बेसिक (रु.)	3.67	10.57	2.59	8.50
	डायल्यूटिड (रु.)	3.67	10.57	2.59	8.50

स्टैंडअलोन के आधार पर नकदी प्रवाह का विवरण:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
अ	प्रचालन गतिविधियाँ				
	कर पूर्व लाभ	1,684.74	2,843.39	1204.23	2,289.22
	कर पूर्व लाभ का समायोजन और नकदी प्रवाह:				
(i)	मूल्यह्रास और परिशोधन	4.50	9.86	4.92	11.31
(ii)	वित्तीय साधनों पर हानि	(251.84)	(208.09)	(50.86)	(73.69)
(iii)	अवास्तविक विदेशी मुद्रा लाभ/हानि और उधार पर ईआईआर	(51.14)	(3.75)	(0.06)	10.45
(iv)	व्यापार के लिए रखे गए निवेश पर अवास्तविक हानि/(लाभ)	(37.04)	(68.71)	(0.03)	(7.75)
(v)	हेज्ड मद के उचित मूल्य में परिवर्तन	0.00	0.02	0.02	0.29
(vi)	लाभांश आय	(7.28)	(5.89)	(5.66)	(0.06)
(vii)	निवेश (बॉन्ड) पर ब्याज	(16.84)	(24.01)	(10.08)	(14.34)
(viii)	कर्मचारी लाभ और सीएसआर के लिए प्रावधान	(212.80)	38.72	15.89	36.14
(ix)	आयकर अधिनियम के तहत ब्याज के लिए प्रावधान	0.00	1.50	0.00	0.60
(x)	स्थिर संपत्तियों (नेट) की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.01)	(7.63)	(7.65)	(0.07)
(xi)	अग्रिमों पर ईआईआर	1.98	4.71	2.52	5.49
(xii)	सुरक्षा जमा और सेवाओं के लिए जमा की छूट	0.02	0.02	0.00	(0.02)
(xiii)	कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज की छूट	(0.94)	(2.05)	(1.08)	(2.13)
(xiv)	कर्मचारी अग्रिमों की कर्मचारी लागत की छूट	0.94	1.89	1.02	1.93
	प्रचालन लाभ पूर्व कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	1,114.29	2579.98	1153.18	2,257.37
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
(i)	ऋण	(18,711.35)	(11,970.86)	(830.73)	(2,228.13)
(ii)	व्यापार प्राप्य, वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(1,004.82)	(305.89)	-	23.07
(iii)	व्यापार प्राप्य, वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(19.80)	(31.74)	(265.36)	(481.94)
(iv)	व्यापार देय और वित्तीय देयताएँ	282.48	(46.23)	442.35	
	योग (I से iv)	(17,969.21)	(12,354.72)	(653.74)	(2,687.00)
	आयकर का भुगतान (नेट वापसी)	(262.48)	(512.00)	219.28	(421.04)

सभी निवेशक प्रदान करें

	प्रचालन गतिविधियों से/(प्रयुक्त) नेट नकदी प्रवाह – अ	(19,453.49)	(10286.74)	280.16	(850.67)
आ	निवेश गतिविधियाँ				
(i)	निश्चित और अमूर्त संपत्तियों की खरीद	(2.69)	(4.18)	2.63	(2.27)
(ii)	संपत्ति और उपकरणों की बिक्री से आय	0.00	8.06	7.85	0.18
(iii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश	(483.47)	338.67	352.78	(350.57)
(iv)	प्राप्त लाभांश	7.28	5.89	5.66	0.06
(v)	निवेश के रीडेम्प्शन पर प्राप्त राशि	0.00	86.65	75.72	
	निवेश गतिविधियों से/(प्रयुक्त) नेट नकदी प्रवाह – आ	(478.88)	435.09	444.64	(352.60)
इ	वित्तीय गतिविधियाँ				
(i)	उधार में परिवर्तन		0	370.56	1,391.59
(ii)	डीडीटी सहित लाभांश का भुगतान	(530.50)	(920.87)	(620.59)	(700.67)
(iii)	जमा वापस किया गया	(0.04)	(1.67)	-	
(iv)	ऋण प्रतिभूतियाँ जारी की गईं	5,786.00	1,500.00	-	
(v)	ऋण प्रतिभूतियाँ वापस की गईं	0.00	(7,551.67)	-	
(vi)	रुपया दीर्घकालिक/अल्पकालिक उधार लिया गया	14,456.20	15,657.06	-	
(vii)	रुपया दीर्घकालिक/अल्पकालिक उधार लिया गया	(8,299.10)	(3,326.27)	-	
(viii)	विदेशी मुद्रा उधार लिया गया	7,682.79	4,829.12	-	
(ix)	विदेशी मुद्रा उधार लिया गया	(5.29)	(12.00)	-	
	वित्तीय गतिविधियों से नेट नकदी प्रवाह – C	19,090.08	10,173.70	(250.03)	690.92
	नकदी में नेट वृद्धि (अ+आ+इ)	9.67	322.05	474.77	(512.16)
	नकद और नकदी समतुल्य-प्रारंभिक शेष	369.88	47.83	47.83	559.99
	नकद और नकदी समतुल्य-समापन शेष	379.55	369.88	522.61	47.83

6.1 लेखा परीक्षकों की योग्यता

मुख्य सूचना दस्तावेज के प्रचालन के वर्ष से ठीक पहले पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कंपनी के लेखा परीक्षकों की योग्यताओं,रिजर्वेशन और प्रतिकूल टिप्पणियों के संबंध में विवरण और कंपनी के वित्तीय विवरणों और वित्तीय स्थिति पर उनका प्रभाव और प्रत्येक योग्यता, आरक्षण और प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए और प्रस्तावित सुधारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:

31 मार्च, 2024, 31 मार्च, 2023, 31 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यताएँ

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कंपनी के लेखा परीक्षक की ओर से कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

6.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तन और कंपनी के मुनाफे और आरक्षित निधियों पर उनका प्रभाव

(a) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तन हुआ है ।

<u>लेखा नीति के बीच तुलनात्मक विवरण</u>

क्र.स.	मौजूदा क्लॉज	मौजूदा नीति	खंड संशोधित करें	संशोधित नीति	कारण
1	4.1	**अनुपालन का बयान** कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं।	4.1	**भारतीय लेखा मानक के अनुपालन का विवरण** कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक (नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों" ((इंडएएस") और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित, अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य लागू नियामक मानदंडों/ दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं। स्टैंडअलोन बैलेंस शीट; लाभ और हानि का विवरण; नकदी प्रवाह का विवरण; नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण अनुसूची III के डिवीजन III की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया जाता है । कंपनी अधिनियम, 2013 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू है।	स्पष्टीकरण कर्ता
2	4.2	**प्रस्तुति का आधार**	4.2	**प्रस्तुति का आधार**	
		स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूर्व चिंता के रूप में एक प्रोद्भव आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों (पी एंड एल खाते आदि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी उपकरण) और वित्तीय देनदारियों (व्युत्पन्न आदि) और वित्तीय देनदारियों को छोड़कर जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है जैसा कि आवश्यक है। प्रासंगिकइंड एएस		स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक (आईएसए) वित्तीय विवरण एक चालू व्यवसाय के रूप में प्रोद्भवन आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों (व्युत्पन्न उपकरणों सहित) के, जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक (आईएसए) द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा प्रासंगिक लेखांकन नीतियों में स्पष्ट किया जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सुसंगत रूप से लागू किया गया है।	स्पष्टीकरण कर्ता
		नोसेपरेट नीति (पिछले वर्ष को भाग संख्या 4.6 के भाग के रूप में दर्शाया गया है)	4.3	**कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा** कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए('आईएनआर') में दर्शाए जाते हैं जो कंपनी का कुल वित्तीय विवरण भी है। कार्यात्मक मुद्रा.	नीति का पुनर्निधारण

3	4.3	**सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश** कंपनी सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत रहित हानि, यदि कोई हो, पर रिकॉर्ड करती है। सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर, शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के एकल विवरण में मान्यता दी जाती है।	4.4	**और संयुक्त उद्यमों में निवेश** कंपनी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत में से हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्ज करती है। यदि किसी संस्था द्वारा किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश के संबंध में हानि का संकेत मिलता है, तो निवेश के वहन मूल्य की, उसकी वसूली योग्य राशि की उसके वहन मूल्य से तुलना करके, हानि के लिए जांच की जाती है तथा परिणामस्वरूप होने वाली हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य के विरुद्ध वसूल किया जाता है। सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर, शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशि के बीच का अंतर लाभ और हानि विवरण में पहचाना जाता है । नुकसान।	स्पष्टीकरणकर्ता
4	4.4	**अनुमान का उपयोग** भारतीय लेखा मानक के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करने वाले निर्णय, आकलन और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। यद्यपि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के बारे में प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, फिर भी इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के कारण भविष्य में परिसंपत्तियों या देनदारियों की अग्रणीत राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।			विलोपन
5	4.5	**नकद और नकद के समान** नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, बैंक के पास रखे गए तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ मांग जमा और सावधि जमा, नकद क्रेडिट खाते में डेबिट शेष और स्टांपिंग / फ्रैंकिंग शेष शामिल हैं, जो एक नगण्य जोखिम के अधीन हैं में परिवर्तन .	4.5	**नकद और नकद के समान** नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, मांग जमा, बैंक में रखी गई तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं, जिन्हें आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।	स्पष्टीकरणकर्ता ychanges
6	4.6	**विदेशी मुद्रा** कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी द्वारा प्रारंभ में उनके संबंधित कार्यात्मक मुद्रा हाजिर दरों पर उस तिथि पर दर्ज किया जाता है, जिस दिन लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है। विदेशी मुद्राओं में आय और व्यय को कंपनी द्वारा लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित कार्यात्मक मुद्रा हाजिर विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दर) पर परिवर्तित किया जाता है और निपटान और पुनर्कथन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ और हानि को अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।	4.6	**विदेशी मुद्रा** विदेशी मुद्राओं में आय और व्यय सहित लेनदेन को प्रारंभ में कंपनी द्वारा लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित कार्यात्मक मुद्रा हाजिर विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दर) पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों के आवधिक विनिमय दरों पर पुनः मापन के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को उस अवधि के लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।	स्पष्टीकरणकर्ताs

7	4.7	**राजस्व मान्यता** **4.7.1 ब्याज आय** भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, मापे गए सभी ऋण साधनों के लिए ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। गणना में वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और इसमें कोई भी शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल होती है जो सीधे साधन के लिए जिम्मेदार होती है और ईआईआर का अभिन्न अंग होती है, लेकिन भविष्य के ऋण घाटे को शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी ने ऋण की अवधि के साथ-साथ सीधी-रेखा आधार पर ऋणों पर सीधे तौर पर वृद्धिशील रूप से लागू होने वाले किसी भी शुल्क को मान्यता दी है। गैर-निष्पादित आस्तियों और/या वित्तीय आस्तियों में चरण 3 में ब्याज आय को केवल नकद/प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। **4.7.2 लाभांश** लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आम तौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं। **4.7.3 किराये की आय** निवेश संपत्तियों पर प्रचालन पट्टों से उत्पन्न होने वाली किराया आय को पट्टा शर्तों के दौरान सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब तक कि पट्टाकर्ता को किए जाने वाले भुगतान को पट्टाकर्ता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित नहीं किया जाता है। **4.7.4 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व "** जिसमें परामर्श, ट्रस्टीशिप, और कंसोर्टियम, निर्माण परियोजनाओं पर शुल्क, प्रबंधन विकास कार्यक्रम या कोई अन्य आय शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, " ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" पर IndAS115 के अनुसार मान्यता प्राप्त है		**राजस्व मान्यता** **4.7.1 ब्याज आय** ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, बंधक लागत के आंकड़ों को मापने के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के दौरान अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की शुद्ध वहन राशि में छूट देती है और इसमें कोई भी शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल होती है जो सीधे साधन के लिए जिम्मेदार होती है और भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग होती है। ईआईआर में समायोजन माने जाने वाले शुल्कों/प्रभारों के अलावा ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभार का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है। पूर्वभुगतान प्रभार (प्रीमियम) का लेखा-जोखा कंपनी द्वारा प्राप्ति के वर्ष में किया जाता है। गैर-निष्पादित आस्तियों और/या वित्तीय आस्तियों में चरण 3 में ब्याज आय को केवल नकद/प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। **4.7.2 लाभांश** लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। **4.7.3 किराये की आय** निवेश संपत्तियों पर प्रचालन पट्टों से उत्पन्न होने वाली किराये की आय को पट्टा शर्तों पर एक सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब तक कि पट्टेदार को दिए जाने वाले भुगतान को अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित न किया जाए, ताकि पट्टाकर्ता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई की जा सके। **4.7.4 अन्य राजस्व** प्रदान की गई सेवाओं से आय को रिपोर्टिंग तिथि पर अनुबंध के पूरा होने के चरण के संदर्भ में समझौतों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को Ind-AS115-ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर मान्यता देती है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और यदि लागू हो तो राजस्व और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अनुबंध के तहत सहमत लेनदेन मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है। लेनदेन मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियाँ शामिल नहीं हैं (जैसे सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर) और इसमें छूट, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार के लिए शामिल/समायोजित किया जाता है, केवल इस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावित है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय विचार से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में हल किया जाता है। शुल्क आधारित आय को तब मान्यता दी जाती है जब वे मापने योग्य हो जाते हैं और जब उनके अंतिम संग्रह की उम्मीद करना संभव होता है। **4.7.5 निवेश पर ब्याज आय** निवेश से ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब यह निश्चित हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।	स्पष्टीकरण कर्ता स्पष्टीकरणकर्ता परिवर्तन नहीं होता है स्पष्टीकरण कर्ता

				ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में तथा लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है।	स्पष्टीकरण हेतु अतिरिक्त जानकारी
8	4.8	**उधार लेने की लागत** अधिग्रहण से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय की जाती है जिसमें वे होती हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई को निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन करनी पड़ती हैं। उधार लेने की लागत में विनिमय अंतर भी शामिल होता है जिसे उधार लेने के समायोजन के रूप में माना जाता है लागत.	4.8	**उधार लेने की लागत** अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने की लागत को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय की जाती है जिसमें वे घटित होती हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई को निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन करनी पड़ती हैं। उधार लेने की लागत में विनिमय अंतर भी शामिल होता है जिसे उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है
9	4.9	**निवेश संपत्तियां-IndAS40 मान्यता** निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। लागत में भागों को बदलने की लागत और लंबी अवधि के निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लेने की लागत शामिल है, अगर मान्यता मानदंड पूरे होते हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद , निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है **अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास)** प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग C के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन पर निवेश संपत्ति के निर्माण घटक का मूल्यह्रास करती है। जब निवेश संपत्ति के महत्वपूर्ण भागों को अंतराल पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक होता है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उनका अलग से मूल्यह्रास करती है। **डी-मान्यता** निवेश संपत्तियों की मान्यता या तो तब समाप्त हो जाती है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्ति की अवधि में लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।	4.9	**निवेश संपत्तियां-IndAS40 मान्यता** एक निवेश संपत्ति में वे संपत्तियां शामिल हैं जिनसे कंपनी किराये की आय उत्पन्न कर रही है। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत और संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। **अनुवर्ती माप** प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार किया जाता है जिससे वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन कंपनी में परिसंपत्ति के उसी वर्ग के अनुसार माना जाएगा। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। यद्यपि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, फिर भी निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में प्रकट किया जाता है। **डी -मान्यता** निवेश संपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। निपटान पर मान्यता समाप्त होने की अवधि में शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।	स्पष्टीकरण कर्ता स्पष्टीकरण कर्ता परिवर्तन नहीं होता है
10	4.10	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्ति मान्यता** कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों और उपयोग के वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित लागत के रूप में वहन मूल्य है।	4.10	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्ति मान्यता** पीपीई को शुरू में लागत के आधार पर पहचाना जाता है। अधिग्रहण की लागत में खरीद मूल्य या निर्माण लागत शामिल होती है जो कि भुगतान की गई राशि और परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जारी किए गए किसी अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य है, यदि कोई हो, और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने में सीधे तौर पर होने वाली कोई लागत।	स्पष्टीकरण कर्ता

		अनुवर्ती माप (मूल्यह्रास) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास सीधे तरीके से या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग C के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के संदर्भ में निर्धारित दरों के आधार पर लगाया जाता है।		प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया पीपीई के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत अलग से प्रकट किया जाता है। **अनुवर्ती माप** कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए बाद की मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। परिणामस्वरूप, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उसकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर वहन किया जाता है। बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभावना होती है कि खर्च की गई लागत से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को मापा जा सकता है।	स्पष्टीकरण कर्ता
		मान्यता रद्द करना संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई भी वस्तु और कोई भी महत्वपूर्ण आंशिक रूप से प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त वस्तु निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न होने पर अमान्य हो जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल की जाती है।		**मान्यता रद्द करना** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और आरंभ में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न होने पर मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल की जाती है।	परिवर्तन नहीं होता है
		अमूर्त संपत्ति अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, और यह संभावना है कि इसके कारण होने वाले अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन घटाकर दर्शाया जाता है।		**अमूर्त संपत्ति** अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में सीधे तौर पर कोई लागत आती है। अमूर्त परिसंपत्ति को तभी पहचाना जाता है जब उसकी लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि इसके लिए अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। तत्पश्चात् इन्हें लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर मापा जाता है।	स्पष्टीकरण कर्ता
11	4.11	**मूल्यह्रास और परिशोधन** 2014 से प्रभावी लागत के 5% को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखने के बाद डब्ल्यूडीवी पद्धति को लागू करके मूल्यह्रास दरें तैयार की गई हैं। ख) 5000 रुपये तक की प्रति वस्तु की लागत वाले पीपीई को "विविध परिसंपत्तियों" के अंतर्गत रखा जाता है और उस पर 100% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई पुस्तकों को पुस्तकालय पुस्तकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है तथा उन पर 100% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। d)कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर पांच वर्ष की अवधि में किया जाता है।	4.11	**मूल्यह्रास और परिशोधन** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार पीपीई सेट के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा मूल्यह्रास की दरें नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर, लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखने के पश्चात डब्ल्यूडीवी पद्धति को लागू करके निर्धारित की गई हैं: क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर पांच वर्ष की अवधि में किया जाता है खरीद के वर्ष में लाभ और हानि खाते में व्यय किया जाता है । वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौतियों पर मूल्यह्रास, उस तिथि से/तक आनुपातिक आधार पर वसूला जाता है, जिस तिथि तक परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।	स्पष्टीकरण कर्ता
2	4.12	**पूंजी-कार्य-प्रगति-में** प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में वे परिसंपत्तियां शामिल	4.12	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर** प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो	परिवर्तन नहीं

		हैं जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं और लागत पर किए जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं।		अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं तथा उन्हें लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं।	होता है
		विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ बैलेंस शीट की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं अमूर्त परिसंपत्तियों को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया जाता है।		**विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां** अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र व्यय को तब तक 'अविकसित अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में रखा जाता है, जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।	स्पष्टीकरणक र्ता
13	4.13	**पट्टों** **(a) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में** i) कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और लीज देयता को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर यह स्थित है उसे पुनर्स्थापित करने की लागत का अनुमान, प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को घटाकर शामिल किया जाता है। ii) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत से पहले या पट्टे की अवधि के अंत तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को समय-समय पर हानि हानि, यदि कोई हो, द्वारा कम किया जाता है और पट्टे की देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। iii) पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान आरंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, तथा पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। iv) लीज़ देयता को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से भविष्य के लीज़ भुगतान में कोई परिवर्तन होता है। जब लीज़ देयता को इस तरह से फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है, तो इसे लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है।	4.13	**पट्टों** **(a) पट्टेदार के रूप में कम्पनी** i) कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा है या नहीं। अनुबंध पट्टा है या नहीं, यदि अनुबंध में विचार के बदले में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है। कंपनी पट्टा शुरू होने की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता को पहचानती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की लागत का अनुमान शामिल है, जिसमें प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है। ii) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास, आरंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान ही निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को, यदि कोई हो, तो समय-समय पर क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है, तथा देयता के पुनः मापन को समायोजित किया जाता है। iii) पट्टे की देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान आरंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, तथा पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि वह दर तुरंत निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। iv) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है; इसे तब पुनः मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से भविष्य में भुगतान जारी करने में परिवर्तन होता है। जब पट्टा देयता को इस तरीके से पुनः मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो इसे लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है। v) कंपनी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति प्रस्तुत करती है जो निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है,	स्पष्टीकरणक र्ता परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन नहीं होता है

		v) कंपनी उपयोग के अधिकार वाली ऐसी परिसंपत्तियां प्रस्तुत करती है जो निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें बैलेंस शीट के मुखपृष्ठ पर अलग से "उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां" के रूप में दर्शाया गया है, तथा बैलेंस शीट में पट्टा देनदारियों को "अन्य वित्तीय देनदारियों" के रूप में दर्शाया गया है। vi) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे:- कंपनी ने अल्पावधि पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों को मान्यता नहीं देने का चयन किया है ।		बैलेंस शीट के मुखपृष्ठ पर अलग से "उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां" और बैलेंस शीट में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टा देनदारियों को प्रस्तुत करती है। vi) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे: - कंपनी ने 12 महीने या उससे कम अवधि वाले अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देनदारियों को मान्यता नहीं देने का चयन किया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।	परिवर्तन नहीं होता है
		12 महीने या उससे कम की लीज़ अवधि हो और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में पहचानती है **(बी) आसा पट्टादाता** जब कंपनी पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे की शुरुआत में ही यह निर्धारित कर लेती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के बड़े हिस्से के लिए है या नहीं। कंपनी प्रचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टा भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है, जब तक कि पट्टाकर्ता को भुगतान पट्टाकर्ता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित नहीं किया जाता है ।		**(बी) आसा पट्टादाता** जब कंपनी पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे की शुरुआत में ही यह निर्धारित कर लेती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं। कंपनी प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-सीधी आय के रूप में मान्यता देती है, जब तक कि पट्टेदार को दिए जाने वाले भुगतान को, पट्टाकर्ता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित न किया जाए।	स्पष्टीकरणक र्ता ychanges परिवर्तन नहीं होता है
14	4.14	**वित्तीय साधनों** वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई को वित्तीय परिसंपत्ति या किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है **प्रारंभिक पहचान और माप** कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता देती है जब वह उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां, अर्थात् ऋण और अग्रिम, इक्विटी निवेश, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण और अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां, प्रारंभ में उचित मूल्य पर या उससे कम पर मान्यता प्राप्त होती हैं, जो वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय दायित्व के अधिग्रहण या निर्गम के लिए जिम्मेदार होती हैं, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है, जहां लेनदेन लागत को लाभ और हानि पर लगाया जाता है।	4.14	**वित्तीय साधनों** वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को जन्म देता है। **प्रारंभिक पहचान और माप** कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब पहचानती है जब वह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, जो कि वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के अधिग्रहण या निर्गम के कारण होने वाली लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित किया जाता है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है, जहां लेनदेन लागत को लाभ और हानि पर लगाया जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है स्पष्टीकरणक र्ता ychanges

		बाद का माप **क) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण** **लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ** एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के तहत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए परिसंपत्ति को रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर दी जाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज हैं। **ii)अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां** वित्तीय परिसंपत्ति का बाद में आकलन किया जाता है		**बाद का माप** **क) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण** **i) वित्तीय संपत्ति ले जाया गया डेटा परिशोधित लागत** एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में एक व्यवसाय मॉडल में रखी गई परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए परिसंपत्ति को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को प्रदान करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं। **ii)अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां**	स्पष्टीकरणकर्ता
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य परव्यापार मॉडल में रखी गई आय जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कंपनी ने अपने व्यापार मॉडल के आधार पर एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है, इसके निवेशों के लिए जिन्हें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त व्यापार और आकस्मिक विचार के लिए रखे गए हैं, जिस पर भारतीय लेखा मानक 103 लागू होता है, उन्हें FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक रूप से मान्यता दी जाती है आय। **iii) वित्तीय सम्पत्तियाँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर** वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है, उसका लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन किया जाता है। **iv) इक्विटी निवेश** भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ऐसे इक्विटी उपकरण जो किसी अधिग्रहणकर्ता द्वारा किसी व्यावसायिक संयोजन में व्यापार और आकस्मिक प्रतिफल के लिए रखे जाते हैं, जिस पर भारतीय लेखा मानक 103 लागू होता है, उन्हें FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में		एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने और परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कंपनी ने अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है, इसके निवेशों के लिए जिन्हें इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके अलावा जिन्हें व्यापार और आकस्मिक विचार के लिए रखा जाता है, जो किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिस पर IndAS103 लागू होता है, उन्हें FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। **iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऐसी वित्तीय** परिसंपत्ति जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है, उसका बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन किया जाता है। इसमें उन निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग उपकरणों को छोड़कर सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं जिनके लिए हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। **iv) इक्विटी निवेश** भारतीय मानक ब्यूरो 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेडिंग और आकस्मिक विचार के लिए रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जिस पर भारतीय मानक ब्यूरो 103 लागू होता है, को FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के बाद अन्य व्यापक आय प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह का चुनाव इंस्ट्रूमेंट-दर-इंस्ट्रूमेंट आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है।	परिवर्तन नहीं होता है स्पष्टीकरणकर्ता परिवर्तन नहीं होता है

		प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह का चुनाव उपकरण-दर-उपकरण आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है।		यदि कंपनी किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को FVTOCI के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो इंस्ट्रूमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, OCI में पहचाने जाते हैं। निवेश की बिक्री पर भी OCI से P&L में राशि का कोई पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।	
		यदि कंपनी किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को FVTOCI के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो इंस्ट्रूमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, OCI में पहचाने जाते हैं। निवेश की बिक्री पर भी OCI से P&L तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।		एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है
		एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पी एंड एल में पहचाने गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।			परिवर्तन नहीं होता है
		v) वित्तीय देनदारियां वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर वहन किया जाता है। बैलेंसशीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देयताओं के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण वहन राशि उचित मूल्य के करीब होती है।		**v) वित्तीय देनदारियां** वित्तीय दायित्वों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर वहन किया जाता है, सिवाय व्युत्पन्न वित्तीय दायित्वों के, जिन्हें लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ एफवीटीपीएल पर वहन किया जाता है। बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देयताओं के लिए, वहन राशि इन उपकरणों की अल्प परिपक्वता के कारण उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है।	स्पष्टीकरणक र्ता ychanges
		बी)व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण		**बी)व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण** कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों पर विनिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न डेरिवेटिव रखती है	

		कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम पर विनिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न डेरिवेटिव रखती है साथ ही विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज में उतार-चढ़ाव भी रखती है। इन अनुबंधों के लिए प्रतिपक्ष आम तौर पर एक बैंक होता है।		साथ ही विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, मुद्रा और ब्याज दरों की अदला-बदली आदि सहित ब्याज में उतार-चढ़ाव भी शामिल है। इन अनुबंधों के लिए प्रतिपक्ष आम तौर पर एक बैंक होता है। **बचाव लेखांकन** हेज अकाउंटिंग के अंतर्गत, एक संस्था व्युत्पन्न अनुबंधों को या तो नकदी प्रवाह हेज या उचित मूल्य हेज के रूप में नामित कर सकती है। कंपनी कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित करती है। हेज अकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा: • हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच एक आर्थिक संबंध है। • ऋण जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध से उत्पन्न मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है • हेजिंग संबंध का हेज अनुपात वही है जो निम्न मात्राओं से उत्पन्न होता है: - वह हेज्ड वस्तु जिसे कंपनी आमतौर पर हेज करती है; और - हेजिंग उपकरण जिसे कंपनी आमतौर पर हेज्ड आइटम की मात्रा को हेज करने के लिए उपयोग करती है • हेजिंग संबंध में केवल पात्र हेजिंग उपकरण और पात्र हेज्ड आइटम शामिल होते हैं • हेजिंग संबंध की शुरुआत में हेजिंग संबंध और इकाई के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेजिंग करने की रणनीति और इसकी हेजिंग प्रभावशीलता का औपचारिक पदनाम और दस्तावेजीकरण होता है। **नकदी प्रवाह बचाव** हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो हेज अकाउंटिंग के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, उसे कैश फ्लो हेज के रूप में नामित किया जाता है। डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा जो कैश फ्लो हेज के रूप में नामित और योग्य है, उसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेज के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है। ऐसे रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'हेजिंग रिजर्व की लागत' में मान्यता दी जाती है। ऐसे रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशियों को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है। **उचित मूल्य बचाव** लाभ और हानि विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज्ड आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में अस्वीकृत किया जाता है। इस तरह के परिवर्तन हेज्ड आइटम की वहन राशि में किए जाते हैं। वहन राशि में उक्त परिवर्तनों का परिशोधन समायोजन के अस्तित्व में आते ही शुरू हो सकता है और हेज्ड आइटम को हेजिंग लाभ और हानि के लिए समायोजित किए जाने के बाद से बाद में शुरू होगा। परिशोधन उस तिथि पर पुनर्गणना की गई प्रभावी ब्याज दर पर आधारित है जिस दिन परिशोधन शुरू होता है। यदि हेज्ड आइटम को अस्वीकृत किया जाता है, तो अस्वीकृत उचित मूल्य को लाभ और हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है। हेज लेखांकन तब बंद कर दिया जाता है जब हेजिंग साधन की समयसीमा समाप्त हो जाती है, या उसे समाप्त कर दिया जाता है, या उसका प्रयोग किया जाता है, या जब वह हेज लेखांकन के लिए योग्य नहीं रह जाता है।	स्पष्टीकरणकर्ता ychanges जोड़ना जोड़ना

		वित्तीय परिसंपत्तियां या वित्तीय देनदारियां, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।		**वित्तीय परिसंपत्तियां या वित्तीय देनदारियां, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर** इस श्रेणी में व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां या देनदारियां हैं	
		इस श्रेणी में व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां या देयताएं शामिल हैं, जिन्हें हेज के रूप में नामित नहीं किया गया है। कोई भी व्युत्पन्न जिसे हेज के रूप में नामित नहीं किया गया है, उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।		जिन्हें हेज के रूप में नामित नहीं किया गया है। कोई भी व्युत्पन्न जिसे हेज के रूप में नामित नहीं किया गया है, उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।	जोड़ना
		हेज के रूप में नामित नहीं किए गए डेरिवेटिव को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और जब वे किए जाते हैं तो उन्हें लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध लाभ में मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन डेरिवेटिव को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है और परिणामस्वरूप विनिमय लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में संपत्ति/देनदारियों को वित्तीय संपत्ति/वित्तीय देनदारियों के रूप में दर्शाया जाता है यदि वे या तो व्यापार के लिए रखे जाते हैं या 12 महीनों के भीतर वसूल किए जाने की उम्मीद है बैलेंसशीट तिथि के बाद.		हेज के रूप में नामित नहीं किए गए डेरिवेटिव को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और जब वे खर्च किए जाते हैं तो उन्हें लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध लाभ में मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन डेरिवेटिव को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है और परिणामस्वरूप विनिमय लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में संपत्ति/देनदारियों को वित्तीय संपत्ति/वित्तीय देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यदि वे या तो व्यापार के लिए रखे जाते हैं या बैलेंस शीट की तारीख के बाद 12 महीने के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है।	परिवर्तन नहीं होता है
		वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करना कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब मान्यता रद्द कर देती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देती है और हस्तांतरण के लिए अर्हता प्राप्त कर लेती है 109 के तहत मान्यता रद्द करना ।		**वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करना** कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब सभी जोखिम और पुरस्कार मूलतः हस्तांतरित हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर देती है और हस्तांतरण भारतीय लेखा मानक 109 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए अर्ह हो जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है
		वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक भाग) कंपनी के बैलेंस शीट से तब मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।		वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के एक भाग के रूप में) को कंपनी के बैलेंस शीट से तब हटा दिया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।	स्पष्टीकरणकर्ता
15	4.15	**शेयर पूंजी साधारण** **शेयर** साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नए साधारण शेयरों और शेयर विकल्पों के जारी होने से सीधे जुड़ी वृद्धिशील लागतों को किसी भी संबंधित आयकर प्रभाव को घटाकर, प्रतिधारित आय से कटौती के रूप में मान्यता दी जाती है।	4.15	**शेयर पूंजीसा धारण** **शेयर** साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नए शेयरों और शेयर विकल्पों के जारी होने से सीधे जुड़ी वृद्धिशील लागतों को किसी भी संबंधित आयकर प्रभाव के शुद्ध, प्रतिधारित आय से कटौती के रूप में पहचाना जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है
16	4.16	**उचित मूल्य माप** तकनीकों का उपयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों, जैसे डेरिवेटिव्स को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक संपत्ति बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या हस्तांतरणीयता के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि बेचने के लिए लेनदेन परिसंपत्ति या देयता का हस्तांतरण होता है	4.16	**उचित मूल्य माप** कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों, जैसे डेरिवेटिव्स को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाज़ार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में परिसंपत्ति बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए प्राप्त किया जाएगा या भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेनदेन या तो होता है:	परिवर्तन नहीं होता है

		दोनों में से एक: परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार कंपनी की पहुंच में होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करें। एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप बाजार सहभागी की परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करके या उसके द्वारा आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है। इसे किसी अन्य बाजार भागीदार को बेचना जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा। कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होती हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जिससे प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट का अधिकतम उपयोग होता है और अप्राप्य इनपुट का न्यूनतम उपयोग होता है। सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है: स्तर 1 - उद्धृत (असमायोजित) बाजार परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए निष्क्रिय बाज़ारों की कीमतें स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय स्तर 3—मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सबसे कम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि क्या पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है।		परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के मूल्य मापन में, परिसंपत्ति का अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग करके या इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है, जो परिसंपत्ति का अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करना और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करना। सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में मापा या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है, जो कि समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है: स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए निष्क्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सबसे निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।	
17	4.17	**हानि** **क) वित्तीय परिसंपत्तियां** कंपनी हानि भत्ते को मान्यता देती है वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मोटे तौर पर निम्न के अनुरूप है: IndAS 109 में निर्धारित सिद्धांत।	4.17	**हानि** **क) वित्तीय परिसंपत्तियां** कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मोटे तौर पर वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए हानि भत्ते को मान्यता देती है। कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर	परिवर्तन नहीं होता है

		कंपनी तुलनाthe risk of a डिफ़ॉल्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर घटित होने वाली रिपोर्टिंग डेट विथ द रिस्क ओएफ ए डिफ़ॉल्ट वित्तीय परिसंपत्ति पर दिनांक को घटित होने वाली प्रारंभिक मान्यता और उसके आधार पर उचित और समर्थनीय जानकारी, कि महत्वपूर्ण का संकेत नहीं है		वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफ़ॉल्ट के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफ़ॉल्ट के जोखिम से करती है और उपलब्ध उचित और समर्थन योग्य जानकारी के आधार पर, जो प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफ़ॉल्ट के जोखिम का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि और वित्तीय के अनुसार किया जाता है।	
		प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में वृद्धि। वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफ़ॉल्ट के जोखिम का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों को पिछले देय दिनों की संख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: -		पिछले बकाया दिनों की संख्या के आधार पर परिसंपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: -	
		चरण – 1-0-30 दिन		चरण- 1-0-30 दिन इसमें वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनमें प्रारंभिक मान्यता में ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम है।	
		चरण –2-31-90 दिन		चरण- 2-31-90 दिन इसमें वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनमें प्रारंभिक मान्यता में ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जिनमें हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है।	स्पष्टीकरणकर्ता ychanges
		चरण-3-90 दिन से अधिक।		चरण- 3-90 दिन से अधिक। इसमें वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।	स्पष्टीकरणकर्ता ychanges
				अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने की ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल में मापा जाता है। ईसीएल संभावना का उत्पाद है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट पर जोखिम और दी गई डिफ़ॉल्ट हानि की परिभाषा निम्नानुसार है:	स्पष्टीकरणकर्ता ychanges
				<u>डिफ़ॉल्ट की संभावना (पीडी)</u> - पीडी एक उधारकर्ता द्वारा अपने वित्तीय दायित्व पर डिफ़ॉल्ट की संभावना को दर्शाता है, या तो <u>अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) में या</u> दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में।	जोड़ना
				<u>डिफ़ॉल्ट के कारण हानि (एलजीडी)</u> - एलजीडी कंपनी की डिफ़ॉल्ट जोखिम पर हानि की सीमा की अपेक्षा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा संपार्श्विक या अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।	जोड़ना
				<u>डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी)</u> - ईएडी उस मूल्यांकन तिथि पर बकाया एक्सपोजर की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।	जोड़ना
		ई.सी. की गणना, नकदी प्रवाह को प्रभावित करने वाली संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है। कंपनी लाभ या हानि के विवरण में, हानि लाभ या हानि के रूप में, अपेक्षित ऋण हानि (या प्रतिवर्तन) की राशि को पहचानती है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक है।		ई.सी. की गणना, नकदी प्रवाह को प्रभावित करने वाली संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है। कंपनी लाभ या हानि के विवरण में, हानि या लाभ के रूप में, अपेक्षित ऋण हानि (या प्रतिवर्तन) की राशि को पहचानती है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक है।	जोड़ना
		ऋणों के लिए प्रावधान में संतुलन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिसे निगम का प्रबंधन अप्रत्याशित घटनाओं और घटनाओं जैसे कि सरकार की नीति में परिवर्तन और एजेंसियों से पुनर्भुगतान में प्रक्रियागत देरी, दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत लंबित मामलों के परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण और पर्याप्त मानता है।		निगम के प्रबंधन द्वारा ऋणों के लिए प्रावधान में संतुलन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, जिसे अप्रत्याशित घटनाओं और घटनाओं जैसे कि सरकार की नीति में परिवर्तन और एजेंसियों से पुनर्भुगतान में प्रक्रियागत देरी, दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत लंबित मामलों के परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण और पर्याप्त माना जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है

		संशोधन ऋण वित्तीय स्थिति के परिणामस्वरूप प्रदान किए जाते हैं। यदि उधारकर्ता होता तो कठिनाइयाँ होतीं और कंपनी सहमत नहीं होती		**संशोधन ऋण** कंपनी उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाइयों के जवाब में ऋण अवधि में रियायतें या संशोधन की अनुमति देती है, न कि कब्ज़ा लेने या अन्यथा सुरक्षा के संग्रह को लागू करने के लिए। कंपनी उस ऋण को तब माफ मानती है जब ऐसी रियायत या संशोधन उधारकर्ता की मौजूदा और अपेक्षित वित्तीय कठिनाइयों के परिणामस्वरूप प्रदान किया जाता है और अगर उधारकर्ता वित्तीय रूप से स्वस्थ होता तो कंपनी उस पर सहमत नहीं होती । वित्तीय कठिनाइयों में अनुबंधों पर चूक, या क्रेडिट जोखिम विभाग द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण चिंताएं शामिल हैं।	परिवर्तन नहीं होता है
		वित्तीय रूप से स्वस्थ। वित्तीय कठिनाइयों के संकेतकों में अनुबंधों पर चूक, या क्रेडिट जोखिम विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण चिंताएँ शामिल हैं। सहनशीलता में भुगतान व्यवस्था का विस्तार और नई ऋण शर्त का समझौता शामिल हो सकता है। एक बार जब अवधि पर बातचीत हो जाती है, तो किसी भी हानि को मूल और संशोधित पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मापा जाता है। भविष्य में भुगतान होने की संभावना को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए फोरबोर्न ऋणों की निगरानी करना कंपनी की नीति है। स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच मान्यता रद्द करने के निर्णय और वर्गीकरण मामले-दर-मामला आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि ये प्रक्रियाएँ ऋण के संबंध में किसी हानि की पहचान करती हैं, तो इसे तब तक प्रकट और प्रबंधित किया जाता है जब तक कि इसे एकत्र या बट्टे खाते में नहीं डाल दिया जाता। हालाँकि, यदि संशोधन के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के अपेक्षित भविष्य के मूल्य में खाता परिवर्तन पर काल्पनिक लाभ होता है, तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। जब ऋण पर पुनः बातचीत की जाती है या उसे संशोधित किया जाता है, लेकिन उसकी मान्यता रद्द नहीं की जाती है, तो कंपनी यह भी पुनर्मूल्यांकन करती है कि क्या ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। **ख) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां** **अमूर्त संपत्ति और संपदा, प्लांट और उपकरण** अमूर्त संपत्तियों और संपत्ति, **प्लांट** और उपकरणों का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (यानी उचित मूल्य में से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो) एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस CGU के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।		सहनशीलता में भुगतान व्यवस्था को आगे बढ़ाना और नई ऋण शर्त पर सहमति शामिल हो सकती है। एक बार जब अवधि पर बातचीत हो जाती है, तो किसी भी हानि को मूल और संशोधित पैरामीटर को ध्यान में रखकर मापा जाता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि भविष्य में भुगतान होने की संभावना बनी रहे, यह कंपनी की नीति है कि वह ऋण पर नज़र रखे। स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच मान्यता रद्द करने के निर्णय और वर्गीकरण मामले-दर-मामले के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि ये प्रक्रियाएँ ऋण के संबंध में किसी हानि की पहचान करती हैं, तो इसे तब तक प्रकट किया जाता है और क्षतिग्रस्त स्टेज 3 या ऋण पर आधारित परिसंपत्ति के रूप में प्रबंधित किया जाता है जब तक कि इसे एकत्र या बट्टे खाते में नहीं डाल दिया जाता। हालाँकि, यदि संशोधन के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के अपेक्षित भविष्य के मूल्य में खाते में परिवर्तन पर काल्पनिक लाभ होता है, तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। जब ऋण पर पुनः बातचीत की जाती है या उसे संशोधित किया जाता है, लेकिन उसे अमान्य नहीं किया जाता है, तो कंपनी यह भी पुनर्मूल्यांकन करती है कि क्या ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। **ख) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां** **अमूर्त संपत्ति और संपत्ति ,प्लांट और उपकरण** अमूर्त संपत्ति और संपत्ति, **प्लांट** और उपकरण का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (यानी उचित मूल्य से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो) एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस CGU के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।	परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन नहीं होता है

		यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ और हानि विवरण में पहचानी जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्तियों का वहन मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक होता है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो लाभ और हानि विवरण में हानि हानि को उलट दिया जाता है। परिसंपत्ति की वहन राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती(किसी भी संचित परिशोधन या शुद्ध के रूप में) मूल्यह्रास के मामले में पूर्व वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि नहीं मानी गई थी।		यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ और हानि विवरण में पहचानी जाने वाली क्षति को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्तियों का वहन मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक होता है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को उलट दिया जाता है। परिसंपत्ति की वहन राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती (किसी भी संचित परिशोधन या मूल्यह्रास को छोड़कर) यदि पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति हानि मान्यता प्राप्त नहीं की गई होती।	परिवर्तन नहीं होता है
18	4.18	**सरकारी अनुदान और सब्सिडी** सरकारी अनुदान को मान्यता दी जाती है, जहां उचित आश्वासन है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। जब अनुदान किसी व्यय मद से संबंधित होता है, तो उसे संबंधित लागतों, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, के व्यय की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो उसे अपेक्षित उपयोगी से समान मात्रा में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।	4.18	**सरकारी अनुदान और सब्सिडी** सरकारी अनुदान को मान्यता दी जाती है, जहां इस बात का उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा तथा सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। जब अनुदान किसी व्यय मद से संबंधित होता है, तो उसे उस अवधि में व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित लागतें, जिनकी प्रतिपूर्ति करने का इरादा है, व्यय की जाती हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो उसे संबंधित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समान राशि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।	परिवर्तन नहीं होता है

		जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, तो परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य राशियों पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के लिए जारी किया जाता है, अर्थात, समान वार्षिक किश्तों द्वारा। जब सरकार या संबंधित संस्थानों द्वारा मौजूदा लागू बाजार दर से कम ब्याज दर पर ऋण या समान सहायता प्रदान की जाती है, तो इस अनुकूल ब्याज के प्रभाव को सरकारी अनुदान माना जाता है। ऋण या सहायता को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त आय के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है। (a) कंपनी सरकार और सरकारी एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान/सब्सिडी के वितरण के लिए एक चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कंपनी ऐसे अनुदान/सब्सिडी की राशि प्राप्त करती है और उन्हें संबंधित अनुदान/सब्सिडी की योजनाओं के अनुसार पात्र पक्षों को वितरित करती है। वर्ष के अंत में वितरित न किए गए अनुदान/सब्सिडी को वित्तीय देनदारियों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। जहां वितरित अनुदान/सब्सिडी संबंधित प्राप्त राशि से अधिक हो जाती है, सरकार/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि को अन्य ऋणों और अग्रिमों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। (b) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए कुछ योजनाओं के संबंध में सरकारी एजेंसियों या विकास भागीदारों के अलावा अन्य से प्राप्त अनुदानों को भी ऊपर (ए) में वर्णित तरीके से निपटाया जाता है। कुछ निर्दिष्ट योजनाओं के तहत दिए गए ऋणों पर अर्जित ब्याज को "वित्तीय देनदारियों" के तहत दिखाया जाता है और की शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।		जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, तो परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के लिए जारी किया जाता है, अर्थात, समान वार्षिक किस्तों द्वारा। जब सरकार या संबंधित संस्थानों द्वारा मौजूदा लागू बाजार दर से कम ब्याज दर पर ऋण या समान सहायता प्रदान की जाती है, तो इस अनुकूल ब्याज के प्रभाव को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण सहायता को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त आय के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है। **a)** कंपनी सरकार और सरकारी एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान/सब्सिडी के वितरण के लिए एक चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कंपनी ऐसे अनुदान/सब्सिडी की राशि प्राप्त करती है और संबंधित अनुदान/सब्सिडी की योजनाओं के अनुसार पात्र पक्षों को वितरित करती है। वर्ष के अंत में वितरित न किए गए अनुदान/सब्सिडी को वित्तीय देनदारियों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। जहां वितरित अनुदान/सब्सिडी संबंधित प्राप्त राशि से अधिक है, सरकार/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि को अन्य ऋणों और अग्रिमों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन नहीं होता है
	4.19	**कर्मचारी लाभ** (ए) भविष्य निधि, समूह बचत लिंक्ड बीमा योजना, ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना और हुडको की कर्मचारी पेंशन योजना में कंपनी के अंशदान पर व्यय को संबंधित योजनाओं की शर्तों के अनुसार उपार्जन आधार पर हिसाब में लिया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए कंपनी का दायित्व कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार एक्चुरियल रूप से निर्धारित और प्रदान किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए देयता एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि को भुगतान की जाती है। कंपनी का सिकल लीव, अर्जित अवकाश, उपहार के प्रति दायित्व 20/25/30/32 वर्ष की सेवा और सेवानिवृत्ति उपहार लाभ पर भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।	4.19	**कर्मचारी लाभ** (ए) भविष्य निधि, समूह बचत लिंक्ड बीमा योजना, ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना और हुडको की कर्मचारी पेंशन योजना में कंपनी के अंशदान पर व्यय को संबंधित योजनाओं की शर्तों के अनुसार प्रोद्भव आधार पर हिसाब में लिया जाता है और लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए कंपनी का दायित्व कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार एक्चुरियल रूप से निर्धारित और प्रदान किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए देयता एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि को भुगतान की जाती है। (बी) बीमार छुट्टी, अर्जित छुट्टी, दीर्घकालिक सेवा उपहार और सेवानिवृत्ति के प्रति कंपनी का दायित्व बीमांकिक आधार पर निर्धारित किया जाता है और भारतीय लेखा मानक 19	परिवर्तन नहीं होता है स्पष्टीकरणकर्ता

				के अनुसार प्रदान किया जाता है। कर्मचारी लाभ.	

20	4.20	**कर --IndAS 12** कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। **वर्तमान आयकर** वर्तमान आयकर को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। बाहरी लाभ या हानि से संबंधित वर्तमान आयकर को बाहरी लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के रूप में मान्यता दी जाती है। विवादित आयकर/संपत्ति कर मांगों के संबंध में, जहां कंपनी अपील में है, मामले पर अंतिम निर्णय होने पर कर का प्रावधान किया जाता है। **आस्थगित कर** आस्थगित कर, रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का आगे ले जाना संभव है। और अप्रयुक्त कर हानि का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना नहीं रह जाती कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सम्पूर्ण या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह सम्भावना हो गई है कि भावी कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूल कर सकेंगे। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस वर्ष लागू होने की उम्मीद होती है जब परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है या देयता का निपटान किया जाता है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से	4.20	**कर-IndAS 12** कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल हैं। **वर्तमान आयकर** वर्तमान आयकर को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। विवादित वर्तमान कर मांगों के संबंध में, जहां कंपनी अपील में है, कर का प्रावधान तब किया जाता है जब मामला अंतिम रूप से तय हो जाता है। **आस्थगित कर** आस्थगित कर, रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए उनकी वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और अप्रयुक्त कर घाटे के आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति का सम्पूर्ण या आंशिक उपयोग किया जा सके। अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह सम्भावना हो जाती है कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जा सकेगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस वर्ष लागू होने की उम्मीद होती है, जब परिसंपत्ति की वसूली की जाती है या देयता का निपटान किया जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर लागू या मूल रूप से लागू किए गए कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होते हैं।	परिवर्तन नहीं होता है स्पष्टीकरणक र्ता ychanges परिवर्तन नहीं होता है

		संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)।		लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त होती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)।	
		वर्तमान कर देनदारियों और संबंधित आस्थगित करों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद है एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकरण।		आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं समायोजित की जाती हैं यदि वर्तमान कर देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हैं।	
21	4.21	**लाभांश** शेयरधारकों को देय प्रस्तावित अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल क्रमशः अनुमोदित किया जाता है	4.21	**लाभांश** शेयरधारकों को देय प्रस्तावित अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।	परिवर्तन नहीं होता है
22	4.22	**प्रावधानों** प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। किसी प्रावधान को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति तभी मान्यता प्राप्त होती है जब वह वस्तुतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।	4.22	**प्रावधानों** प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, किसी अतीत की घटना के परिणामस्वरूप, यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। किसी प्रावधान को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।	परिवर्तन नहीं होता है
23	4.23	**आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां** कंपनी नहीं पहचानती आकस्मिक देयता लेकिन अपने अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है वित्तीय विवरण में आकस्मिक दायित्व का खुलासा निम्नलिखित मामले में किया जाता है: • अतीत से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व घटनाएँ,जबकि यह संभव नहीं है कि निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी दायित्व • अतीत से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व घटनाएँ, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव न हो • अतीत से उत्पन्न संभावित दायित्व घटनाएँ, जब तक कि बहिर्वाह की संभावना न हो संसाधन दूरस्थ है। • आकस्मिक सम्पत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है । आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया जाता है, जैसा कि अपेक्षित है IndAS37, जिसमें आर्थिक प्रवाह लाभ सम्भव है.	4.23	**आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां** कंपनी आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है। आकस्मिक देयता का खुलासा निम्नलिखित मामलों में किया जाता है: • अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह सम्भव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी • अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है • अतीत की घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम न हो। • आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा किया जाता है, जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।	परिवर्तन नहीं होता है
24			4.24	**"घटनाओं/सूचनाओं की मटीरिऐलिटी "** "वर्तमान वर्ष में पहचाने गए पिछले वर्षों से संबंधित घटनाओं/सूचनाओं का वित्तीय प्रभाव जो महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें वर्तमान वर्ष में शामिल किया जाता है और तुलनात्मक राशियों के पुनर्कथन के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से सही नहीं किया जाता है। घटनाओं या सूचनाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शासकीय कानूनों, नियमों, विनियमों या सिफारिशों के आधार पर। अधिकारियों।"	जोड़ना
25			4.25	**प्रति शेयर आय** प्रति शेयर मूल आय की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी	जोड़ना

				शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया तनु संभावित इक्विटी शेयरों के योग से विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित तनु इक्विटी शेयरों की संख्या को शेयर विभाजन/रिवर्स शेयर विभाजन और बोनस के लिए समायोजित किया जाता है। शेयर, जैसा उपयुक्त हो।	
26	5	**महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ।** • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और साथ ही साथ प्रकटीकरणों, साथ ही आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। • इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जिनके लिए परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होगी भविष्य में प्रभावित होने वाली अवधि। **निर्णय** कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का जोखिम है।	5	**महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ।** • भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आकलन और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिपोर्ट की गई आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। • प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है। **निर्णय** कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन होने का जोखिम है।	स्पष्टीकरणक र्ता ychanges स्पष्टीकरणक र्ता ychanges परिवर्तन नहीं होता है
27	5.1	**व्यवसाय मॉडल मूल्यांकन** • वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और माप SPPI और व्यवसाय मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। कंपनी व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो दर्शाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों की कंपनियों को एक विशेष व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कैसे प्रबंधित किया जाता है। इस मूल्यांकन में सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को दर्शाने वाला निर्णय शामिल है जिसमें परिसंपत्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और उनके प्रदर्शन को कैसे मापा जाता है, परिसंपत्तियों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले जोखिम और इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है और परिसंपत्तियों के प्रबंधकों को कैसे मुआवजा दिया जाता है। कंपनी अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की निगरानी करती है, जिन्हें उनकी परिपक्वता से पहले ही अमान्य कर दिया जाता है, ताकि उनके निपटान का कारण समझा जा सके और यह देखा जा सके कि क्या कारण उस व्यवसाय के उद्देश्य के अनुरूप हैं जिसके लिए परिसंपत्ति को रखा गया था। निगरानी कंपनी के निरंतर मूल्यांकन का हिस्सा है कि क्या वह व्यवसाय मॉडल जिसके लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियां रखी गई हैं, उपयुक्त है और यदि वह उपयुक्त नहीं है, तो क्या व्यवसाय मॉडल में कोई परिवर्तन हुआ है और इसलिए उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में कोई संभावित परिवर्तन हुआ है। **अनुमान और मान्यताएँ** • रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ, जो अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में	5.1	**व्यवसाय मॉडल मूल्यांकन** • वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और माप SPPI और व्यवसाय मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। कंपनी व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो दर्शाता है कि किसी विशेष व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की कंपनियों को एक साथ कैसे प्रबंधित किया जाता है। इस मूल्यांकन में सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को दर्शाने वाला निर्णय शामिल है जिसमें परिसंपत्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और उनके प्रदर्शन को कैसे मापा जाता है, परिसंपत्तियों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले जोखिम और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है और परिसंपत्तियों के प्रबंधकों को कैसे मुआवजा दिया जाता है। कंपनी अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की निगरानी करती है, जिन्हें उनकी परिपक्वता से पहले ही अमान्य कर दिया जाता है, ताकि उनके निपटान का कारण समझा जा सके और यह देखा जा सके कि क्या वे कारण उस व्यवसाय के उद्देश्य के अनुरूप हैं जिसके लिए परिसंपत्ति रखी गई थी। निगरानी कंपनी के निरंतर मूल्यांकन का हिस्सा है कि क्या वह व्यवसाय मॉडल जिसके लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियां रखी गई हैं, उपयुक्त है और यदि वह उपयुक्त नहीं है, तो क्या व्यवसाय मॉडल में कोई परिवर्तन हुआ है और इसलिए उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में कोई संभावित परिवर्तन हुआ है। **अनुमान और मान्यताएँ** • रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन करने का	परिवर्तन नहीं होता है

		महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम रखती हैं, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियाँ और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से परे हैं। ऐसे परिवर्तन धारणाओं में तब परिलक्षित होते हैं जब वे घटित होते हैं।		महत्वपूर्ण जोखिम रखती हैं, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए हैं। हालाँकि, भविष्य के घटनाक्रमों के बारे में मौजूदा परिस्थितियाँ और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब वे धारणाओं में परिलक्षित होते हैं	परिवर्तन नहीं होता है
28	5.2	**वित्तीय साधनों का उचित मूल्य** साधनों का उचित मूल्य है वह मूल्य जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगा या एक व्यवस्थित तरीके से हस्तांतरणीयता के लिए भुगतान किया जाएगा	5.2	**वित्तीय साधनों का उचित मूल्य** वित्तीय साधनों का उचित मूल्य वह मूल्य है जो मूलधन(या अधिकांश) में व्यवस्थित लेनदेन में हस्तांतरणीयता के लिए विक्रय परिसंपत्ति प्राप्त होगी या भुगतान किया जाएगा	परिवर्तन नहीं होता है
		वर्तमान बाजार स्थितियों (यानी, एक निकास मूल्य) के तहत माप तिथि पर मुख्य (या सबसे लाभप्रद) बाजार में लेनदेन, भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। जब बैलेंसशीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो उन्हें विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें मूल्यांकन मॉडल का उपयोग शामिल है। इन मॉडलों के इनपुट अवलोकनीय बाजारों से लिए जाते हैं, जहां संभव हो, लेकिन जहां यह व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में अनुमान की आवश्यकता होती है। निर्णय और अनुमानों में तरलता और क्रेडिट जोखिम (दोनों स्वयं के) जैसे मदों से संबंधित मॉडल इनपुट के विचार शामिल हैं और प्रतिपक्ष), सहसंबंध और अस्थिरता।		माप तिथि पर मौजूदा बाजार स्थितियों (यानी, एक निकास मूल्य) के तहत लाभप्रद) बाजार, भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो उन्हें विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें मूल्यांकन मॉडल का उपयोग शामिल है। इन मॉडलों के इनपुट अवलोकनीय बाजारों से लिए जाते हैं, जहाँ संभव हो, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ उचित मूल्य स्थापित करने में अनुमान की आवश्यकता होती है। निर्णयों और अनुमानों में तरलता और क्रेडिट जोखिम(स्वयं और प्रतिपक्ष दोनों), सहसंबंध और अस्थिरता जैसी वस्तुओं से संबंधित मॉडल इनपुट के विचार शामिल हैं।	
29	5.3	**प्रभावी ब्याज दरईआईआर) विधि** कंपनी की ईआईआर पद्धति, प्रतिफल की एक दर का उपयोग करते हुए ब्याज आय/व्यय को पहचानती है, जो दिए गए/लिए गए ऋणों के अपेक्षित व्यवहारिक जीवन पर प्रतिफल की एक स्थिर दर का सर्वोत्तम अनुमान प्रस्तुत करती है, तथा उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न चरणों और अन्य विशेषताओं (पूर्व भुगतान और दंड ब्याज और शुल्क सहित) पर संभावित रूप से भिन्न ब्याज दरों के प्रभाव को पहचानती है। इस आकलन में, स्वभावतः, उपकरणों के अपेक्षित व्यवहार और जीवन-चक्र के संबंध में निर्णय के एक तत्व की आवश्यकता होती है, साथ ही भारत की आधार दर और अन्य शुल्क आय/व्यय में अपेक्षित परिवर्तन भी शामिल होते हैं। के अभिन्न अंग .	5.3	**प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि** कंपनी की ईआईआर पद्धति, प्रतिफल की दर का उपयोग करते हुए ब्याज आय/व्यय को पहचानती है, जो दिए गए/लिए गए ऋणों के अपेक्षित व्यवहारिक जीवन पर प्रतिफल की स्थिर दर का सर्वोत्तम अनुमान प्रस्तुत करती है तथा उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न चरणों और अन्य विशेषताओं (पूर्व भुगतान और दंड ब्याज और शुल्क सहित) पर संभावित रूप से भिन्न ब्याज दरों के प्रभाव को पहचानती है। इस आकलन में, स्वभावतः, उपकरणों के अपेक्षित व्यवहार और जीवन-चक्र के संबंध में निर्णय के तत्व की आवश्यकता होती है, साथ ही भारत की आधार दर और अन्य शुल्क आय/व्यय में अपेक्षित परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है, जो उपकरण के अभिन्न अंग हैं।	परिवर्तन नहीं होता है
30	5.4	**वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति** वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी श्रेणियों में हानि हानियों के मापन के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से हानि हानियों का निर्धारण करते समय भविष्य के नकदी प्रवाह और संपार्श्विक मूल्यों की मात्रा और समय का अनुमान लगाना और ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का आकलन करना। ये अनुमान कई कारकों, परिवर्तनों द्वारा संचालित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप भत्ते के विभिन्न स्तर हो सकते हैं।	5.4	**वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति** वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी श्रेणियों में हानि के मापन के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से, हानि के निर्धारण और ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के आकलन के समय भविष्य के नकदी प्रवाह और संपार्श्विक मूल्यों की राशि और समय का अनुमान। ये अनुमान कई कारकों द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें परिवर्तन के परिणामस्वरूप भत्ते के विभिन्न स्तर हो सकते हैं।	परिवर्तन नहीं होता है

		कंपनी की ईसीएल गणनाएँ जटिल मॉडलों के आउटपुट हैं जिनमें परिवर्तनीय इनपुट के चयन और उनकी अंतर-निर्भरता के बारे में कई अंतर्निहित धारणाएँ हैं। ईसीएल मॉडल के तत्व जिन्हें लेखांकन निर्णय और अनुमान माना जाता है, उनमें शामिल हैं: - कंपनी का ग्रेडिंग मॉडल, जो व्यक्तिगत ग्रेड को पीडी प्रदान करता है - कंपनी के यह आकलन करने के मानदंड कि क्या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ऋण जोखिम और भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, को एलटीईसीएल के आधार पर मापा जाना चाहिए और गुणात्मक मूल्यांकन - वित्तीय परिसंपत्तियों का विभाजन जब उनके ईसीएल का सामूहिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है - विभिन्न सूत्रों और इनपुट के चयन सहित ईसीएल मॉडल का विकास - मैक्रोइकॉनोमिक परिदृश्यों और आर्थिक इनपुट जैसे कि बेरोजगारी के स्तर और संपार्श्विक मूल्यों के बीच संबंधों का निर्धारण, और पीडी, ईएडी और एलजीडी पर प्रभाव - दूरंदेशी समष्टि अर्थशास्त्र परिदृश्यों का चयन और उनका ईसीएल मॉडल में आर्थिक इनपुट प्राप्त करने के लिए संभाव्यता भार		कंपनी की ईसीएल गणनाएं जटिल मॉडलों के आउटपुट हैं, जिनमें परिवर्तनीय इनपुट के चयन और उनकी अंतर-निर्भरता के संबंध में कई अंतर्निहित धारणाएं हैं। ईसीएल मॉडल के तत्व जिन्हें लेखांकन निर्णयों और अनुमानों में शामिल किया जाता है, उनमें शामिल हैं: - कंपनी का ग्रेडिंग मॉडल, जो पीडी को व्यक्तिगत ग्रेड प्रदान करता है - कंपनी के मूल्यांकन के मानदंड कि क्या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ऋण जोखिम और भत्ते में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, को एलटीईसीएल के आधार पर मापा जाना चाहिए और गुणात्मक मूल्यांकन - वित्तीय परिसंपत्तियों का विभाजन जब उनके ईसीएल का सामूहिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है - विभिन्न सूत्रों और इनपुट के चयन सहित ईसीएल मॉडल का विकास - मैक्रोइकॉनोमिक परिदृश्यों और आर्थिक इनपुट जैसे कि बेरोजगारी के स्तर और संपार्श्विक मूल्यों के बीच संबंधों का निर्धारण, और पीडी, ईएडी और एलजीडी पर प्रभाव - ईसीएल मॉडल में आर्थिक इनपुट प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी मैक्रो इकॉनॉमिक परिदृश्यों और उनकी संभाव्यता भार का चयन कंपनी की नीति नियमित रूप से इसकी समीक्षा करने की रही है	
		यह कंपनी की नीति रही है कि नियमित रूप से वास्तविक हानि अनुभव के संदर्भ में अपने मॉडलों की समीक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर समायोजन करें।		वास्तविक हानि अनुभव के संदर्भ में मॉडल का उपयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर समायोजित करें।	
31	5.5	**प्रावधान और अन्य आकस्मिक देयताएँ** कंपनी विनियामक और कानूनी वातावरण में काम करती है, जिसमें स्वभाव से ही इसके संचालन में मुकदमेबाजी जोखिम का एक बढ़ा हुआ तत्व निहित है। परिणामस्वरूप, यह कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में विभिन्न मुकदमेबाजी, मध्यस्थता और विनियामक जांच और कार्यवाही में शामिल है। नुकसान की संभावना और राशि का निर्धारण करने की विषयपरकता और अनिश्चितता को देखते हुए, कंपनी कानूनी सलाह, मामले के चरण और समान घटनाओं से ऐतिहासिक साक्ष्य सहित कई कारकों को ध्यान में रखती है। महत्वपूर्ण निर्णय निष्कर्ष निकालना आवश्यक है ।	5.5	**प्रावधान और अन्य आकस्मिक देयताएं** कंपनी एक विनियामक और कानूनी माहौल में काम करती है, जिसमें स्वभाव से ही इसके संचालन में मुकदमेबाजी का जोखिम बहुत अधिक होता है। नतीजतन, यह कंपनी के कारोबार के सामान्य क्रम में विभिन्न मुकदमेबाजी, मध्यस्थता और विनियामक जांच और कार्यवाही में शामिल रहती है। हानि की संभावना और राशि का निर्धारण करने की विषयपरकता और अनिश्चितता को देखते हुए, कंपनी कानूनी सलाह, मामले की अवस्था और समान घटनाओं से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य सहित कई कारकों को ध्यान में रखती है। इन अनुमानों पर निष्कर्ष निकालने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।	परिवर्तन नहीं होता है
32	5.6	**ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व** ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों में ग्राहक को सेवाएँ हस्तांतरित करने के वादे शामिल हैं। कंपनी अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का मूल्यांकन करती है और प्रदर्शन दायित्व की पहचान करती है जिसमें डिलीवर करने योग्य चीज़ों और ऐसे डिलीवर करने योग्य चीज़ों से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की ग्राहक की क्षमता का निर्धारण करने के लिए निर्णय शामिल है। कंपनी यह निर्धारित करने में निर्णय लेती है कि किसी समय या समयावधि में निष्पादन दायित्व की पूर्ति की जाती है या नहीं। कंपनी ऐसे संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि सेवाओं के प्रदान किए जाने पर ग्राहक को किस प्रकार लाभ मिलता है या परिसंपत्ति के निर्माण के समय उसका नियंत्रण कौन करता है या आज तक निष्पादन के लिए भुगतान के लिए प्रवर्तनीय अधिकार का अस्तित्व और ऐसे संकेतकों का वैकल्पिक उपयोग। उत्पाद या सेवाओं का वितरण, ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार का हस्तांतरण, आदि।	5.6	**ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व** ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों में ग्राहक को सेवाएँ हस्तांतरित करने के वादे शामिल हैं। कंपनी अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का मूल्यांकन करती है और निष्पादन दायित्व की पहचान करती है, जिसमें डिलीवरेबल्स और ऐसे डिलीवरेबल्स से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की ग्राहक की क्षमता निर्धारित करने के लिए निर्णय शामिल है। कंपनी यह निर्धारित करने में निर्णय लेती है कि क्या प्रदर्शन दायित्व किसी समय पर या समय की अवधि में संतुष्ट है। कंपनी ऐसे संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि ग्राहक को किस तरह से लाभ मिलता है क्योंकि सेवाएँ प्रदान की जाती हैं या संपत्ति को कौन नियंत्रित करता है या प्रदर्शन के लिए भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार का अस्तित्व और ऐसे उत्पाद या सेवाओं का वैकल्पिक उपयोग, ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार का हस्तांतरण, आदि।	परिवर्तन नहीं होता है
33	5.7	**पट्टों** IndAS-116 को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है लीज़ टर्म मै स्थेनन-रद्द करने योग्यअ वधि, पट्टे को बढ़ाने या बढ़ाने के किसी भी विकल्प के साथ समायोजित किया	5.7	**पट्टों** भारतीय लेखा मानक-116 के अनुसार पट्टेदारों को पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करना आवश्यक है, जिसे पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी	परिवर्तन नहीं होता है

		गया विकल्प का उपयोग किया जाए तो पट्टा समाप्त करें उचित रूप से निश्चित है.कंपनी बनाती है अवधि पर मूल्यांकन पट्टे-दर-पट्टा आधार पर तथा उसके द्वारा मूल्यांकन क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि कोई अनुबंध को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प प्रयोग किया जाएगा. पट्टा भविष्य निर्धारित करें पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पट्टा यह शब्द वर्तमान आर्थिक स्थिति को दर्शाता है परिस्थितियों. कंपनी ने यह भी इस्तेमाल किया निम्न मूल्य निर्धारण में निर्णय भारतीय लेखा मानक के तहत दी गई परिसंपत्तियां -116.		विकल्प के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसे विकल्प का उपयोग यथोचित रूप से निश्चित है। कंपनी पट्टे-दर-पट्टा आधार पर अपेक्षित पट्टे की अवधि का आकलन करती है और इस प्रकार यह आकलन करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि अनुबंध को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। भविष्य की अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे की अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक -116 के तहत दी गई कम मूल्य वाली संपत्तियों का निर्धारण करने में भी विवेक का उपयोग किया।	
34	5.8		5.8	**आयकर** निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं , जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में राशि शामिल होती है।	जोड़ना

(b) वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

(c) वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

6.4 अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर जारीकर्ता की अन्य आकस्मिक देनदारियों का ब्यौरा, जिसमें देयता की राशि और प्रकृति शामिल है:

वित्तीय वर्ष 2024 को समाप्त होने वाले वार्षिक परिणामों के अनुसार, आकस्मिक देनदारियों और अन्य प्रतिबद्धताओं का विवरण प्रदान नहीं किया गया है:

(a) ***आकस्मिक देयताएं:***

31 मार्च, 2024 तक, जारीकर्ता की आकस्मिक देनदारियाँ कुल मिलाकर 345.00 करोड़ रुपये थीं। आकस्मिक देनदारियों में मुख्य रूप से 31.61 करोड़ रुपये की भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसएलआर डिबेंचर पर गारंटी भुगतान की मांग, विवादित आयकर और ब्याज कर मांगें, जिनके खिलाफ जारीकर्ता ने 307.91 करोड़ रुपये की राशि की अपील की है, ट्रेस पोर्टल के अनुसार 0.04 रुपये की टीडीएस मांग, विवादित सेवा कर मांगें, जिनके खिलाफ जारीकर्ता ने 3.78 करोड़ रुपये की कुल राशि की अपील की है और कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के कारण स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जुर्माना, कुल 1.64 करोड़ रुपये, जिसके लिए संबंधित एक्सचेंजों के साथ छूट आवेदन दायर किया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी यानी MoHUA से अनुरोध कर रही है और कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति या अपने बोर्ड और समितियों की संरचना को बनाए रखने का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया था/कर रही है। यह उल्लेख करना उचित है कि बीएसई ने पहले ही दिसंबर, 2019 से दिसंबर, 2020 की तिमाही के लिए कंपनी पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया है और सितंबर, 2019 और मार्च, 2021 से दिसंबर 2022 की तिमाही के लिए जुर्माना माफ करने का अनुरोध विचाराधीन है। इसके अलावा, एनएसई ने जून, 2020 से दिसंबर, 2021 तिमाही के लिए कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को पहले ही माफ कर दिया है और सितंबर, 2019 से मार्च, 2020 और मार्च 2022 से दिसंबर 2023 तिमाही के लिए जुर्माना माफ करने का अनुरोध विचाराधीन है। कंपनी शेष जुर्माना माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से संपर्क कर रही है।

(b) ***पूंजी प्रतिबद्धताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया:***

) राशि करोड़ रुपए में(

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष प्रतिबद्धताओं की अनुमानित राशि	257.70	167.82

(c) ***वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएँ:***

विवरण	31 मार्च, 2024(रुपये में)		31 मार्च, 2023 (रुपये में)	
	न्यूनतम लीज़ भुगतान	न्यूनतम लीज़ भुगतान	न्यूनतम लीज़ भुगतान	न्यूनतम लीज़ भुगतान
साल के भीतर	0.00	0.00	23,532	21,693*
एक वर्ष के बाद, लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं	-	-	-	-

कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	**0.00**	**0.00**	**23,532**	**21,693**
वित्त प्रभारों को दर्शाने वाली कम राशि	-	-	-	-
वर्तमान न्यूनतम मूल्य लीज़ भुगतान	**0.00**	**0.00**	**23,532**	**21,693**

**एमएलपी हेतु वर्तमान मूल्य 8.50% दिनांक 31.03.2024 पर विचार किया गया है।*

31.03.2024 तक कोई वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धता मौजूद नहीं है।

उपरोक्त में एंड्रयूजगंज परियोजना (एजीपी(के संबंध में कोई आकस्मिक देयता शामिल नहीं है, जो विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थता/आवंटन के निरस्तीकरण के विरुद्ध आवंटियों के दावों आदि के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि इस मामले में, हुडको केवल भारत सरकार की ओर से परियोजना निष्पादित करने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इस प्रकार, देयता (यदि कोई हो) जब भी पता लगाई जाती है/अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसे भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को दिया जाएगा और तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अलग से बनाए गए एजीपी (नो लीन एजीपी अकाउंट) से पूरा किया जाएगा।

6.5 उपरोक्त अवधि के लिए *वार्षिक रिपोर्ट/वित्तीय परिणाम कंपनी की निम्नलिखित वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध हैं :*
https://hudco.org.in//Site/FormTemplete/frmTemp1PLargeTC1C.aspx?MnId=409&ParentID=391

6.6 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए एकल एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण:

उपरोक्त अवधि के वित्तीय परिणाम कंपनी की निम्नलिखित वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://hudco.org.in//Site/FormTemplete/frmTemp1PLargeTC1C.aspx?MnId=408&ParentID=391

6.7 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण:

उक्त लेखापरीक्षित परिणामों की प्रति के लिए कृपया इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ के "अनुलग्नक-एच' 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एकल और समेकित अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण" देखें।

						(करोड़ रुपए में)
	दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन असंपरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण					
एस। नहीं।	विवरण	तिमाही समाप्त				वर्ष समाप्त
		31-12- 2024	30-09- 2024	30-06- 2024	31-03- 2024	31-03- 2024
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	आय					
मैं	**प्रचालन से राजस्व**					
1	ब्याज आय	2745.54	2459.31	2,174.60	2,001.60	7,653.21
2	लाभांश आय	0.01	7.28	0.00	0.11	5.89
3	किराये की आय	14.30	14.14	13.69	11.55	54.76
4	फीस और कमीशन आय	0.00	0.00	0.00	(0.01)	0.64
5	नेटगेन ऑन फेयर वैल्यू परिवर्तन	(0.02)	36.99	0.06	51.42	68.69
6	सेवाओं की बिक्री	0.40	0.00	0.00	0.55	1.10
	प्रचालन से कुल राजस्व	**2,760.23**	**2517.72**	**2,188.35**	**2,065.22**	**7,784.29**
II	अन्य कमाई	9.91	8.42	8.84	128.82	163.81
III	**कुल आय(I + II)**	**2,770.14**	**2526.14**	**2,197.19**	**2,194.04**	**7,948.10**
IV	**खर्च**					
1	वित्त लागत	1,762.49	1662.02	1,463.69	1,240.30	4,960.82
2	फीस और कमीशन व्यय	0.34	0.00	0.14	0.38	3.12
3	नेट लॉस फेयर वैल्यू में परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वित्तीय साधन पर क्षति और अपलिखित कटौती	(16.84)	(233.15)	(18.69)	(98.22)	(208.09)
5	कर्मचारी लाभ व्यय	60.21	65.76	39.88	98.48	232.51
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	2.63	2.54	1.96	2.48	9.86
7	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ (सीएसआर)	12.25	12.25	12.52	11.39	45.57
8	अन्य खर्चों	17.40	16.68	12.99	(3.89)	60.87
	कुल व्यय	**1,838.48**	**1,526.10**	**1,512.49**	**1,250.92**	**5,104.66**
V	**कर पूर्व लाभ/(हानि)(III- IV)**	**931.66**	**1,000.04**	**684.70**	**943.12**	**2,843.44**
VI	**कर व्यय**					
1	वर्तमानकर व्यय	182.07	136.00	126.32	159.70	510.50
2	आस्थगित कर व्यय/ (क्रेडिट)	14.56	175.42	0.63	83.26	216.20
	कुलकर व्यय	**196.63**	**311.42**	**126.95**	**242.96**	**726.70**
VII	**अवधि/वर्ष के लिए लाभ/(हानि)(V- VI)**	**735.03**	**688.62**	**557.75**	**700.16**	**2,116.74**
VIII	**अन्य व्यापक आय**					
ए	वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
1	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि का पुन: मापन	(3.64)	12.48	(16.16)	1.10	9.53
2	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.91	(3.14)	4.07	(0.28)	(2.40)
	उप-योग (ए)	**(2.73)**	**9.34**	**(12.09)**	**0.82**	**7.13**
बी i)	लाभ के लिए पुनर्वर्गीकृत की जाने वाली वस्तुएँ और नुकसान					
	-नकदी प्रवाह हेज में लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा	546.49	(93.99)	169.50	54.00	54.00

	- हेजिंग रिजर्व की लागत	(400.91)	(121.07)	(178.81)	(37.10)	(37.10)
(ii)	लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित आयकर					
	-नकदी प्रवाह हेज में लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा	(137.54)	23.66	(42.66)	(13.59)	(13.59)
	- हेजिंग रिजर्व की लागत	100.90	30.47	45.00	9.34	9.34
	उप-योग (बी(	**108.94**	**(160.93)**	**(6.97)**	**12.65**	**12.65**
	अवधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय	**106.21**	**(151.59)**	**(19.06)**	**13.47**	**19.78**
IX	**कुलव्यापक आयके लिए अवधि (VII+VIII)**	**841.24**	**537.03**	**538.69**	**713.63**	**2,136.52**
X	**चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10)**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**
XI	**31 मार्च तक लेखापरीक्षित वित्तीय खातों के अनुसार)**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**14,612.40**
XII	**निवल मूल्य**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**16,614.30**
XIII	**प्रति शेयर आय)प्रत्येक का अंकित मूल्य₹10** *(तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं है)*					
	बेसिक (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.79**	**3.50**	**10.57**
	पतला (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.79**	**3.50**	**10.57**

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी :

1		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिए उपरोक्त स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और तत्पश्चात 22 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिए इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, की अपेक्षाओं के अनुपालन में भी की गई है।
2		कंपनी के पास भारतीय लेखा मानक)इंड एएस-108) के अनुसार "ऑपरेटिंग सेगमेंट" पर अलग से रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं हैं।
3		आवश्यकताओं के अनुसार 31 दिसंबर, 2024 तक 1953.87 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2023 तक 2331.19 करोड़ रुपये) की राशि के लिए अपेक्षित क्रेडिट लोन (ईसीएल) पद्धति के अनुसार ऋणों (हानि(पर प्रावधान किया है।
4		31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, परियोजना ऋण में कोई नया एनपीए नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा, परियोजना ऋण में 3 एनपीए का समाधान किया गया है, जिसमें 8.94 करोड़ रुपये के ईसीएल प्रावधान को उलटने के साथ 20.33 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि है।
5		एंड्रयूज गंज परियोजना (एजीपी) के संबंध में, जिसे हुडको द्वारा शहरी विकास मंत्रालय (अब एमओएचयू) की ओर से एक एजेंट के रूप में निष्पादित किया जा रहा है, हुडको को पट्टे पर दी गई संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं है। इस परियोजना के कारण होने वाले व्यय और देयता, यदि कोई हो, का भुगतान हुडको के पास रखे गए नो लीन एजीपी खाते से किया जाता है। कंपनी अपने नियमित अभ्यास के अनुसार ब्याज आय और व्यय को दर्ज करना जारी रखती है। एमओएचयूए से घाटे (वसूली योग्य) की राशि पर 7.38 करोड़ रुपये की ब्याज आय 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए दर्ज की गई है। 31 दिसंबर, 2024 तक, नो लीन एजीपी खाता 618.10 करोड़ रुपये की सीमा तक घाटे (वसूली योग्य) में है, जिसमें एमओएचयूए की ओर से एचयूडीसीडी द्वारा भुगतान की गई राशि और आज की तिथि तक ब्याज शामिल है।
6		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान असाधारण या असाधारण वस्तुओं की प्रकृति में कोई लेन देन नहीं हुआ।
7		सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी **अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है** ।
8		कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 तक कंपनी द्वारा जारी और बकाया सभी सुरक्षित बांड/डिबेंचर के लिए कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के माध्यम से 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम(, 2015 के खंड 54(3) के अनुपालन में, संशोधित रूप में, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_सीआरएडीटी/सीआईआर/पी/2022/67 दिनांक 19 मई, 2022 में निर्दिष्ट प्रारूप में, 'सुरक्षा कवरेज अनुपात का विवरण' **अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।**
9		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से 1230 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है। 31 दिसंबर 2024 तक जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताए गए उद्देश्य के लिए किया गया है और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की आय के उपयोग में प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताए गए उद्देश्यों से कोई विचलन/भिन्नता नहीं हुई है। तदनुसार, विनियमन 52(7) का अनुपालन न करना& भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") की धारा (7 ए) को सेबी प्रचालन परिपत्र संख्या 155/2015 के साथ पढ़ा जाए।

		SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div1/P/CIR/2022/0000000103 दिनांक 29 जुलाई, 2022, स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के साथ दायर विवरण की एक प्रति **अनुलग्नक-सी के रूप में संलग्न है**।
10		सेबी)सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 32 के अंतर्गत निर्धारित विवरण **अनुलग्नक-डी में संलग्न किया गया है**।
11		ऋण और डेबिट प्रतिभूतियों पर बकाया चूक को बंद करने का प्रारूप **अनुलग्नक -ई में संलग्न किया गया है**।
12		कंपनी के पास अपनी प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता के साथ-साथ विभिन्न बैंकों से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध है। कंपनी की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंधों को देखते हुए, यह आकस्मिकताओं, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पर्याप्त धन जुटाना जारी रख सकती है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधार और अन्य देनदारियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी के पास समय पर अवधि के दौरान मूलधन और ब्याज दोनों ही तरह के सभी ऋण सेवा दायित्व हैं।
13		[31] दिसंबर, 2024 तक HUDCO के पास 9 निवेशक शिकायतें लंबित हैं
14		सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 63(3) के साथ पठित विनियम 33 और 52(4) की आवश्यकताओं के अनुरूप, 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के वित्तीय परिणाम बीएसई लिमिटेड (URL: www.bseindia.com/corporates), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (URL: www.nseindia.com/corporates) और कंपनी की वेबसाइट (URL: www.hudco.org.in) पर उपलब्ध हैं।
15		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाहियों के आंकड़े 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के समीक्षित आंकड़ों और 30 सितंबर, 2024 तक के समीक्षित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो वित्तीय वर्ष के आधे वर्ष का अंत है।

)करोड़ रुपए में)

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र.स.	**विवरण**	**तिमाही समाप्त**				**वर्ष समाप्त**
		31-12- 2024	**30-09- 2024**	**30-06- 2024**	**31-03- 2024**	**31-03- 2024**
		अलेखापरीक्षित	**अलेखापरीक्षित**	**अलेखापरीक्षित**	**(लेखापरीक्षित)**	**(लेखापरीक्षित)**
	आय					
मैं	**प्रचालन से राजस्व**					
1	ब्याज आय	2745.54	2459.31	2,174.60	2,001.60	7,653.21
2	लाभांश आय	0.01	7.28	0.00	0.11	5.89
3	किराये की आय	14.30	14.14	13.69	11.55	54.76
4	फीस और कमीशन आय	0.00	0.00	0.00	(0.01)	0.64
5	नेटगेनन उचित मूल्य परिवर्तन	(0.02)	36.99	0.06	51.42	68.69
6	सेवाओं की बिक्री	0.40	0.00	-	0.55	1.10
	प्रचालन से कुल राजस्व	**2,760.23**	**2,517.72**	**2,188.35**	**2,065.22**	**7,784.29**
II	अन्य कमाई	9.91	8.42	8.84	128.82	163.81
III	**कुल आय(I + II)**	**2,770.14**	**2526.14**	**2,197.19**	**2,194.04**	**7,948.10**
IV	**खर्च**					
1	वित्त लागत	1,762.49	1,662.02	1,463.69	1,240.30	4,960.82
2	फीस और कमीशन व्यय	0.34	0.00	0.14	0.38	3.12
3	नेट लॉस फेयर वैल्यू में परिवर्तन	0.00	0.00	-	-	-
4	वित्तीय साधन और बट्टे खाते में डाली गई राशि पर हानि	(16.84)	(233.15)	(18.69)	(98.22)	(208.09)
5	कर्मचारी लाभ खर्च	60.21	65.76	39.88	98.48	232.51
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	2.63	2.54	1.96	2.48	9.86
7	कॉर्पोरेट विशेष जिम्मेदारियां (सीएसआर)	12.25	12.25	12.52	11.39	45.57
8	अन्य खर्चों	17.40	16.68	12.99	(3.89)	60.87

	कुल व्यय	**1,838.48**	**1,526.10**	**1,512.49**	**1,250.92**	**5,104.66**
V	**कर से पहले लाभ/(हानि और सहयोगी के शेयर से पहले**	**931.66**	**1,000.04**	**684.70**	**943.12**	**2,843.44**
	लाभ/(हानि) में हिस्सा संबंद्ध करना	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.05)
	कर से पहले लाभ/(हानि	**931.66**	**1,000.04**	**684.70**	**943.12**	**2,843.39**
VI	**कर व्यय**					
1	वर्तमान कर व्यय	182.07	136.00	126.32	159.70	510.50
2	आस्थगित कर व्यय/)क्रेडिट)	14.56	175.42	0.63	83.26	216.20
	कुलकर व्यय	**196.63**	**311.42**	**126.95**	**242.96**	**726.70**
VII	**अवधि/वर्ष के लिए लाभ/(हानि)(V-VI)**	**735.03**	**688.62**	**557.75**	**700.16**	**2,116.69**
VIII	**अन्य व्यापक आय**					
ए	वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
1	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि का पुनः मापन	(3.64)	12.48	(16.16)	1.10	9.53
2	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा लाभ या हानि	0.91	(3.14)	4.07	(0.28)	(2.40)
	उप-योग (ए)	(2.73)	9.34	(12.09)	0.82	7.13
बी (i)	वे वस्तुएं जिन्हें लाभ के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा नुकसान					
	-नकदी प्रवाह में लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा बाड़ा	546.49	(93.99)	169.50	54.00	54.00
	- हेजिंग रिजर्व की लागत	(400.91)	(121.07)	(178.81)	(37.10)	(37.10)
(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा					
	-प्रभावी भाग हेज में लाभ/(हानि)	(137.54)	23.66	(42.66)	(13.59)	(13.59)
	- हेजिंग रिजर्व की लागत	100.90	30.47	45.00	9.34	9.34
	उप-योग (बी)	108.94	(160.93)	(6.97)	12.65	12.65
	अवधि के लिए कुलअन्यव्यापकआय	**106.21**	**(151.59)**	**(19.06)**	**13.47**	**19.78**
IX	**अवधि के लिए कुल समग्र आय (VII+VIII)**	**841.24**	**537.03**	**538.69**	**713.63**	**2,136.47**
X	**चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य (₹10 प्रत्येक)**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**
XI	**अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व(जैसा कि लेखापरीक्षित है वित्तीय लेखा 31 मार्च**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**14610.66**
XII	**निवल मूल्य**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**16612.56**
XIII	**प्रति शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10)** *(तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं है)*					
	बेसिक (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.79**	**3.50**	**10.57**
	पतला (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.79**	**3.50**	**10.57**
वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी :						

1		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिए उपरोक्त समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और तत्पश्चात 22 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिए इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, की आवश्यकताओं के अनुपालन में भी की गई है।
2		समेकित वित्तीय परिणामों में कंपनी और एक सहयोगी कंपनी मेसर्स सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (एसयूआईडीएल) के वित्तीय परिणाम शामिल हैं। सहयोगी कंपनी में निवेश को इक्विटी पद्धति के तहत इंड एएस-28 के अनुसार दर्ज किया जाता है। सहयोगी कंपनी के खाते ऑडिट नहीं किए गए हैं। स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के आंकड़े समान रहते हैं क्योंकि सहयोगी कंपनी का घाटा नगण्य है और करोड़ों में रूपांतरण पर इसे "शून्य" के रूप में पूर्णांकित किया जाता है।
3		कंपनी के पास "ऑपरेटिंग सेगमेंट" पर भारतीय लेखा मानक (IndAS-108) के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं
4		कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 तक अपेक्षित ऋण ऋण (ईसीएल) पद्धति के अनुसार 1953.87 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2023 तक 2331.19 करोड़ रुपये) के ऋण (बाधा) का प्रावधान किया है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
5		31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, प्रोजेक्ट लोन में कोई नया एनपीए नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा, प्रोजेक्ट लोन में 3 एनपीए का समाधान किया गया है, जिसमें 20.33 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि है और 8.94 करोड़ रुपये के ईसीएल प्रावधान को उलट दिया गया है।
6		आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (अब MoHUA) की ओर से हुडको द्वारा एजेंट के रूप में क्रियान्वित किए जा रहे एंड्रयूज गंज प्रोजेक्ट (AGP) के संबंध में, हुडको को पट्टे पर दी गई संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं है। इस परियोजना के कारण होने वाले व्यय और देयता, यदि कोई हो, का भुगतान हुडको के पास रखे गए नो लीन एजीपी खाते से किया जाता है। कंपनी ने अपने नियमित अभ्यास के अनुसार ब्याज आय और व्यय को दर्ज करना जारी रखा है। 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए MoHUA से घाटे (वसूली योग्य) की राशि पर 7.38 करोड़ रुपये की ब्याज आय दर्ज की गई है। 31 दिसंबर, 2024 तक, नो लीन एजीपी खाता 618.10 करोड़ रुपये की सीमा तक घाटे (वसूली योग्य) में है, जिसमें MoHUA की ओर से हडको द्वारा भुगतान की गई राशि और आज की तिथि तक ब्याज शामिल है।
7		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान असाधारण या असाधारण वस्तुओं की प्रकृति में कोई लेनदेन नहीं हुआ
8		सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी **अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है** ।
9		कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 तक कंपनी द्वारा जारी और बकाया सभी सुरक्षित बांड/डिबेंचर के लिए कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा है। संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम), 2015 के खंड 54(3) के अनुपालन में, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में 'सुरक्षा कवरेज अनुपात का विवरण', सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_सीआरएडीटी/सीआईआर/पी/2022/67 दिनांक 19 मई, 2022 में निर्दिष्ट प्रारूप में **अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।**
10		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से 1230 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है। 31 दिसंबर 2024 तक जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज़ों/सूचना ज्ञापन में बताए गए उद्देश्य के लिए किया गया है और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की आय के उपयोग में प्रस्ताव दस्तावेज़ों/सूचना ज्ञापन में बताए गए उद्देश्यों से कोई विचलन/भिन्नता नहीं हुई है। तदनुसार, सेबी प्रचालन परिपत्र संख्या 10/2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ(विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियमन 52(7) और (7ए) का अनुपालन नहीं किया गया। सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस_डिव 1/पी/सीआईआर/2022/0000000103 दिनांक 29 जुलाई 2022 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज(ओं) में दाखिल विवरण की एक प्रति **अनुलग्नक-सी के रूप में संलग्न है** ।
11		सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं(विनियम, 2015 के विनियम 32 के अंतर्गत निर्धारित विवरण **अनुलग्नक-डी में संलग्न किया गया है** ।
12		ऋण और डेबिट प्रतिभूतियों पर बकाया चूक को बंद करने का प्रारूप **अनुलग्नक -ई में संलग्न किया गया है** ।
13		कंपनी के पास अपनी प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता के साथ-साथ विभिन्न बैंकों से पर्याप्त अप्रयुक्त ऋण भी उपलब्ध है। कंपनी की उच्च ऋण पात्रता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंधों को देखते हुए, यह किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पर्याप्त धन जुटाना जारी रख सकती है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अन्य देनदारियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी के पास समय पर मूलधन और ब्याज दोनों के सभी ऋण सेवा दायित्व हैं।
14		31 दिसंबर, 2024 तक HUDCO के पास 9 निवेशक शिकायतें लंबित हैं
15		सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52(4) की आवश्यकताओं के अनुरूप, 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ महीनों के वित्तीय परिणाम बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (URL: www.bseindia.com/corporates), राष्ट्रीय पर उपलब्ध हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (URL: www.nseindia.com/corporates) और कंपनी की वेबसाइट (URL: www.hudco.org.in) पर

16		31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के समीक्षित आंकड़ों और 30 सितंबर, 2024 तक के समीक्षित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन आंकड़े हैं , जो वित्तीय वर्ष के आधे वर्ष का अंत है।

6.8 प्रचालन के प्रमुख एवं वित्तीय मापदंड :

30 सितंबर,2024 को समाप्त तिमाही और 2024, 2023 और 2022 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के कुछ प्रमुख वित्तीय और प्रचालन संकेतक नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	30 सितंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए (अनऑडिटेड)		Ason/Fo31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए (लेखापरीक्षित)		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए (लेखापरीक्षित)		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए (लेखापरीक्षित)	
	स्टैंडअलोन	समेकित	स्टैंडअलोन	समेकित	स्टैंडअलोन	समेकित	स्टैंडअलोन	समेकित
बैलेंसशीट								
संपत्ति								
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	53.68	53.68	55.98	55.98	61.92	61.92	74.38	74.38
वित्तीय संपत्ति	113470.62	113468.88	92,963.31	92,961.57	80,526.32	80,524.63	78,436.92	78,435.42
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को छोड़कर गैर-वित्तीय संपत्ति	396.84	396.84	404.79	404.79	382.72	382.72	383.87	383.87
कुल संपत्ति	113470.62	131919.40	93,424.08	93,422.34	80,970.96	80,969.27	78,895.17	78,893.67
देनदारियां								
वित्तीय देनदारियां								
-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	-		-	-	-	-	-	-
-व्यापार देय	7.91	7.91	14.28	14.28	0.05	0.05	0.09	0.09
-ऋण प्रतिभूतियां	47928.65	42146.27	42,146.27	42,146.27	48,192.09	48,192.09	54,450.18	54,450.18
-जमा सहित उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	45636.68	45636.67	31,849.63	31,849.63	14,712.99	14,712.99	7,052.86	7,052.86
अधीनस्थ देनदारियां	-	-			-	-	-	-
-अन्य वित्तीय देनदारिया	1453.68	1453.68	1,121.67	1,121.67	1211.64	1211.64	1,653.46	1,653.46
-गैर-वित्तीय देनदारियां								
-वर्तमान कर देनदारियां	-		46.11	46.11	14.56	14.56	7.51	7.51
--प्रावधान	374.39	374.39	359.14	359.14	342.52	342.52	339.44	339.44
-आस्थगित कर देनदारियां	1347.11	1347.11	1,228.45	1,228.45	1006.12	1006.12	843.61	843.61
-अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां	48.37	48.37	44.23	44.23	45.74	45.74	79.70	79.70
-इक्विटी (इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी)	17124.35	17122.61	16,614.3	16612.56	15,445.25	15,443.56	14,468.32	14,466.82
-कुल देनदारियां और इक्विटी	113921.14	113919.40	93,424.08	93,422.34	80,970.96	80,969.27	78,895.17	78,893.67
लाभ और हानि								
संचालन से राजस्व	2517.72	2517.72	7,784.29	7,784.29	7,049.46	7,049.46	6,954.08	6,954.08
अन्य आय	8.42	8.42	163.81	163.81	36.72	36.72	43.58	43.58
कुल आय	2526.14	2526.14	7948.10	7948.10	7,086.18	7,086.18	6,997.66	6,997.66
कुल व्यय	1526.10	1526.10	5,104.66	5,104.66	4,796.77	4,796.77	4,651.72	4,651.72
कर के बाद लाभ वर्ष	688.62	688.62	2,116.74	2,116.69	1,701.62	1,701.43	1,716.60	1,716.41
अन्य व्यापक आय	(151.59)	(151.59)	19.78	19.78	24.74	24.74	(1.92)	(1.92)
कुल व्यापक आय	537.03	537.03	2,136.47	2,136.47	1,726.17	1,726.36	1,714.68	1,714.49
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये)								
जारी संचालन								
-बेसिक	3.44	3.44	10.57	10.57	8.50	8.50	8.57	8.57
-पतला	3.44	3.44	10.57	10.57	8.50	8.50	8.57	8.57
बंद संचालन							-	-
कुल जारी और बंद संचालन	3.44	3.44	10.57	10.57	8.50	8.50	8.57	8.57
नकदी प्रवाह								
प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी	(18601.51)	(18601.51)	(10,286.69)	(10,286.74)	(850.48)	(850.67)	(805.74)	(805.93)
निवेश गतिविधियों में उपयोग की गई/उत्पन्न शुद्ध नकदी	(478.88)	(478.88)	435.04	435.09	(352.60)	(352.41)	(1.12)	(0.93)
वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की गई शुद्ध नकदी	19090.06	19090.06	10173.70	10173.70	690.92	690.92	80.73	80.73
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि	9.67	9.67	322.05	322.05	(512.16)	(512.16)	(726.13)	(726.13)
नकदी और नकदी समकक्ष-प्रारंभिक शेष	369.88	369.88	47.83	47.83	559.99	559.99	1,286.12	1,286.12
नकदी और नकदी समकक्ष-समापन शेष	379.55	379.55	369.88	369.88	47.83	47.83	559.99	559.99
नकदी प्रवाह के विवरण के अनुसार शेष	379.55	379.55	369.88	369.88	47.83	47.83	559.99	559.99

ADDITIONALINFORMATIO

नकद और नकद समतुल्य नकद और नकद के अलावा बैंक शेष राशि सहित समतुल्य	379.55	379.55	387.36	387.36	68.85	68.85	643.93	643.93
ऋण								
ऋण)मूल राशि)	93364.67	93364.67	91365.05	91365.05	80,743.32	80,743.32	78,512.98	78,512.98
कुलऋणसेकुलपरिसपत्तियाँ	81.95%	81.95%	79.00%	79.00%	77.68%	77.68%	77.95%	77.96%
ब्याज आय *2*	2459.31	2459.31	2001.60	2001.60	6,989.41	6,989.41	6,894.80	6,894.80
ब्याज व्यय *3*	1662.02	1662.02	1,240.30	1,240.30	4,511.87	4,511.87	4,534.77	4,534.77
वित्तीय साधनों पर हानि			(98.22)	(98.22)	(73.69)	(73.69)	(245.66)	(245.66)
Baddebts to खाता प्राप्य अनुपात								
%स्टेज 3 ऋण(मूलधन)सकल एनपीए (%)	2.04	2.04	2.71	2.71	3.42	3.42	3.58%	3.58%
%नेटस्टेज 3 ऋण (प्रधान)नेटएनपीए (%)	0.31	0.31	0.36	0.36	0.52	0.52	0.51%	0.51%
टियरआईपूंजीपर्याप्तताअनुपात (%)	57.65	57.65	57.65	57.65	73.63	73.63	64.65	64.65
टियर II पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.16	0.16	0.14	0.14

6.3 ऋण इक्विटी अनुपात (स्टैंडअलोन आधार पर)

विवरण	मुद्दे से पहले 31 दिसंबर, 2024 (राशि करोड़ रुपए में)	पोस्ट-इश्यू* (राशि करोड़ रुपए में)
अल्पावधि ऋण	7,897.20	7,897.20
लंबी अवधि के लोन	98,662.39	1,00,662.39
कुल ऋण	1,06,559.59	1,08,559.59
शेयरधारक निधि		
शेयर पूंजी	2001.9	2001.9
भंडार और अधिशेष	15963.69	15963.69
कुल शेयरधारकों का धन	17965.59	17965.59
दीर्घकालिक ऋण/ इक्विटी	5.49	5.60
कुल ऋण/ इक्विटी	5.93	6.04

- ** 2000 करोड़ रुपये के कर योग्य एनसीडी के वर्तमान निर्गम पर विचार करते हुए तथा यह मानते हुए कि हमारे शेयरधारकों के फंड, अल्पकालिक ऋण तथा अन्य दीर्घकालिक ऋण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।*

6.10 पिछले 3(तीन) वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2024, 2023 और 2022 के लिए कंपनी द्वारा घोषित लाभांश को दर्शाती है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2022
लाभांश घोषित/भुगतान (राशि करोड़ में)	830.79	770.73	700.67

.

6.11 पिछले तीन वर्षों के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण

निम्नलिखित तालिकाएँ वित्तीय वर्ष, 2024,2023 और 2022 के लिए ब्याज कवरेज अनुपात निर्धारित करती हैं:

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2022
ब्याज कवरेज अनुपात*	1.57	1.51	1.52

**ब्याज कवरेज अनुपात की गणना पीबीआईटी को ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। हालाँकि, आरबीआई के साथ पंजीकृत बैंकों/एनबीएफसी/एचएफसी के लिए ब्याज कवरेज अनुपात के प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं है।*

6.12 मुख्य सूचना दस्तावेज के प्रचालन की तारीख से तुरंत पहले के तीन वित्तीय वर्षों के लिए कर के लिए प्रावधान करने से पहले और बाद में कंपनी का लाभ ।

((राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2022
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (करोड़ रुपए में)	2843.44	2,289.41	2,345.94
कर पश्चात लाभ (पीएटी) (करोड़ रुपये में)	2116.74	1,701.62	1716.60

VII. इतिहास और कुछ कॉर्पोरेट मामले

7.1 हमारी कंपनी को 25 अप्रैल 1970 को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और इसका प्रमाण पत्र दिया गया था। तत्कालीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली द्वारा निगमन। इसके बाद हमारी कंपनी का नाम बदलकर उसका वर्तमान नाम कर दिया गया और 9 जुलाई, 1974 को तत्कालीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा द्वारा निगमन का नया प्रमाणपत्र जारी किया गया। हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या L74899DL1970GOI00527 है। हमारी कंपनी को 9 दिसंबर, 1996 को कंपनी अधिनियम की धारा 4 ए के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था।

7.2 प्रमुख घटनाएँ

वर्ष	विवरण
1970	का निगमन .
1974	कंपनी में परिवर्तित
1977	ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण आवास योजनाओं की शुरूआत ।
1980	योजना शुरू की गई
1981	क्षेत्रीय कार्यालय खोलना
1985	मानव निपटान प्रबंधन संस्थान, चार कंपनी के अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना की।
1988	शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की शुरुआत हुई।
1994	वाणिज्यिक और आवास योजनाओं के लिए निजी क्षेत्र को वित्तपोषित करना शुरू किया
1996	कंपनी मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित।
1998	'2 मिलियन आवास कार्यक्रम' में शामिल
1999	तहत खुदरा वित्तपोषण शुरू किया ।
2004	श्रेणी-1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए " *मिनी रत्न " का दर्जा प्रदान किया गया।*
2011	पीएटी500 करोड़ रुपये पार
2012	• पीएटी 600 करोड़ रुपए को पार कर गया। • वर्ष 2011-2012 के लिए सीबीडीटी द्वारा अपने बजटीय आवंटन के अनुसार कर-मुक्त बांड जारी करके 5,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिनमें कर-मुक्त बांड के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई 4,684.72 करोड़ रुपए शामिल हैं।
2013	• पीएटी 700 करोड़ रुपए को पार कर गया। • वर्ष 2012-2013 के लिए सीबीडीटी द्वारा अपने बजट आवंटन में आवंटित कर-मुक्त बांड के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 2,401.35 करोड़ रुपये जुटाए गए।
2014	वर्ष 2013-2014 के लिए सीबीडीटी द्वारा अपने बजटीय आवंटन के अनुसार कर-मुक्त बांड जारी करके 4,987.12 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिनमें कर-मुक्त बांड के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई 4,796.32 करोड़ रुपए शामिल हैं।
2016	वर्ष 2015-2016 के लिए सीबीडीटी द्वारा अपने बजटीय आवंटन में आबंटित कर-मुक्त बांडों के निर्गम के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिनमें कर-मुक्त बांडों के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई 3,500 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।
2017	• पीएटी 800 करोड़ रुपए को पार कर गया। • आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ): हमारी कंपनी ने 12 मई, 2017 को एक प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की कीमत पर नकद के लिए 20,40,58,747 इक्विटी शेयरों का आईपीओ किया था, जो कुल मिलाकर 1,209.57 करोड़ रुपये था। उक्त आईपीओ में हमारे प्रमोटर द्वारा 20,40,58,747 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, उक्त आईपीओ में जनता के लिए 20,01,90,000 इक्विटी शेयरों का शुद्ध निर्गम और कुछ पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए 38,68,747 इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल था। आईपीओ 8 मई, 2017 को खुला और 11 मई, 2017 को बंद हो गया। आईपीओ में आवंटित इक्विटी शेयरों में एनएसई और बीएसई में कारोबार 19 मई, 2017 को शुरू हुआ। विनिवेश के बाद, भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता को घटाकर 89.81% कर दिया गया है, जिसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः 69.08% तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 20.73% रखा गया है।
2019	• वर्ष के दौरान 31,008 करोड़ रुपये का संवितरण, स्थापना के बाद से सर्वाधिक। • पीएटी 1,100 करोड़ रुपये पार
2020	• शुद्ध लाभ में 45.00% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 20 में 1,708.42 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 1,180.15 करोड़ रुपये था। • निवल संपत्ति में 13.00% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 20 में 12,343.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 19 में 10,955.77 करोड़ रुपये थी। • शुद्ध कुल आय में भी 35.00% की वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 20 में 7571.64 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 19 में 5591.22 करोड़ रुपये थी।
2021	• भारत के राष्ट्रपति, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्रमोटर होने के नाते, भारत सरकार ने जुलाई और अगस्त, 2021 में ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से हुडको में अपनी हिस्सेदारी का 8% (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य के 16,01,63,774 इक्विटी शेयर) का और विनिवेश किया है। विनिवेश के बाद, हुडको में भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता 89.81% से घटकर 81.81% हो गई है। हुडको में वर्तमान शेयरधारिता है-भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से MoHUA और MoRD क्रमशः 61.08% और 20.73% है तथा सार्वजनिक शेयरधारिता 18.19% है।
2022	• अब तक का सर्वाधिक 1716.60 करोड़ रुपये का कर पूर्व भुगतान
2023	• भारत सरकार के राष्ट्रपति, MoHUA के माध्यम से प्रमोटर होने के नाते, अक्टूबर 2023 में ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से HUDCO में अपनी हिस्सेदारी का 6.64% (13,28,82,211 इक्विटी शेयर, 10 रुपये के अंकित मूल्य पर) विनिवेश

	कर चुके हैं। इस विनिवेश के बाद, HUDCO में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी 81.81% से घटकर 75.17% हो गई है। HUDCO में वर्तमान हिस्सेदारी-भारत के राष्ट्रपति MoHUA और MoRD क्रमशः 54.44% और 20.73% है और सार्वजनिक शेयरधारिता- 24.83% है।
2024	• 18 अप्रैल, 2024 को "नव -*रत्न स्थिति " से सम्मानित किया गया।* • अब तक का सर्वाधिक 2116.74 करोड़ रुपये का कर पूर्व भुगतान
वर्ष	**विवरण**
	• 23.08.2024 को हुडको को एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया है ।

7.3 पुरस्कार और मान्यताएँ

हमारी कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार और मान्यताएँ जीती हैं। कुछ प्रमुख पुरस्कार और मान्यताएँ इस प्रकार हैं:

- मानव बस्तियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1991 में संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों कार्यक्रम से ' **यूएन-हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर ' प्राप्त किया।**
- वर्ष 2000 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का एमओयू पुरस्कार (1998-1999) प्राप्त किया, क्योंकि यह प्रदर्शन के मामले में शीर्ष दस सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में शामिल था।
- वर्ष 2000 में जम्मू के सैटेलाइट टाउनशिप के डिजाइन के लिए 'शहरी नियोजन और डिजाइन के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार' प्राप्त किया।
- उद्यम के लिए ' **मिनी-रत्न दर्जा** ' प्रदान किया गया।
- 2024 को **"नव-रत्न दर्जा** " प्रदान किया गया

7.4 हमारे मुख्य उद्देश्य

हमारे मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हमारे एसोसिएशन के ज्ञापन के खंड III (ए) में निहित है, निम्नलिखित हैं:

1. शहरी विकास पर विशेष जोर देते हुए आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों को वित्त/ऋण सुविधा प्रदान करना।
2. भारत और विदेशों में नए/उपनगरों की स्थापना सहित आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तपोषण करना, कार्य करना या सहयोग करना।
3. आवास एवं अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण के उद्देश्य से जारी किए गए ऋणपत्रों एवं बांडों में निवेश करना।
4. निर्माण सामग्री के औद्योगिक उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तपोषण या कार्य करना ।
5. भारत सरकार और अन्य स्रोतों से समय-समय पर अनुदान के रूप में या अन्यथा प्राप्त धनराशि को देश में आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों को चैनलाइज़ करने या वित्तपोषित करने या उनके विकास में सहायता करने के प्रयोजनों के लिए प्रशासित करना।
6. भारत एवं विदेशों में आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करना, स्थापित करना, सहायता करना, सहयोग करना एवं प्रदान करना।
7. आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों से संबंधित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और/या अवसंरचना निवेश ट्रस्ट(इन्विट) के यूनिटों/शेयरों आदि का व्यवसाय शुरू करना, या उनमें निवेश करना और/या उनकी खरीद करना तथा इन क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में नवाचारों को सुविधाजनक बनाना।
8. आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र/उप-क्षेत्रों के लिए हुडको के अपने म्यूचुअल फंड की स्थापना करना और/या म्यूचुअल फंड की इकाइयों आदि में निवेश करना और/या सदस्यता लेना।

हमारे एसोसिएशन के ज्ञापन के मुख्य उद्देश्यों का खंड और मुख्य उद्देश्यों से संबद्ध या सहायक उद्देश्य हमें अपनी विद्यमान गतिविधियों और उन गतिविधियों को करने में सक्षम बनाते हैं जिनके लिए इस अंक के माध्यम से धन जुटाया जा रहा है।

7.5 होल्डिंग कंपनी

हमारी कंपनी में कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

7.6 हमारे प्रमोटर

हमारे प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति हैं। हमारे प्रमोटर के पास चार कंपनियों की 75.00% इक्विटी शेयर पूंजी है, या तो सीधे या नामित शेयरधारकों के माध्यम से।

कंपनी में आज तक की तारीख तक प्रमोटर होल्डिंग इस प्रकार है:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या अभौतिकीकृत रूप	इक्विटी की संख्या गिरवी रखे गए शेयर	इक्विटी का प्रतिशत गिरवी रखे गए शेयर	कुल शेयरधारिता कुल का प्रतिशत इक्विटी शेयरों की संख्या
1.	भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) MoHUA और MoRD के माध्यम से कार्य करना	1,50,14,25,000	1,50,14,25,000	-	-	75.00%
	कुल	1,50,14,25,000	1,50,14,25,000	-	-	75.00%

7.7 ***पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हमारे प्रमोटरों को आवंटित शेयरों का विवरण***

शून्य

7.8 ***कंपनी के प्रत्येक प्रमोटर द्वारा पहले से रखे गए शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय***

	इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य (करोड़ रु.)	निर्गम मूल्य (करोड़ रु.)	प्रतिफल (नकद, नकदी के अलावा, आदि)	आवंटन की प्रकृति
17.05.2017	204058747	204.06	1209.78	ना	आरंभिक सार्वजनिक पेशकश- भारत सरकार द्वारा विनिवेश 10.19% तक की शेयरधारिता

भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्रमोटर होने के नाते भारत के राष्ट्रपति ने जुलाई और अगस्त 2021 में हुडको में अपनी हिस्सेदारी का 8% (प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के 16,01,63,774 इक्विटी शेयर) ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश किया है। विनिवेश के बाद हुडको में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी 89.81% से घटकर 81.81% रह गई है।
इसके अलावा, भारत सरकार के राष्ट्रपति, MoHUA के माध्यम से प्रमोटर होने के नाते, अक्टूबर 2023 में बिक्री के लिए प्रस्ताव (OFS) के माध्यम से HUDCO में अपनी हिस्सेदारी का 6.64% (13,28,82,211 इक्विटी शेयर, 10 रुपये के अंकित मूल्य पर) और बेच दिया है। इस विनिवेश के बाद, HUDCO में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी 81.81% से घटकर 75.17% हो गई है।HUDCO में MoHUA और MoRD के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की वर्तमान हिस्सेदारी क्रमशः 54.44% और 20.73% है और सार्वजनिक हिस्सेदारी -25.00% है।

7.9 ***हमारी सहायक कंपनियां***

हमारी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

7.10 ***हमारे सहयोगी और संयुक्त उद्यम***

हुडको की एक सहयोगी कंपनी है जिसका नाम है "इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड")IBHL)। हुडको ने IBHL में 2.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है (इसकी चुकता पूंजी का 25%)। हुडको की पुस्तकों में उक्त निवेश मात्र 1 रुपए पर दिखाई दे रहा है। IBHL ने अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि मूल बैंक के साथ IBHL के विलय का पिछला निर्णय IBHL बोर्ड द्वारा उस समय की स्थिति को देखते हुए लिया गया था। IBHL ने आवास वित्त व्यवसाय के पुनरुद्धार की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दी गई है। कंपनी ने भारतीय बैंक की ऋण देनदारियों को 0.01% की दर वाले अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (CCPS) में परिवर्तित करके पूंजी के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए हैं।130 करोड़ रुपये। हालाँकि, आरबीआई की अपेक्षित अनुमति नहीं मिल पाई और इसलिए ऋण देयता को सीसीपीएस में परिवर्तित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, हमारी कंपनी ने चार संयुक्त उद्यम समझौते किए हैं जिनके तहत निम्नलिखित कंपनियों को शामिल किया गया है:

1. सृष्टिअर्बनइंफ्रास्ट्रक्चरडेवलपमेंट लिमिटेड.

2. प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड.
3. सिग्नाइन्फ्रास्ट्रक्चरइंडिया लिमिटेड।

हालांकि, 8 अप्रैल 2015 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने निर्णय लिया कि उन उपक्रमों से बाहर निकलने की संभावना नहीं है जहां कंपनी की इक्विटी भागीदारी है और कोई रिटर्न नहीं दे रही है या जहां उपक्रम गैर-लाभकारी हैं।

कार्यात्मक/अव्यवहार्य के संबंध में जांच की गई और तदनुसार 11 नवंबर 2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों से बाहर निकलने को मंजूरी दी गई।

समझौतों का विवरण नीचे दिया गया है:

a) सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("सृष्टि") और हमारी कंपनी के बीच 2 जून 2005 को संयुक्त उद्यम समझौता

सृष्टि और हमारी कंपनी ने सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (एसयूआईडी) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता किया, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, भारत और विदेशों में आवास, वाणिज्यिक, सामाजिक और शहरी विकास सुविधाओं के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण और पर्यटन और मनोरंजन बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के विकास जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न सरकारी निकायों के साथ समझौता और संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में प्रचार, स्थापना, निर्माण और कार्य करना है।

संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार, हमारी कंपनी और सृष्टि के पास क्रमशः एसयूआईडीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का 40% और 60% हिस्सा होगा। जबकि सृष्टि के पास एसयूआईडीएल में अपनी शेयरधारिता को एसयूआईडीएल के कारोबार के शुरू होने की तारीख से तीन साल बाद ही बेचने का विकल्प होगा, हमारी कंपनी के पास किसी भी समय एसयूआईडीएल में अपनी शेयरधारिता को बेचने का विकल्प होगा। हालाँकि, किसी भी पक्ष द्वारा बिक्री के मामले में, शेयर पहले एसयूआईडीएल के दूसरे मौजूदा शेयरधारक को पेश किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार, हमारी कंपनी एसयूआईडीएल द्वारा किए जाने वाले असाइनमेंट के लिए डिजाइनिंग और ड्राइंग सहित तकनीकी पहलुओं पर परामर्श प्रदान करेगी। एसयूआईडीएल द्वारा किए जाने वाले निर्माण, विकास और अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी श्रीष्टि पर होगी। इसके अलावा, एसयूआईडीएल को अपनी मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में हमारी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

b) प्रगति ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ("प्रगति") और हमारी कंपनी के बीच 29 मार्च, 2005 को संयुक्त उद्यम समझौता

प्रगति और हमारी कंपनी ने प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड ("पीएसआईडीएल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता किया, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण में सहायता करना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए औद्योगिक और अन्य उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार, हमारी कंपनी और प्रगति के पास पीएसआईडीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का क्रमशः 26% और 74% हिस्सा होगा। हमारी कंपनी के पास पीएसआईडीएल के कारोबार के शुरू होने की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी समय पीएसआईडीएल में अपनी शेयरधारिता बेचने का विकल्प होगा, बशर्ते कि शेयर पहले प्रगति को पेश किए जाएँ।

इसके अलावा, संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार, पीएसआईडीएल में हमारी कंपनी की भूमिका पीएसआईडीएल द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करना होगी। प्रगति व्यवसाय को विकसित करने और अन्य पक्षों के साथ रणनीतिक गठजोड़ करने की जिम्मेदारी उठाएगी।

c) मार्ग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ("मार्ग") और हमारी कंपनी के बीच 22 मई 2006 को संयुक्त उद्यम समझौता

एसआईआईएल ") के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता किया, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, आवास, वाणिज्यिक, सामाजिक और शहरी विकास सुविधाओं के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण और भारत और विदेशों में पर्यटन और मनोरंजन बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के विकास जैसे बुनियादी

ढांचे के विकास के लिए विभिन्न सरकारी निकायों के साथ समझ और संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में प्रचार, स्थापना, निर्माण और कार्य *करना* है।

संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार, हमारी कंपनी और मार्ग एसआईआईएल की इक्विटी शेयर पूंजी का क्रमशः 26% और 74% हिस्सा रखेंगे। दोनों पक्षों के पास एसआईआईएल के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने की तारीख से तीन साल बाद किसी भी समय आपसी सहमति से एसआईआईएल में रखे गए अपने संबंधित इक्विटी शेयरों को बेचने का विकल्प होगा। हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा बिक्री के मामले में, शेयर पहले एसआईआईएल के दूसरे शेयरधारक को पेश किए जाएंगे।

इसके अलावा, संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार, मार्ग एसआईआईएल द्वारा किए जाने वाले निर्माण, विकास और अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी लेगा और एसआईआईएल को तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय और अन्य विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, एसआईआईएल को अपनी मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में हमारी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

7.11 भौतिक समझौते

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ("MoHUA") के साथ समझौता ज्ञापन:
हमारी कंपनी MoHUA के साथ हर साल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। यह समझौता ज्ञापन MoHUA और हमारी कंपनी के बीच बातचीत से तय किया गया समझौता है और इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों (" **MoUT लक्ष्य** ") के आधार पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष के अंत में, हमारी कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन MoU लक्ष्यों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किया जाता है। MoHUA के साथ समझौता ज्ञापन पर 02 अगस्त, 2024 को हस्ताक्षर किए गए (**"MoU"**)।

7.12 वैधानिक लेखा परीक्षक का विवरण :

नाम	पता और संपर्क विवरण	लेखा परीक्षक के बाद से
एसए आरसी और एसोसिएट्स आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या। 006085एन	मुख्यालय: डी-191, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़-1, नई दिल्ली- 110020 शाखा कार्यालय:2617,सेक्टर-डी, पॉकेट-2वसंत कुंज,नई दिल्ली-110070 संपर्क व्यक्ति: सीए कमल अग्रवाल, दूरभाष: (011)46601070- 71 ई-मेल: kamal@sarcmail.in, वेबसाइट: www.sarcassociates.com/	21.09.2024

7.13 *पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान चार कंपनियों के लेखा परीक्षकों में परिवर्तन*

नाम	पता	दिनांक नियुक्ति	तिथि समाप्ति, यदि लागू हो	त्यागपत्र की तिथि, यदि लागू हो
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी (डीई 2438)	379, अग्रवाल मिलेनियम टावर-2, नेताजी सुभाष प्लेस, टीवी टावर के पास, पीतम पुरा, दिल्ली-110034	30 सितंबर, 2021	सितम्बर 20, 2024	ना

7.14 इस मुख्य सूचना दस्तावेज के प्रचलन के वर्ष से ठीक पहले पिछले 3 (तीन) वर्षों के दौरान जारीकर्ता के प्रमोटरों के विरुद्ध सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई का ब्यौरा और ऐसे मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के समापन पर ऐसे मंत्रालय या विभाग या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई निर्देश।

इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लंबित या उठाए गए मुकदमों, कानूनी कार्रवाइयों या निर्देशों का विवरण देना संभव नहीं है।

7.15 *कंपनी तथा उसकी सभी सहायक कंपनियों के मामले में इस मुख्य सूचना दस्तावेज के जारी होने के वर्ष से ठीक पहले के पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 तथा पूर्ववर्ती कंपनी कानून के अंतर्गत शुरू की गई या संचालित की गई किसी जांच, निरीक्षण या जांच का ब्यौरा, तथा इस मुख्य सूचना दस्तावेज के वर्ष से ठीक पहले के पिछले 3 (तीन) वर्षों में यदि कोई अभियोजन दायर किया गया था (चाहे लंबित हो या नहीं), कोई जुर्माना लगाया गया था, अपराधों का शमन किया गया था, तथा यदि ऐसा हुआ है, तो कंपनी तथा उसकी सभी सहायक कंपनियों के लिए उसका अनुभाग-वार ब्यौरा।*

इस मुख्य सूचना दस्तावेज की तिथि से पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत हमारी कंपनी के खिलाफ कोई जांच, पूछताछ या जांच शुरू या संचालित नहीं की गई है, या मुकदमा दायर नहीं किया गया है, या जुर्माना नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, इस मुख्य सूचना दस्तावेज की तिथि से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में आपकी कंपनी द्वारा कोई कंपाउंडिंग आवेदन दायर नहीं किया गया है। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति से संबंधित अनुपालन को छोड़कर, समय-समय पर संशोधित सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। पिछले वर्ष के कुछ भाग के लिए, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था और कुछ समितियों की संरचना भी वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी ने नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जा रहा है, तथा कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति या इसके बोर्ड एवं समितियों की संरचना को बनाए रखने पर कोई नियंत्रण नहीं है।

इसके अलावा 06 सितंबर, 2024 को आरबीआई ने 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें(केवाईसी निर्देश 2016 और आरबीआई द्वारा जारी 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवास वित्त कंपनी)रिज़र्व बैंक)निर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 3,50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान किया जा चुका है।

7.16 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में हमारी कंपनी के विरुद्ध भौतिक धोखाधड़ी, यदि कोई हो, तथा यदि हां, तो कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई।

वित्तीय वर्ष : 2023- 24

धोखाधड़ी की प्रकृति	शामिल राशि
आपराधिक विश्वासघात - उधारकर्ता ने भूमि को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में गिरवी रख लिया है, जिसमें से भूमि का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका है।	रु.281.01 लाख
दुर्विनियोजन और आपराधिक अमानत का उल्लंघन - बंधक रखने से पहले भूमि के एक हिस्से की बिक्री और भूमि को बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करना	रु.100.00 लाख

वित्तीय वर्ष:2022-

23-शून्य वित्तीय

वर्ष:2021-22- शून्य

7.17 आर्थिक अपराधों के लिए जारीकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई लंबित कार्यवाही का विवरण, यदि कोई हो।

शून्य

7.18 ***जारी करने के समय कोई भी महत्वपूर्ण घटना, विकास या परिवर्तन या वित्तीय/क्रेडिट गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाली कोई भी महत्वपूर्ण घटना/विकास या परिवर्तन (जैसे, जारीकर्ता/प्रवर्तकों के खिलाफ कोई भी महत्वपूर्ण विनियामक कार्यवाही, महत्वपूर्ण देनदारियों के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी, कॉर्पोरेट पुनर्गठन घटना आदि) जारी करने के समय जो जारी करने या निवेशक के गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में निवेश करने/निवेश जारी रखने के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।***

जारीकर्ता यह घोषणा करता है कि जारी करते समय वित्तीय/ऋण गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाली कोई भी महत्वपूर्ण घटना/विकास या परिवर्तन नहीं हुआ है (जैसे, जारीकर्ता/प्रवर्तकों के विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण विनियामक कार्यवाही, महत्वपूर्ण देनदारियों के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी, कॉर्पोरेट पुनर्गठन घटना आदि) जो जारी करने के समय या निवेशक के गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में निवेश करने/निवेश जारी रखने के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

7.19 संबंधित पक्ष लेन-देन- पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों या दी गई गारंटियों या प्रदान की गई प्रतिभूतियों के संबंध में दर्ज संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण :

निगम ने बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित सहयोगियों, संस्थाओं/व्यक्तियों को कोई ऋण/अग्रिम प्रदान नहीं किया है, सिवाय

"संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" में दिए गए प्रावधान के, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:

वित्त वर्ष 2024-25) 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तक)

वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। संबंधित पक्ष लेन-देन के विवरण को क्रमशः स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए/दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन आर्म्स लेंथ के आधार पर और इसके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत सूचीबद्ध किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।

a. एसोसिएट्स

(1) श्रीष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड.
(2) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लिमिटेड.
(3) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.
(4) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड.

b. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

सं.	निदेशक	स्थिति
1	श्री संजय कुलश्रेष्ठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (16-10-2023 से प्रभावी)।
2	श्री एम. नागराज	**निदेशक कॉर्पोरेट योजना)डीसीपी), (पूर्णकालिक निदेशक 1-02-2019 से प्रभावी)**
3	श्री दलजीत सिंह खतरी	**निदेशक वित्त,(पूर्णकालिक निदेशक) (14-08-2024 से प्रभावी) (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (25-09-2024 से प्रभावी(**
4	श्री विकास गोयल	कंपनी सचिव (26.02.2024 से प्रभावी)

c. सहयोगियों के साथ लेन-देन: सहयोगियों में निवेश

रुपये करोड़ में

स्वामित्व का अनुपात					
लेन-देन की प्रकृति	**इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड**	**सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड**	**प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड**	**सिग्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.**	**कुल**
निवेश					
तुलन पत्र 01 अप्रैल. 2023	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-	-
31 दिसंबर तक शेष राशि 2024	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64

d. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन देन (31 दिसंबर, 2024 तक):

(i) श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी, 16 अक्टूबर, 2023 को हुडको में शामिल हुए। उन्होंने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 2,00,000/- रुपये का त्यौहार अग्रिम और 2,00,000/- रुपये का कल्याण अग्रिम लिया है। त्यौहार अग्रिम के लिए 1,33,332/- रुपये की राशि बकाया है और 31 दिसंबर, 2024 तक 3,222/- रुपये के ब्याज सहित 1,77,776/- रुपये कल्याण अग्रिम के लिए बकाया हैं।
(ii) श्री एम. नागराज, डीसीपी ने तिमाही के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। अतः 31 दिसंबर, 2024 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया राशि नहीं है।
(iii) श्री दलजीत सिंह खतरी, 14 अगस्त, 2024 को हुडको के डीएफ के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस तिमाही के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। अतः, 31 दिसंबर, 2024 तक कोई अग्रिम राशि बकाया नहीं है।
(iv) श्री डी. गुहान, पूर्व निदेशक वित्त, 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। अग्रिम के रूप में कुछ भी बकाया नहीं था ।
(v) श्रीमती रेवा सेठी 28 जून 2024 से 13 अगस्त 2024 तक सीएफओ थीं । उन्होंने तिमाही के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं

ली है। वे 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गई हैं और 31 दिसंबर 2024 तक कोई बकाया नहीं है ।

(vi) श्री विकास गोयल, कंपनी सचिव 16 फरवरी, 2024 को हडको में शामिल हुए और 26 फरवरी, 2024 से कंपनी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला । उन्होंने तिमाही के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। इसलिए, 31 दिसंबर, 2024 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया नहीं है ।

e. प्रबंधकीय पारिश्रमिक (31 दिसंबर, 2024 तक(

(करोड़ रुपए में)

विवरण	श्री संजय कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री एम. नागराज, डीसीपी	श्री दलजीत सिंह खतरी, डीएफ	श्री विकास गोयल, सी.एस.
वेतन/ अनुदान	0.33	0.37	0.19	0.13
फ़ायदे	0.05	0.06	0.03	0.03
पीआरपी	0.08	0.21	-	0.01
कुल	**0.46**	**0.64**	**0.22**	**0.17**

 # इसमें ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल नहीं है क्योंकि ये खाते की पुस्तकों में कंपनी के लिए तथ्यात्मक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और इसलिए व्यक्तिगत राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

6 जून, 2022 के डी.पी.एल.ए. के अनुसार , अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1,000 किमी प्रति माह तक निजी उपयोग के लिए स्टाफ कार का उपयोग करने का अधिकार है।

वित्त वर्ष 2023-24

वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। संबंधित पक्ष लेन-देन के विवरण को क्रमशः स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए/दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन एक हाथ की लंबाई के आधार पर और इसके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत सूचीबद्ध किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।

a. **एसोसिएट्स**

1. सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड.
2. प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर &डेवलपमेंट लिमिटेड.
3. सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.
4. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

सं .	निदेशक	स्थिति
1	श्री संजय कुलश्रेष्ठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (16-10-2023 से प्रभावी)।
2	श्री.कुलदीप नारायण, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार 27-03-2023 से 16-10-2023 तक)।
3	श्री एम. नागराज	निदेशक कॉर्पोरेट योजना (डीसीपी), (पूर्णकालिक निदेशक)(01.02.2019 से प्रभावी)
4	श्री डी. गुहन	निदेशक वित्त,(पूर्णकालिक निदेशक (31.12.2019 से प्रभावी)
5	श्री विकास गोयल	कंपनी सचिव 26-02- 2024 (से प्रभावी)

b.* सहयोगियों के साथ लेन-देन: सहयोगियों में निवेश *(करोड़ रुपए में)

स्वामित्व का अनुपात					
लेन-देन की प्रकृति	**इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड**	**सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड**	**प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड**	**सिग्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.**	**कुल**
निवेश					
तुलन पत्र अप्रैल.1, 2023	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64

वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-	-
Balanceasat मार्च 31, 2024	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64

c. **प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन (31 मार्च, 2024 तक):**

(a) श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी, 16 अक्टूबर, 2023 को हडको में शामिल हुए। उन्होंने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम नहीं लिया है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक अग्रिम के लिए कोई बकाया नहीं है।

(b) श्री एम. नागराज, डीसीपी ने वर्ष के दौरान कोई भी अग्रिम नहीं लिया है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक अग्रिम के लिए कोई बकाया नहीं है।

(c) श्री डी.गुहन, डीएफ, ने वर्ष के दौरान कोई भी अग्रिम नहीं लिया है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक अग्रिम के लिए कोई बकाया नहीं है।

(d) श्री विकास गोयल, कंपनी सचिव ने 16 फरवरी, 2024 को हुडको में कार्यभार संभाला और 26 फरवरी, 2024 से कंपनी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया राशि नहीं है।

(e) श्री रत्न प्रकाश, भूतपूर्व कंपनी सचिव, 31 मार्च, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। 31 मार्च, 2024 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया राशि नहीं है।

(f) श्री हरीश शर्मा, भूतपूर्व कंपनी सचिव, 30 सितम्बर, 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। 31 मार्च, 2024 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया राशि नहीं है। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान HBA के ब्याज के रूप में 0.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

d. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

के सापेक्ष पारिश्रमिक भारतीय लेखा मानक 24 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण में निर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के लिए नीचे समग्र रूप से निर्धारित किया गया है:

)करोड़ रुपए में)

	2023- 24	**2022- 23**
अल्पकालिक कर्मचारियों के लाभ	1.77	1.44
रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ#	0.37	0.18
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.66	1.04
टर्मिनल लाभ	-	-
कुल	**2.80**	**2.66**

 # इसमें ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल नहीं है क्योंकि इनका विवरण सम्पूर्ण कंपनी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में दिया जाता है और इसलिए अलग-अलग राशि निर्धारित नहीं की जा सकती।

e. 6 जून, 2022 के पत्र के अनुसार , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1,000 किलोमीटर प्रति माह तक निजी उपयोग के लिए स्टाफ कार का उपयोग करने के हकदार हैं।

वित्त वर्ष – 2022-23

वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। संबंधित पक्ष लेन-देन के विवरण को क्रमशः स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए/दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन एक हाथ की लंबाई के आधार पर और इसके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत सूचीबद्ध किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।

एसोसिएट्स

(1) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड.

(2) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड.

(3) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.

(4) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड.

a. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

सं .	निदेशक	स्थिति
1	श्री. कामरान रिजवी, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (21.10.2022 तक)
2	श्रीकुलदीपनारायण, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (27.03.2023 से प्रभावी)
2	श्री एम. नागराज	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग (डीसीपी), (पूर्णकालिक निदेशक) (01.02.2019 से प्रभावी)
3	श्री डी. गुहन	निदेशक वित्त,(पूर्णकालिक निदेशक) 31.12.2019 से प्रभावी)
4	श्रीहरीश कुमार शर्मा	कंपनी सचिव(06.11.2013 से प्रभावी)

b. **सहयोगियों के साथ लेन-देन: सहयोगियों में निवेश**

) करोड़ रुपए में)

स्वामित्व का अनुपात	**25%**	**40%**	**26%**		
लेन-देन की प्रकृति	**इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड.**	**सृष्टि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड**	**प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड.**	**सिग्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.**	**कुल**
निवेश					
तुलनपत्र अप्रैल.1, 2023	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-	-
तुलन पत्र 31 मार्च, 2024	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64

c. **प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन (31 मार्च, 2023 तक)**

1. श्री एम. नागराज, डीसीपी ने वर्ष के दौरान कोई भी अग्रिम नहीं लिया है। इसलिए, 31 मार्च 2023 तक अग्रिम के रूप में कोई बकाया नहीं है।
2. श्री डी. गुहन, डी.एफ. ने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। इसलिए, 31 मार्च, 2023 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया राशि नहीं है।
3. व्यवसाय के सामान्य क्रम में निम्नलिखित अग्रिम राशि ली है ।
   a) कंपनी से 0.22 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का गृह निर्माण ऋण, जो दिसंबर, 2016 में 0.11 करोड़ रुपये तथा मार्च, 2018 में 0.11 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी किया गया, जिसे वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान पूरी तरह से चुका दिया गया। 31 मार्च, 2023 तक अर्जित ब्याज ₹0.01 करोड़ है। (पिछले वर्ष: - ₹0.02 करोड़)
   b) फरवरी, 2021 में ₹0.02 करोड़ का कल्याण अग्रिम, जिसे वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान लागू ब्याज सहित पूरी तरह से चुका दिया गया। (पिछले वर्ष: - ₹0.01 करोड़)।
   c) अक्टूबर, 2020 में ₹0.01 करोड़ का त्यौहार अग्रिम (ब्याज मुक्त) जो वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान पूरी तरह से चुका दिया गया (पिछले वर्ष: ₹0.01 करोड़)।

d. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों का पारिश्रमिक भारतीय लेखा मानक 24 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण में निर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के लिए समग्र रूप से नीचे दिया गया है: ***(करोड़ रुपए में)***

	2022-2023	**2021-2022**
अल्पकालिक कर्मचारियों के लाभ	1.44	1.22
रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ#	0.18	0.16
अन्य दीर्घकालिक लाभ	1.04	-
टर्मिनल लाभ	-	-
कुल	**2.66**	**1.38**

 # इसमें ग्रेच्युटी और प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल नहीं है क्योंकि ये संपूर्ण कंपनी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में प्रदान की जाती हैं और इसलिए व्यक्तिगत राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

e. 6 जून 2022 के डी.पी.एल.ए. के अनुसार, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रति माह 2000 रुपये के

भुगतान के बदले 1,000 कि.मी. तक निजी उपयोग के लिए कर्मचारी वाहन का उपयोग करने के हकदार हैं।

वित्त वर्ष 2021-22

वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। संबंधित पार्टी लेन-देन के विवरण को क्रमशः स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए/दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन-देन एक हाथ की लंबाई के आधार पर और अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। इसके अलावा, कंपनी ने धारा 188 के तहत सूचीबद्ध किसी भी ठेकेदार व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।

a. एसोसिएट्स

(1) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड.
(2) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर & डेवलपमेंट लिमिटेड.
(3) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड.
(4) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड.

b. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

सं .	निदेशक	स्थिति
1	श्री कामरान रिजवी आईएएस,	श्रीअध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2	श्री एम. नागराज	निदेशक कॉर्पोरेट योजना (डीसीपी), (पूर्णकालिक निदेशक)(01.02.2019 से प्रभावी)
3	श्री डी. गुहान	निदेशक वित्त,(पूर्णकालिक निदेशक) 31.12.2019 से प्रभावी
4	श्रीहरीश कुमार शर्मा	कंपनी सचिव (06.11.2013 से प्रभावी)

c. सहयोगियों के साथ लेन-देन : सहयोगियों में निवेश

(करोड़ रुपए में)

स्वामित्व का अनुपात	25%	40%	26%		
लेन-देन की प्रकृति	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड	सृष्टि शहरी अवसंरचना डेवलपमेंट लिमिटेड	प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लिमिटेड	सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर ईइंडिया लिमिटेड	कुल
निवेश					
तुलनपत्र अप्रैल.1, 2021	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-	-
तुलनपत्र मार्च.31, 2022	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64

d. प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन (31 मार्च, 2022 तक):

1) श्री एम. नागराज, डीसीपी ने वर्ष के दौरान कोई भी अग्रिम नहीं लिया है। इसलिए, 31 मार्च, 2022 तक अग्रिम के लिए कोई बकाया नहीं है।
2) श्री डी. गुहान, डी.एफ. ने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम राशि नहीं ली है। इसलिए, 31 मार्च, 2022 तक अग्रिम राशि के रूप में कोई बकाया राशि नहीं है।
3) व्यवसाय के सामान्य क्रम में निम्नलिखित अग्रिम राशि ली है ।
   a. कंपनी से 0.22 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) का गृह निर्माण ऋण, जो दिसंबर, 2016 में 0.11 करोड़ रुपए तथा मार्च, 2018 में 0.11 करोड़ रुपए की दो किस्तों में जारी किया गया। 31 मार्च, 2022 तक बकाया शेष राशि 0.05 करोड़ रुपए है, जिसमें 0.02 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है (इस अवधि के दौरान अधिकतम बकाया राशि 0.10 करोड़ रुपए है)।
   b. फरवरी, 2021 में 0.02 करोड़ रुपये का कल्याण अग्रिम। 31 मार्च, 2022 तक बकाया शेष राशि शून्य अर्जित ब्याज सहित 0.02 करोड़ रुपये है (इस अवधि के दौरान अधिकतम बकाया 0.02 करोड़ रुपये है)।
   c. 31 मार्च, 2022 तक बकाया शेष राशि 0.01 करोड़ रुपये है (इस अवधि के दौरान अधिकतम बकाया 0.01 करोड़ रुपये है)।

e. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

भारतीय लेखा मानक 24 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण में निर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के लिए कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों का पारिश्रमिक कुल मिलाकर नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

	2021- 22	**2020- 21**
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	1.22	1.26
रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ#	0.16	0.21
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
टर्मिनल लाभ	-	-
कुल	**1.38**	**1.47**

 # इसमें ग्रेच्युटी और प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल नहीं है क्योंकि ये संपूर्ण कंपनी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में प्रदान की जाती हैं और इसलिए व्यक्तिगत राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

f. 6 जून 2022 के डी.पी.एल.ए. के अनुसार , अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रति माह 2000 रुपये के भुगतान के बदले 1,000 किमी तक निजी उपयोग के लिए कर्मचारी वाहन का उपयोग करने के हकदार हैं।

7.20 नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के मामले में परियोजना लागत और वित्तपोषण के साधन-

लागू नहीं

7.21 परियोजना विवरण: परियोजना की निर्माण अवधि; परियोजना में की गई प्रगति की सीमा; परियोजना के पूरा होने की समय सीमा; परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश (यदि कोई हो), परियोजना के कार्यान्वयन की अनुसूची

लागू नहीं

7.22 यदि कंपनी में नियंत्रण में कोई परिवर्तन होता है, तो वह निजी प्लेसमेंट के परिणामस्वरूप होगा -

चूंकि वर्तमान मुद्दा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का है, इसलिए नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7.23 नकदी के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के लिए प्रस्तावित आबंटन का औचित्य, पंजीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ-

लागू नहीं

7.24 प्रमोटरों या निदेशकों द्वारा निर्गम के भाग के रूप में या निर्गम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से किए गए अंशदान का विवरण-

शून्य

7.25 प्रस्ताव के उद्देश्य और वस्तुएं

वस्तुओं	**को %**
निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए होती है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, मौजूदा ऋण का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्त)दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) और/या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।	100%

7.26 वह राशि जो जारीकर्ता प्रतिभूतियों के माध्यम से संग्रहित करना चाहता है-

ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपये)एक सौ करोड़ रुपये) प्लस ग्रीनशू विकल्प ।

7.27 प्रस्तावित प्रतिभूतियों के प्रकार और प्रतिभूति का वर्ग; जारी किये जाने वाले शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की कुल संख्या-

न्यूनतम **1,00,000** सुरक्षित, करयोग्य, प्रतिदेय, असूचीबद्ध, रेटेड, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय बांड

7.28 वह मूल्य जिस पर प्रतिभूति की पेशकश की जा रही है, जिसमें प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल है, तथा मूल्य का औचित्य भी शामिल है-

सुरक्षित, करयोग्य, मोचनयोग्य, असूचीबद्ध, मूल्यांकित, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय बांड, अंकित मूल्य 10,000 प्रत्येक, कुल ***100 करोड़ रुपये***

7.29 प्रस्तावित प्रतिभूति का मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकक का नाम और पता तथा जिस आधार पर मूल्य निर्धारित किया गया

है, साथ ही पंजीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट-

नहीं .

7.30 प्रतिभूति जुटाने की शर्तें-

सुरक्षा नाम	*कूपन दर (%)*	*तत्त्व*	*मात्रा*	*भुगतान का तरीका*
54 ईसी कैपिटल गेन्स टैक्स छूट बांड सीरीज-I	*5.25*	*5*	*100 करोड़ रुपये*	*संग्रह बैंकरों के माध्यम से*

7.31 प्रस्तावित समय-सारणी जिसके लिए सामान्य सूचना दस्तावेज वैध है-

17.09.2024 दिनांकित यह सामान्य सूचना दस्तावेज़ इस सामान्य सूचना दस्तावेज़ के अंतर्गत किए गए गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव के खुलने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के दूसरे या बाद के प्रस्ताव के संबंध में, इस सामान्य सूचना दस्तावेज़ की वैधता अवधि के दौरान, कोई और सामान्य सूचना दस्तावेज़ प्रदान नहीं किया जाएगा।

दिनांक 17.09.2024 के इस सामान्य सूचना दस्तावेज की वैधता के दौरान, हम 40,000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटा सकते हैं, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधारी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो।

7.32 जिन व्यक्तियों को आवंटन प्रस्तावित है उनका वर्ग या वर्ग-

सूचना दस्तावेज़ के खंड XII " टर्म शीट" में दिए गए निवेशकों की पात्र श्रेणी का संदर्भ लें ।

7.33 प्रस्तावित समय जिसके भीतर आवंटन पूरा किया जाएगा-

प्रत्येक माह का अंतिम दिन जिसमें सदस्यता राशि प्राप्त होती है और HUDCO54EC संग्रह खाते में जमा की जाती है।

7.34 सुरक्षा के रूप में प्रभारित परिसंपत्तियों की मूल शर्तें, यदि कोई हो-

शून्य

7.35 कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण -

शून्य

7.36 निर्धारित प्रारूप में निर्गम-पूर्व और निर्गम-पश्चात शेयरधारिता पैटर्न, जिसमें शेयरों की संख्या और शेयरधारिता का प्रतिशत जैसे विवरण शामिल हैं-

इस दस्तावेज के ' *पूंजी संरचना* ' नामक खंड VIII में दिया गया है ।

7.37 सदस्यता के लिए भुगतान का तरीका -

बैंकरों के माध्यम से

7.38 प्रतिदिन गणना सम्मेलन के अनुसार ब्याज/मोचन भुगतान की तिथि के साथ नकदी प्रवाह का प्रकटीकरण-

विस्तृत जानकारी के लिए पेज 119 से शुरू होने वाले अंक के "टर्म शीट" शीर्षक वाले अनुभाग को देखें। इसके अलावा, संबंधित मुख्य सूचना दस्तावेज़ में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

7.39 यदि प्रतिभूति किसी गारंटी या कम्फर्ट लेटर या किसी अन्य दस्तावेज/समान इरादे वाले पत्र द्वारा समर्थित है, तो उसकी एक प्रति प्रकट की जाएगी। यदि ऐसे दस्तावेज में विस्तृत भुगतान संरचना (निवेशक द्वारा गारंटी और भुगतान की रसीद के

आह्वान की प्रक्रिया और समयसीमा) शामिल नहीं है, तो उसे प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया जाएगा-

लागू नहीं

7.40 प्रस्ताव में निदेशकों, प्रमोटरों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई वित्तीय या अन्य भौतिक हित और ऐसे हित का प्रभाव जहां तक वह अन्य व्यक्तियों के हित से भिन्न है-

जारीकर्ता के किसी भी प्रमोटर, निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का इश्यू में कोई वित्तीय या अन्य भौतिक हित नहीं है।

7.41 मौजूदा वित्त वर्ष सहित पिछले 5 वित्तीय वर्षों में जारी किए गए सीपी के ब्याज और मूलधन)तकनीकी देरी सहित), ऋण प्रतिभूतियों, सावधि ऋणों, बाह्य वाणिज्यिक उधारों और कॉर्पोरेट गारंटी सहित अन्य वित्तीय ऋणग्रस्तता के भुगतान में चूक/या देरी का विवरण:

मार्च 2024, 2023 और 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए चूक का विवरण, यदि कोई हो, जिसमें शामिल राशि, चूक की अवधि और वर्तमान स्थिति शामिल है, नीचे दिए गए हैं:

एस। नहीं।	ब्याज और मूलधन के भुगतान में चूक/विलंब का विवरण	अवधि	सम्मिलित राशि	वर्तमानचुकौती की स्थिति
ए	वाणिज्यिक पत्र (तकनीकी देरी सहित)	शून्य	शून्य	शून्य
बी	ऋण प्रतिभूतियों	शून्य	शून्य	शून्य
सी	उस पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
डी	सावधि ऋण जिसमें किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया ऋण और उस पर ब्याज शामिल है	शून्य	शून्य	शून्य
इ	बाह्य वाणिज्यिक उधार और अन्य वित्तीय ऋणग्रस्तता कॉर्पोरेट गारंटी सहित)पिछले5 वर्ष)	शून्य	शून्य	शून्य
एफ	नैगमिक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य
जी	वैधानिक बकाया	नीचे संदर्भ नोट		
वैधानिक बकाया राशि का भुगतान न करना या चूक करना: नीचे बताए गए को छोड़कर, हमारी कंपनी द्वारा वैधानिक बकाया राशि का भुगतान न करने या चूक करने का कोई मामला नहीं है। धारा V के बिंदु संख्या 5.4 का संदर्भ लें, जिसका नाम है 'प्रचालन और वित्तीय मुख्य बिंदु'। कंपनी ने अपने सभी वैधानिक बकाया चुका दिए हैं और ऐसे किसी भी बकाया के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है, जिसके लिए उचित कार्यवाही के साथ सद्भावपूर्वक विरोध किया जा रहा है/किया जा सकता है। इसके अलावा, हमारी कंपनी ने कुछ वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में देरी की है, जो धारा IX के अंतर्गत परिसंपत्ति है। "जोखिम कारक - यदि हमारी आकस्मिक देनदारियाँ मूर्त रूप ले लें, तो हमारी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है"।				

7.42 कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी की वार्षिक फाइलिंग में कोई चूक-

शून्य

7.43 भारत या विदेश में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारीकर्ता की किसी भी प्रतिभूति को सूचीबद्ध करने से इनकार करना

शून्य

7.44 बकाया ऋण लिखतों या जमाराशियों या उधारों के मामले में, भौतिक अनुबंधों के अनुपालन में कोई चूक, जैसे कि सहमत शर्तों के अनुसार प्रतिभूति का सृजन, ब्याज के भुगतान में चूक, मोचन या पुनर्भुगतान में चूक, डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन न करना, दंडात्मक ब्याज के भुगतान में चूक, जहां भी लागू हो।

शून्य

VIII. पूंजी संरचना

7.45 ***शेयर पूंजी का विवरण***

निम्नलिखित तालिका में आज की तिथि तक हमारी अधिकृत, जारी, सब्सक्राइब्ड और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण दिया गया है:

विवरण	कुल मूल्य *)करोड़ रुपए में)*
अधिकृत शेयर पूंजी	
2,500,000,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये **(इक्विटी शेयर)**	2,500.00
जारी, अभिदत्त और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	
2,00,19,00,000 इक्विटी शेयर	2,001.90
शेयरप्रीमियम खाता	शून्य
मुद्दे से पहले	शून्य
मुद्दे के बाद	शून्य

यह एनसीडी के निजी प्लेसमेंट का मुद्दा है और इसका पेड-अप कैपिटलएंडशेयर प्रीमियम खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.46 ***में परिवर्तन का विवरण :***

निम्नलिखित तालिका पिछले तीन वर्षों में हमारे अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में हुए परिवर्तनों को दर्शाती है:

परिवर्तन तिथि)एजीएम/ईजीएम)	राशि
शून्य	

** वार्षिक/असाधारण आम बैठक की तिथि जिसमें अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था।*

7.47 ***पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष)पिछली तिमाही के अंत तक) के लिए पूंजी संरचना में परिवर्तन:***

परिवर्तन तिथि (एजीएम/ईजीएम)	राशि
शून्य	

7.48 ***जारीकर्ता की इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण (प्रत्येक आवंटन का विवरण, आवंटन की तिथि, आवंटित शेयरों की संख्या, आवंटित शेयरों का अंकित मूल्य, मूल्य और प्रतिफल का रूप)***से चार कंपनियों की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का इतिहास निम्नलिखित है :

आवंटन तिथि*	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित (मूल्य**((रु)	निर्गम मूल्य प्रति इक्विटी शेयर (रु)	विचार की प्रकृति	प्रकृति **	संचयी			टिप्पणी
						इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी (रु)	इक्विटी शेयर प्रीमियम	
18 मई, 1971	20,000	1,000	1,000	नकद	प्रारंभिक आवंटन	20,000	20,000,000	-	-
4 अक्टूबर,1971	20,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	40,000	40,000,000	-	-
31 जुलाई, 1972	20,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	60,000	60,000,000	-	-
19 दिसम्बर,1974	10,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	70,000	70,000,000	-	-
16 जून,1975	20,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	90,000	90,000,000	-	-
4 अगस्त, 1976	10,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	100,000	100,000,000	-	-
10 सितम्बर, 1976	10,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	110,000	110,000,000	-	-
2 जून, 1977	30,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	140,000	140,000,000	-	-
सितम्बर 21,1977	20,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	160,000	160,000,000	-	-
14 जून 1978	40,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	200,000	200,000,000	-	-
27 जून,1979	50,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	250,000	250,000,000	-	-
30 सितम्बर,1980	50,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	300,000	300,000,000	-	-
9 फ़रवरी, 1981	30,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	330,000	330,000,000	-	-
29 सितम्बर,1981	90,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	420,000	420,000,000	-	-
21 जुलाई,1982	100,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	520,000	520,000,000	-	-
30 जून,1983	110,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	630,000	630,000,000	-	-

आवंटन तिथि*	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य**(रु.)	निर्गम मूल्य प्रति इक्विटी शेयर (रु.)	विचार की प्रकृति	प्रकृति **	संचयी			टिप्पणी
						इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी) रु)	इक्विटी शेयर प्रीमियम	
21 दिसम्बर, 1984	110,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	740,000	740,000,000	-	-
4 सितम्बर,1985	10,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	750,000	750,000,000	-	-
17 दिसम्बर, 1985	60,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	810,000	810,000,000	-	-
27 जून,1986	20,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	830,000	830,000,000	-	-
सितम्बर 4,1986	20,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	850,000	850,000,000	-	-
6 नवम्बर, 1986	40,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	890,000	890,000,000	-	-
22 जुलाई, 1987	22,500	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	912,500	912,500,000	-	-
30 नवम्बर, 1987	22,500	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	935,000	935,000,000	-	-
30 दिसम्बर,1987	22,500	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	957,500	957,500,000	-	-
4 मई,1988	22,500	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	980,000	980,000,000	-	-
29 जून,1988	20,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,000,000	1,000,000,000	-	-
अक्टूबर 17,1988	50,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,050,000	1,050,000,000	-	-
5 दिसंबर,1988	70,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,120,000	1,120,000,000	-	-
7 फ़रवरी, 1989	10,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,130,000	1,130,000,000	-	-
29 जून,1989	120,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,250,000	1,250,000,000	-	-
5 दिसंबर,1989	112,700	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,362,700	1,362,700,000	-	-
6 जून,1990	10,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,372,700	1,372,700,000	-	-
28 जून,1990	50,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,422,700	1,422,700,000	-	-
सितम्बर 25,1990	70,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,492,700	1,492,700,000	-	-
30 नवम्बर,1990	100,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,592,700	1,592,700,000	-	-
12 फ़रवरी, 1991	7,300	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	160,0000	1,600,000,000	-	-
9 जुलाई, 1991	12,700	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	161,2700	1,612,700,000	-	-
28 नवम्बर,1991	37,300	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	165,0000	1,650,000,000	-	-
19 जून,1992	200,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	185,0000	1,850,000,000	-	-
9 जुलाई, 1993	570,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	242,0000	2,420,000,000	-	-
27 अगस्त,1993	100,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	252,0000	2,520,000,000	-	-
30 दिसम्बर,1993	100,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	262,0000	2,620,000,000	-	-
29 अप्रैल ,1994	120,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	274,0000	2,740,000,000	-	-
सितम्बर ,1994	60,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	280,0000	2,800,000,000	-	-
8 दिसम्बर,1994	60,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	286,0000	2,860,000,000	-	-
29 मार्च,1995	70,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	293,0000	2,930,000,000	-	-
27 अप्रैल ,1995	50,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	298,0000	2,980,000,000	-	-
5 सितम्बर,1995	70,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	305,0000	3,050,000,000	-	-
2 मई, 1996	190,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	324,0000	3,240,000,000	-	-
14 मार्च, 1997	260,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	350,0000	3,500,000,000	-	-
22 अगस्त, 1997	120,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	362,0000	3,620,000,000	-	-
11 फ़रवरी, 1998	230,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	385,0000	3,850,000,000	-	-
मार्च 30,1999	110,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	396,0000	3,960,000,000	-	-
23 अप्रैल ,1999	1,810,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	577,0000	5,770,000,000	-	-
अक्टूबर 20,1999	430,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	620,0000	6,200,000,000	-	-
15 दिसंबर, 1999	1,000,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	720,0000	7,200,000,000	-	-
31 जनवरी, 2000	860,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	806,0000	8,060,000,000	-	-
21 मार्च, 2000	920,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	898,0000	8,980,000,000	-	-
17 अगस्त, 2000	925,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	990,5000	9,905,000,000	-	-
अक्टूबर 10,2000	875,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,078,0000	10,780,000,000	-	-
30 नवम्बर 2000	1,000,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,178,0000	11,780,000,000	-	-
20 जुलाई, 2001	720,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,250,0000	12,500,000,000	-	-
27 मार्च, 2002	500,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,300,0000	13,000,000,000	-	-
28 मार्च,2002	1,080,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,408,0000	14,080,000,000	-	-
30 जुलाई, 2002	900,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,498,0000	14,980,000,000	-	-
अक्टूबर 4,2002	900,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,588,0000	15,880,000,000	-	-
16 नवम्बर, 2002	250,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,613,0000	16,130,000,000	-	-
23 अप्रैल,2003 ^^	500,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,663,0000	16,630,000,000	-	-
29 जुलाई, 2003	1,078,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,770,8000	17,708,000,000	-	-
17 नवम्बर, 2003	1,178,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,888,6000	18,886,000,000	-	-
26 मार्च, 2004	100,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	1,898,6000	18,986,000,000	-	-
28 जुलाई, 2004	1,033,000	1,000	1,000	नकद	आगे का मुद्दा	2,001,9000	20,019,000,000	-	-

**सभी आवंटन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रालयों और उनके मनोनीत सदस्यों के माध्यम से किए गए।*

आवंटन तिथि*	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य **)रु)	निर्गम मूल्य प्रति इक्विटी शेयर (रु)	विचार की प्रकृति	प्रकृति **	संचयी			टिप्पणी
						इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी (रु)	इक्विटी शेयर प्रीमियम	
** 28 मार्च 2016 को हमारे शेयरधारकों के संकल्प के अनुसार, 1,000 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर को 10 रुपये प्रत्येक के 100 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया, और तदनुसार 1,000 रुपये प्रत्येक के 20,019,000 इक्विटी शेयरों को 2,001,900,000 शेयरों में विभाजित किया गया। प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर।*									

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ):हमारी कंपनी ने 12 मई, 2017 को एक प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर)50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की नकद कीमत पर 20,40,58,747 इक्विटी शेयरों का आईपीओ बनाया था, जो कुल मिलाकर 1,209.57 करोड़ रुपये था। उक्त आईपीओ में आपके प्रमोटर द्वारा 20,40,58,747 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, उक्त आईपीओ में जनता के लिए 20,01,90,000 इक्विटी शेयरों का निर्गम और कुछ पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए 38,68,747 इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल था। आईपीओ 11 मई, 2017 को खोला गया। 8 मई, 2017 को आरंभ हुआ और 11 मई, 2017 को बंद हुआ। आईपीओ में आबंटित इक्विटी शेयरों में एनएसई और बीएसई में कारोबार 19 मई, 2017 को आरंभ हुआ।

भारत के राष्ट्रपति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्रमोटर होने के नाते, भारत सरकार ने जुलाई और अगस्त, 2021 में ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से हुडको में अपनी हिस्सेदारी का 8% (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य के 16,01,63,774 इक्विटी शेयर) का विनिवेश किया है। विनिवेश के बाद हुडको में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी 89.81% से घटकर 81.81% हो गई है। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रमोटर होने के नाते, अक्टूबर 2023 में बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से हुडको में अपनी हिस्सेदारी का 6.64% (10 रुपये अंकित मूल्य के 13,28,82,211 इक्विटी शेयर) का विनिवेश कर चुके हैं। इस विनिवेश के बाद हुडको में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी 81.81% से घटकर 75.17% हो गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से हुडको-भारत के राष्ट्रपति में वर्तमान शेयरधारिता क्रमशः 54.44% और 20.73% है और सार्वजनिक शेयरधारिता - 25.00% है।

7.49 द्वारा किए गए आबंटन का विवरण इस प्रकार है:

आबंटन की तिथि	इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य (करोड़ रु.(	निर्गम मूल्य)करोड़ रु.(	प्रतिफल (नकद, नकदी के अलावा आदि)	आबंटन की प्रकृति
शून्य					

7.50 हमारी कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न और पिछली तिमाही के अंत तक शेयरधारकों का विवरण:

31 दिसंबर 2024 तक चार कंपनियों के इक्विटी शेयरधारकों)प्रमोटर होल्डिंग सहित) की शेयर होल्डिंग पैटर्न और सूची निम्नलिखित है:

तालिका I सारांश विवरण निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की होल्डिंग

श्रेण(I)	शेयर धारक श्रेणी (II)	शेयरधारकों की संख्या (III)	की संख्या (IV)	आंशिक रूप से चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या डी (वी)	अंतर्निहित डिपोजिटरी रसीदों की संख्या(VI)	कुल शेयरधारक(VII) =(IV) + (वी) + (VI)	शेयरहोल्डिंगएएस कुल शेयरों का % एससीआरआर,1957 के अनुसार गणना (VIII) के तौर पर %)ए+बी+सी2) का	प्रतिभूतियों के प्रत्येक वर्ग में धारित मताधिकारों की संख्या (IX)			
								मतदान के अधिकार(XIV)			टोटलसा %)ए+बी +सी(
								क्लासeg:X	वर्ग सेग: y	कुल	
(ए)	प्रमोटर और प्रमोटर ई आर ग्रुप	2	1501425000			1501425000	75	1501425000		1501425000	75
(बी)	जनता	918659	500475000			500475000	25	500475000		500475000	25
(सी)	नॉनप्रोमोटर-										

	नॉनपब एलआईसी										
(सी1)	शेयरसन डेर्लींग डीआरएस										
(सी2)	कर्मचारी द्वारा धारित शेयर eeट्रस्ट्स										
	कुल	918661	2001900000			2001900000	100	2001900000		2001900000	100

तालिका II- प्रमोटर और प्रमोटर समूह के शेयरधारिता पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण

सीनियर	श्रेणी&शेयर धारकों का नाम(I)	हरेहोल्डर्स की संख्या (III)	की संख्या (IV)	नं.ओ आंशिक भुगतान – up eq uitys hareshel d(V)	शेयरों की संख्या, अंतर्निहित जमा या रसीद आईपीटीएस (VI)	कुलनोस.शेयरशेल्ड(VII)=(IV)+(वी)+(VI)	शेयरहोल्डिंगएएस का % (एस्पर एससीआरआर की गणना, 1957) (VIII)आसा %(ए+बी+सी2)	धारित मताधिकारों की संख्या (IX)			
								मतदान के अधिकार(XIV)			कुल वोट प्रतिशत का कुल प्रतिशत
								क्लासeg:X	क्लासsseg:y	कुल	
ए	तालिका II – प्रमोटर और प्रमोटर समूह के शेयरधारिता पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण										
(1)	भारतीय										
(बी)	केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार	2	1501425000			1501425000	75	1501425000		1501425000	75
उप- कुल(ए) (1)		2	1501425000			1501425000	75	1501425000		1501425000	75
(2)	विदेश										
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप (ए) की कुल शेयरधारिता (ए=(1)+(ए2)		2	1501425000			1501425000	75	1501425000		1501425000	75
बी	तालिका III- सार्वजनिक शेयरधारक के शेयरधारिता पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण										
(1)	संस्थान)घरेलू)										
(ए)	म्यूचुअल फंड्स	25	36723189			36723189	1.83	36723189		36723189	1.83
)सी)	वैकल्पिक निवेश निधि	8	1471950			1471950	0.07	1471950		1471950	0.07

)डी)	बैंकों	2	8020			8020	0	8020		8020	0
)इ(	बीमा कंपनी	18	157000952			157000952	7.84	157000952		157000952	7.84
(आई(	RBI के साथ पंजीकृत NBFCs	2	12020			12020	0.00	12020		12020	0.00
उप-योग बी)(1)		55	195216131			195216131	9.75	195216131		195216131	9.75
(2)	विदेशी संस्थाएं										
)डी(	विदेशी पोर्ट फोलियो निवेशक श्रेणीI	85	41280098			41280098	2.06	41280098		41280098	2.06
)ई)	विदेशी पोर्ट फोलियो निवेशक श्रेणीII	2	338909			338909	0.02	338909		338909	0.02
उप-योग बी (2)		87	41619007			41619007	2.08	41619007		41619007	2.08
(3)	केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार										
)सी(	कंपनियों या निकायों द्वारा शेयरधारिता (केन्द्रीय स्तर पर) / राज्य सरकार मेन्टिसा प्रमोटर	1	500			500	0	500		500	0
उप-योग(बी)(3)		1	500			500	0	500		500	0
(4)	गैर- संस्थाएं										
)जी(	निवासीव्यक्ति नाममात्र शेयर पूंजी धारण करते हैं, तक .2 लाख	898896	197711327			197711327	9.88	197711327		197711327	9.88
(एच(	निवासी व्यक्तिगत द्वै धारिता नाम मात्र शेयर पूंजी से अधिक रु. 2 लाख	543	37083801			37083801	1.85	37083801		37083801	1.85
)आई(	अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	6696	5633878			5633878	0.28	5633878		5633878	0.28
)जे(	विदेशी नागरिक	1	1500			1500	0	1500		1500	0
)एल(	निकाय कॉ) पोंरा टे	1402	12402255			12402255	0.62	12402255		12402255	0.62

(एम)	कोई अन्य)निर्दिष्ट करें(	10978	10806601			10806601	0.54	10806601		10806601	0.54
उप-योग बी)(4)		918516	263639362			263639362	13.17	263639362		263639362	13.17
टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग( )बी)=(बी)(1)+(बी)2)+(बी)(3)+(बी) (4)		918659	500475000			500475000	25	500475000		500475000	25
सी	तालिका IV- गैर-प्रवर्तक-गैर- सार्वजनिक शेयरधारक के शेयरधारिता पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण										
कुल)ए+बी+सी)		918661	2001900000			2001900000	100	2001900000		2001900000	100

गैर-प्रवर्तक-गैर-सार्वजनिक शेयरधारक के शेयरधारिता पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण					
श्रेणी और नाम (I)	शेयरधारकों की संख्या (III)	पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या)चतुर्थ)	कुलशेयरधारिता(VII= IV+V+VI)	(A+B+C2)(VIII) के % के रूप में की गई	अभौतिकीकृत फॉर्म में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या)XIV) (लागू नहीं(
C1) कस्टोडियन/डीआर धारक	0	0	0	0	0
C2)कर्मचारी लाभ विश्वास	0	0	0	0	0

कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का 1% या उससे अधिक हिस्सेदारी रखने वाले ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा किए गए प्रकटीकरण का विवरण					
सं.	ट्रेडिंग सदस्य का नाम	लाभार्थी स्वामी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों का %	ट्रेडिंग सदस्य द्वारा रिपोर्टिंग की तिथि
-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विदेशी स्वामित्व सीमा दर्शाने वाला विवरण		
	स्वीकृत सीमाएँ %	उपयोग की गई सीमाएँ %
शेयरहोल्डिंग तिथि	100.00	2.27
पिछली पहली तिमाही के अंत में	100.00	2.54
पिछली दूसरी तिमाही के अंत में	100.00	2.84
तीसरी तिमाही के अंत में	100.00	2.08
4 तिमाही के अंत में	100.00	1.17

7.51 हमारी कंपनी ने इस प्रमुख सूचना दस्तावेज को दाखिल करने से पहले पिछले एक साल में कोई अधिग्रहण या एकीकरण नहीं किया है।

7.52 इस मुख्य सूचना दस्तावेज को दाखिल करने से पहले पिछले एक वर्ष में हमारी कंपनी ने कोई पुनर्गठन या पुनर्निर्माण नहीं किया है।

7.53 ***वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों को अधिमान्य आधार/ निजी प्लेसमेंट/ अधिकार निर्गम के आधार पर आबंटन किया गया है, उनकी संख्या, प्रतिभूतियों की संख्या के साथ-साथ मूल्य के संदर्भ में:***

वर्ष के दौरान जारीकर्ता ने तरजीही आधार/निजी प्लेसमेंट/राइट्स इश्यू के आधार पर कोई इक्विटी आवंटन नहीं किया है। हालांकि, जारीकर्ता ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर निम्नलिखित रेटेड, सूचीबद्ध, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए हैं:

विवरण	निवेशकों की संख्या	जारी प्रतिभूतियों की संख्या	विचारणीय राशि ₹ में	टिप्पणी
हुडको करयोग्य बांड सीरीज ए 2024	16	1,93,600	19,36,00,00,000/-	आवंटन तिथि: 17.05.2024& आवंटन तिथि परिपक्वता: 17.05.2029
हडको कर योग्य बांड श्रृंखला B2024	21	1,85,000	18,50,00,00,000/-	आवंटन तिथि: 18.07.2024 और परिपक्वता तिथि: 18.07.2029
हडको कर योग्य बांड श्रृंखला C 2024	09	2,00,000	20,00,00,00,000/-	आवंटन तिथि: 25.09.2024 और परिपक्वता तिथि: 25.09.2034
हडको कर योग्य बांड श्रृंखलाD 2024	10	1,23,000	12,30,00,00,000/-	आवंटन तिथि: 26.12.2024 और परिपक्वता तिथि: 26.12.2034
हडको कर योग्य बांड श्रृंखला E2024	26	2,91,000	29,10,00,00,000/-	आवंटन तिथि: 12.02.2025 और परिपक्वता तिथि: 12.02.2035
F हडको कर योग्य बांड श्रृंखला 2024	35	2,84,250	28,42,50,00,000/-	आवंटन तिथि: 12.03.2025 और परिपक्वता तिथि: 12.03.2035
हडको कर योग्य बांड श्रृंखलाG 2024	22	2,00,000	20,00,00,00,000/-	आवंटन तिथि: 27.03.2025 और परिपक्वता तिथि: 27.03.2035

7.54 तिमाही के अंत)यानी 31 दिसंबर, 2024) तक कंपनी के इक्विटी शेयरों (प्रमोटर होल्डिंग सहित (के शीर्ष 10 धारकों की सूची:

हाउसिंगएंडअर्बनडेवलपमेंटकॉर्पोरेशन लिमिटेड						
31/12/2024 को टॉप 10 धारकों की सूची						
क्रमांक।	डीपीआईडी	ग्राहक आईडी	नाम/पता	होल्डिंग	% राजधानी में	विशेष कोड
1	IN301330	21763274	भारत के राष्ट्रपति आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव के माध्यम से शहरी मामले	1086425000	54.27	प्रमोटरों
2	IN301330	21765740	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के माध्यम से भारत सरकार	415000000	20.73	प्रमोटरों
3	IN301348	20176093	बीमा भारतीय निगम	149024094	7.4441	बीमा कंपनी
4	IN303438	10003257	मोहरा कुल अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक इंडेक्सफंड	6926699	0.346	विदेश पोर्टफोलियो-कॉर्प.
5	IN303438	10016654	वैनगार्डइमर्जिंगमार्केट्सस्टॉकइंडेक्स फंड, वैनगार्ड की एक श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी इंडेक्स फंड	6504152	0.3249	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प.
6	आईएन300054	10076881	सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल	5449814	0.2722	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प.
7	आईएन300126	11178028	क्वांटम्यूचुअलफंड- क्वांट ईएलएसएस टैक्ससेवरफंड	4017000	0.2007	अन्यम्यूचुअल फंड
8	IN303173	20020025	एमकेटीकैपिटल एल.पी.	4000000	0.1998	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प.
9	आईएन300126	11179692	क्वांटम्यूचुअलफंड- क्वांट मिड कैप फंड	3899091	0.1948	अन्यम्यूचुअल फंड
10	IN301524	30042994	आईसीआईसीआईप्रूडेंशियललाइफइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3830367	0.1913	बीमा कंपनी

IX. हमारा प्रबंधन

13.1 निदेशक मंडल

एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, हमारी कंपनी में कम से कम तीन निदेशक और अधिकतम पंद्रह निदेशक होने चाहिए। 31.12.2024 तक कंपनी के बोर्ड में पाँच (5) निदेशक हैं, जिनमें से तीन कार्यात्मक निदेशक हैं, दो अंशकालिक आधिकारिक सरकारी निदेशक हैं। निम्नलिखित तालिका इस मुख्य सूचना दस्तावेज़ की तिथि के अनुसार बोर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी देती है।

क्र. सं.	नाम/पदनाम/ डीआईएन/ पैन/व्यवसाय/ राष्ट्रीयता	आयु/ जन्मतिथि	पता	अपॉइंटमेंट की तिथि	अन्य निदेशक पद	चाहे जानबूझ कर चूक करने वाला
1.	**श्री संजय कुलश्रेष्ठ** ***पद:*** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ***डीआईएन:*** 06428038 ***पैन:*** *ADCPK2491A* ***व्यवसाय*** : सेवा ***राष्ट्रीयता:*** भारतीय	55 वर्ष (31 जनवरी, 1969)	टावर जी, फ्लैट नंबर 805, आम्रपाली सफायर, सेक्टर 45, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301	अक्टूबर16, 2023	शून्य	नहीं
2.	**श्री एम. नागराज** ***पद:*** निदेशक (कॉर्पोरेट योजना) ***डीआईएन:*** 05184848 ***पैन:*** ADFPM5440G ***व्यवसाय*** : सेवा ***राष्ट्रीयता*** : भारतीय	57 वर्ष (23 जुलाई , 1967)	229, मालवा सिंह ब्लॉक, एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली- 110049	फरवरी , 2019	• बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. • नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
3.	**श्री दलजीत सिंह खतरी** **पद:** निदेशक (वित्त) **डीआईएन:** 06630234 **पैन:** AGNPK5670M **व्यवसाय:** सेवा **राष्ट्रीयता:** भारतीय	54 वर्ष (20 अक्टूबर, 1970)	फ्लैट नंबर 101, विक्टोरिया टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, सेक्टर-86, फरीदाबाद, हरियाणा-121002	14 अगस्त, 2024	शून्य	नहीं
4.	**श्री संजीत** ***पद:*** अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी) निदेशक ***डीआईएन:*** *09833776* ***पैन:*** *ALTPS7547N* ***व्यवसाय*** : सेवा ***राष्ट्रीयता:*** भारतीय	53 वर्ष(7 नवम्बर, 1971)	54/ए, रेलवे ऑफिसर्सएनक्लेव, एसपी मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021	दिसंबर , 2022	• एनबीसीसी(इंडिया) लिमिटेड • हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड • गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) लिमिटेड • उत्तर प्रदेश मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. • नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. • कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. • गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड।	नहीं
5.	**श्री सोलोमन अरोकिराज**	51 साल (जून 12, 1973)	फ्लैट नं.बी1, टावर- 10, नया मोती बाग, नया दिल्ली-110023	अक्टूबर , 2024	• एआईएसेट्स होल्डिंग लिमिटेड • इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी सीमित	नहीं

एस। नहीं	नाम/पदनाम/डीआईएन/पैन/ व्यवसाय/ राष्ट्रीयता	आयु/ जन्मतिथि	पता	अपॉइंटमेंट की तिथि	अन्य निदेशक पद	चाहेस्वेच् छापूर्वक दोषी
	पद: अंशकालिक आधिकारिक सरकारी निदेशक ***डीआईएन:*** 06802660 ***पैन:*** ADZPA3994P ***व्यवसाय*** : सेवा, ***राष्ट्रीयता:*** भारतीय				• आंध्र प्रदेश महिला अधिकार संस्थान	

एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष के परामर्श से अध्यक्ष और ऐसे अन्य निदेशकों की नियुक्ति करेंगे, बशर्ते कि हमारी कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी प्रतिनिधियों के संबंध में ऐसा कोई परामर्श आवश्यक न हो। राष्ट्रपति समय-समय पर प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक/निदेशकों को ऐसी शर्तों और पारिश्रमिक (चाहे वेतन के माध्यम से या अन्यथा) पर नियुक्त कर सकते हैं, जो उन्हें उचित लगे। इसके अलावा, प्रमुख ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य लोगों के साथ कोई व्यवस्था या समझ नहीं है, जिसके अनुसार किसी भी निदेशक को निदेशक या वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य के रूप में चुना गया हो।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बोर्ड में हुए परिवर्तन-

एस। नहीं.	नाम	शोर	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	समाप्ति का तिथि	टिप्पणी
1.	श्री एम नागराज	05184848	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग	फरवरी 1, 2019	सतत	नियुक्तिनिम्नानुसार MoHUA, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना
2.	श्री श्याम सुन्दर दुबे	06601151	अंशकालिक सरकारी सरकार निदेशक	अगस्त 8, 2019	अक्टूबर 12, 2022	MoHUA, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से हटा दिया गया
3.	श्री डी. गुहान	06757569	निदेशक (वित्त)	दिसंबर , 2019	31 मई, 2024	अधिसूचना के अनुसार निदेशक बनना बंद कर दिया गया MoHUA, भारत सरकार द्वारा
4.	श्री कामरान रिज़वी	01653503	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त) शुल्क	अक्टूबर 22, 2020	अक्टूबर 22, 2022	MoHUA, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से हटा दिया गया
5.	श्री.कुलदीप नारायण	03276525	अंशकालिक आधिकारिक सरकारी निदेशक अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	नवंबर , 2021 मार्च , 2023	अक्टूबर 16, 2023	MoHUA, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से हटा दिया गया
6.	डॉ.रविन्द्र कुमार रे	09394495	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	नवंबर , 2021	नवंबर , 2024	MoHUA, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से सेवानिवृत्त
7.	श्रीमती सबिता बोजन	09398364	गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	नवंबर , 2021	नवंबर , 2024	निदेशक नहीं रहे MoHUA, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार
8.	डॉ. सियाराम सिंह	09402727	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	नवंबर , 2021	नवंबर , 2024	MoHUA, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से मुक्त कर दिया गया

9.	श्री आशीष उपाध्याय	06855349	अंशकालिक सरकारी सरकार निदेशक	नवंबर , 2022	दिसंबर , 2022	MoHUA, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से हटा दिया गया
10.	श्री संजीत	09833776	अंशकालिक सरकारी सरकार निदेशक	22 दिसंबर , 2022	सतत	MoHUA, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति
11।	श्री सतिंदर पाल सिंह	07490296	अंशकालिक आधिकारिक सरकारी निदेशक	अप्रैल , 2023	अक्टूबर , 2023	MoHUA, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से हटा दिया गया
12.	श्री संजय कुलश्रेष्ठ*	06428038	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अक्टूबर , 2023	सतत	MoHUA, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति
13.	श्री.कुलदीप नारायण*	03276525	अंशकालिक सरकारी सरकार निदेशक	अक्टूबर , 2023	सितम्बर 27,2024	MoHUA, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार निदेशक पद से सेवानिवृत्त
14.	श्री बंशी लाल गूजर	09462128	अंशकालिक सरकारी सरकार निदेशक	जनवरी , 2022	मार्च , 2024	निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के फलस्वरूप निदेशक पद से मुक्त हो गए।
17.	श्री दलजीत सिंह खत्री**	06630234	निदेशक)वित्त(	14 अगस्त, 2024	सतत	MoHUA, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति
18.	श्री सोलोमन अरोकिराज***	06802660	अंशकालिक आधिकारिक सरकारी निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक	29 अक्टूबर 2024	सतत	MoHUA, GOI द्वारा अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति

** भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय आदेश संख्या A-42012(12)/1/2021-AA (E-9115243) दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड)HUDCO) के एसोसिएशन के अनुच्छेद 39(g) के साथ अनुलग्नक 39(f) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान में श्री संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं। श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने 16 अक्टूबर, 2023 (पूर्वाह्न) को हुडको के सीएमडी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।*

इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एचएफए) श्री कुलदीप नारायण, जो एचयूडीसीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी 16 अक्टूबर, 2023 के कार्यालय आदेश के अनुसार कंपनी के निदेशक नहीं रहेंगे।

** भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए, अपने कार्यालय आदेश संख्या A42012(12)/39/2017-AA/भाग(1)/E-9111623 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (HUDCO) के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 39 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत सक्षम प्राधिकारी ने श्री कुलदीप नारायण (DIN: 03276525), संयुक्त सचिव (HFA), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सतिंदर पाल सिंह के स्थान पर हुडको के निदेशकों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए की गई है।*

*** भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए, अपने कार्यालय आदेश संख्या ए-42012(12)/1/2023-एए-एमओएचयूए (ई-9160272) दिनांक 12 अगस्त, 2024 के माध्यम से सूचित करते हैं कि आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 39 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने श्री दलजीत सिंह खत्री को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, हुडको में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, श्री दलजीत सिंह खत्री (डीआईएन: 06630234) ने 14 अगस्त, 2024 से हुडको के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण कर लिया है।*

****भारत के राष्ट्रपति ने प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए, अपने कार्यालय आदेश संख्या ए-42012(12)/39/2017-एए/भाग(1)/ई-9111623) दिनांक 27 सितंबर, 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 39 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक मामलों के विभाग के बुनियादी ढांचे की नीति और योजना के संयुक्त सचिव, श्री सोलोमन अरोकियाराज (डीआईएन: 06802660) को अगले आदेश तक हुडको के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, 29.10.2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में श्री सोलोमन अरोकिराज को हुडको के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई।*

13.2 निगम से संबंधित शासन प्रणाली

हमारी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) पर लागू है। साथ ही, सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन भी कर रही है।

13.3 अन्य निदेशकों के साथ संबंध

कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है।

13.4 विलफुल चूककर्ता

न तो जारीकर्ता और न ही कंपनी के किसी भी वर्तमान निदेशक का नाम आरबीआई/ईसीजीसी डिफॉल्ट सूची के जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की सूची में है।

संस्था को इरादतन चूककर्ता घोषित करने वाले बैंक का नाम	वह वर्ष जिसमें इकाई को घोषित किया गया जानबूझकर चूककर्ता	घोषणा के समय बकाया राशि	जानबूझकर चूककर्ता घोषित की गई संस्था का नाम	सूची से हटाने के लिए उठाए गए कदम जानबूझकर चूक	अन्य खुलासे
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

13.5 निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण, तथा जारीकर्ता में उनके हितों की प्रकृति और सीमा के विवरण (चालू वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान):

निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण, तथा जारीकर्ता में उनके हितों की प्रकृति और सीमा के विवरण (चालू वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान):

(आई)	निदेशक द्वारा देय या भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक जारीकर्ता, उसकी सहायक या सहयोगी कंपनी;	कृपया बिंदु संख्या 8.5.1 पर विस्तृत जानकारी देखें
(ii)	कंपनी में निदेशक की शेयरधारिता, इसकी सहायक कंपनियां, और सहयोगी कंपनियां पूरी तरह से पतला आधार पर;	शून्य
(iii)	सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी के कार्यालय या लाभ के स्थान पर किसी रिश्तेदार की नियुक्ति कंपनी	शून्य
(iv)	प्रत्येक निदेशक की प्रकृति और हित की सीमा, यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण	
	क. जारीकर्ता कंपनी के प्रमोशन में; या	शून्य
	बी. जारीकर्ता कंपनी द्वारा जारी दस्तावेज की तारीख से दो वर्ष पहले अर्जित किसी भी अचल संपत्ति या किसी भी अचल संपत्ति में इसके द्वारा अधिग्रहित किये जाने का प्रस्ताव है; या	शून्य
	C. जहां ऐसे निदेशक का हित किसी फर्म या कंपनी का सदस्य होने में निहित है, फर्म या कंपनी में उसके हित की प्रकृति और सीमा, उसे या फर्म या कंपनी को नकद या शेयरों में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनने के लिए प्रेरित करने, या उसे निदेशक के रूप में योग्य बनाने में मदद करने, या अन्यथा उसके द्वारा या फर्म या कंपनी द्वारा पदोन्नति के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान की गई या भुगतान करने के लिए सहमत सभी राशियों का विवरण।	खंड VI - इतिहास और कुछ कॉर्पोरेट मामलों के बिंदु संख्या 6.19 ("संबंधित पार्टी लेन-देन") में अन्यथा बताए गए को छोड़कर, हमारी कंपनी ने इस निर्गम दस्तावेज की तिथि से पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई ऐसा अनुबंध, समझौता और व्यवस्था नहीं की है जिसमें निदेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखते हों और ऐसे अनुबंधों या समझौतों के संबंध में उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया हो। हमारे अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) सहित हमारे सभी निदेशकों को बोर्ड या उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें देय शुल्क, यदि कोई हो, के साथ-साथ अन्य की सीमा तक रुचि रखने

	या जारीकर्ता कंपनी के गठन का खुलासा किया जाएगा।	वाला माना जा सकता है। उन्हें देय पारिश्रमिक और व्यय की प्रतिपूर्ति ।
(वी)	निदेशकों द्वारा प्रस्ताव के भाग के रूप में या ऐसे उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से किया गया अंशदान	निदेशकों द्वारा प्रस्ताव के भाग के रूप में या ऐसे उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से कोई योगदान नहीं दिया जा रहा है।

8.5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक (चालू वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान) A.अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2025 (31 दिसंबर 2024 तक) के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण प्रस्तुत करती है:

निदेशक का नाम	वेतन और भत्ते, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि (रु. में)	अन्य लाभ (रु. में)	कुल (रु. में)
श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी	45,99,306	-	45,99,306
श्री एम. नागराज	64,11,311	-	64,11,311
श्रीदलजीतसिंह खत्री	21,63,817	-	21,63,817

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण प्रस्तुत करती है:

निदेशक का नाम	वेतन और भत्ते, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि (रु. में)	अन्य लाभ (रु. में)	कुल (रु. में)
श्री संजय कुलश्रेष्ठ,सीएमडी (16.10.2023 से)	21,72,767.00	5,00,588.00	26,73,355.00
श्री कुलदीप नारायण,सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार(27.03.2023 से 16.10.2023 तक)	0.00	0.00	0.00
श्री एम. नागराज	75,63,699.00	17,96,223.00	93,59,922.00
श्री डी. गुहान	74,12,509.00	8,61,084.00	82,73,593.00

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण प्रस्तुत करती है:

निदेशक का नाम	वेतन और भत्ते, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि (रु. में)	अन्य लाभ (रु. में)	कुल (रु. में)
श्री कामरान रिजवी,सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (22 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2022 तक)	-	-	-
श्री कुलदीप नारायण सीएमडी)अतिरिक्त प्रभार))27.03.2023 से)	-	-	-
श्री एम. नागराज	90,20,087.00	23,60,619.00	1,13,80,706.00
श्री डी. गुहान	82,97,538.00	7,23,306.00	90,20,844.00

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण प्रस्तुत करती है:

निदेशक का नाम	वेतन और भत्ते, प्रदर्शन से संबंधित प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि (रु. में)	अन्य लाभ (रु. में)	कुल (रु. में)
श्री कामरान रिजवी,सीएमडी)अतिरिक्त प्रभार) (22 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2022 तक(	-	-	-
श्री एम. नागराज	40,05,509	13,96,200	54,01,709
श्री डी. गुहान	41,57,323	6,81,702	48,39,025

बी. अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2025 (31 दिसंबर 2024 तक) के दौरान गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की जाने वाली बैठक शुल्क का

विवरण प्रस्तुत करती है:

निदेशक का नाम	रु. में)	समिति की बैठक हेतु बैठक शुल्क)रु. में(	कुल राशि)रु. में(
डॉ.रविन्द्र कुमार रे	1,70,000.00	2,30,000.00	4,00,000.00
श्रीमती सविता बोजन	2,50,000.00	6,70,000.00	9,20,000.00
डॉ. सियाराम सिंह	2,50,000.00	6,45,000.00	8,95,000.00

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले बैठक शुल्क का विवरण प्रस्तुत करती है :

निदेशक का नाम	रु. में)	समिति की बैठक हेतु बैठक शुल्क (रु. में)	कुल (राशि रु. में)
डॉ.रविन्द्र कुमार रे	2,60,000	2,10,000	4,70,000
श्रीमती सविता बोजन	2,60,000	3,00,000	5,60,000
डॉ. सियाराम सिंह	2,60,000	2,85,000	5,45,000
श्रीबंशीलाल गूजर	1,60,000	1,35,000	2,95,000

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले बैठक शुल्क का विवरण प्रस्तुत करती है:

निदेशक का नाम	रु. में)	समिति की बैठक हेतु बैठक शुल्क (रु. में)	कुल (राशि रु. में)
डॉ.रविन्द्र कुमार रे	1,80,000	1,95,000	3,75,000
श्रीमती सविता बोजन	2,00,000	2,85,000	4,85,000
डॉ. सियाराम सिंह	2,00,000	2,70,000	4,70,000
श्रीबंशीलाल गूजर	1,60,000	1,50,000	3,10,000

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले बैठक शुल्क का विवरण प्रस्तुत करती है :

निदेशक का नाम	रु. में)	समिति की बैठक हेतु बैठक शुल्क (रु. में)	कुल (राशि रु. में)
डॉ.रविन्द्र कुमार रे	1,00,000	60,000	1,60,000
श्रीमती सविता बोजन	1,00,000	45,000	1,45,000
डॉ. सियाराम सिंह	1,00,000	45,000	1,45,000
श्रीबंशीलाल गूजर	80,000	15,000	95,000

13.6 निदेशकों द्वारा निर्गम के भाग के रूप में या निर्गम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से किए गए अंशदान का ब्यौरा - *शून्य*

13.7 प्रस्ताव में निदेशकों, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या वरिष्ठ प्रबंधन का कोई वित्तीय या अन्य भौतिक हित और ऐसे हित का प्रभाव जहां तक वह अन्य व्यक्ति के हितों से भिन्न हो।

प्रस्ताव में निदेशकों, प्रमोटरों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का कोई वित्तीय या अन्य भौतिक हित नहीं है। निदेशकों द्वारा प्रस्ताव के हिस्से के रूप में या ऐसे उद्देश्यों के लिए अलग से कोई योगदान नहीं दिया जा रहा है।

X. जोखिम कारकों की प्रबंधन धारणा

निवेशक को बांड में निवेश करने से पहले इस मुख्य सूचना दस्तावेज में दी गई सभी जानकारी, जिसमें नीचे वर्णित जोखिम और अनिश्चितताएं, साथ ही इस मुख्य सूचना दस्तावेज में दिए गए वित्तीय विवरण शामिल हैं, पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। इस खंड में वर्णित जोखिम और अनिश्चितताएं ही एकमात्र जोखिम नहीं हैं जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। अतिरिक्त जोखिम और अनिश्चितताएं जो हमें ज्ञात नहीं हैं या जिन्हें हम वर्तमान में महत्वहीन मानते हैं, उनका भी हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी या कोई अन्य जोखिम वास्तव में घटित होता है, तो हमारे व्यवसाय, संभावनाओं, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और बांड में आपके निवेश की कीमत और मूल्य में गिरावट आ सकती है और आप अपने निवेश का पूरा या आंशिक हिस्सा खो सकते हैं।

संबंधित जोखिमों के वित्तीय और अन्य संबंधित निहितार्थ, जहाँ भी मात्रात्मक हो, नीचे उल्लिखित जोखिम कारकों में प्रकट किए गए हैं। हालाँकि, कुछ जोखिम कारक ऐसे हैं जहाँ ऐसे निहितार्थ मात्रात्मक नहीं हैं और इसलिए ऐसे जोखिम कारकों में अंतर्निहित जोखिमों का कोई परिमाणीकरण प्रकट नहीं किया गया है। जोखिम कारकों की संख्या को पढ़ने और संदर्भ की सुविधा के लिए किया गया है और किसी भी तरह से एक जोखिम कारक के दूसरे पर महत्व को इंगित नहीं करता है। आपको बॉन्ड में निवेश के आपके लिए विशेष परिणामों के बारे में अपने कर, वित्तीय और कानूनी सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

जब तक अन्यथा न कहा जाए, इस अनुभाग में प्रयुक्त हमारी वित्तीय जानकारी हमारे स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय विवरणों से ली गई है।

13.8 व्यापार या उद्योग के संबंध में जोखिम

13.8.1 जारीकर्ता का व्यवसाय और वह उद्योग जिसमें वह अपना व्यवसाय संचालित करता है, सरकार की नीतियों और समर्थन पर निर्भर करता है और जारीकर्ता ऐसी नीतियों और हमें प्राप्त समर्थन के स्तर में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। यदि सरकारी नीतियों में परिवर्तन जारीकर्ता के व्यवसाय के पक्ष में नहीं हैं, तो इससे उसके व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और उसके संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

13.8.2 जारीकर्ता के पास कुछ उधारकर्ताओं को दिए गए बकाया ऋणों का एक महत्वपूर्ण संकेन्द्रण है और यदि इन उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण गैर-निष्पादित हो जाते हैं, तो जारीकर्ता के परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.3 यदि जारीकर्ता की बकाया ऋणों, अग्रिमों और निवेशों में ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर या अनिवार्य प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि होती है या परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों में परिवर्तन होता है, तो जारीकर्ता के ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ जाएंगे और इसके प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

13.8.4 जारीकर्ता ने अपने उधारकर्ताओं से पर्याप्त प्रतिभूति और संपार्श्विक प्राप्त नहीं किया हो सकता है, या वह किसी प्रतिभूति और संपार्श्विक से अपेक्षित मूल्य वसूलने या लागू करने में सक्षम नहीं हो सकता है, या वसूलने या लागू करने में देरी हो सकती है, जिससे उसके व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.5 जारीकर्ता का व्यवसाय ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है और हम अपने प्रचालन में ऐसी ब्याज दरों में किसी भी उतार-चढ़ाव से प्रभावित होंगे, जिससे हमारे शुद्ध ब्याज मार्जिन में गिरावट आ सकती है और हमारी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज दरें हमारे नियंत्रण से परे कई कारकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जिनमें RBI की मौद्रिक नीतियां और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां शामिल हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन ब्याज-अर्जित परिसंपत्तियों पर लगाए गए ब्याज दरों को ब्याज-असर वाली देनदारियों पर भुगतान की गई ब्याज दरों से अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं; हमारा व्यवसाय अभी भी ब्याज दरों में परिवर्तन और हमारी परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की तुलना में हमारी देनदारियों के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के समय से प्रभावित होता है।

13.8.6 जारीकर्ता की प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता, निधियों की कम और प्रभावी लागत बनाए रखने की उसकी क्षमता पर निर्भर है; यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो इससे जारीकर्ता के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.7 जारीकर्ता को परिसंपत्ति देयता बेमेल का सामना करना पड़ सकता है, जो इसकी तरलता को प्रभावित कर सकता है और परिणामस्वरूप इसके व्यवसाय , वित्तीय प्रदर्शन और प्रचालन के परिणामों पर एक भौतिक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उधार देने के व्यवसाय में एक कंपनी के लिए विशिष्ट रूप से, हमारी फंडिंग आवश्यकताओं का एक हिस्सा बैंक ऋण, नकद लेनदार या ओवरड्राफ्ट सुविधाओं जैसे लघु / मध्यम अवधि के फंडिंग स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर और लागत प्रभावी तरीके से या बिल्कुल भी हमारी देनदारियों की अवधि के मिलान के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने या हमारी मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं को नवीनीकृत करने में हमारी असमर्थता, हमारी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच बेमेल का कारण बन सकती है, जो बदले में हमारे संचालन और वित्तीय प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

13.8.8 यदि जारीकर्ता अपनी वृद्धि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में असमर्थ है, तो उसके व्यवसाय और वित्तीय परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.9 जारीकर्ता वर्तमान में विदेशी मुद्रा उधार लेने में लगा हुआ है और भविष्य में इसके बढ़े हुए स्तर पर होने की संभावना है, जिससे जारीकर्ता को विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और यदि वह जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने में असमर्थ है, तो इससे हमारे प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

13.8.10 जारीकर्ता बड़ी संख्या में मुकदमों में शामिल है और इन मामलों में किसी भी प्रतिकूल निर्णय का हमारे व्यवसाय, प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है।

13.8.11 जारीकर्ता अपने प्रचालन में ब्याज दरों में अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है और इसलिए ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.12 प्रभावी जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित या क्रियान्वित करने में असमर्थता, जारीकर्ता को अज्ञात जोखिमों या जोखिम के अप्रत्याशित स्तरों के प्रति उजागर कर सकती है।

13.8.13 भारत के राष्ट्रपति, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए, कंपनी में बहुमत नियंत्रण रखते हैं, जो उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार वे शेयरधारक मतदान के परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं तथा जारीकर्ता के प्रचालन को प्रभावित कर सकते हैं।

13.8.14 निदेशकों के पास जारीकर्ता के समान कंपनियों/संस्थाओं में हित हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हितों का टकराव हो सकता है, जो भविष्य में वित्तपोषण अवसर रेफरल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि इन

या अन्य हितों के टकरावों को निष्पक्ष तरीके से हल किया जाएगा।

13.8.15 जारीकर्ता एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अपने लिए उपलब्ध कुछ कर लाभों का लाभ उठाता है। यदि ये कर लाभ कम हो गए या जारीकर्ता के लिए अब उपलब्ध नहीं हैं, तो हमारी लाभप्रदता, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, प्रचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.16 जारीकर्ता ने संबंधित पक्षों के साथ कुछ लेनदेन किए हैं और कर सकता है, जो निष्पक्ष आधार पर नहीं हो सकते हैं या जिनसे हितों का टकराव हो सकता है।

13.8.17 जारीकर्ता अपने उधार के लिए कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ किए गए समझौतों में प्रतिबंधात्मक वाचाओं के अधीन है, जैसे क्रेडिट रेटिंग, वित्तीय अनुपात आदि बनाए रखना। ऐसे प्रतिबंधात्मक वाचाएँ इसके संचालन या विस्तार करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकती हैं और इसके व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। जारीकर्ता के उधारकर्ताओं द्वारा सुरक्षा और बीमा आदि जैसे नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने से जारीकर्ता की ऋण वसूलने की क्षमता प्रभावित होगी।

13.8.18 जारीकर्ता की आकस्मिक देनदारियाँ उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

13.8.19 जारीकर्ता ने कुछ असुरक्षित उधार लिए हैं जिन्हें उसके ऋणदाता द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। जारीकर्ता के पास कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण सुविधाओं की प्रकृति में बकाया असुरक्षित उधार थे, जिन्हें ऋणदाता द्वारा किसी भी समय, चूक की स्थिति में या उसके बिना वापस लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, ऋणदाता को अवधि के दौरान किसी भी समय सुविधा के पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है। ऋणदाता द्वारा त्वरित पुनर्भुगतान की कोई भी मांग जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

13.8.20 जारीकर्ता का नकदी प्रवाह विभिन्न श्रेणियों में उधार और उधार की प्रस्तुति के मद्देनजर प्रचालन से नकारात्मक नकदी प्रवाह को दर्शाता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि प्रचालन से इस तरह का नकारात्मक नकदी प्रवाह भविष्य की वित्तीय अवधि में फिर से नहीं आएगा और अगर ऐसा होता है तो यह जारीकर्ता के व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

13.8.21 जारीकर्ता की सफलता काफी हद तक उसके प्रबंधन दल और कुशल कार्मिकों पर निर्भर करती है। जारीकर्ता की ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता तथा उसके प्रमुख कार्मिकों का अलग हो जाना, उसके व्यवसाय और विकास रणनीतियों को आगे बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

13.8.22 जारीकर्ता के उधारकर्ताओं की परिसंपत्तियों का बीमा, इन उधारकर्ताओं को होने वाले सभी संभावित नुकसानों से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है , जिससे इन उधारकर्ताओं से जारीकर्ता को देय ऋण राशि वसूलने की जारीकर्ता की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

13.8.23 जारीकर्ता और उसके उधारकर्ताओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में भौतिक परिवर्तन से जारीकर्ता के व्यवसाय को नुकसान हो सकता है।

13.8.24 जारीकर्ता अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में समय पर या बिल्कुल भी कुछ विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में विफल हो सकता है, या अपने मौजूदा विनियामक अनुमोदनों और लाइसेंसों की शर्तों का पालन करने में विफल हो सकता है, जिसका जारीकर्ता के व्यवसाय की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और भविष्य में इसके प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है और एनसीडी पर असर पड़ सकता है।

13.8.25 जारीकर्ता को आरबीआई द्वारा कुछ विवेकपूर्ण मानदंडों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। जारीकर्ता पात्र निवेशकों को यह आश्वासन नहीं दे सकता कि आरबीआई द्वारा ऐसी छूट दी जाती रहेगी, जो जारीकर्ता के व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है।

13.8.26 जारीकर्ता से संबंधित अनेक कानूनी और कर-संबंधी कार्यवाहियां होती हैं। इन कार्यवाहियों में या अन्य कार्यवाहियों में कोई प्रतिकूल घटना, जिसमें जारीकर्ता शामिल होता है, जारीकर्ता के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

13.8.27 जारीकर्ता ने अतीत में धोखाधड़ी की घटनाओं का अनुभव किया है और भविष्य में भी ऐसी धोखाधड़ी का अनुभव कर सकता है, जिसका हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जबकि हमने आंतरिक नियंत्रण, क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी का पता लगाने की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न कदम उठाए हैं, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि वे धोखाधड़ी के आगे के मामलों को रोकने के लिए पर्याप्त होंगे। इसका हमारे व्यवसाय, हमारे संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.28 यदि मौजूदा विनियामक नीति में किसी भी परिवर्तन के कारण पूंजी पर्याप्तता और वैधानिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे, तो हमारे प्रचालन परिणाम और वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

13.8.29 जारीकर्ता कड़े श्रम कानूनों और ट्रेड यूनियन गतिविधि के अधीन है और किसी भी कार्य ठहराव से उसके व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.30 जारीकर्ता की कुछ अचल संपत्तियों के स्वामित्व में कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका प्रचालन बाधित हो सकता है।

13.8.31 इस मुख्य सूचना दस्तावेज में कुछ असंपरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल है, जो जारीकर्ता के संबंध में सीमित समीक्षा के अधीन है। तदनुसार, ऐसी जानकारी पर रिलायंस की निर्भरता सीमित होनी चाहिए।

13.8.32 किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारीकर्ता की ऋण रेटिंग या भारत की संप्रभु रेटिंग में कोई भी कमी करने से जारीकर्ता के व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.33 जारीकर्ता कॉर्पोरेट प्रशासन आदि जैसे कुछ विनियमों का अनुपालन नहीं कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जा सकता है।

13.8.34 हमारी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उन्नयन अपेक्षित है, और यदि ऐसा उन्नयन असफल होता है या इसमें देरी होती है, तो हमारा व्यवसाय काफी प्रभावित हो सकता है।

13.8.35 जारीकर्ता को अपने वित्तीय ऋण के संबंध में पूर्व भुगतान दंड का जोखिम हो सकता है।

13.8.36 जारीकर्ता की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा विफल हो सकती है और उसके व्यवसाय, प्रचालन, वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.37 की कार्यालय प्रतियां हमारे कार्यालय में तथा RoC के साथ भी अनुपलब्ध हैं, जो कि कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 के साथ हमारे अनुपालन को प्रभावित कर सकती हैं।

13.8.38 भविष्य में जारीकर्ता संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अतिरिक्त व्यवसाय का संचालन कर सकता है, जिससे उसे सामान्य रूप से नई व्यावसायिक लाइनें शुरू करने से जुड़े कुछ विनियामक और प्रचालन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

13.8.39 आवास और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और जारीकर्ता की लाभप्रदता और वृद्धि, प्रभावी रूप से

प्रतिस्पर्धा करने और निधियों की कम प्रभावी लागत को बनाए रखने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी, ताकि वह अपनी ब्याज आय को बनाए रख सके और अपनी परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को बढ़ा सके।

13.8.40 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता और ब्याज दरें प्रभावित हो सकती हैं, जिसका जारीकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । भंडार में तीव्र कमी से ब्याज दरों में वृद्धि और परिणामस्वरूप विकास में मंदी का खतरा भी पैदा होगा।

13.8.41 हम भारत में प्रभावी कॉर्पोरेट, कराधान और अन्य कानूनों के भी अधीन हैं, जिनके लिए निरंतर निगरानी और अनुपालन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त सरकारी नियंत्रण या नए लागू किए गए कानूनों और विनियमों की शुरूआत , जिसमें अन्य बातों के अलावा, एनपीए, वसूली, पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं, जोखिम मानदंडों आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं, उनकी प्रकृति और सीमा और संबंधित समायोजन करने की हमारी क्षमता के आधार पर, हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति और भारत में हमारे भविष्य के विस्तार की योजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.8.42 भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित 'सरकारी कंपनियों' के संबंध में कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता को संशोधित किया है। इस अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश और जारीकर्ता के लेखों के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, जारीकर्ता के निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित मामलों का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, जारीकर्ता के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। तदनुसार, जहाँ तक उपर्युक्त मामलों का संबंध है, जारीकर्ता की नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इन समितियों को केवल भारत के राष्ट्रपति या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कार्रवाइयों को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति देते हैं, जैसा भी मामला हो, सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन करते हुए। सेबी द्वारा सरकारी कंपनियों को उनके नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों के संबंध में दिए गए किसी विशिष्ट छूट के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि जारीकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी जारी नहीं की जाएगी और जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

13.9 बांड में निवेश से संबंधित जोखिम

13.9.1 कूपन और मोचन राशि का भुगतान करने की जारीकर्ता की क्षमता उसकी वित्तीय स्थिति, भारतीय और वैश्विक बाजार की स्थिति, दिवालियापन की स्थिति, समापन और परिसमापन सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जारीकर्ता पात्र निवेशक को कूपन या मोचन राशि के भुगतान का आश्वासन समय पर या बिल्कुल भी नहीं दे सकता है।

13.9.2 शर्तों के तहत जारी किए जा रहे बॉन्ड के विरुद्ध कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की परिकल्पना नहीं की गई है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अभाव में, पात्र निवेशकों को अपना पैसा वापस पाना मुश्किल हो सकता है।

13.9.3 आयकर विभाग हुडको के 54 ईसी बांड में निवेश के बाद भी किसी पात्र निवेशक को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी का लाभ नहीं दे सकता है। भले ही आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत कोई लाभ नहीं देता है , बांड आवंटन की संबंधित मानी गई तारीख से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए लॉक इन रहेंगे।

13.9.4 बांडों में सीमित तरलता हो सकती है तथा इनका व्यापार भी सीमित हो सकता है।

13.9.5 बांड सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त निवेश नहीं हो सकता है।

13.9.6 बांड की गारंटी भारत गणराज्य द्वारा नहीं दी जाती है।

13.9.7 कानून में परिवर्तन के जोखिम के अधीन हैं ।

13.9.8 पेशकश के बाद बांड की कीमत अस्थिर हो सकती है।

13.9.9 बांडधारकों की ओर से लिए जाने वाले निर्णय व्यक्तिगत बांडधारकों के हितों के प्रतिकूल हो सकते हैं।

13.9.10 बांड में निवेश ब्याज दर जोखिम के अधीन है

13.9.11 बांडों के व्यापारिक मूल्य अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें प्रचालन परिणाम, जारीकर्ता की व्यावसायिक और/या वित्तीय स्थितियां, राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और अन्य कारक शामिल हैं जो पूंजी बाजार, व्यवसाय या जारीकर्ता को प्रभावित कर सकते हैं।

13.9.12 बांड में निवेश में यह जोखिम शामिल है कि बाजार ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन से बांड के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.9.13 बांड को दी गई क्रेडिट रेटिंग उन बांडों में निवेश से जुड़े सभी जोखिमों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है

13.9.14 इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बांड समय पर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो जाएंगे।

13.9.15 रेटिंग में किसी भी प्रकार की गिरावट से बांड की कीमतों पर असर पड़ेगा ।

13.9.16 यद्यपि बांड को बांड ट्रस्टी के पक्ष में मूलधन और ब्याज राशि के 100% के बराबर प्रभार के विरुद्ध सुरक्षित किया जाएगा, तथा बांड ट्रस्टी का यह कर्तव्य है कि वह सुरक्षा को बनाए रखे, तथापि, राशि के 100% की वसूली की संभावना सुरक्षा के प्रवर्तन के समय प्रचलित बाजार परिदृश्य पर निर्भर करेगी।

13.10 बाह्य जोखिम कारक

13.10.1 कोविड-19 महामारी, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस या कोयले की आपूर्ति में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिक अशांति, हड़ताल या सरकार में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियमन, प्राकृतिक आपदा, महामारी, महामारी, आतंकवादी कृत्य, युद्ध, दंगा आदि के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि में मंदी जारीकर्ता के व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थितियों में कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन आकर्षक शर्तों पर वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाइयों का कारण बन सकता है।

13.10.2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण के लिए भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में कोई भी प्रतिकूल संशोधन, जारीकर्ता को उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तपोषण की ब्याज दरों और अन्य वाणिज्यिक शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

13.10.3 भारतीय पूंजी बाजार अच्छी गति से विकसित और परिपक्व हो रहा है और इससे बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। यदि जारीकर्ता के उधारकर्ता सीधे बाजार तक पहुंचना शुरू करते हैं, तो यह जारीकर्ता के व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है।

13.10.4 भारत में आर्थिक विकास में कोई भी मंदी हम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिसमें हमारी परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने की क्षमता, हमारी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और हमारी रणनीति को लागू करने की हमारी क्षमता शामिल है।

13.10.5 भारत में कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि या मुद्रास्फीति हमारी कंपनी के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इससे बुनियादी ढांचे और संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि में मंदी आ सकती है, जिससे हमारी कंपनी के कारोबार, प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.10.6 राजनीतिक अस्थिरता या भारत सरकार में परिवर्तन से भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप, हमारे व्यापार पर भी असर पड़ सकता है।

13.10.7 भविष्य में भारत सरकार की नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विशेष रूप से आवास और शहरी अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में, भारत में व्यापार और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इससे हमारे व्यापार, संभावनाओं, प्रचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

13.10.8 भारत ने हाल ही में भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं की सीमा और गंभीरता भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को निर्धारित करती है।

देश में लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हमारा व्यापार प्रभावित हो सकता है।

13.10.9 हम भारतीय वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों से अवगत हैं, जो बदले में भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों और अन्य समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। कुछ भारतीय वित्तीय संस्थानों ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से अपने पोर्टफोलियो से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन और अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अवधि से मेल खाने में कठिनाइयों का अनुभव किया है, और कुछ सहकारी बैंकों को भी गंभीर वित्तीय और तरलता संकट का सामना करना पड़ा है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई कोई भी बड़ी कठिनाई या अस्थिरता प्रतिकूल बाजार धारणा पैदा कर सकती है, जो बदले में हमारे व्यवसाय, संभावनाओं, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

13.10.10 प्रस्तावित नई भारतीय कराधान प्रणाली हमारी कंपनी के कारोबार और एनसीडी की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

13.10.11 किसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की ऋण रेटिंग में कमी करने से हमारे कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

13.10.12 आपके निवेश का बाजार मूल्य भारतीय प्रतिभूति चिह्न की अस्थिरता के कारण उतार-चढ़ाव कर सकता है

(डी(	25 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में संशोधित कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाएगा।
(ई)	KIDaskey प्रबंधकीय व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की प्रति
)एफ)	एनसीडी धारकों के लिए ट्रस्टी के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की प्रति।
)ज)	धारक (यों) की ओर से ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड से सहमति पत्र एनसीडी.
(एच)	डिबेंचरट्रस्टी समझौता
(आई)	डिबेंचरट्रस्ट डीड
(एल)	आईआरआरपीएल, आईसीआरए लिमिटेड का पत्र और हुडको के कर योग्य एनसीडी जारी करने के लिए केयर रेटिंग, रेटिंग तर्क और उससे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति।
)एम)	2024, 2023 और 2022 के लिए चार कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट ।
)एन(	2024 को समाप्त तिमाही के लिए मज़ेदार ऑडिटेड स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण
(ओ(	विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/विदेशी ऋण संस्थाओं के साथ किए गए सावधि ऋण समझौते
)पी)	एनएसडीएल, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और जारीकर्ता के बीच त्रिपक्षीय समझौता।
)आर)	सीडीएसएल, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और जारीकर्ता के बीच त्रिपक्षीय समझौता।

X. नवीनतम तिमाही के अंत में, उधार लेने का विवरण, जारी की गई कॉर्पोरेट गारंटी का विवरण, नकद के अलावा या प्रीमियम या छूट पर या किसी विकल्प के अनुसरण में विचार के लिए जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियों का विवरण, प्रत्येक वर्ग या प्रकार की प्रतिभूतियों के अधिकतम दस धारक), बोर्ड की उधार लेने की शक्तियां और अन्य संबंधित प्रकटीकरण

10.1 IND-AS के अनुसार स्टैंडअलोन आधार पर उधार लेने का विवरण

31 दिसंबर , 2024 तक , जारीकर्ता के पास 1,00,807.09 करोड़ रुपये की बकाया उधारी है, जिसमें से 15,783.75 करोड़ रुपये या 15.66% प्रतिभूतित और 85,023.33 करोड़ रुपये या 84.34% अप्रतिभूतित है, जैसा कि नीचे दिया गया विवरण है:

	उधार लेने का स्रोत/तरीका	बकाया राशि	31 दिसंबर, 2024 को IND-AS के अनुसार परिशोधित लागत (रु. करोड़(	कुल उधार का %
		31 दिसंबर, 2024 तक	(अलेखापरीक्षित (	
		(करोड़ रुपए में(		
		(अलेखापरीक्षित (		
ए	**प्रतिभूतित**			
i)	एनएचबी और अन्य से पुनर्वित्त सुविधा	3,411.37	3,411.37	3.38%
(ii	प्रतिभूतित कर-मुक्त बांड	12,372.38	12,347.20	12.27%
	उप-योग (ए(	**15,783.75**	**15,758.57**	15.66%
बी	**अप्रतिभूतित**			
i)	करयोग्य बांड	36,826.00	36,813.63	36.53%
(ii	बैंकों से मध्यम अवधि/दीर्घावधि ऋण	22,725.81	22,725.81	22.54%
(iii	बैंकों से अल्पावधि ऋण	7,897.20	7,897.20	7.83%
iii)	एफसीएनआर(बी(से ऋण बैंकों	12,212.83	12,458.18	12.12%
(v	ईसीबी/ओडीए	5,361.49	5,161.32	5.32%
	उप-योग (बी(	**85,023.33**	**85,056.14**	84.34%
	कुल (ए+बी(	**1,00,807.09**	**1,00,814.71**	**100.00%**

A. <u>हमारी कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित अवधि ऋण सुविधाओं का विवरण</u>
<u>:</u>

A.1 नीचे हमारी कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त बकाया प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित अवधि ऋण सुविधाओं का संक्षिप्त सारांश दिया गया है :

(राशि करोड़ रुपए में(

क्र.सं.	लेंडर का नाम	सुविधा/उपकरण का प्रकार/प्रकृति	स्वीकृत राशि	मूलधन	क्रेडिट रेटिंग, यदि लागू हो	परिसंपत्ति वर्गीकरण
			राशि करोड़ रुपए में(	बकाया राशि		
				31 दिसंबर		

				2024 तक		

1	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी(	पुनर्वित्त सहायता सुविधा – दीर्घकालिक ऋण समझौता ज्ञापन दिनांक 5 फरवरी, 2009	411.37	411.37	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
	उप योग (1(		**411.37**	**411.37**		
2	पंजाब नेशनल बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण(I(	11,499.95	9,498.95	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
3	केनरा बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण(II(	2,948.15	2,948.15	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	4,000.00	3,999.99	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
5	कर्नाटक बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	1,000.00	999.97	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
6	बैंक ऑफ इंडिया	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	1,928.00	1,927.72	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
7	इंडियनओवर सीज बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण(III(	2000.00	1,999.34	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
8	साउथ इंडियन बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	600.00	599.87	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	999.98	999.97	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
10	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	8,338.00	4,196.87	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
11	एचडीएफसी बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	1,350.00	1,215.00	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
12	आई सी आई सी आई बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	6,375.00	6,134.41	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक
13	डीबीएस बैंक	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण	418.4	418.4	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक

14	आई आई एफ सी एल	मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण(I(	3000.00	3,000.00	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
15	बैंक ऑफ बड़ौदा*	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	200.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक

16	पंजाब नेशनल बैंक*	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	3,600.00	3,479.00	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
17	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया *	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	3,000.00	2,843.20	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
18	कोटक महिंद्रा बैंक	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	2.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
19	मिजुहो बैंक	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	500.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
20	सुमितोमोमित् सुई बैंकिंग कॉर्प.	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	340.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
21	आई सी आई सी आई बैंक	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	875.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
22	एक्सिस बैंक	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	365.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
23	आरबीएल बैंक	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	200.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
24	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	300.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
25	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	2,000.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
26	बैंकऑफ इंडिया	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	72.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
27	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	1,500.00	1,500.00	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
28	इंडसइंड बैंक	WCDL/CC/अल्पकालिक ऋण	150.00	75.00	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक

29	भारतीय स्टेट बैंक	बैंक गारंटी	1,390.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीएल-'आईएनडीएएए'	मानक

30	आई सी आई सी आई बैंक	बैंक गारंटी	500.00	475.31	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
31	आरबीएल बैंक	बैंक गारंटी	125.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
32	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक गारंटी	50.00	0	आईसीआरए-एएए, केयर-एएए और आईआरआरपीए ल-'आईएनडीएएए'	मानक
	उप योग (2(		**60,037.85**	**46,722.52**		
	जोड़ें/घटाएँ: IND-AS के अनुसार अमोर्टाइज्ड शुल्क, प्रभार और अन्य व्यय			0		
	उप योग (3(			0		
	कुल (1+2+3)		**60,037.85**	**46,722.52**		

A.2 विदेशी मुद्रा में ऋण

निम्नलिखित 31 दिसंबर, 2024 तक हमारी कंपनी द्वारा प्राप्त बकाया अप्रतिभूतित विदेशी मुद्रा ऋणों का संक्षिप्त सारांश है:

(राशि करोड़ रु. में(

ऋणदाता का नाम	सुविधा /उपकरण का प्रकार/प्रकृति	स्वीकृत राशि (राशि करोड़ रुपए में(	31 दिसम्बर 2024 तक बकाया मूल राशि	पुनर्भुगतान तिथि /शेड्यूल	प्रतिभूति	क्रेडिट रेटिंग, यदि लागू हो	परिसंपत्ति वर्गीकरण
अमेरिकी पूंजी बाजार जिसमें रिग्स बैंक एन.ए. भुगतान और हस्तांतरण एजेंसी के रूप में कार्य करता है और जिसकी गारंटी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ("**यूएसएआईडी** "(द्वारा दी जाती है और केनरा बैंक द्वारा प्रति-गारंटी	भुगतान और हस्तांतरण एजेंसी के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण समझौता दिनांक 15 सितंबर, 2000 में हडको और रिग्स बैंक एनए के बीच समझौता हुआ और सहमति हुई यूएसएआईडी द्वारा	20 मिलियन अमरीकी डॉलर	6.00 मिलियन अमरीकी डॉलर	15 मार्च, 2011 से प्रारंभ होकर 15 सितंबर, 2030 को समाप्त होने वाली 40 समान क्रमिक अर्धवार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।	अप्रतिभूतित	-	मानक
	भुगतान और हस्तांतरण एजेंसी के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण हडको और रिग्स बैंक एन.ए. के बीच 24 सितंबर, 1999 को हुआ समझौता, जिस पर यूएसएआईडी की सहमति है।	अमेरिका 10 मिलियन	2.50 मिलियन अमरीकी डॉलर	24 मार्च, 2010 से प्रारंभ होकर 24 सितंबर, 2029 को समाप्त होने वाली 40 समान क्रमिक अर्धवार्षिक किश्तों में देय	अप्रतिभूतित		मानक
एसएमबीसी	बाह्य वाणिज्यिक उधार	30 बिलियन JPY	30 बिलियन JPY	ऋण 5 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसकी बुलेट पुनर्भुगतान तिथि 22 मार्च 2029 और 14 जून 2029 है, प्रत्येक के लिए 15 बिलियन जापानी येन	अप्रतिभूतित	फिच बीबी बी- मूडीज Baa3ICRA बीबीबी+	मानक
एसएमबी सी मिज़ोहू एमयूएजी	बाह्य वाणिज्यिक उधार	64 बिलियन JPY	32 बिलियन JPY 16 बिलियन JPY 16 बिलियन JPY	ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए है, जिसकी पुनर्भुगतान 23 अगस्त 2029 (जेपीवाई 24 बिलियन) और 5 सितंबर 2029 (जेपीवाई 40 बिलियन) को की जाएगी।	अप्रतिभूतित	फिच बीबी बी- मूडीज Baa3ICR ABBB+	मानक

A.3 सार्वजनिक जमा

नीचे 31 दिसंबर, 2024 को हमारी कंपनी द्वारा प्राप्त सार्वजनिक जमा का सारांश दिया गया है:

ऋणदाता का नाम	सुविधा/उपकरण का प्रकार/प्रकृति	स्वीकृत राशि	मूल राशि	पुनर्भुगतान तिथि /शेड्यूल	प्रतिभूति	क्रेडिट रेटिंग, यदि लागू हो	परिसंपत्ति वर्गीकरण

		(राशि करोड़ रुपए में(	30 सितम्बर, 2024 तक बकाया (राशि करोड़ रुपये में(				
सार्वजनिक जमा	अप्रतिभूतित सार्वजनिक जमाराशि	0.000	0.005	एक से सात वर्ष की अवधि में चुकाने योग्य	अप्रतिभूतित	आईसी आरए-एएए, केयर-AAA और IRRPL-'इंड एएए'	-
जोड़ें/घटाएँ: IND-AS के अनुसार अमोर्टाइज्ड शुल्क, प्रभार और अन्य व्यय			(0.00(				-
कुल			**0.005**				

B. बकाया गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का विवरण:

B.1 प्रतिभूतित कर-मुक्त गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ

हमारी कंपनी ने निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों को वचनबद्धता के रूप में प्रतिभूतित , गैर-परिवर्तनीय, प्रतिदेय, गैर-संचयी कर-मुक्त बांड जारी किए हैं। 31 दिसंबर, 2024 तक, 12,372.38 करोड़ रुपये बकाया हैं। बांड का विवरण नीचे दिया गया है:

(a) प्राइवेट प्लेसमेंट

हमारी कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के निवेशकों को वचनबद्धता के रूप में प्रतिभूतित , गैर-परिवर्तनीय, प्रतिदेय, गैर-संचयी कर-मुक्त बांड जारी किए हैं। 21 मार्च, 2025 तक बांड का विवरण नीचे दिया गया है:

गैर- परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सीरीज	ISIN	परिपक्वता की अवधि / अवधि (वर्षों की संख्या(	कूपन दर (% प्रति वर्ष(	राशि (करोड़ रुपए में(	आबंटन तिथि	रिडेम्पशन डेट/ शेड्यूल	क्रेडिट रेटिंग	प्रतिभूति
7.75% करमुक्त HBS 2011 सीरीज A (विकल्प-II(*	INE031A09FB7	15	7.75%	10.81	21 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2026	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 2
7.83% करमुक्त HBS 2011 सीरीज बी (विकल्प-II(*	INE031A09FD3	15	7.83%	66.51	11 नवंबर ,2011	11 नवंबर ,2026	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 2
8.16% करमुक्त HBS 2011 सीरीज सी (विकल्प-II(*	INE031A09FG6	15	8.16%	47.67	22 दिसंबर ,2011	22 दिसंबर , 2026	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 2
8.56% करमुक्त HBS 2013 सीरीज A*	INE031A07899	15	8.56%	190.80	2 सितम्बर 2013	2 सितंबर ,2028	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 2
7.19% करमुक्त HBS 2015 सीरीज A*	INE031A07AI7	10	7.19%	151.00	31 जुलाई , 2015	31 जुलाई , 2025	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 3
7.07% करमुक्त HBS 2015 सीरीज बी*	INE031A07AJ5	10	7.07%	1029.00	1 अक्टूबर , 2015	1 अक्टूबर , 2025	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 3
7.00% करमुक्त HBS 2015 सीरीज C*	INE031A07AK3	10	7.00%	108.50	9 अक्टूबर , 2015	9 अक्टूबर , 2025	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 3
7.39% करमुक्त HBS 2015 सीरीज D*	INE031A07AP2	15	7.39%	211.50	22 फरवरी 2016	22 फ़रवरी , 2031	संदर्भ नोट 1	संदर्भ नोट 4
उप- कुल(ए(				**1,815.79**				

टिप्पणियाँ:

1. ***क्रेडिट रेटिंग** : IRRPLAAA,INDAAA,CARE- AAA*
2. *इस इशु के तहत जुटाई गई राशि की सीमा तक हमारी कंपनी के वर्तमान और भविष्य के प्राप्तियों पर प्रथम पैरी-पासु प्रभार फ्लोटिंग द्वारा प्रतिभूतित हमारी कंपनी अपने वर्तमान और भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वर्तमान और भविष्य के प्राप्तियों पर प्रथम पैरी-पासु प्रभार बनाने का अधिकार प्रतिभूतित रखती है।*
3. *चार कम्पनियों की वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम समतुल्य प्रभार द्वारा, निर्गम के तहत जुटाई गई राशि की सीमा तक प्रतिभूतित । कम्पनी अपनी वर्तमान और भावी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए समतुल्य आधार पर प्रथम/द्वितीय प्रभार सृजित करने सहित, वर्तमान और भावी दोनों प्राप्तियों को बेचने या अन्यथा निपटाने का अधिकार प्रतिभूतित रखती है, इस संबंध में बांडधारकों या डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति या सूचना की आवश्यकता के बिना, बशर्ते कि 1*

(एक(बार का न्यूनतम प्रतिभूति कवर बनाए रखा जाए।

4. *कंपनी के वर्तमान और भविष्य के प्राप्तियों पर प्रथम पैरी-पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूतित , निर्गम के तहत जुटाई गई राशि और उस पर ब्याज की सीमा तक। कंपनी अपने वर्तमान और भविष्य के वित्तीय आवश्यकताओं के लिए पैरी-पासु आधार पर प्रथम/द्वितीय प्रभार बनाने की सीमा के बिना, वर्तमान और भविष्य दोनों के प्राप्तियों को बेचने या अन्यथा निपटाने का अधिकार प्रतिभूतित रखती है, इस संबंध में बांडधारकों या डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति या सूचना की आवश्यकता के बिना, बशर्ते कि 1 का न्यूनतम-प्रतिभूति कवर हो।*
(एक(समय बनाए रखा जाता है.

ट्रस्टी- *मेसर्सएसबीआईसीएपीएट्रस्टीकंपनी लिमिटेड.*

(b) सार्वजनिक इशु

हमारी कंपनी ने पब्लिक को 1,000 रुपये के अंकित मूल्य पर प्रतिभूतित , गैर-परिवर्तनीय, मोचनीय, गैर-संचयी कर मुक्त HUDCO बांड 2011, 2012, 2013 और 2015 जारी किए हैं। 21 मार्च 2025 तक बांड का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रतिभूतियों की सीरीज	ISIN	अवधि/ परिपक्वता की अवधि (संख्या(साल(	कूपन दर(% प्रति वर्ष(	राशि (करोड़ रुपए में(	आबंटन तिथि	पुनर्भुगतान तिथि और शेड्यूल	क्रेडिट रेटिंग	प्रतिभूति
8.20%(ट्रेंच-I((सीरीज -2((श्रेणी-I,II(*	INE031A07840	15	8.20%	2,319.9257	05 मार्च , 2012	05 मार्च 2027	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.35%(ट्रेंच-I((सीरीज -2((श्रेणी-III(*	INE031A07840	15	8.35%	198.3790	05 मार्च , 2012	05 मार्च 2027	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
7.51%(ट्रेंच-I((सीरीज -2((श्रेणी I,II,III(*	INE031A07865	15	7.51%	858.0540	16 फ़रवरी , 2013	16 फरवरी , 2028	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.01%(ट्रेंच-I((सीरीज -2((श्रेणी IV(*	INE031A07865	15	8.01%	416.1846	16 फरवरी , 2013	16 फरवरी , 2028	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
7.19% (ट्रेंच-II((सीरीज -2((श्रेणी I, II, III(*	INE031A07881	15	7.19%	41.3294	28 मार्च , 2013	28 मार्च , 2028	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
7.69%(ट्रेंच-II((सीरीज -2((श्रेणी IV(*	INE031A07881	15	7.69%	68.0652	28 मार्च , 2013	28 मार्च , 2028	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.51%करमुक्त बांड (ट्रेंच-I((सीरीज -2A(*	INE031A07915	15	8.51%	799.2673	25 अक्टूबर , 2013	25 अक्टूबर , 2028	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.49%करमुक्तबांड(ट्रेंच-I((सीरीज -3A(*	INE031A07923	20	8.49%	35.5119	25 अक्टूबर 2013	25 अक्टूबर , 2033	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.76%करमुक्तबांड(ट्रेंच-I((सीरीज -2 बी(*	INE031A07949	15	8.76%	815.0009	25 अक्टूबर 2013	25 अक्टूबर , 2028	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.74%करमुक्तबांड (ट्रेंच-I((सीरीज -3 बी(*	INE031A07956	20	8.74%	88.8458	25 अक्टूबर 2013	25 अक्टूबर , 2033	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.58% कर मुक्त बांड (ट्रेंच-II((सीरीज -2A(*	INE031A07972	15	8.58%	127.3843	13 जनवरी 2014	13 जनवरी , 2029	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.76%करमुक्तबांड (ट्रेंच-II((सीरीज -3 ए(*	INE031A07980	20	8.76%	286.5430	13 जनवरी 2014	13 जनवरी , 2034	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.83%करमुक्त बांड (ट्रेंच-II((सीरीज -2 बी(*	INE031A07AA4	15	8.83%	123.7463	13 जनवरी , 2014	13 जनवरी , 2029	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
9.01%करमुक्तबांड (ट्रेंच-II((सीरीज -3 बी(*	INE031A07AB2	20	9.01%	671.1558	13 जनवरी 2014	13 जनवरी , 2034	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.73%करमुक्तबांड (ट्रेंच-III((सीरीज -2A(*	INE031A07AD8	15	8.73%	28.4744	24 मार्च , 2014	24 मार्च , 2029	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.71%करमुक्त बांड (ट्रेंच-III((सीरीज -3 ए(*	INE031A07AE6	20	8.71%	8.7595	24 मार्च , 2014	24 मार्च , 2034	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.98%करमुक्त बांड (ट्रेंच-III((सीरीज -2 बी(*	INE031A07AG1	15	8.98%	128.4225	24 मार्च , 2014	24 मार्च , 2029	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
8.96%करमुक्तबांड (ट्रेंच-III((सीरीज -3 बी(*	INE031A07AH9	20	8.96%	41.5379	24 मार्च , 2014	24 मार्च , 2034	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 2
7.02%करमुक्त बांड (ट्रेंच-I((सीरीज -1A(*	INE031A07AL1	10	7.02%	117.2091	0 8फ़रवरी08, 2016	0 8फ़रवरी08,2026	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3
7.27% कर मुक्त बांड (ट्रेंच-I((सीरीज -1 बी(*	INE031A07AM9	10	7.27%	909.6909	0 8फ़रवरी08, 2016	08 फरवरी , 2026	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3
7.39% कर मुक्त बांड (ट्रेंच-I((सीरीज -2A(*	INE031A07AN7	15	7.39 %	128.4519	0 8फ़रवरी08, 2016	0 8फ़रवरी08,2031	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3
7.64%करमुक्त बांड (ट्रेंच-I((सीरीज -2 बी(*	INE031A07AO5	15	7.64 %	556.1481	0 8फ़रवरी08, 2016	0 8फ़रवरी08,2031	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3
7.04%करमुक्त बांड (ट्रेंच-II((सीरीज -1 ए(*	INE031A07AQ0	10	7.04%	48.1645	15 मार्च , 2016	15 मार्च , 2026	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3
7.29% कर मुक्त बांड (ट्रेंच-II((सीरीज -1 बी(*	INE031A07AR8	10	7.29%	1,024.9355	15 मार्च , 2016	15 मार्च , 2026	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3

7.39% कर मुक्त बांड (ट्रेंच-II((सीरीज -2A(*	INE031A07AS6	15	7.39 %	105.3542	15 मार्च , 2016	15 मार्च , 2031	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3
7.69%करमुक्त बांड (ट्रेंच-II((सीरीज -2 बी(*	INE031A07AT4	15	7.69 %	610.0458	15 मार्च , 2016	15 मार्च , 2031	संदर्भ-नोट 1	संदर्भ-नोट 3

प्रतिभूतियों की सीरीज	ISIN	अवधि/ परिपक्वता की अवधि (संख्या(साल(	कूपन दर(% प्रति वर्ष(	राशि (करोड़ रुपए में(	आबंटन तिथि	पुनर्भुगतान तिथि और शेड्यूल	क्रेडिट रेटिंग	प्रतिभूति
उप-योग (बी(				10,556.587 5				
जोड़ें/घटाएँ: अनमोर्टाइज़्ड शुल्क, प्रभार और अन्य व्यय प्रति IND- AS				(25.18(				
कुल कर-मुक्त बांड (ए+बी(				12,372.377 5				

टिप्पणियाँ:

1. ***क्रेडिट रेटिंग** :IRRPL-INDAAA,CARE- AAA*
2. *इश्यू के तहत जुटाई गई राशि की सीमा तक हमारी कंपनी की वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों पर फ्लोटिंग फर्स्ट पैरी-पासु चार्ज द्वारा प्रतिभूतित। हमारी कंपनी अपनी वर्तमान और भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम पैरी-पासु चार्ज बनाने का अधिकार प्रतिभूतित रखती है।*
3. *कंपनी के वर्तमान और भविष्य के प्राप्तियों पर प्रथम सम-पासु प्रभार द्वारा प्रतिभूतित , निर्गम के तहत जुटाई गई राशि और उस पर ब्याज की सीमा तक। कंपनी वर्तमान और भविष्य दोनों प्राप्तियों के साथ बेचने या अन्यथा सौदा करने का अधिकार प्रतिभूतित रखती है, जिसमें बिना किसी सीमा के अपनी वर्तमान और भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सम-पासु आधार पर प्रथम/द्वितीय प्रभार बनाने की सुविधा शामिल है।*
   इस संबंध में बांडधारकों या डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति या सूचना की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि 1 (एक(बार का न्यूनतम प्रतिभूति कवर बनाए रखा जाए।

**ट्रस्टी*- मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड.*

B.2 अप्रतिभूतित करयोग्य गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ:

नीचे विभिन्न श्रेणियों के निवेशकों को निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए गए विभिन्न अंकित मूल्यों के अप्रतिभूतित , गैर-परिवर्तनीय, मोचनीय, कर योग्य, हडको बांडों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक 28 अप्रैल, 2025 तक विभिन्न सीरीज के अंतर्गत बकाया है। सभी बांड वर्तमान में बीएसई में सूचीबद्ध हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

गैर- सीरीज परिवर्तनीयप्रतिभूतियाँ	ISIN	अवधि/ परिपक्वता की अवधि (वर्षों की संख्या(	कूपन दर (% प्रति वर्ष(	मात्रा (करोड़ रुपए में (	आबंटन तिथि	पुनर्भुगतान तिथि और शेड्यूल	क्रेडिट रेटिंग	प्रतिभूति
8.60% हडको भारत सरकार के एफएस करयोग्य बांड सीरीज -I 2018*	INE031A08616	10 वर्ष	8.60% अर्द्धवार्षिक देय	3,000.00	12 नवंबर ,2018	12 नवंबर ,2028	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
8.52% हडको भारत सरकार के एफएस करयोग्य बांड सीरीज -II 2018*	INE031A08624	10 वर्ष	8.52% अर्द्धवार्षिक देय	2,050.00	28 नवंबर ,2018	28 नवंबर ,2028	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
8.38% भारत सरकार वित्त हडको बांड सीरीज-III2018*	INE031A08673	10 वर्ष	8.38% अर्द्धवार्षिक देय	2,066.90	30 जनवरी , 2019	30 जनवरी , 2029	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
8.58% भारत सरकार एफएस हडको बांड सीरीज -IV2018*	INE031A08681	10 वर्ष	8.58% देयअर्द्ध-प्रतिवर्ष	2,563.10	14 फरवरी , 2019	14 फरवरी , 2029	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
8.41% भारत सरकार वित्त हडको बांड सीरीज-V2018*	INE031A08699	10 वर्ष	8.41% देय अर्द्ध वार्षिक	5,320.00	15 मार्च , 2019	15 मार्च , 2029	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
8.37% भारत सरकार वित्त हडको बांड सीरीज-VI2018*	INE031A08707	10 वर्ष	8.37% देय अर्द्ध वार्षिक	5,000.00	25 मार्च , 2019	25 मार्च , 2029	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
6.75% कर योग्य एचबीएस 2020 सीरीज डी*	INE031A08806	10 वर्ष	6.75%	1,040.00	29 मई , 2020	29 मई , 2030	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
5.62% कर योग्य एचबीएस 2021 सीरीज- बी*	INE031A08848	3 वर्ष 2 महीने	5.62%	1,500.00	25 मार्च , 2022	25 मई , 2025	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.54% कर योग्य HBS2022 सीरीज A*	INE031A08855	3 वर्ष 3 महीने	7.54%	1500.00	11 नवंबर ,2022	11फ़रवरी , 2026	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.52% कर योग्य HBS2022 सीरीज बी*	INE031A08863	10 वर्ष 3 महीने27 दिन	7.54%	470.00	19 दिसंबर , 2022	15 अप्रैल , 2033	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित

7.68% कर योग्य HBS2022 सीरीज सी*	INE031A08871	3 वर्ष 3 महीने	7.68%	2,000.00	16 फ़रवरी , 2023	16 मई , 2026	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.48% कर योग्य HBS2023 सीरीज A*	INE031A08889	3 वर्ष 4 महीने	7.48%	1,500.00	20 अप्रैल , 2023	20 अगस्त , 2026	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित

7.48% प्रति वर्ष हडको करयोग्यएनसी डी2024 सीरीज - ए*	INE031A08897	5 साल	7.48%	1,936.00	मई , 2024	मई , 2029	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.28% प्रति वर्ष हडको टैक्सेबलएनसी डी2024 सीरीज- बी#	INE031A08905	5 साल	7.28%	1,850.00	जुलाई , 2024	जुलाई , 2029	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.15% प्रति वर्ष हडको करयोग्य एनसीडी Series– C#	INE031A08913	10 वर्ष	7.15%	2,000.00	सितम्बर , 2024	सितम्बर , 2034	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.12% प्रति वर्ष हडकोकरयोग्यएनसी डी 2024 सीरीज –डी#	INE031A08921	10 वर्ष	7.12%	1,230.00	दिसंबर , 2024	दिसंबर , 2034	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.29% प्रति वर्ष हडको करयोग्य एनसीडी 2024 सीरीज- ई#	INE031A08939	10 वर्ष	7.29%	2,910.00	फ़रवरी , 2025	फ़रवरी , 2035	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.37% प्रति वर्ष हडको करयोग्य एनसीडी 2024 सीरीज - एफ#	INE031A08947	10 वर्ष	7.37%	2,842.50	मार्च , 2025	मार्च , 2035	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
7.19% प्रति वर्ष हडको करयोग्य एनसीडी 2024 सीरीज - जी#	INE031A08954	10 वर्ष	7.19%	2,000.00	मार्च , 2025	मार्च , 2035	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
6.90% प्रति वर्ष हडको करयोग्य एनसीडी 2025 सीरीज- ए#	INE031A08962	07 वर्ष	6.90%	2,430.00	अप्रैल , 2025	अप्रैल , 2032	संदर्भ नोट- 1	अप्रतिभूतित
				45,208.50				
जोड़ें/घटाएँ: IND-AS के अनुसार अप्रतिबंधित शुल्क, प्रभार और अन्य व्यय				(12.37(				
कुल				**45,208.50**				
टिप्पणियाँ: **1.** ***क्रेडिटरेटिंग-*** *ICRA-AAA, CARE-AAAandIRRPL-'IND AAA'*								

* ***ट्रस्टी- मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड।***

#

ट्रस्टी- मेसर्स बीकन ट्रस्टीशिप लि.

C. गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का विवरण (संचयी आधार पर((31 दिसंबर, 2024 तक(

क्र.सं.	धारक का नाम	होल्डिंग का अंकित मूल्य (करोड़ रुपए में(	गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ का बकाया %
1	सीबीटी-ईपीएफ-11-ई- डीएम	8,242.20	31.21%
2	एनपीएस ट्रस्ट ए/सी यूटीआईपेंशनफंडलिमिटेड-योजना केंद्र सरकार	6,798.00	25.74%
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,600.00	17.42%
4	कोल माइंस प्रोविड सी.न. इंट. फंड ओर्गनाइजेशन	1,967.50	7.45%
5	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	1,225.00	4.64%
6	भारतबॉन्डईटीएफ-अप्रैल 2025	1,095.00	4.15%

7	पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस फंड	730.00	2.76%
8	एचडीएफसी म्यूचुअल फंड-एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	600.00	2.27%
9	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड A/c-ULIF01628/04/09LIFESECPLS104 – सिक्योर प्लस फंड	587.10	2.22%
10	आईटीसी लिमिटेड	565.07	2.14%

D. पिछली तिमाही के अंत तक बकाया वाणिज्यिक पत्रों का विवरण (अर्थात 31 दिसंबर, 2024(

सीरिज	ISIN	अवधि/ परिपक्वता की अवधि वर्षों की संख्या(	कूपन दर(% प्रति वर्ष(	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में(	आबंटन तिथि	मोचन तिथि/ शेड्यूल	क्रेडिटरेटिंग	विभूति	अन्य विवरण अर्थात आईपीए, सीआरए का विवरण
शून्य									

E. अन्य उधार (विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड ("एफसीसीबी"(, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर/अधिमान्य शेयर जैसे हाइब्रिड ऋण सहित(

जारीकर्ता ने कोई भी हाइब्रिड ऋण जैसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड ("एफसीसीबी"(, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय बांड / डिबेंचर / वरीयता शेयर(जारी नहीं किया है।

F. द्वारा प्राप्त गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विवरण :

नीचे इस मुख्य सूचना दस्तावेज की तिथि तक हमारी कंपनी द्वारा प्रदान की गई 475.31 करोड़ रुपये की निष्पादन गारंटी/बैंक गारंटी की प्रकृति की गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विवरण दिया गया है:

क्र. सं	ऋणदाता का नाम	उद्देश्य	राशि गारंटी (करोड़ रु.(
	आईसीआईसीआई बैंक	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर में क्वार्टरों के निर्माण और संबद्ध सेवाओं के लिए डिजाइन और परामर्श सेवाओं / अनुबंधों के लिए प्रदर्शन गारंटी	0.06
	आईसीआईसीआई बैंक	सेबी विनियमों के अनुसार एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (अर्थात हडको के बॉन्डधारकों के ट्रस्टी(के पक्ष में वसूली व्यय निधि सृजित की गई	0.25
	आईसीआईसीआई बैंक	26 नवंबर, 2018 के स्वीकृति पत्र के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक से किफायती आवास निधि के तहत प्राप्त 400 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति	100.00
	आईसीआईसीआई बैंक	दिनांक 6 मार्च, 2017 के स्वीकृति पत्र के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक से ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत प्राप्त 1000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति ।	250.00
	आईसीआईसीआई बैंक	दिनांक 28 जून, 2017 के स्वीकृति पत्र के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक से ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति ।	125.00
		कुल	**475.31**

10.2 ***पिछले 3 वर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित कंपनी द्वारा जारी कॉर्पोरेट गारंटी सहित किसी भी प्रकार के सावधि ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्रों और अन्य वित्तीय ऋणग्रस्तता के ब्याज और मूलधन के भुगतान में सभी डिफ़ॉल्ट और/या देरी का विवरण - शून्य***

10.3 ***नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए या किसी विकल्प के अनुसरण में प्रीमियम या डिस्काउंट पर लिए गए किसी भी बकाया उधार या जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियों का विवरण, चाहे वह इसके निगमन के बाद से पूर्णतः या आंशिक रूप से हो।***

नीचे बताए गए को छोड़कर, 31 दिसंबर 2024 तक, जारीकर्ता ने निगमन के बाद से प्रीमियम या छूट पर कोई ऋण प्रतिभूति जारी नहीं की है:

(a) 30 अगस्त 2013 के प्रकटीकरण दस्तावेज और 2 सितंबर 2013 को संसाधन समिति (बोर्ड की उप-समिति(के संकल्प के आधार पर, हमारी कंपनी ने प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ("2013 निजी प्लेसमेंट बांड"(के रूप में 10,00,000 रुपये के अंकित मूल्य के 1,908 कर मुक्त बांड आवंटित किए, जो कि निजी प्लेसमेंट के आधार पर कुल 190.80 करोड़ रुपये के बराबर हैं, प्रत्येक 100 रुपये पर 0.02 रुपये का प्रीमियम, *यानी* , 2013 निजी प्लेसमेंट बांड प्रति 200 रुपये के प्रीमियम पर।

(b) 29 जुलाई, 2015 के प्रकटीकरण दस्तावेज़ और 31 जुलाई, 2015 को संसाधन समिति (बोर्ड की उप-समिति(के संकल्प के आधार पर, हमारी कंपनी ने प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ("2015 (सीरीज़-ए(प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड"(के रूप में 10,00,000 रुपये के अंकित मूल्य के 1,510 कर मुक्त बांड निजी प्लेसमेंट के आधार पर आवंटित किए, जिनकी कुल कीमत 151 करोड़ रुपये है, प्रत्येक को बुक बिल्डिंग रूट के तहत मल्टीपल प्राइसिंग के माध्यम से तय प्रीमियम पर (यानी, 100 रुपये पर 0.01 रुपये का शुद्ध प्रीमियम 120 करोड़ रुपये, प्रत्येक 100 रुपये पर 0.03 रुपये के प्रीमियम पर 30 करोड़ रुपये, और प्रत्येक 100 रुपये पर 0.04 रुपये के प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपये(।

(c) 30 सितंबर 2015 के वर्चुअलफैडी प्रकटीकरण दस्तावेज और 1 अक्टूबर 2015 को संसाधन समिति (बोर्ड की उप समिति(के संकल्प के द्वारा, हमारी कंपनी ने प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ("2015 (सीरीज-बी(निजी प्लेसमेंट बॉन्ड"(के रूप में 10,00,000 रुपये के अंकित मूल्य के 1,0290 कर मुक्त बांड आवंटित किए ("2015 (सीरीज-बी(निजी प्लेसमेंट बांड"(एक

निजी प्लेसमेंट के आधार पर कुल 1,029 करोड़ रुपये, प्रत्येक का प्रीमियम बुक बिल्डिंग रूट के तहत कई मूल्यों के माध्यम से तय किया गया (यानी, प्रत्येक 100 रुपये के लिए 0.01 रुपये के प्रीमियम पर 166 करोड़ रुपये, प्रत्येक 100 रुपये के लिए 0.02 रुपये के प्रीमियम पर 371 करोड़ रुपये, प्रत्येक 100 रुपये के लिए 0.03 रुपये के प्रीमियम पर 10 करोड़ रुपये और प्रत्येक 100 रुपये पर 0.05 रुपये((आबंटन 1 अक्टूबर, 2015 को किया गया(।

(d) दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के प्रकटीकरण दस्तावेज़ और 9 अक्टूबर, 2015 को संसाधन समिति (बोर्ड की उप-समिति(के संकल्प के आधार पर, हमारी कंपनी ने प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ("2015 (सीरीज़-सी(प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड"(के रूप में 10,00,000 रुपये के अंकित मूल्य के 1,085 कर मुक्त बॉन्ड आवंटित किए, जो कुल मिलाकर 108.50 करोड़ रुपये के निजी प्लेसमेंट आधार पर हैं, प्रत्येक 100 रुपये के लिए 0.01 रुपये का प्रीमियम, यानी बुक बिल्डिंग के तहत मल्टीपल प्राइसिंग के माध्यम से तय किए गए 2015 प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड के लिए 100 रुपये का प्रीमियम।

(e) 18 फरवरी, 2016 के प्रकटीकरण दस्तावेज और 22 फरवरी, 2016 को संसाधन समिति (बोर्ड की उप-समिति(के संकल्प के आधार पर हमारी कंपनी ने प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ("2015 (सीरीज-डी(निजी प्लेसमेंट बांड"(के रूप में 10,00,000 रुपये के अंकित मूल्य के 2,115 कर मुक्त बांड निजी प्लेसमेंट के आधार पर आवंटित किए, जिनकी कुल कीमत 211.50 करोड़ रुपये है, जो बुक बिल्डिंग रूट के तहत कई मूल्यों के माध्यम से तय प्रीमियम पर है (यानी, 100 रुपये पर 0.40 रुपये का प्रीमियम 201.70 करोड़ रुपये, प्रत्येक 100 रुपये पर 0.45 रुपये के प्रीमियम पर 8 करोड़ रुपये, प्रत्येक 100 रुपये पर 0.50 रुपये के प्रीमियम पर 1.80 करोड़ रुपये(।

(f) 30 सितंबर, 2024 तक के वाणिज्यिक पत्र: **शून्य**

10.4 किसी विकल्प के अनुसरण में हमारी कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

हमारी कंपनी द्वारा किसी विकल्प के अनुसरण में जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है जो आज की तिथि तक बकाया हैं:

क्र. सं	उपकरण का प्रकार	जारी करने की तिथि	इशु साइज़ (रु. करोड़(	उपलब्ध विकल्प	रिडेम्पशन दिनांक
	शून्य				

10.5 *वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (प्रॉमिसरी नोट जारी करने की प्रकृति में(का विवरण*

ISIN	पेपर की प्रकृति	कुल मूल्य (करोड़ रु.(	आबंटन की तिथि	कुल राशि बकाया राशि (करोड़ रुपए में(	ब्याज /उपज दर (% प्रति वर्ष(	रिडेम्पशन शर्तें/ परिपक्वता तिथि
	शून्य					

*10.6 टर्म लोन के शीर्ष दस ऋणदाता (31 दिसंबर, 2024 तक(**

क्र.सं.	पार्टी का नाम	करोड़ रूपये में
1.	पंजाब नेशनल बैंक	12,977.95
2.	भारतीय स्टेट बैंक	7,040.07
3.	आईसीआईसीआईबैंक लिमिटेड	6,134.41
4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,999.99
5.	आईआईएफसीएल	3,000.00
6.	केनरा बैंक	2,948.15
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2499.97
8.	इंडियनओवरसीज बैंक	1,999.34
9.	बैंकऑफ इंडिया	1,927.72
10.	एचडीएफसी बैंक	1,215.00

शीर्ष 10 टर्म लोन उधारदाताओं को सभी बकाया टर्म लोन (दीर्घकालिक / मध्यम अवधि / अल्पावधि ऋण(के संचयी आधार पर दिखाया गया है

10.7 नकदी के अलावा किसी अन्य विचारार्थ लिए गए किसी भी बकाया उधार/ऋण प्रतिभूतियों का ब्यौरा। यह जानकारी प्रकट की जाएगी कि क्या ऐसे उधार/ऋण प्रतिभूतियां ली गई/जारी की गई हैं:

(i) ***सम्पूर्ण या आंशिक रूप से,***
(ii) प्रीमियम या छूट पर, या
(iii) किसी विकल्प के अनुसरण में या नहीं

शून्य

10.8 *बोर्ड बोरोइंग पॉवर*

25 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में हमारी कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के अनुसार और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को रकम उधार लेने के लिए अधिकृत किया गया है ऐसी शर्तों और शर्तों पर तथा ऐसे उद्देश्यों के लिए, जैसा कि बोर्ड उचित समझे, धनराशि प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि हमारी कंपनी का कुल ऋण किसी भी समय 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

10.9 जारीकर्ता द्वारा जारी कॉर्पोरेट गारंटी या लेटर ऑफ कम्फर्ट की राशि, साथ ही प्रतिपक्ष का नाम (जैसे सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम इकाई, समूह कंपनी, आदि का नाम(जिसके लिए इसे जारी किया गया है, ऋण सेवा आरक्षित खाता गारंटी / एनीपुट विकल्प आदि सहित आकस्मिक देयता।

शून्य

10.10 *सार्वजनिक प्रस्ताव पर संक्षिप्त नोट*

(a) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 1,000 रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में दीर्घकालिक कर-मुक्त बांड (दो ट्रांचेस(का सार्वजनिक इशु किया, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 10(15((iv((h(के अंतर्गत 10 वर्ष और 15 वर्ष के लिए लाभ शामिल हैं, जिसके माध्यम से 3,500.00 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई।

(b) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 1,000 रुपए प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में दीर्घकालिक कर-मुक्त बांड (तीन किस्तों(का सार्वजनिक निर्गम किया, जिन पर आयकर अधिनियम की धारा 10(15((iv((h(के अंतर्गत 10 वर्ष, 15 वर्ष तथा 20 वर्ष के लिए लाभ दिया जाएगा, जिसमें तीन किस्तों में 4,796.32 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई।

(c) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 1,000 रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में दीर्घकालिक कर-मुक्त बांड (दो किस्तों(का सार्वजनिक निर्गम किया, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 10(15((iv((h(के अंतर्गत 10 वर्ष और 15 वर्ष के लिए लाभ शामिल हैं, जिसके तहत दो किस्तों में 2,401.3526 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई।

(d) हडको ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 1,000 रुपये प्रति मूल्य के दीर्घकालिक कर-मुक्त बांड जारी किए, जो प्रतिभूतित , मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की प्रकृति के थे, जिन पर 10 वर्ष और 15 वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(15((iv((h(के अंतर्गत लाभ था, जिसके तहत 4,684.72 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई।

(e) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ(: हमारी कंपनी ने 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित(के नकद मूल्य पर कुल मिलाकर 20,40,58,747 इक्विटी शेयरों का आईपीओ किया था। 12 मई, 2017 को जारी एक प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से 1,209.57 करोड़ रुपये। उक्त आईपीओ में आपके प्रमोटर द्वारा 20,40,58,747 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, उक्त आईपीओ में जनता के लिए 20,01,90,000 इक्विटी शेयरों का निर्गम और कुछ पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए 38,68,747 इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल था। आईपीओ 8 मई, 2017 को खुला और 11 मई, 2017 को बंद हुआ। चारों कंपनियों के आईपीओ के अनुसार इक्विटी शेयरों का आवंटन और रिफंड का प्रेषण क्रमशः 17 मई, 2017 को किया गया था। आईपीओ में आवंटित इक्विटी शेयरों में एनएसई और बीएसई में कारोबार 19 मई, 2017 को शुरू हुआ।

(f) बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस(: भारत सरकार के राष्ट्रपति ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्रवर्तक होने के नाते जुलाई और अगस्त, 2021 में हडको में अपनी हिस्सेदारी का 8% (10 रुपये अंकित मूल्य के 16,01,63,774 इक्विटी शेयर(बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस(के माध्यम से विनिवेश किया है। विनिवेश के बाद हडको में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी 89.81% से घटकर 81.81% रह गई है। इसके अलावा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्रवर्तक होने के नाते भारत सरकार के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2023 में हडको में अपनी हिस्सेदारी का 6.64% (10 रुपये अंकित मूल्य के 13,28,82,211 इक्विटी शेयर(बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस(के माध्यम से विनिवेश किया है। इस विनिवेश के बाद, हडको में भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता 81.81% से घटकर 75.00% हो गई है। हडको में भारत के राष्ट्रपति की वर्तमान शेयरधारिता MoHUA और MoRD के माध्यम से क्रमशः 54.27% और 20.73% है और सार्वजनिक शेयरधारिता 25.00% है।

XI. कानूनी और अन्य जानकारी

बकाया मुकदमेबाजी और मैटेरियल विकास

जारीकर्ता, प्रमोटर, निदेशक, सहायक कंपनियों, समूह कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित लंबित मुकदमे का विवरण, जिसके परिणाम से जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो ऋण प्रतिभूतियों और/या गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों में निवेश करने/निवेश जारी रखने के निवेशक के निर्णय या इशु को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी के प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति है, इसलिए कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लंबित या उठाए गए मुकदमों, कानूनी कार्रवाई या निर्देशों का विवरण देना संभव नहीं है।

इसके अलावा, जैसा कि नीचे वर्णित है, उसे छोड़कर, हमारी कंपनी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा, कर कार्यवाही और अन्य लंबित मुकदमे नहीं हैं, जिनका हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और हमारे निदेशकों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है।

न तो हमारी कंपनी और न ही हमारे पूर्व सहयोगी निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित किया गया है, तथा मुकदमेबाजी के संबंध में इस खंड में किए गए प्रकटीकरण को छोड़कर, हमारे द्वारा पूर्व में प्रतिभूति कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है या हमारे विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है।

यहाँ प्रयुक्त शब्द "मैटेरियल " का अर्थ है:

i. कोई भी कानूनी कार्यवाही जिसका कंपनी के वर्तमान या भविष्य के राजस्व पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, जहां ऐसी कार्यवाही में शामिल कुल राशि लगभग 80.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है (ऐसे मामलों के संबंध में कंपनी द्वारा अपनी बुक्स में किए गए प्रावधान को ध्यान में रखने के बाद(; और/या

ii. जहां ऐसी कानूनी कार्यवाहियां व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से कंपनी के प्रचालन और/या लाभप्रदता को बाधित करने और/या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

उपर्युक्त मापदंडों को लागू करते हुए, हमारी कंपनी के दृष्टिकोण से, सभी लंबित कार्यवाहियां, चाहे वे सिविल, मध्यस्थता, कर संबंधी मुकदमें हों या अन्य, 77.00 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हों (ऐसे मामलों के संबंध में कंपनी द्वारा अपनी बुक्स में किए गए प्रावधान को ध्यान में रखने के बाद(, कंपनी के लिए महत्वपूर्ण/संभावित रूप से महत्वपूर्ण हैं।

A. कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही

1. ब्लू हेवन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत (39 (सी(/2010(दायर की, जिसमें चार क्षेत्रीय प्रबंधकों में से एक को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध के लिए आरोपी बनाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस संबंध में प्रस्तुत किए गए कागजात के उचित सत्यापन या परियोजना स्थल का निरीक्षण किए बिना, दूसरे सह-आरोपी को ऋण स्वीकृत करने की साजिश रची थी। यह मामला अभी लंबित है।

2. गोस्वामी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हमारी कंपनी और अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष एक आपराधिक शिकायत (1473-सी/2009(दायर की, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 406 और 420 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया, जो हमारी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को दिए गए ऋण के एक हिस्से का कथित रूप से वितरण न करने के संबंध में है। हमारी कंपनी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए पटना के उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की। उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2012 के अपने आदेश के माध्यम से दीपक कुमार झा, हमारे संयुक्त महाप्रबंधक को छोड़कर सभी आरोपियों के संबंध में उक्त कार्यवाही को रद्द करने की अनुमति दी। इसके बाद, दीपक कुमार झा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पटना के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें उपरोक्त आपराधिक मामले में दायित्व से मुक्ति की मांग की गई। यह मामला वर्तमान में लंबित है। शिकायतकर्ता ने माननीय एसीजेएम-XII, पटना के आदेश के खिलाफ माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटना के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 232/2022 को प्राथमिकता दी है, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर उनकी याचिका को खारिज करते हुए आरोप से पहले शिकायतकर्ता के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर बंद कर दिया है। आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 232/2022 को खारिज कर दिया गया है और माननीय एसीजेएम - XIII, पटना के आदेश की पुष्टि माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - XIII, पटना द्वारा 13.8.2024 के आदेश के तहत की गई है ।

3. पंकज कुमार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची के समक्ष अशोक कुमार गहलोत और चार कंपनियों के कुछ अधिकारियों सहित अन्य के

खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत (सीसी((974/14(दायर की। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि जाली दस्तावेजों के आधार पर उसकी कुछ संपत्ति चार कंपनियों के पक्ष में गिरवी रखी गई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि हमारी कंपनी प्रासंगिक पूछताछ और साइट का दौरा करने में विफल रही, जिसका अर्थ है कि आरोपियों के साथ मिलीभगत थी, जिससे उन्हें और अन्य पक्षों को धोखा देने का मौका मिला। इसके बाद, बरियातू पुलिस स्टेशन (अब जीआर-4019/2014(में एक प्राथमिकी (283/2014(दर्ज की गई। उक्त मामला वर्तमान में लंबित है। हमारी कंपनी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले के संबंध में कार्यवाही शुरू की है। 13 जुलाई, 2016 को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची के समक्ष कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। इसके बाद, पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के अनुसार, सबूतों के अभाव में हडको अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हमारी कंपनी द्वारा दायर एम.पी. संख्या 3099/2014, माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के समक्ष हडको के वकील का यह निवेदन कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए मामला निष्फल हो गया है; राज्य के मुख्य वकील द्वारा स्वीकार कर लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड ने अपने आदेश दिनांक 4.4.24 के माध्यम से एम.पी. संख्या 3099/2014 को निष्फल घोषित करते हुए खारिज कर दिया।

4. हिमांशु शेखर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची के समक्ष अशोक कुमार गहलोत और चार कंपनियों के कुछ अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 120 बी, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत (1262/14(दर्ज की। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि जाली दस्तावेजों के आधार पर उनकी कुछ संपत्ति हमारी कंपनी के पक्ष में गिरवी रखी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हमारी कंपनी ने आवश्यक जांच और साइट का दौरा करने में विफल रही, जिसका अर्थ है कि इसने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत की, जिससे उन्हें शिकायतकर्ता और अन्य पक्षों को धोखा देने का मौका मिला। इसके बाद, बरियातू पुलिस स्टेशन (अब जीआर-25/15(में एक प्राथमिकी रिपोर्ट (5/2015(दर्ज की गई। उक्त मामला अभी लंबित है। हमारी कंपनी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले के संबंध में कार्यवाही रद्द करने की पहल की है। 14 सितंबर, 2016 को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची के समक्ष कार्यवाही अगले आदेश तक रोक दी गई है। इसके बाद, पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के अनुसार, साक्ष्य की कमी के कारण हडको अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हमारी कंपनी द्वारा दायर सीआर. एमपी संख्या 438/2016 में, हडको के वकील ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मामला निष्फल हो गया है; जिसे राज्य के मुख्य वकील ने स्वीकार कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड ने अपने आदेश दिनांक 4.4.24 के माध्यम से सीआर को खारिज कर दिया। एम.पी. क्रमांक 438/2016 को निष्फल घोषित किया गया ।

5. श्रीलता मुखर्जी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चावक्कड़ के समक्ष समीक्षा हाउस एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, जिनमें हमारी कंपनी और हमारी कंपनी के कुछ कर्मचारी शामिल हैं, के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत (1320/14(दर्ज की, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 107, 109, 120 ए, 120 बी, 209, 217, 218, 403, 405, 421, 423 और 464 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। हमारी कंपनी के पास गिरवी रखी गई कुछ संपत्ति कथित तौर पर शिकायतकर्ता की मां को बेची गई थी, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, जिसके कारण संपत्ति शिकायतकर्ता, उसकी बहन और उसके पिता को हस्तांतरित हो गई, जो कानूनी उत्तराधिकारी थे। शिकायतकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि हमारी कंपनी के कुछ अधिकारियों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके खरीदार और संपत्ति के उसके उत्तराधिकारियों को धोखा देने का प्रयास किया। कथित अपराधों का संज्ञान लेने वाले न्यायालय के अनुसरण में, हमारी कंपनी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चावक्कड़ के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए केरल के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हमारी कंपनी को विजयकुमार प्रभा और समीक्षा हाउस एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्य अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए भी एक पक्ष बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत के समक्ष डिस्चार्ज याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ आपराधिक विविध मामले/रद्द याचिका का निपटारा कर दिया है और निचली अदालत को याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दिए बिना उस पर विचार करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हमारी कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है।

6. शांतनु दत्ता ने 21 जून 2010 को डिस्पुर पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसके अनुसार हमारी कंपनी के कुछ अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि चार कंपनी के ऐसे अधिकारियों ने मैगस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के साथ मिलीभगत करके आपकी कंपनी द्वारा मैगस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई 1 करोड़ रुपये की सुविधा से संबंधित कुछ ऋण दस्तावेजों पर उनके और उनकी पत्नी के जाली हस्ताक्षर किए। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने 2004 में मैगस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था, तब 2006 में हमारी कंपनी से प्राप्त ऋण के संबंध में मैगस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित कुछ ऋण और दस्तावेजों पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए थे। धोखाधड़ी का आरोप कंपनी के दो निदेशकों अर्थात श्री शांतनु दत्ता और श्रीमती ने लगाया है। दीपशिखा दत्ता पर दिसपुर पुलिस थाने में 21.6.2010 को दर्ज एफआईआर संख्या 1089/2010 और सीआईडी पंजीकरण संख्या 63/15 के माध्यम से कंपनी द्वारा ऋण दस्तावेजों पर उनके जाली हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। मामला अभी लंबित है।

7. बालकृष्ण शर्मा ने 19 दिसंबर, 2015 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3(के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें चार कंपनियों के प्रबंधकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि आवेदक, बालकृष्ण शर्मा ने हमारी कंपनी के पास मूल बिक्री विलेख और शीर्षक विलेख सहित कुछ दस्तावेज जमा किए थे। 2007 से, आवेदक की ओर से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, हमारी कंपनी ने कथित रूप से वनीकृत दस्तावेज वापस करने से इनकार कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि 20 नवंबर, 2015 को, चार प्रबंधकों में से एक ने आवेदक के साथ दुर्व्यवहार किया, यह भी कहा

दस्तावेज केवल आवेदन में सह-अभियुक्त रामवृक्ष गुप्ता की उपस्थिति में ही वापस किए जाएंगे। 10 अगस्त 2016 के अपने आदेश के अनुसरण में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपराध का संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (कार्मिक(आरोपों की जांच करें और 26 अक्टूबर 2016 को अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा, विलंब के लिए माफी के साथ हलफनामा आवेदन 4 मई 2017 को महाप्रबंधक, खुदरा वित्त (आरएफ(द्वारा दायर किया गया है। हडको निवास के कर्मचारी श्री रामवृक्ष गुप्ता और श्री मनोज पांडे के खिलाफ 1 जून 2017 को एफआईआर दर्ज की गई थी। लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ(को 19 फरवरी, 2018 को एफआईआर की प्रति प्राप्त हुई। लखनऊ उच्च न्यायालय में निरस्तीकरण याचिका दायर की गई (WP14204/2018(। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। शिकायतकर्ता ने अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। मामला अभी भी अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के चरण में है। यह मामला अभी लंबित है।

8. मसरूर हुसैन ने 7 मई, 2012 को दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रणव कुमार शर्मा और रीता शर्मा ने हमारी कंपनी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ ऋण दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर किए, और फिर उन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी से ऋण प्राप्त किया। यह मामला अभी लंबित है।

9. अरुण बोरा और पल्लबी बोरा ने 30 मार्च 2012 को लतासिल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 34,419,465,468 और 471 के तहत लतासिल पुलिस स्टेशन केस नंबर 83/2012 के रूप में पंजीकृत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जो मेसर्स उपासना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रांजल भारली , एडवोकेट श्री अचिंत शर्मा और हमारी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार सहित कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर जाली बनाए और कुछ ऋण और अन्य दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता की संपत्ति आदि को गिरवी रख दिया, ताकि शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना हमारी कंपनी से ऋण प्राप्त किया जा सके। यह मामला अभी लंबित है।

B. ***हमारी कंपनी के खिलाफ शुरू किए गए महत्वपूर्ण सिविल मुक़दमे***

1. जनहित याचिका सेंटर ने हमारी कंपनी और अन्य के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (573/2003(दायर की, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ ऋण संबंधी निर्णयों में मनमानी का आरोप लगाया गया, जिसमें 14,500 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं की मंजूरी, 8,500 करोड़ रुपये की रिहाई, 1,250 करोड़ रुपये के निजी तौर पर रखे गए डिबेंचर में सदस्यता और वित्तीय वर्ष 2003 में 550 करोड़ रुपये की राइटऑफ शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने अन्य राहतों के अलावा, चार कंपनियों के मामलों की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच की मांग की। इस उद्देश्य से किए गए सतर्कता ऑडिट के बाद, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने हमारी कंपनी द्वारा कुछ ऋण संबंधी निर्णयों में अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, हमारी कंपनी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी, 2016 के अपने आदेश में आरबीआई को इस कार्यवाही में प्रतिवादी बनाया और उसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान न करने वाले देनदारों के संबंध में सभी उपलब्ध सूचनाएं दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, 3 जनवरी, 2017 के अपने आदेश में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह बताया गया कि (i(केंद्र सरकार ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है, ताकि ऐसे न्यायाधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे और न्यायिक जनशक्ति की स्थिति पैदा हो सके; (ii(मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना, ताकि हाल के विधायी संशोधनों द्वारा प्रस्तुत वसूली मामलों के निपटान के लिए संशोधित समयसीमा का कार्यान्वयन संभव हो सके; तथा (iii(दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के अनुभवजन्य आंकड़े तथा उन कॉर्पोरेट संस्थाओं की सूची, जहां बकाया राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

तब से न्यायालय का जोर देश में एनपीए के खतरनाक स्तर और उसके समाधान के बड़े इशु पर रहा। यह मामला 8 सितंबर, 2022 को सूचीबद्ध किया गया था जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया था कि वे इस मामले में जो कुछ हुआ है उसका संक्षिप्त नोट दाखिल करें और आगे क्या निर्देश मांगे जाएं। भारत सरकार और आरबीआई को भी उक्त नोट की जांच करने और यह सत्यापित करने की सलाह दी गई थी कि इस बीच क्या कार्रवाई की जा सकती है और भारत सरकार आगे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है। हडको के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया गया। मामला फिर से 07.12.2022 को सूचीबद्ध किया गया। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर संक्षिप्त नोट पर ध्यान दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना की है: (ए(यह माननीय न्यायालय आरबीआई और भारत संघ को समिति की रिपोर्ट, दिनांक 23.01.2017 की सभी सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दे सकता है; (बी(सभी बैंकों को स्थानीय/राज्य पुलिस और सीबीआई को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई के परिपत्र, दिनांक 01.07.2016 और सीवीसी के परिपत्र संख्या 04/05/2018, दिनांक 09.05.2018 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है; और (सी(आरबीआई को समय-समय पर 500 करोड़ रुपये से अधिक के चूककर्ताओं की समेकित सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जा सकता है। अदालत ने आरबीआई और यूओआई को (ए(और (बी(के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामला अंतिम रूप से 25.01.2023 को सूचीबद्ध किया गया था, जब आरबीआई ने जवाबी हलफनामा दायर किया था और यूओआई को इसे

दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था, ताकि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। यह भी बताया गया कि (सी(का इशुतीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया है। मामला अभी सूचीबद्ध होना बाकी है।

2. शांतनु दत्ता और दीपशिखा दत्ता ने हमारी कंपनी, हमारे गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख और हमारी कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ टाइटल सूट नंबर 406/2018 दायर किया है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया गया है। मामला फिलहाल लंबित है।

3. आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एल मधुसूदन राव और अन्य (हडको प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में(के खिलाफ डीआरटी I, दिल्ली के समक्ष दायर ओए संख्या 1463/2018 मेसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड को कंसोर्टियम फंडिंग से संबंधित है। हडको मामले में प्रोफार्मा प्रतिवादी है और मामले में लिखित बयान दायर किया गया है। उपरोक्त मामले में डीआरटी III, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 9.2.2024 के आदेश के अनुसार (टीए 149/2022 के रूप में पुन: क्रमांकित(, उक्त मामले को प्रतिवादी संख्या 2 (लैंको हाइड्रो पावर लिमिटेड(के खिलाफ बंद कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 यानी एल मधुसूदन राव के खिलाफ अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

4. हमारी कंपनी द्वारा मेसर्स रामनाथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत ऋण के संबंध में, हमारी कंपनी ने 31.74 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए 28 अगस्त 2014 को डीआरटी, मुंबई के समक्ष ओए 139/2014 दायर किया है। उधारकर्ता ने हमारी कंपनी के खिलाफ फरवरी 2016 को 40 करोड़ रुपये का जवाबी दावा भी दायर किया है, जिसका जवाब हमारी कंपनी ने पहले ही दाखिल कर दिया है। वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत उधारकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी(एनसीएलटी, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है। सीआईआरपी के लंबित रहने के दौरान, हडको को श्री सुदेश चंद्र गुप्ता, पूर्व निदेशक, रामनाथ डेवलपर प्राइवेट द्वारा 12 मार्च 2021 को जारी एक नोटिस/पत्र की प्रति प्राप्त हुई है। लिमिटेड, मेसर्स प्रेम गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट को संबोधित और हडको क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रति पृष्ठांकित, वित्तीय नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 40.00 करोड़ रुपये से 1365.82 करोड़ रुपये के प्रारंभिक दावों में संशोधन के लिए अंतरिम आवेदन संख्या IA93/2021 OA139/2014 में दाखिल करने के बारे में सूचित करता है। मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। IBC के तहत लगाए गए मामले और स्थगन की कोई पोस्टिंग नहीं की गई है। मामला फिलहाल लंबित है।

5. एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड ने दिल्ली नगर निगम और हमारी कंपनी के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के समक्ष एक घोषणात्मक मुकदमा (1026/06/1997(दायर किया , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हमारी कंपनी द्वारा वादी को भूमि के एक भूखंड के आवंटन को रद्द करने का मामला भी शामिल था। वादी ने मांग की कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली एक अनिवार्य निषेधाज्ञा के माध्यम से हमारी कंपनी को वादी को वाद की संपत्ति का कब्जा देने के निर्देश जारी करें और हमारी कंपनी को बाद में वाद की संपत्ति किसी अन्य पक्ष को आवंटित करने से रोकें। एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड ने इस संबंध में आपकी कंपनी द्वारा जारी किए गए रद्दीकरण पत्र को अमान्य घोषित करने और बाद में अमान्य घोषित करने की घोषणा करने के लिए संपादन प्रार्थना को प्रतिबंधित कर दिया। दिल्ली के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने 3 जुलाई, 2010 के अपने आदेश के माध्यम से वादी के पक्ष में फैसला सुनाया और हमारी कंपनी की आपत्तिजनक कार्रवाइयों को अमान्य घोषित कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर, हमारी कंपनी ने जिला न्यायाधीश, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 17 अगस्त, 2010 को अपील दायर की। दिनांक 18 जुलाई, 2014 के आदेश के माध्यम से, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली ने हमारी कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसके अनुसरण में हमारी कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील (362/2014(दायर की। दूसरी अपील को स्वीकार करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जून 2016 के अपने आदेश के माध्यम से आपकी कंपनी द्वारा एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड को भूमि के एक भूखंड के आवंटन को रद्द करने को बरकरार रखा। एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड, जिसे अब टुमॉरोलैंड टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 जून 2016 के पूर्व निर्धारित आदेश को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 17 अक्टूबर 2016 को एक विशेष अनुमति याचिका (34338/2016(दायर की। एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड ने 3 जून 2016 के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाने के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम राहत भी मांगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जनवरी 2017 के अपने आदेश के अनुसरण में मामले में छह सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी किया और हमारे कंपनी को एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड को जब्त की गई राशि वापस करने के संबंध में बोर्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। यूओआई और हडको दोनों ने हलफनामा दाखिल किया है कि यूओआई और हडको एक ही पृष्ठ पर हैं और मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना है। 3.12.24 को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को आदेश के लिए प्रतिभूतित रख लिया।

6. एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड ने हमारी कंपनी के खिलाफ दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक मुकदमा (2/1997(दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हमारी कंपनी ने कुछ संपत्तियों का आवंटन वादी को गलत तरीके से समाप्त कर दिया था, जिसमें गेस्टहाउस, दुकानों और रसोई के नौ ब्लॉक शामिल थे। वादी ने अन्य मांगों के साथ-साथ यह भी मांग की कि एक घोषणा पत्र पारित किया जाए, जिसमें घोषित किया जाए कि पूर्वोक्त आवंटन को रद्द करने वाले हमारी कंपनी के पत्र को अमान्य घोषित किया जाए और हमारी कंपनी को निविदाएं आमंत्रित करने और विवादित संपत्तियों को फिर से आवंटित करने से रोका जाए। बाद में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय (1551/2005(में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड ने एक संशोधित याचिका के माध्यम से अन्य मांगों के साथ-साथ यह भी मांग की कि हमारी कंपनी को 31 अक्टूबर,

1994 को आपके और वादी के बीच मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में किए गए समझौते को विशेष रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया जाए। हमारी कंपनी ने भी याचिका दायर की 10 दिसंबर 2008 को एक आवेदन दायर कर शिकायत को खारिज करने की मांग की गई थी। इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। मध्यस्थता की कार्यवाही विफल होने के बाद, मामले को वापस दिल्ली उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।

हडको ने गेस्ट हाउस आदि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामला 10.08.2016 को सुनवाई के लिए आया, तथापि एमएसएसईएल ने हडको को भुगतान की गई पूरी राशि ब्याज सहित ऐसी दर पर वापस लेने की पेशकश की, जो न्यायालय द्वारा उचित समझी जाए। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हडको बोर्ड ने

एमएसएसईएल के प्रस्ताव (बयाना राशि और ब्याज को छोड़कर पहली किस्त की वापसी के लिए(पर विचार किया और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एमओयूडी को भेज दिया। पक्षों (हडको और एमओयूडी(के बीच विभिन्न बैठकों और पत्रों के बाद, और सभी पक्षों के सभी तथ्यों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने एमएसएसईएल को भुगतान की तारीख तक 6% ब्याज के साथ 35,75,40,000/- रुपये की पहली किस्त के भुगतान के लिए वर्तमान मामले में 13 जनवरी, 2017 को अंतिम आदेश/डिक्री पारित की है। हडको एमएसएसईएल द्वारा चुकाए गए ब्याज (98,91,594/- रुपये(को भी वापस करेगा।
(पहली किस्त के भुगतान की विलंबित अवधि (30 नवंबर, 1994 से 30 जनवरी, 1995 तक(पर। यह डिक्री 30 जून, 2017 तक निष्पादन योग्य नहीं है। यदि राशि का भुगतान 31 दिसंबर, 2017 या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो हडको द्वारा 11% ब्याज देय होगा।

एमएसएसईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दिनांक 13 जनवरी, 2017 को पारित अंतिम आदेश/डिक्री की समीक्षा करने तथा अन्य राहत जैसे ब्याज की उच्च दर प्रदान करने आदि का अनुरोध करने के लिए समीक्षा याचिका दायर की। दिनांक 22 दिसंबर, 2017 के आदेश के अनुसार समीक्षा याचिका का निपटारा कर दिया गया है। एमएसएसईएल ने दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अंतिम आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय में निष्पादन याचिका संख्या 61/2017 दायर की। इसे एमएसएसईएल ने 22 दिसंबर, 2017 को वापस ले लिया। इसके अलावा, हडको ने दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अंतिम आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 अगस्त, 2018 के अपने आदेश में हडको के पुनः वापसी आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, हडको ने 28 अगस्त, 2018 और 13 जनवरी, 2017 के आदेशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की। हालांकि, 18 सितंबर, 2018 के वीडियो आदेश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हडको को उच्च न्यायालय में लंबित निष्पादन याचिका में सभी आपत्तियां दर्ज करने की स्वतंत्रता के अधीन वापस लिए गए एसएलपी को खारिज कर दिया। इसके अनुसरण में, हडको ने 13 जनवरी, 2017 के अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील (आरएफए (ओएस(संख्या 79/2018(दायर की। मामला वर्तमान में लंबित है।

एमएसएसईएल (अब टीटीईएल(ने भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी संख्या 10752/753/2018 दायर की है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 13 जनवरी, 2017 को पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका में पारित 12 दिसंबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10.12.24 के अपने आदेश को खारिज करते हुए दोनों एसएलपी को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया और उन्हें आरएफए (ओएस(संख्या 1/2025 और आरएफए (ओएस(संख्या 2/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है, और उन्हें टीटीईएल द्वारा दायर आरएफए के रूप में माना जाएगा। वे वर्तमान में लंबित हैं।

एमएसएसईएल (अब टीटीईएल(ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में संशोधित निष्पादन याचिका संख्या 19/2018 दायर की। मामला 3 मई, 2018 को सूचीबद्ध किया गया। माननीय न्यायाधीश ने हडको के अनुरोध पर हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली के पूर्व में जारी कुर्की वारंट को स्थगित रखा। मामला वर्तमान में लंबित है। इसके अलावा, हडको ने निष्पादन याचिका में आपत्तियां भी दर्ज कीं। यह मामला 29 अक्टूबर, 2018 को सूचीबद्ध किया गया था और प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने हडको की आपत्तियों को खारिज कर दिया। हडको ने दिल्ली उच्च न्यायालय में निष्पादन की पहली अपील (ईएफए (ओएस(संख्या 19/2018(दायर की। अपील स्वीकार कर ली गई और न्यायालय ने 27 नवंबर, 2018 के अपने आदेश को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक निष्पादन कार्यवाही स्थगित रखी जाए। यह मामला वर्तमान में हडको और टीटीईएल के आरएफए के साथ लंबित है।

एमएसएसईएल ने भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी संख्या 32484/2018 दायर की है, जिसमें निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाने के संबंध में 27 नवंबर, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। हालांकि, एमएसएसईएल ने इसे वापस ले लिया है।

7. कारण बताओ नोटिस: चेन्नई आरओ, हडको ने अपने आईओएम दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 और 9 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से मूल शिकायत संख्या 1286/2020 में रजिस्ट्रार/ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी (पीएमएलए(से 13 जुलाई, 2020 को एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बारे में सूचित किया था, जिसके तहत प्रतिवादियों को आय, कमाई या संपत्ति के स्रोत को इंगित करने के लिए कहा गया है, जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादियों ने पीएमएलए 2002 की धारा -5 की उप-धारा -1 के तहत कुर्क की गई संपत्ति अर्जित की है और कारण बताएं कि ऐसी सभी या किसी भी संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप कुर्की आदेश की पुष्टि क्यों नहीं की जानी चाहिए और हडको सहित सभी 22 प्रतिवादियों को प्रतिवादी संख्या 21 के रूप में 24 अगस्त, 2020 को या उससे पहले लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सीआरओ ने 09.10.2020 और 03.10.2022 के आईओएम के माध्यम से मेसर्स कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की योजना संख्या 19686 में प्राप्त कारण बताओ नोटिस का विवरण प्रस्तुत किया है, जो तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 1200 मेगावाट आयातित

कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की परियोजना के लिए पीएमएलए के तहत न्यायाधिकरण, नई दिल्ली से वित्त पोषण कर रहा है। इस संबंध में, मूल शिकायत संख्या 1733/2022 में माननीय न्यायाधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली ने 29.09.2022 को अंतिम आदेश पारित किया है। एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऋणदाताओं ने अपीलीय न्यायाधिकरण, पीएमएलए के समक्ष अपील दायर करने का निर्णय लिया है। 15.12.2022 को आयोजित संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में प्रमुख ऋणदाता एसबीआई ने सूचित किया है कि न्यायाधिकरण के दिनांक 29.09.2022 के आदेश के विरुद्ध अपील 01.12.2022 को पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई है। इस बीच, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 10.02.2023 के आदेश के तहत ऋणदाताओं को संयुक्त अपील के बजाय अलग अपील दायर करने का निर्देश दिया है। प्रमुख ऋणदाता (एसबीआई(ने कंसोर्टियम ऋणदाता को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामले की प्रस्तुति में एकरूपता रखने के लिए मेसर्स संजय आरपीके लॉ फर्म को नियुक्त करने की सलाह दी है। तदनुसार, सीआरओ ने प्रमुख ऋणदाता (एसबीआई(द्वारा पहचानी गई लॉ फर्मों को नियुक्त किया है और अपील के उचित अनुपालन में न्यायाधिकरण के दिनांक 29.09.2022 के आदेश के खिलाफ अलग से अपील दायर करने के लिए विधिवत निष्पादित अपील पत्र लॉ फर्म को भेजे गए थे।

प्राधिकरण का आदेश दिनांक 10.02.2023 है। अपील संख्या FPA 5877/2023 के अंतर्गत दायर की गई है। लॉ फर्म ने पुष्टि की है कि ED ने उपस्थिति दर्ज की है और जवाब दाखिल करने के लिए समय लिया है। इस बीच 25/04/2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया है कि बैंकों द्वारा दायर कुछ अलग-अलग अपीलों में, अपील पत्रों की पूरी प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तदनुसार, माननीय न्यायाधिकरण ने दस्ती सहित सभी अनुमेय तरीकों से आवश्यक कागजात/दस्तावेजों की सेवा करने और अगली सुनवाई की तारीख से पहले सेवा का सबूत दाखिल करने का निर्देश दिया है। हडको ने अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशों का विधिवत पालन किया और संबंधित सुनवाई की तारीख पर सेवा का सबूत दाखिल किया। इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंसोर्टियम में संबंधित बैंकों द्वारा दायर व्यक्तिगत अपीलों के लंबित होने का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण रजिस्ट्री को सेवा पूरी करने और मामले को सुनवाई के लिए 25.11.2024 तक पोस्ट करने का निर्देश दिया है। 25.11.2024 को पीएमएलए अपील अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आई। समाधान पेशेवर ने समाधान योजना की प्रति तथा एनसीएलटी के न्यायाधिकरण के आदेश को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी । इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया गया कि पूर्ववर्ती कॉर्पोरेट देनदार के निलंबित निदेशकों ने एनसीएलएटी के समक्ष एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी है तथा यह निर्णय लंबित है। तदनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे की सुनवाई के लिए 30.01.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया है।

C. सेवा मामले (Service matters)

1. श्री गुरु अधिन ने 2017 में कैट, पटना बेंच में भारत संघ और हडको के खिलाफ ओए नंबर 684 दायर किया, जिसमें बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के संबंध में वेतनमान संरचनाओं को अपग्रेड करने और 07.03.2002 से सभी परिणामी लाभों के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए राहत की मांग की गई थी। मामला वर्तमान में लंबित है।

2. श्री गुरु अधिन ने भारत संघ और अन्य के खिलाफ कैट, पटना बेंच में 2017 में एक ओए संख्या 47/747 दायर किया, जिसमें विभिन्न मुद्दों के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की राहत मांगी गई, जैसे कि हडको कर्मचारी पेंशन योजना की राशि पर 1.1.2007 की अवधि से ब्याज देना, 2015 में हडको बोर्ड द्वारा अनुमोदित कल्याण योजना को लागू करना, 2008-09 की अवधि के लिए एलटीसी राशि की वसूली के साथ आगे नहीं बढ़ना, पिछले 4 वर्षों के लिए पदोन्नति का पूर्वव्यापी प्रभाव देना और उसके बाद ही स्केल/वरिष्ठता निर्धारित करना ताकि वेतन/पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, डीपीसी आयोजित करने से पहले ईडी (कानून(की नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन के साथ आगे नहीं बढ़ना और महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की योजना को मंत्रालय के आदेश के अनुसार सही मायने में लागू करना। मामला फिलहाल लंबित है।

3. श्री गुरु अधिन ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना में भारतीय रिजर्व बैंक, हडको एवं अन्य के विरुद्ध ओए संख्या 21/2018 दायर कर प्रतिवादी प्राधिकारियों, विशेषकर हडको को दिनांक 1.1.2007 से 31.12.2015 की अवधि के लिए हडको कर्मचारी पेंशन योजना की राशि पर ब्याज जमा करने तथा उसके बाद पेंशन भुगतान के उद्देश्य से पेंशन निधि प्रबंधक, एलआईसी के पास रखे गए कर्मचारियों के संबंधित खातों में राशि जमा होने तक ब्याज जमा करने का निर्देश देने की मांग की है।

4. श्री गुरु अधिन ने यूओआई और हडको के खिलाफ कैट, पटना में 2018 की ओए संख्या 107 दायर की है, जिसमें हडको को संयुक्त महाप्रबंधक (कानून(के पद से उन्हें महाप्रबंधक (कानून(के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामला फिलहाल लंबित है।

5. श्री रत्न प्रकाश, संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त(, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने दिनांक 21.12.2018 को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट(, जयपुर पीठ के समक्ष मूल आवेदन (ओए(संख्या 291/575/2018 दायर किया है, जिसमें महाप्रबंधक (वित्त(के पद पर 17.11.2017 को हुई पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है तथा नए सिरे से चयन करने के निर्देश मांगे हैं, जिसके तहत उनकी वरिष्ठता सहित सभी क्रमिक लाभों के साथ 22.12.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। मामला फिलहाल लंबित है

6. डीके श्रीवास्तव ने माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट(, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या 2659/2014 में पारित दिनांक 11.10.2018 के आदेश के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक डब्ल्यूपी(सी(14040/2018 दायर किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आयोजित विभागीय कार्यवाही के समापन पर सेवा से अपनी बर्खास्तगी का विरोध किया है। मामला वर्तमान में लंबित है।

7. श्री देवेन्द्र कुमार ने दिनांक 10.06.2019 को हडको के विरुद्ध पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण

सह श्रम न्यायालय संख्या 1, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली के समक्ष मामला आईडी संख्या 136/2019(एल-42011/65/2019-आईआर(डीयू(दायर किया। श्री देवेन्द्र कुमार, जो पूर्णतः अस्थायी आधार पर ड्राइवर के रूप में नियुक्त किये गये थे, ने औद्योगिक विवाद उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी नियुक्ति समाप्त होने के फलस्वरूप उनकी सेवा समाप्ति अवैध है। मामला फिलहाल लंबित है।

8. श्री दीपक कुमार मजूमदार ने यूओआई और अन्य के खिलाफ कैट, कोलकाता बेंच के समक्ष एक मूल आवेदन (ओए(संख्या 1036/2019 दायर किया है , जिसमें उनके दिनांक 29.05.2019 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता से क्षेत्रीय कार्यालय रांची स्थानांतरित किया गया था। मामला फिलहाल लंबित है।

9. स्वर्गीय श्री घासी राम ने अपने कानूनी प्रतिनिधि श्री रामफूल मीना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एक डब्लूपी संख्या 10324/2019 दायर की है, जिसमें श्रम न्यायालय, जयपुर के दिनांक 02.04.2019 के पुरस्कार को चुनौती दी गई है, जिसमें मुआवजा राशि 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये करने के साथ-साथ हडको में उनकी नियुक्ति भी शामिल है। मामला फिलहाल लंबित है।

10. हडको ने भी स्वर्गीय श्री घासी राम के खिलाफ उनके कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से जयपुर उच्च न्यायालय में एक डब्ल्यूपी संख्या 16891/2019 दायर कर श्रम न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 2.4.2019 के अवार्ड को चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने हडको को श्रम न्यायालय, जयपुर में 2.50 लाख रुपए जमा कराने के निर्देश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.2019 की अनुपालना में हडको ने श्रम न्यायालय, जयपुर में 2.50 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। मामला वर्तमान में लंबित है।

11. श्री बीएमडी राव, पूर्व प्रमुख (कानून(, हडको ने हडको लिमिटेड के खिलाफ मुंबई में सीएटी, बॉम्बे बेंच में 6.12.2019 को अपने निदेशक मंडल और अन्य के माध्यम से एक ओए संख्या 867/2019 दायर की है, जिसमें हडको की सेवाओं से उन्हें बर्खास्त करने के 24.10.2017 के आदेश और सरकारी नौकरी में अयोग्यता से लेकर बर्खास्तगी तक के जुर्माने को कम करने के 03.01.2019 के आदेश को चुनौती दी गई है, जो सरकारी नौकरी में अयोग्यता नहीं होगी। मामला फिलहाल लंबित है।

12. श्री के रवींद्र अल्वा, (पूर्व कार्यकारी निदेशक वित्त(ने सेवा से हटाए जाने की अवधि के लिए अपने परिणामी लाभों और सेवानिवृत्ति के बाद के अन्य लाभों को जारी करने के लिए कैट, गुवाहाटी में एक ओए संख्या 329/2021 दायर किया है। यह मामला 31-03-2024 तक लंबित था, लेकिन कैट, गुवाहाटी द्वारा 26-07-2024 के आदेश द्वारा निपटा दिया गया है। हालाँकि, कैट, गुवाहाटी के आदेश को हडको द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

13. श्री वालापार्ला स्वरूप, पूर्व मुख्य सामुदायिक विकास अधिकारी (सेवानिवृत्त(, हडको , जिन्हें 01-10-1991 को हडको में शामिल किया गया था, ने मद्रास उच्च न्यायालय में 2021 का डब्ल्यूपी संख्या 2048 दाखिल किया है, जिसमें उन्हें चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड के साथ 06-03-1978 से 30-09-1991 (13 वर्ष और 7 महीने(की अवधि के लिए पेंशन लाभ और हडको के साथ प्रतिनियुक्ति अवधि अर्थात 26-10-1989 से 30-09-1991 तक की अवधि शामिल है, जिसे शामिल नहीं किया गया है।

14. श्री सतीश चंद्र गुप्ता, पूर्व महाप्रबंधक (वित्त(, हडको ने कैट, दिल्ली में 2022 के ओए नंबर 2218 के माध्यम से ईएलनकदीकरण जारी करने के लिए हडको के 21-07-2022 के उनके अभ्यावेदन के निपटारे को चुनौती दी है।

15. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने हडको द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल(संख्या 11902/2023 को अनुमति दे दी है, जिसमें माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट(, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा सुश्री वर्षा पुन्हानी द्वारा दायर ओए नं. 2264/2018 पर दिनांक 10-08-2023 को पारित निर्णय को रद्द कर दिया गया था, जिसमें हडको भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2011 के पैरा 16.1 के साथ-साथ दिनांक 22-12-2017 के पदोन्नति आदेश को रद्द कर दिया गया था और किए गए शीर्षस्थ पदोन्नति के साथ अलग रखा गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त डब्ल्यूपी का निपटारा करते हुए सुश्री वर्षा पुन्हानी द्वारा दायर ओए नं. 2264/2018 के नए निर्णय के लिए मामले को माननीय न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया है। यह मामला 31-03-2024 तक लंबित था, लेकिन दिनांक 27-11-2024 के आदेश द्वारा इसका निपटारा कर दिया गया है। हडको ने रिट याचिका (सी(संख्या 17311/2024 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय में दिनांक 27-11-2024 के उक्त आदेश को चुनौती दी है।

16. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने हडको द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल(संख्या 13870/2023 को अनुमति दे दी है, जिसमें दिनांक 01-09-2023 के निर्णय को रद्द कर दिया गया है, जिसे माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट(, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा सुश्री गायत्री रत्नम राजेश द्वारा दायर ओए संख्या 2254/2022 में पारित किया गया था, जिसमें पैरा 16.1 हडको भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2011 के साथ दिनांक 22-12-2017 के पदोन्नति आदेश को रद्द कर दिया गया है तथा

किए गए शीर्षस्थ पदोन्नति के साथ इसे खारिज कर दिया गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश का निपटारा करते हुए सुश्री गायत्री रत्नम राजेश द्वारा दायर ओए संख्या 2254/2022 के नए निर्णय के लिए मामले को एलडी ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है। मामला लंबित है।

17. श्री अमित धर द्वारा दिनांक 13-06-2003 को झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या WP(S(-2380/2003 में स्टेनोग्राफर के पद पर उनकी नियुक्ति को हडको द्वारा रद्द करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई।

ग्रेड III-हिंदी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा सभी परिणामी लाभों के साथ अपनी बहाली की मांग की। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10-02-2009 के निर्णय एवं आदेश द्वारा रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। हडको ने LPA के तहत अपील दायर की -131/2009 में दिनांक 10-02-2009 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई। एलपीए खारिज कर दिया गया। मामले की बहाली के लिए, हडको ने फिर से सीएमपी 989/2024 दायर किया है और दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। मामला लंबित है।

भौतिक विकास:

(i(आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी(के विनियमन का भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तांतरण:

हम कंपनी अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी हैं और कंपनी अधिनियम की धारा 4 ए के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित हैं। हम कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत एक सरकारी कंपनी हैं। RBI ने 23.08.2024 को हडको को NBFC-IFC के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया है।

XII. सारांश अवधि शीट – हडको 54 ईसी कैपिटल गेन्स टैक्स छूट (सीटीजीई) बांड सीरीज -I

प्रतिभूति नाम	हडको54 ईसी कैपिटल गेन्स टैक्स छूट (सीटीजीई)) बांड सीरीज-I
जारीकर्ता	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
उपकरण का प्रकार	डिबेंचर की प्रकृति के बांड। बुलेट रिडेम्पशन (आबंटन की मानी गई तिथि से पांच वर्ष/ साठ महीने के अंत में) ll
उपकरण की प्रकृति (प्रतिभूतित या अप्रतिभूतित)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ई.सी. के अंतर्गत लाभ के साथ "ऑन टैप" आधार पर सममूल्य पर नकद के लिए जारी किए गए डिबेंचर की प्रकृति में, श्रृंखला I के अंतर्गत प्रतिभूतित, रेटेड, असूचीबद्ध, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी, रेडीमेबल, कर योग्य बांड।
सिनियोरिटी (सीनियर या अधीनस्थ)	सनियर ऋण
इश्यू का प्रकार	निजी प्लेसमेंट
निवेश करने के लिए पात्र निवेशक/निवेशकों का वर्ग	क. व्यक्ति ख. हिंदू अविभाजित परिवार ग. पार्टनरशिप फर्म घ. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ङ. बीमा कंपनियां च. कंपनियां और कॉर्पोरेट निकाय छ. भविष्य निधि, सुपरएनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड ज. बैंक झ. म्यूचुअल फंड ञ. वित्तीय संस्थान ट. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (मौजूदा नियमों के अधीन) ठ. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ड. एनआरआई/अन्य विदेशी पात्र निवेशक जो

	एनआरओए/गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर लागू कानून के अधीन निवेश करते हैं ढ. सहकारी बैंक। ण. कोई अन्य निवेशक जो लागू कानूनों के अधीन है 1 प्रत्येक मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत इन बॉन्ड की सदस्यता लेने के लिए पात्र हैं। इसे किसी अन्य व्यक्ति (हडको से यह सूचना ज्ञापन प्राप्त करने वाले संभावित निवेशक के प्रोफेशनल सलाहकारों के अतिरिक्त) को पुन: प्रस्तुत या वितरित नहीं किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए हडको अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए, आंशिक या पूर्ण रूप से किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का हकदार है। भुगतान के प्रमाण के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही आवेदन को पूरा माना जाएगा। एक आवेदन पत्र जो सभी तरह से पूरा नहीं है, उसे हडको द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।	
लिस्टिंग	लॉक-इन अवधि में बांडों की गैर-हस्तांतरणीयता के कारण बांडों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है	
रेटिंग	**आईसीआरए लिमिटेड**	'[आईसीआरए]एएए' (स्थिर)
	सीएआरई रेटिंग	'सीएआरई -एएए(स्थिर)
	आईआरआरपीएल	आईएनडी- एएए '(स्थिर)
इश्यू साइज़ (राशि)	100 करोड़ रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) प्लस ग्रीन शू विकल्प ओवर सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए	
इश्यू के उद्देश्य	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया	

	जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियां, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में कोई अन्य उद्देश्य।
इश्यू प्रोसीड के उपयोग का विवरण	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के सामान्य व्यवसाय के क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इस निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए नहीं है और इसलिए इस प्रोसीड इश्यू का उपयोग जारीकर्ता की नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसलिए, प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग केवल इश्यू के उद्देश्यों की संतोषजनक पूर्ति के लिए किया जाएगा।
फेस वैल्यू	रु.10,000 (दस हजार रुपये) प्रति बांड
इश्यू प्राइज	सममूल्य पर रु.10,000 (दस हजार रुपए) प्रति बांड।
छूट/प्रीमियम जिस पर बांड जारी किया जाता है	लागू नहीं
कूपन दर	5.25% (पांच दशमलव दो पांच प्रतिशत) प्रति वर्ष
कूपन भुगतान बारंबारता	वार्षिक
कूपन भुगतान तिथि	रेडेम्पशन तक प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को ब्याज का भुगतान किया जाएगा तथा शेष ब्याज रेडेम्पशन के साथ ही चुकाया जाएगा।
कूपन का प्रकार	फिक्स्ड

दैनिक गणना के आधार पर (डे काउंट बेसिस)	वास्तविक/वास्तविक ब्याज दर की गणना बांड पर बकाया मूलधन पर 365 दिन प्रति वर्ष के आधार पर की जाएगी। जहां कूपन/ब्याज अवधि (शुरुआत तिथि से समाप्ति तिथि तक) में 29 फरवरी शामिल है, कूपन/ब्याज दर की गणना डिबेंचर पर बकाया मूलधन पर 366 दिन प्रति वर्ष के आधार पर की जाएगी।

टेनर	आबंटन की मान्य तिथि से 5(पांच) वर्ष/ 60(साठ) महीने
रेडेम्पशन तिथि	आबंटन की अनुमानित तिथि से (पांच) वर्ष/60(साठ) महीने बाद
रेडेम्पशन अमाउंट	सममूल्य पर रु.10,000 (दस हजार रुपए) प्रति बांड।
रेडेम्पशन पर प्रीमियम/ छूट	शून्य
इश्यू पर प्रीमियम/ छूट	शून्य
पुट ऑप्शन मूल्य	लागू नहीं
कॉल ऑप्शन मूल्य	लागू नहीं
न्यूनतम आवेदन साइज़ और उसके बाद ऋण प्रतिभूतियों के गुणकों में।	आवेदन न्यूनतम 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) (2 (दो) बांड) और उसके बाद 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) (1 (एक) बांड) के गुणकों में होना चाहिए।
अधिकतम आवेदन साइज़	500 (पांच सौ) बांड, जिनका मूल्य रु. 10,000 (दस हजार रुपये) प्रत्येक है (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अधीन) अर्थात रु. 50,00,000 (पचास लाख रुपये)
इश्यू समय	इश्यू की आरंभिक तिथि: 7 मई, 2025 (संभावित), इश्यू की समाप्ति तिथि: 31 मार्च, 2026 (बैंकिंग समय की समाप्ति पर) या हडको द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार तय की गई तिथि पर।

जारी करने का प्रारूप	पात्र निवेशक द्वारा चुने गए भौतिक या अभौतिक रूप में।
सदस्यता का तरीका	आवेदक इलेक्ट्रॉनिक मोड या 'हडको कैपिटल गेन बांड' के पक्ष में चेक / ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन राशि का प्रेषण कर सकते हैं।
उपकरण के सेटलमेंट का मोड	ब्याज का भुगतान और मूलधन का पुनर्भुगतान चेक/ब्याज/ रेडेम्पशन वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/प्रत्यक्ष क्रेडिट/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर/एनईसीएस/एनईएफटी या बैंकों द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से की जाएगी।
चेक/ड्राफ्ट इस पर तैयार किया जाएगा	एचडीएफसी को छोड़कर सभी कलेक्शन बैंकों के लिए हडको कैपिटल गेन बॉन्ड्स"। एचडीएफसी के मामले में खाते का नाम "हडको कैपिटल गेन बॉन्ड्स कलेक्शन अकाउंट" है।
आबंटन की मान्य तिथि	प्रत्येक माह का अंतिम दिन जिसमें सदस्यता राशि प्राप्त होती है और हडको पूंजी लाभ कलेक्शन खाते में जमा की जाती है।
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड("सीडीएसएल")

रिकॉर्ड तिथि	प्रत्येक कूपन भुगतान तिथि/ रेडेम्पशन तिथि से 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिन पहले। बांड/एनसीडी के मोचन के मामले में, बांड/एनसीडी में ट्रेडिंग रिकॉर्ड तिथि और रेडेम्पशन की तिथि के बीच निलंबित रहेगी। यदि रिकॉर्ड तिथि शनिवार, रविवार या डिपॉजिटरी के अवकाश के दिन पड़ती है, तो तत्काल बाद के कार्य दिवस या कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचित तिथि को रिकॉर्ड तिथि माना जाएगा।
लेन-देन दस्तावेज़	जारीकर्ता ने इश्यू के संबंध में निम्नलिखित सहित लेकिन इन तक सीमित नहीं, दस्तावेजों को निष्पादित किया है/ निष्पादित करेगा: 1. एनसीडी होल्डर्स को डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त करने का पत्र। 2. एनसीडी होल्डर्स के लिए और उनकी ओर से ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड से सहमति पत्र। 3. हडको के कर योग्य एनसीडी जारी करने और उससे संबंधित रेटिंग तर्क के लिए आईआरआरपीएल, आईसीआरए लिमिटेड और केयर रेटिंग रेटिंग एजेंसी से पत्र। 4. डिबेंचर ट्रस्टीशिप करार; उपर्युक्त दस्तावेज हमारे मुख्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
शासन विधि एवं अधिकार क्षेत्र	ये बांड मौजूदा भारतीय कानूनों के अनुसार शासित होंगे और उनके अनुसार ही व्याख्या किए जाएंगे। इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद नई दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
ट्रस्टीज	बीकन ट्रस्टशिप लिमिटेड

टिप्पणी:

1. हडको कूपन दर को संशोधित करने और/या अपनी वेबसाइट पर सूचना देकर इश्यू को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पात्र निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक में

आवेदन जमा करने से पहले हडको/मोबिलाइजर्स से परामर्श लें।
2. हडको द्वारा प्रस्तुत लेकिन अस्वीकृत सभी आवेदन हडको द्वारा आवेदक/कलेक्शन बैंकर को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिए जाएंगे।
3. न्यूनतम 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) और उसके बाद 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) के गुणकों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अंश में प्राप्त कोई भी राशि पात्र निवेशक को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
4. हस्तांतरण के 6 महीने की अवधि के भीतर भूमि या भवन या दोनों के रूप में दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न केवल दीर्घकालिक कैपिटल गेन्स को ही इन बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है।

नीचे दिन गणना परंपरा और भुगतानों पर छुट्टियों के प्रभाव के संबंध में मार्गदर्शन के लिए एक उदाहरण दिया गया है।

निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यह उदाहरण केवल उदाहरण के लिए है और इस मुद्दे से संबंधित नहीं है।

जारीकर्ता	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
बांड का अंकित मूल्य	रु.10,000/-
आबंटन की मान्य तिथि	प्रत्येक माह का अंतिम दिन जिसमें सदस्यता राशि प्राप्त होती है और हुडको 54 ईसी संग्रह खाते में जमा की जाती है। (मान लें कि आबंटन तिथि 30 मई 2025 है)
रेडेम्पशन तिथि/परिपक्वता तिथि	आबंटन की मान्य तिथि से 5 वर्ष के अंत पर
कार्यकाल (वर्षों की संख्या(	5
कूपन दर	5.25%
कूपन/ब्याज भुगतान की आवृत्ति (निर्दिष्ट तिथियों के साथ(:	वार्षिक
डे काउंट कन्वेंशन	वास्तविक/ वास्तविक
समग्र निवेश	रु.10,000/-

क्र.सं	**कूपन भुगतान**	**रेडेम्पशन देय कूपन के लिए दिन और तारीख**	**संशोधित कूपन/ रेडेम्पशन तिथि**	**ब्याज अवधि में दिनों की संख्या**	**डिनोमीनेशनके लिए दिनों की संख्या**	**प्रति एनसीडी देय राशि (रु. में (**
		दिवा तिथि	दिवा तिथि			
1.	प्रथम कूपन भुगतान	गुरुवार 30,अप्रैल ,2026		365	365	480.41
2.	दूसरा कूपन भुगतान	शुक्रवार, 30 अप्रैल, 2027		365	365	525.00
3.	तीसरा कूपन भुगतान	रविवार 30,अप्रैल ,2028	सोमवार 01 ,मई ,2028	366	366	525.00
4.	4 था कूपन भुगतान	सोमवार 30 ,अप्रैल ,2029		365	365	525.00
5.	5 वां कूपन भुगतान	मंगलवार 30,अप्रैल ,2030		365	365	525.00
6.	6 ठा कूपन भुगतान	शुक्रवार, 31 मई, 2030		365	365	43.15
	रेडेम्पशन राशि	शुक्रवार, 31 मई, 2030				10000
	कुल नकदी प्रवाह					12623.56

मान्यताएं:

1. *उपर्युक्त उदाहरणों के प्रयोजनों के लिए, यह माना गया है कि केवल ऐसी तिथियाँ जो हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पड़ती हैं, उन्हें गैर-व्यावसायिक दिवस माना गया है। इसके अलावा, रविवार को भी गैर-व्यावसायिक दिवस माना गया है। हालाँकि, कार्य दिवस/व्यावसायिक दिवस का अर्थ उन सभी दिनों से होगा, जिन दिनों दिल्ली में वाणिज्यिक बैंक व्यापार के लिए खुले रहते हैं।*

XIII. प्रस्ताव की शर्तें

यह मुख्य सूचना दस्तावेज केवल पात्र निवेशकों के उपयोग के लिए है और इसे किसी तीसरे पक्ष को प्रसारित या वितरित नहीं किया जाना चाहिए। यह बॉन्ड निर्गम पूरी तरह से निजी प्लेसमेंट के आधार पर किया जाएगा। यह मुख्य सूचना दस्तावेज आम जनता को जारी कर्ता द्वारा जारी किए जाने वाले बाण्डों की सदस्यता लेने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए आम तौर पर आमंत्रण या प्रस्ताव का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 26 बॉन्ड जारी करने पर लागू नहीं होती है, और इसलिए इस मुख्य सूचना दस्तावेज के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 26 के संबंध में कोई अतिरिक्त खुलासा नहीं किया गया है और तदनुसार, इस मुख्य सूचना दस्तावेज की एक प्रति संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल नहीं की गई है।

बॉन्ड का आवंटन केवल तभी होगा जब हडको विधिवत भरे गए आवेदन पत्र और आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों को स्वीकार कर लेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से पात्र निवेशक की पहचान होगी और यह पुष्टि होगी कि ऐसा व्यक्ति/संस्था: (i) बॉन्ड की शर्तों और नियमों को स्वीकार करता है, और (ii) 54 ईसी बॉन्ड की सदस्यता लेने और धारण करने के लिए पात्र है।

पात्र निवेशक यह समझता है कि यदि आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत धारा 54 ईसी का लाभ नहीं देता है,तो हडको इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

13.1 इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण

यह मुद्दा निम्नलिखित के तहत उठाया जा रहा है:

a) जारीकर्ता के निदेशक मंडल का प्रस्ताव 04 अप्रैल2025 को आयोजित अपनी बैठक में पारित हो गया।
b) 25 सितंबर 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 180(1)(ए)के तहत प्रतिभूति के निर्माण के लिए जारीकर्ता के शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव।
c) 25 सितंबर 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी)के तहत उधार लेने की शक्तियों के लिए जारीकर्ता के शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
d) आयकर अधिनियम,1961 के संशोधित प्रावधान।

13.2 मुद्दे का उद्देश्य

निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि जारीकर्ता के व्यवसाय/प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से,जैसे उधार गतिविधियां,मौजूदा ऋण (दीर्घकालिक और अल्पावधि दोनों(का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण, और/या जारीकर्ता के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए है।

13.3 निर्गम आय का उपयोग

निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए जाने वाले 100% फंड जारीकर्ता के व्यवसाय/संचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दीर्घ-अवधि के संसाधनों को बढ़ाने के लिए हैं, जैसे उधार देने की गतिविधियाँ, मौजूदा ऋण (दीर्घ-अवधि और अल्प-अवधि दोनों(का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इस निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए फंड किसी निर्दिष्ट परियोजना के लिए नहीं हैं और इसलिए इस इश्यू की आय का उपयोग जारीकर्ता की नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसलिए, प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए फंड का उपयोग केवल इश्यू के उद्देश्यों की संतोषजनक पूर्ति के लिए किया जाएगा।

13.4 प्रतिभूति के रूप में चार्ज की गई संपत्ति की मुख्य शर्तें

बॉन्ड ट्रस्टी और जारीकर्ता के बीच सहमति से जारीकर्ताओं की प्राप्तियों पर शुल्क सर्जित करके बॉन्डकोसुरक्षित किया जाएगा।

13.5 बॉन्ड/डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के तहत, जैसाकि संशोधित किया गया है,आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईए के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी निजी तौर पर रखे गए डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है।

13.6 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लाभ

हडको कैपिटल गेन बॉन्ड के लिए धारा 54EC के अंतर्गत

दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर छूट से संबंधित धारा 54 ईसी, यदि हस्तांतरण के 6 महीने के भीतर बॉन्ड में निवेश किया जाता है, वित्त अधिनियम 2000 द्वारा सम्मिलित की गई थी, तथा यह कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए प्रभावी थी तथा तत्पश्चात वर्ष दर वर्ष इसमें संशोधन किया गया। धारा का वर्तमान पाठ इस प्रकार है:

54 ईसी कुछ बाण्डों में निवेश पर पूंजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा।

"(1) जहां पूंजीगत लाभ दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होता है, जो भूमि या भवन या दोनों हो, (इस प्रकार हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति को इस खंड में इसके बाद निर्दिष्ट परिसंपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा)और करदाता ने, ऐसे हस्तांतरण की तारीख के बाद छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी समय, पूंजीगत लाभ का पूरा या कोई हिस्सा दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति में निवेश किया है, पूंजीगत लाभ इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा, अर्थात्,

(a) यदि दीर्घावधि निर्दिष्ट परिसंपत्ति की लागत निर्दिष्ट परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ से कम नहीं है, तो ऐसे संपूर्ण पूंजीगत लाभ पर धारा45 के अंतर्गत शुल्क नहीं लगाया जाएगा;

(b) यदि दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति की लागत निर्दिष्टपरिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ से कम है, तो पूंजीगत लाभ का उतना हिस्सा,जो संपूर्ण पूंजीगत लाभ के समानुपात में है,जो दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत संपूर्ण पूंजीगत लाभ के समानुपात में है,धारा45 के अंतर्गत प्रभारित नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता द्वारा दीर्घकालीन निर्दिष्ट परिसंपत्ति में 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात किया गया निवेश पचास लाख रुपए से अधिक न हो:

बशर्ते कि एक करदाता द्वारा दीर्घावधि निर्दिष्ट परिसंपत्ति में एक या अधिक निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ से किया गया निवेश, उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें निर्दिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों को स्थानांतरित किया जाता है और बाद के वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता है।

(2) जहां दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति को उसके अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय धन में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जाता है (स्थानांतरण के अलावा) वहां निर्दिष्ट परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की राशि, जो ऐसी दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की लागत के आधार पर धारा45 के अंतर्गत प्रभारित नहीं की जाती है, जैसा कि उप-धारा (1) के खंड (ए(या खंड(बी(में प्रावधान किया गया है, पिछले वर्ष की दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति से संबंधित "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय मानी जाएगी जिसमें दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति को धन में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जाता है (स्थानांतरण के अलावा(

बशर्ते कि उप-धारा(3) के पश्चात आने वाले स्पष्टीकरण के खंड(बी(केउपखंड (ii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति के मामले में, यह उप-धारा इस प्रकार प्रभावी होगी जैसे कि"तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।

स्पष्टीकरण- ऐसे मामले में जहां निर्दिष्ट परिसंपत्ति का अंतरण किया जाता है और करदाता निर्दिष्ट परिसंपत्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित पूंजीगत लाभ का संपूर्ण या उसके कुछ भाग काकिसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति में निवेश करता है और ऐसा करदाता ऐसी विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम राशि लेता है, वहां यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति को (अंतरण के अलावा(उस तारीख को धन में परिवर्तित कर दिया है, जिस तारीख को ऐसा ऋण या अग्रिम राशि ली गई है।

(2) जहां उप धारा(1) के खंड (क) या खंड(ख) के प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति की लागत को ध्यान में रखा गया है,

(ए)[***]

(ख(1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा80(सी) के अधीन ऐसी लागतों के संदर्भ में आय में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरणइस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(a) किसी दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति के संबंध में "लागत"से तात्पर्य निर्दिष्ट परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित पूंजीगत लाभ में से ऐसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति में निवेश की गई राशि से है;

(b) 1 अप्रैल, 2006 से शुरू होकर 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इस धारा के तहत कोई भी निवेश करने के लिए "दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति" का अर्थ है कोई भी बॉन्ड, जो तीन वर्षों के बाद रीडीमेबल हो और 1 अप्रैल, 2006 को या उसके बाद जारी किया गया हो, लेकिन 31 मार्च, 2007 को या उससे पहले जारी किया गया हो।

(i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा; या

(ii)ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी

और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकारी राजपत्र में ऐसी शर्तों के साथ अधिसूचित किया जाएगा (जिसमें ऐसे बॉन्ड में करदाता द्वारा निवेश की राशि की सीमा प्रदान करने की शर्त भी शामिल है(जैसा कि वह उचित समझे:

बशर्ते कि जहां कोई बॉन्ड 1 अप्रैल, 2007 से पहले, अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में खंड (बी) के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनके संशोधन से तुरंत पहले थे, ऐसे बॉन्ड को इस खंड के तहत अधिसूचित बॉन्ड माना जाएगा;

इस धारा के तहत कोई भी निवेश करने के लिए "दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति" ,

(i) 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2018 के पूर्व जारी किए गए बॉन्ड का तात्पर्य किसी ऐसे बॉन्ड से है, जो तीन वर्षों के पश्चात् रीडीमेबल है तथा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2018 के पूर्व जारी किया गया है;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात जारी किया गया बॉन्ड, पांच वर्ष के पश्चात् रीडीमेबल तथा 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात जारी किया गया बॉन्ड है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य बॉन्ड द्वारा।"

a. आवंटन की मान्य तिथि/बॉन्डप्रमाण पत्र

बॉन्ड के आवंटन की मान्य तिथि उस माह का अंतिम दिन होगी, जिसके दौरान आवेदन/अंशदान राशि हडको 54 ईसी संग्रह खाते में जमा की गई है। बॉन्ड का आवंटन केवल तभी होगा जब हडको विधिवत भरे गए आवेदन पत्र और आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों को स्वीकार कर लेगा, जिसमें पात्र निवेशक की स्पष्ट पहचान होगी और यह पुष्टि होगी कि ऐसा व्यक्ति/संस्था)i) बॉन्ड की शर्तों और नियमों को स्वीकार करता है, और (ii) 54 ईसी बॉन्ड की सदस्यता लेने और उसे धारण करने के पात्र है।

पात्र निवेशक को आवेदन पत्र के अनुसार निम्नलिखित की पुष्टि करना आवश्यक है:

i. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान 54 ईसी बाण्डों में किया गया/किया जा रहा कुल निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और निधियों के स्रोत भूमि या भवन पर पूंजीगत लाभ हैं या दोनों दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति हैं;
ii. इसने बॉन्ड श्रृंखला I के लिए मुख्य सूचना दस्तावेज, आवेदन पत्र और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के प्रावधानों की सामग्री और नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और उनसे सहमत है।
iii. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है तथा इसके साथ केवाईसी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न होंगी;
iv. इसने किसी भी धन शोधन विरोधी कानून या विनियमन के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और उसके तहत नियम ("पीएमएलए") शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है और 54 ईसी बॉन्ड के लिए सदस्यता राशि के रूप में योगदान की जा रही कोई भी राशि भारत या विदेश में अपराध की आय का हिस्सा नहीं है या सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों से प्राप्त नहीं होती है जो किसी भी पीएमएलए या लागू कानून का उल्लंघन करती हैं या जारीकर्ता को किसी भी पीएमएलए या लागू कानून का उल्लंघन करने का कारण बन सकती हैं, जिसमें धन शोधन विरोधी कानून या विनियमन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
v. उसके पास यह मानने का कोई आधार या संदेह नहीं है कि 54 ईसी बॉन्ड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश किए जा रहे किसी भी धन से अपराध की आय होती है या यह संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि वे आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण में शामिल हो सकते हैं या उनसे प्राप्त हो सकते हैं और वह सदस्यता राशि के संबंध में किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी जांच, पूछताछ, निर्देश या आदेश की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी और दायित्व लेगा और जारीकर्ता को इस संबंध में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और जारीकर्ता को उसके द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान, दावे, क्षति या देनदारियों के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

महीने की पहली तारीख से 15 तारीख के बीच पात्र निवेशकों से प्राप्त निधियों के लिए, अनंतिम आवंटन प्रक्रिया महीने की अंतिम तिथि तक होगी। महीने की 16 तारीख से अंतिम तिथि के बीच पात्र निवेशकों से प्राप्त निधियों के लिए, अनंतिम आवंटन प्रक्रिया अगले महीने की 15 तारीख तक होगी, जिसमें उपरोक्त पैराग्राफ में आवंटन की मानी गई तिथि होगी। बॉन्ड के लिए डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड फॉर्म में आवेदन के मामले में, बॉन्ड को लॉक-इन-सिक्योरिटीज के तहत आवंटन के 15 दिनों के भीतर डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड खाते में जमा किया जाएगा। बॉन्ड के लिए दस्तावेज़ी फॉर्म में आवेदन के मामले में, बॉन्ड सर्टिफिकेट को आवंटन के 45 दिनों के भीतर अनंतिम रूप से भेजा जाएगा।

यहाँ निर्धारित समय-सीमाएँ अनंतिम और सांकेतिक प्रकृति की हैं। हडको पात्र निवेशकों से प्राप्त सभी वैध और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों (संबंधित सदस्यता राशि के साथ) का आवंटन लागू कानून के तहत समय-सीमा के भीतर करने का प्रयास करेगा।

b. पंजीकृत बॉन्डधारक

बॉन्डधारक जिसका नाम रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा बनाए गए बॉन्ड धारकों के रजिस्टर में दिखाई देता है (पात्र निवेशकों द्वारा दस्तावेज़ी प्रमाणपत्र चुनने के मामले में) और बनेफिसिअल ओनर रिकॉर्ड तिथि पर (पात्र निवेशकों द्वारा डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड बॉन्ड चुनने के मामले में)

c. ब्याज का भुगतान

- ब्याज प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को वास्तविक/वास्तविक आधार पर देय होगा। बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान पंजीकृत बॉन्ड धारकों को किया जाएगा।
- मार्च, 2026 तक किए गए आवंटन के लिए , पहला ब्याज भुगतान उसी वर्ष 30 अप्रैल को किया जाएगा। ब्याज 'हडको 54 ईसी संग्रह खाते' में जमा होने की तारीख से देय होगा।
- प्रथम और अंतिम वर्ष या उसके भाग के लिए ब्याज भुगतान, जो जमा की तिथि से प्रारंभ होकर रिडेम्पशन तिथि पर समाप्त होगा, क्रमशः आनुपातिक (वास्तविक/वास्तविक आधार पर) होगा तथा बॉन्ड पर सभी ब्याज रिडेम्पशन तिथि को समाप्त हो जाएगा।
- ब्याज का भुगतान उस तिथि से किया जाएगा जिस दिन हडको 54 ईसी संग्रह खाते में धनराशि जमा की गई है। भुगतान गेटवे का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में हडको 54 ईसीसंग्रह खाते में स्पष्ट धनराशि प्राप्त करने में लगभग T+2 व्यावसायिक दिन लगते हैं, और ब्याज का भुगतान केवल हडको 54 ईसीसंग्रह खाते में जमा होने की तिथि से ही किया जाएगा। भुगतान गेटवे से धनराशि स्थानांतरित करने में किसी भी देरी के मामले में हडको उत्तरदायी नहीं होगा।
- किसी भी कारण से बॉन्ड की रिडेम्पशन तिथि के बाद हडको कोई ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

d. रिडेम्पशन का भुगतान

हडको की देयता, अंकित मूल्य के भुगतान सहित उनके सभी अधिकारों के प्रति, सभी मामलों में बॉन्ड के रिडेम्पशन पर समाप्त हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, हडको बॉन्ड के ऐसे रिडेम्पशन की तिथि के बाद किसी भी प्रकार का ब्याज, आय या मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हडको द्वारा बॉन्ड का स्वतः रिडेम्पशन परिपक्वता तिथि पर, अर्थात् आवंटन की संबंधित मान्य तिथि से 5 (पाँच) वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा। यदि बॉन्ड दस्तावेज़ी रूप में रखे गए हैं, तो रिडेम्पशन के लिए दस्तावेज़ी बॉन्ड प्रमाणपत्र को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। रिडेम्पशन राशि पंजीकृत बांडधारकों को परिपक्वता तिथि पर भुगतान की जाएगी।

रिकॉर्ड तिथि पर लंबित ट्रांसमिशन आवेदनों के मामले में, ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की पर्याप्तता और शुद्धता की पुष्टि के बाद रिडेम्पशन आय जारी की जाएगी। उस समय तक, रिडेम्पशन आय स्थगित रखी जाएगी।

यदि बॉन्डधारक की मृत्यु के बारे में सूचना परिपक्वता भुगतान तिथि से कम से कम 45(पैंतालीस) दिन पहले रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो हडको मृतक बॉन्डधारक को किए गए किसी भी भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

e. भुगतान की तरीका

ब्याज या रिडेम्पशन भुगतान ईसीएस/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी/एटपार्क/वारंट/डिमांड ड्राफ्ट या आरबीआई द्वारा अनुमत किसी अन्य भुगतान मोड द्वारा किया जाएगा। उन सभी शहरों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा जहां संग्रह केंद्र नियुक्त किए गए हैं। यदि ईसीएस/एनईसीएस सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हडको भुगतान का कोई अन्य उपयुक्त तरीका अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। चेक समाशोधन शुल्क, यदि कोई हो, बॉन्ड धारकों को वहन करना होगा।

f. भुगतान पर छुट्टी का प्रभाव

यदि ब्याज भुगतान तिथि/रिडेम्पशन किसी कारोबारी दिन नहीं पड़ता है, तो ब्याज/निर्दिष्ट राशि का भुगतान सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2021/613 द्वारा जारी दिनांक 10 अगस्त, 2021 को जारी सेबी प्रचालन परिपत्र के अनुसार किया जाएगा , जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

यदि ब्याज भुगतान का दिन व्यावसायिक दिन पर नहीं पड़ता है, तो निर्दिष्ट निर्धारित तिथि तक ब्याज का भुगतान अगले कार्यदिवस पर किया जाएगा; हालाँकि, भविष्य के कूपन भुगतान की तिथियाँ प्रतिभूति जारी करने के समय निर्दिष्ट रूप से निर्धारित अनुसूची के अनुसार होंगी। विस्तारित अवधि के लिए आगे ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

यदि ऋणपत्रों की रिडेम्पशन तिथि (जो अंतिम ब्याज भुगतान तिथि भी है) उस दिन पड़ती है जो कारोबारी दिन नहीं है, तो रिडेम्पशन राशि

का भुगतान जारीकर्ता द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती कारोबारी दिन पर किया जाएगा, साथ ही ऐसे भुगतान की तिथि को छोड़कर ऋणपत्रों पर उपार्जित ब्याज भी दिया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋणपत्रों के संबंध में ब्याज/रिडेम्पशन, ब्याज/रिडेम्पशन भुगतान केवल उन दिनों में किया जाएगा जब दिल्ली में वाणिज्यिक बैंक कारोबार के लिए खुले होंगे।

यदि रिकॉर्ड तिथि शनिवार, रविवार या डिपॉजिटरी की छुट्टी पर पड़ती है, तो तत्काल अगले कार्य दिवस या कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचित तिथि को रिकॉर्ड तिथि माना जाएगा।

g. आवेदन राशि की वापसी/निकासी

हडको 54 ईसी संग्रह खाते में एक बार जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। हालांकि, तकनीकी आधार पर आवेदन को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में हडको के एकमात्र विवेक पर, ब्याज के बिना धन वापसी की जाएगी।

h. बॉन्ड की हस्तांतरणीयता

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, बॉन्ड में किए गए निवेश को आवंटन की अनुमानित तिथि से कम से कम 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए। बॉन्ड 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए हैं और **गैर-हस्तांतरणीय** और **गैर-विनिमेय हैं** और किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में पेश नहीं किए जा सकते हैं। हालाँकि, बॉन्डधारक की मृत्यु/विघटन के मामले में इस सूचना ज्ञापन के पैराग्राफ 13.25 और 13.26 में बॉन्ड की संपत्ति के हस्तांतरण/उत्तराधिकार की अनुमति है।

i. तिथि लिखें

ब्याज की रिकॉर्ड तिथि प्रत्येक कूपन भुगतान तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पहले और रिडेम्पशन तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पहले होगी। ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम रिकॉर्ड तिथि पर डिपॉजिटरी के बॉन्ड धारकों/ लाभार्थियों की स्थिति के रजिस्टर में एकमात्र/प्रथम के रूप में दिखाई देता है।

प्रथम बॉन्डधारक को खाता संख्या आदि जैसे विवरण बदलने का एकमात्र अधिकार होगा, सिवाय उस स्थिति के जब प्रथम बॉन्डधारक की मृत्यु हो जाए या संबंधित दस्तावेजी प्रमाण अर्थात पीओएआदि दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए।

j. धारक का एकमात्र अधिकार

पात्र निवेशक अपने विवेक से पैराग्राफ 14.24 के अनुसार एक संयुक्त आवेदन कर सकते हैं, हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के तहत बॉन्ड का पूंजीगत लाभ केवल पहले बॉन्डधारक के साथ ही उपलब्ध होगा।

पात्र निवेशकों से सभी सेवा अनुरोध जैसे बैंक विवरण, पता, संपर्क विवरण में परिवर्तन या किसी अन्य अनुरोध पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उस पर प्रथम बॉन्डधारक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

हालाँकि, पावर ऑफ अटॉर्नी की मृत्यु की स्थिति में, नामित/उत्तराधिकारी/पावर ऑफ अटॉर्नी भी उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पात्र निवेशक की ओर से ऐसे सेवा अनुरोध कर सकते हैं।

k. बैंक विवरण में परिवर्तन

दस्तावेज़ी रूप में आवंटित बाण्डों के मामले में ब्याज या रिडेम्पशन भुगतान के लिए पात्र निवेशक के बैंक खाते का विवरण उनके आवेदन प्रपत्रों से लिया जाएगा तथा डीमैटरियलाइज रूप में आवंटित बाण्डों के मामले में पात्र निवेशक के डीपी के अनुसार बैंक विवरण पर विचार किया जाएगा।

बॉन्डधारक (संयुक्त आवेदन के मामले में 'प्रथम बॉन्डधारक'), जिन्हें बॉन्ड दस्तावेज़ी रूप से आवंटित किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके रजिस्ट्रार के पास अपने बैंक खाते का विवरण बदल सकते हैं।

बॉन्ड धारकों को आवेदन पत्र इस प्रकार भरने के लिए कहा जाता है कि खाते का विवरण ठीक से पढ़ा जा सके। यदि आवेदन पत्र में ओवरराइटिंग हो गई हो, खाते के विवरण पर बैंक/व्यवस्थापक की मुहर हो जिसके कारण बैंक विवरण पढ़ा नहीं जा सकता हो, तो हडको किसी अन्य व्यक्ति के खाते में गलत जमा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यदि आवेदन पत्र के साथ रद्द किया गया चेक/बैंक पासबुक/बैंक विवरण संलग्न नहीं किया गया हो।

l. लिस्टिंग

अवधि में बाण्डों की हस्तांतरणीयता न होने के कारण बाण्डों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है।

m. सूचना ज्ञापन की वैधता

यह सूचना ज्ञापन बॉन्ड की अवधि के लिए वैध रहेगा।

n. रजिस्ट्रार

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को इस मुद्दे के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रार प्रस्ताव के खुले रहने के दौरान आवेदनों की निगरानी करेगा और आवंटन के बाद की गतिविधियों जैसे आवंटन सलाह, बॉन्ड प्रमाणपत्र, पता/बैंक विवरण में परिवर्तन आदि का समन्वय करेगा।

आवेदन/आवंटन/पता परिवर्तन/बैंक विवरण परिवर्तन/कूपन एवं रिडेम्पशन भुगतान/प्रेषण/किसी अन्य निवेशक सेवा अनुरोध से संबंधित कोई भी प्रश्न/अनुरोध/शिकायत निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए:

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
पता: सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर - 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, 500 032
टेलीफ़ोन:1800309 4001
ईमेल: einward.ris@kfintech.com hcom
वेबसाइट www.kfintech.com
रजिस्ट्रार के नोडल अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:
संपर्क व्यक्ति: श्री गोपालकृष्ण केवीएस ईमेल: einward.ris@kfintech.com
टेलीफोन: 1800 309 4001

o. ट्रस्टी और इसकी जिम्मेदारियां

बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड को बॉन्ड धारकों के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बॉन्ड ट्रस्टी, प्रतिभूति सृजन, ब्याज के समय पर भुगतान और निर्दिष्ट धन के पुनर्भुगतान आदि के संबंध में हडको द्वारा चूक की स्थिति में बॉन्ड धारकों के हितों की रक्षा करेगा, तथा आवश्यक कार्रवाई करेगा। कोई भी बॉन्डधारक हडको के विरुद्ध सीधे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बॉन्ड ट्रस्टी, कार्यवाही करने के लिए बाध्य होने के पश्चात, ऐसा करने में विफल न हो जाए।

p. बॉन्ड का प्रारूप

बॉन्ड अमूर्त और दस्तावेज़ी रूप में जारी किए जाते हैं।

हडको अपने निवेशकों को डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड में आवेदन करने की सलाह देता है। यदि बॉन्ड डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड में आवेदन किए जाते हैं, तो हडको प्रति पैन 500 रुपये का प्रोत्साहन भी देगा। यदि किसी पात्र निवेशक के पास पहले से डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड खाता नहीं है, तो वे हडको के पैनल में शामिल डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड खाता खोल सकते हैं, जिसमें खाता खोलने का कोई शुल्क नहीं है और पांच साल के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क भी नहीं है। इसकी सूची हडको की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। हालांकि, कोई पात्र निवेशक बॉन्ड के लिए दस्तावेज़ी मोड में भी आवेदन कर सकता है।

हडको ने सभी सफल आवेदकों को डीमैटरियलाइज रूप में बॉन्ड जारी करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड)एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड)सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था की है। बॉन्ड के डीमैटरियलाइज और रीमैटरियलाइज रूप में जारी करने, आवंटन, हस्तांतरण आदि से संबंधित सभी प्रावधान, जैसा कि डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत नियमों या एनएसडीएल/सीडीएस या इसी तरह की एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, इन बाण्डों पर लागू होंगे।

आवेदकों को अपनी होल्डिंग्स के डीमैटरियलाइजरियलाइजेशन के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से रजिस्ट्रार को डीमैटरियलाइजरियलाइजेशन अनुरोध के साथ बॉन्ड प्रमाणपत्र भेजना चाहिए।

नामांकन, बैंक खाते के विवरण आदि से संबंधित सभी जनसांख्यिकीय विवरण पात्र निवेशक के डीमैटरियलाइज खाते में दी गई जानकारी से लिए जाएंगे। इसके अलावा, आवेदन फॉर्म और डीमैटरियलाइज खाते में दिए गए विवरण के मेल न खाने की स्थिति में, पात्र निवेशक के डीमैटरियलाइज खाते से प्राप्त विवरण को अंतिम माना जाएगा।

इसके अलावा, संयुक्त आवेदकों के मामले में नाम या नाम के क्रम में किसी भी तरह की विसंगति होने पर, बॉन्ड को केवल दस्तावेज़ी रूप में ही आवंटित किया जाएगा। बॉन्डधारक बाद में बॉन्ड के डीमैटरियलाइजरियलाइजेशन के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं।

q. संयुक्त आवेदन

केवल व्यक्ति/एनआरआई ही संयुक्त नाम से आवेदन कर सकते हैं, तथा अधिकतम 2(दो) व्यक्ति संयुक्त आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड विकल्प के साथ आवेदन के मामले में, संयुक्त आवेदक के नाम का क्रम डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड खाते में उल्लिखित के समान होना चाहिए अन्यथा, हडको के पास या तो यह विकल्प है: (i) दस्तावेज़ी मोड में बॉन्ड जारी करना, या ii))डिपॉजिटरी के साथ डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड खाते को क्रेडिट करना ।

पात्र आवेदक के डीमैटरियलाइजरियलाइज खाते के बीच किसी भी विसंगति के मामले में निवेशक, डीमैटरियलाइज खाते में खाताधारकों को जमा किया जाएगा। पात्र निवेशकों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपने डीमैटरियलाइज खाते में विवरण सत्यापित करना आवश्यक है, और किसी भी तरह की विसंगति पात्र निवेशकों के जोखिम पर है और हडको किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

पात्र निवेशक आवेदन पत्र जमा करके हडको को अपने डीमैटरियलाइज खाते में जमा करने के लिए अधिकृत करते हैं। इसके अलावा, आवेदन पत्र और डीमैटरियलाइज खाते में दिए गए विवरण में कोई मेल न होने की स्थिति में, डीमैटरियलाइज खाते से प्राप्त विवरण को अंतिम माना जाएगा। बॉन्ड धारकों और डीमैटरियलाइज खाते के खाताधारकों के बीच किसी भी आपसी विवाद के लिए हडको उत्तरदायी नहीं होगा।

पात्र निवेशक अपने विवेक से संयुक्त बॉन्डधारक के रूप में आवेदन कर सकते हैं, हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के तहत बॉन्ड का लाभ केवल प्रथम बॉन्डधारक को ही मिलेगा।

पात्र निवेशकों द्वारा सभी सेवा अनुरोध जैसे कि बैंक विवरण, पता, संपर्क विवरण या अन्य कोई भी अनुरोध केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस पर प्रथम बॉन्डधारक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। जारीकर्ता या रजिस्ट्रार प्रथम बॉन्डधारक द्वारा दिए गए निर्देश पर कार्य कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी परिवर्तन के लिए दिए गए निर्देश पर सभी बॉन्ड धारकों के हस्ताक्षर हों। हडको संयुक्त बॉन्ड धारकों के बीच किसी भी आपसी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रथम एवं द्वितीय बॉन्डधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामिती/उत्तराधिकारी उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बॉन्ड के हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रथम बॉन्डधारक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के मामले में, प्रथम बॉन्डधारक से उचित प्राधिकरण के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा उसकी ओर से सेवा अनुरोध दिया जा सकता है।

r. नामांकन

कंपनी अधिनियम की धारा72 के अनुसार, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19 के साथ पठित, या तो

i. एकमात्र बॉन्डधारक (केवल व्यक्ति या एनआरआई) या,
ii. जहां बॉन्ड एक से अधिक व्यक्तियों, प्रथम बॉन्डधारक तथा दूसरे बॉन्डधारक (जो एक व्यक्ति है) के पास होते हैं,

किसी एक व्यक्ति (व्यक्तिगत) को नामित कर सकता है, जो एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, बॉन्ड का हकदार हो जाएगा।

बॉन्ड के हस्तांतरण के बाद, नामित व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जिनके वह हकदार होंगे, यदि वह बॉन्ड का पंजीकृत धारक था। बॉन्ड की वैधता के दौरान, नामित व्यक्ति की मृत्यु या अन्यथा भी, बॉन्डधारक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के साथ कंपनी)शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित व्यक्ति को बदलने या नया नामांकन करने का हकदार होगा।

जब बॉन्ड दो व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता है, तो नामांकित व्यक्ति, सभी बॉन्ड धारकों की क्रमिक मृत्यु पर ही राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

यदि बॉन्ड डीमैटरियलाइज रूप में हैं, तो जनसांख्यिकीय और नामांकित व्यक्ति का विवरण बॉन्डधारक के डीमैटरियलाइज खाते से प्राप्त किया जाएगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित नामांकित व्यक्ति का विवरण, यदि कोई हो, अमान्य होगा।

जहां नामिती नाबालिग है, वहां बॉन्ड धारक के लिए यह वैध होगा कि वह निर्धारित तरीके से एक अभिभावक नियुक्त करके नामांकन करे, ताकि नाबालिग बॉन्ड का हकदार बन जाए। यदि किसी गैर-व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए आवेदन में नामांकन किया है, तो उसे अमान्य माना जाएगा।

हडको किसी भी सरकारी, सांविधिक, विनियामक, प्रशासनिक, राजकोषीय, न्यायिक या सरकारी स्वामित्व वाले निकाय, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, एजेंसी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कंपनी अधिनियम और उसके तहत नियमों के अनुसार बॉन्ड के स्वामित्व के संबंध में निर्दिष्ट बॉन्ड धारकों द्वारा नामित किसी भी मांग, दावे, कानूनी कार्रवाई, कार्यवाही, वाद, मुकदमे, अभियोजन, मध्यस्थता, पंचाट, जांच या मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

s. संचरण/उत्तराधिकार

जहां बॉन्ड संयुक्त नाम से रखे जाते हैं और प्रथम धारक की मृत्यु हो जाती है, वहां द्वितीय धारक को बॉन्ड धारक के रूप में मान्यता दी जाएगी। बॉन्ड के एकमात्र धारक/सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में, जारीकर्ता मृतक बॉन्ड धारकों के नामांकित व्यक्ति या दावेदार या निष्पादक या प्रशासक, या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि को कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों सहित कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार बॉन्ड के शीर्षक के रूप में मान्यता देगा, केवल तभी जब ऐसा व्यक्ति हडको की वेबसाइट पर प्रासंगिक टैब में निर्धारित दस्तावेजों को प्राप्त करता है और प्रस्तुत करता है।

मृतक बॉन्डधारक की मृत्यु का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने के बाद उसका नाम हटाना जारीकर्ता के लिए पर्याप्त होगा। यदि बॉन्डधारक की मृत्यु की सूचना भुगतान तिथि से कम से कम 45 दिन पहले जारीकर्ता के संज्ञान में नहीं लाई जाती है, तो जारीकर्ता धारक के खाते में किए गए किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

डीमैटरियलाइज रूप में बॉन्ड के संबंध में, उत्तराधिकारी को बॉन्डधारक के डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट द्वारा सूचित किया जाएगा।

यदि बॉन्ड दस्तावेज़ी रूप में रखे जाते हैं, तो मृतक बॉन्डधारक के नामांकित व्यक्ति/दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बॉन्ड प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार को भेजने के लिए कहा जाता है। हडको और/या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति/रजिस्ट्रार दस्तावेजों की पर्याप्तता और शुद्धता के बारे में जांच करने और संतुष्ट होने के बाद अपनी पुस्तकों में ट्रांसमिशन को पंजीकृत करेंगे।

बॉन्डधारक की मृत्यु के बाद दावे के लिए हमारी वेबसाइट पर नीचे दिए गए टैब के अंतर्गत प्रक्रिया/जांच सूची/प्रारूप देखें:

(a) ट्रांसमिशन की प्रक्रिया - नामांकन के साथ एकल नाम
(b) नामांकन के एकल नाम से प्रसारण की प्रक्रिया
(c) संयुक्त धारक/नामांकित व्यक्ति के नाम में हस्तांतरण और नाम हटाने की प्रक्रिया

t. -व्यक्तियों में संचरण

(a) हिंदू अविभाजित परिवार: कर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उत्तराधिकार हस्तांतरण संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 तथा उसके प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(b) कंपनी और एलएलपी: किसी कंपनी के परिसमापन या एलएलपी में रूपांतरण के मामले में, ट्रांसमिशन कंपनी अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों, आयकर अधिनियम, 1961, संशोधित रूप में, और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, संशोधित रूप में शासित होगा।

(c) साझेदारी फर्म: साझेदारी फर्म के विघटन या परिसमापन की स्थिति में, पारेषण भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, यथा संशोधित, तथा अन्य लागू नियमों और कानूनों द्वारा शासित होगा।

(d) अन्य संस्थाएं: व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति या ट्रस्ट या सांविधिक निगम या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्रकार के गैर-व्यक्तिगत पात्र निवेशक के मामले में, ऐसी संस्था पर लागू प्रासंगिक कानून लागू होंगे।

u. आवेदन कैसे करें

चेक/डीडी के साथ आवेदन पत्र जमा करके

पात्र निवेशकों को हमारी वेबसाइट पर निर्दिष्ट संग्रहकर्ता बैंकर्स के पास आवश्यक संलग्नकों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना होगा, जो "**हडको कैपिटल गेन बॉन्ड"** के पक्ष में देय होगा, डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / एनईसीएस शुल्क, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान द्वारा

पात्र निवेशक हडको कैपिटल गेन बॉन्ड संग्रह खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे भी राशि जमा कर सकते हैं और हडको

वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र को अनिवार्य रूप से भर सकते हैं और आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर यूटीआर संख्या का उल्लेख कर सकते हैं:

आरटीजीएस भुगतान करने हेतु बैंक विवरण हडको वेबसाइट पर उल्लिखित है।

ऑनलाइन भुगतान/नेट बैंकिंग द्वारा

पात्र निवेशक हडको की वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भरकर तथा अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराकर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन धनराशि प्रेषित कर सकते हैं।

डाक द्वारा

यदि आवेदक चाहें तो वे अपने आवेदन पत्र को नीचे दिए गए संग्रह बैंकरों की किसी भी नियंत्रक शाखा को शीघ्र/पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, बशर्ते कि उनके साथ आवेदन राशि के लिए नई दिल्ली/मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट संलग्न हो, जो उस अवधि के दौरान पहुंच जाए जब निर्गम अभिदान के लिए खुला हो।

v. अटॉर्नी के तहत आवेदन

पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी या संबंधित प्राधिकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि, सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और नमूना हस्ताक्षर तथा कर छूट प्रमाण पत्र/दस्तावेज, यदि कोई हो, अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकारी में किसी अन्य संशोधन/संवर्द्धन की सूचना हडको या उसके रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए।

(w) पात्र निवेशकों द्वारा अनिवार्य दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के अतिरिक्त

i. **व्यक्ति-निवासी भारतीय नागरिक**

1. पैन कार्ड (संयुक्त आवेदन के मामले में, आवेदकों की स्वयं सत्यापित पैन कार्ड प्रति आवश्यक है)
2. रद्द किए गए चेक/बैंक स्टेटमेंट/पासबुक की प्रतिलिपि जिसमें प्रथम/एकमात्र धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी और एमआईसीआर अंकित हो।
3. निम्नलिखित में से कोई भी पता प्रमाण:
   a. आधार कार्ड;
   b. पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस;
   c. मतदाता पहचान पत्र;
   d. राशन कार्ड;
   e. पंजीकृत पट्टा या आवास बिक्री समझौता या उपयोगिता बिल जैसे टेलीफोन बिल (केवल लैंडलाइन), बिजली बिल या गैस बिल - 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए; या
   f. निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी पहचान पत्र/दस्तावेज: केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभाग, वैधानिक/नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान।
4. क्लाइंटमास्टर सूची/होल्डिंग विवरण की प्रतिलिपि (यदि आवेदन डीमटेरियलाइज्ड मोड में किया गया है।)

ii. **एनआरआई/अन्य विदेशी पात्रनिवेशक**

1. पैन कार्ड (संयुक्त आवेदन के मामले में, आवेदकों की स्वयं सत्यापित पैन कार्ड प्रति आवश्यक है)
2. रद्द किए गए चेक/बैंक स्टेटमेंट/बचत पासबुक/एनआरओ बैंक खाते की प्रतिलिपि जिसमें प्रथम/एकमात्र धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी और एमआईसीआर (एनआरई बैंक खाते की अनुमति नहीं है) अंकित हो।
3. पासपोर्ट(अनिवार्य)
4. उपरोक्त पैरा 16.30 (i)(c) में उल्लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है ।
5. क्लाइंटमास्टर सूची/होल्डिंग विवरण की प्रतिलिपि (यदि आवेदन डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड मोड में किया गया है)

iii. **एचयूएफ**

कर्ता द्वारा सत्यापित सभी दस्तावेज़ (जैसा लागू हो)
(a) एचयूएफ का पैन कार्ड।

(b) एचयूएफ के रद्द किए गए चेक/बैंक स्टेटमेंट/पासबुक की प्रति, जिसमें प्रथम/एकमात्र धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी और एमआईसीआर अंकित हो।
(c) एचयूएफ विलेख।
(d) कर्ता और लाभार्थी ओनर(स्वामियों) का पैन और पते का प्रमाण।
(e) क्लाइंट मास्टर सूची/होल्डिंग स्टेटमेंट की प्रति (यदि आवेदन डीमैट मोड में किया गया है)

iv. **कंपनी/एलएलपी/अन्य कॉर्पोरेट निकाय**

सभी दस्तावेज (जैसा लागू हो) कंपनी सचिव/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सत्यापित

1. पैन कार्ड।
2. रद्द किए गए चेक / बैंक स्टेटमेंट / पासबुक की प्रति जिसमें नाम, खाता संख्या, आईएफएससी और एमआईसीआर अंकित हो।
3. निगमन प्रमाणपत्र ।
4. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ़ एसोसियेशन।
5. निवेश को अधिकृत करने वाला निदेशक मंडल/भागीदारों का संकल्प ।
6. हस्ताक्षरकर्ताओं और बेनेफिसिअल ओनर का पैन कार्ड और पता प्रमाण।
7. क्लाइंटमास्टर सूची/होल्डिंग विवरण की प्रतिलिपि (यदि आवेदन डीमटेरियलाइज्ड मोड में किया गया है)

v. **साझेदारी फर्म**

सभी दस्तावेज (जैसा लागू हो) किसी भी भागीदार/नोटरी द्वारा प्रमाणित

1. पैन कार्ड।
2. रद्द किए गए चेक/बैंक स्टेटमेंट/पासबुक की प्रति जिसमें नाम, खाता संख्या, आईएफएससी और एमआईसीआर अंकित हो।
3. पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि पंजीकृत हो।
4. साझेदारी विलेख
5. फर्म के साझेदार या कर्मचारी को उसकी ओर से व्यवसाय करने के लिए दी गई शक्तियों या पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी का प्रत्यायोजन।
6. हस्ताक्षरकर्ताओं और बेनेफिसिअल ओनर का पैन और पता प्रमाण।
7. क्लाइंटमास्टर सूची/होल्डिंग विवरण की प्रतिलिपि (यदि आवेदन डीमटेरियलाइज्ड मोड में किया गया है)

vi. **ट्रस्ट/फाउंडेशन/व्यक्ति संघ (एओपी) व्यक्ति निकाय (बीओआई) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेएल) स्थानीय प्राधिकरण/अन्य**

सभी दस्तावेज (जैसा लागू हो) हस्ताक्षरकर्ता/नोटरी द्वारा प्रमाणित

1. पैन कार्ड।
2. रद्द किए गए चेक/बैंक स्टेटमेंट/पासबुक की प्रति जिसमें नाम, खाता संख्या, आईएफएससी और एमआईसीआर अंकित हो।
3. पंजीकरण प्रमाणपत्र।
4. निवेश के लिए संबंधित निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव ।
5. हस्ताक्षरकर्ताओं और बेनेफिसिअल ओनर का पैन कार्ड और पता प्रमाण।
6. क्लाइंटमास्टर सूची/होल्डिंग विवरण की प्रतिलिपि (यदि आवेदन डीमैटरियलाइजरियलाइज मोड मोड में किया गया है)

w. दायित्व की सीमा

इस सूचना ज्ञापन के अनुसार, बॉन्ड पर हडको का दायित्व केवल निर्दिष्ट धन और ब्याज तक सीमित होगा। इस बॉन्ड की शर्तों या किसी कानून या विनियमन में परिवर्तन या संशोधन, अदालत में कार्यवाही या आवेदन की अस्वीकृति सहित किसी भी प्रासंगिक मामले के कारण हडको किसी भी लागत, हानि, क्षति, क्षति या दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

***x.* बॉन्ड धारक नहीं शेयर धारक**

बॉन्ड धारकों को शेयरधारकों को उपलब्ध किसी भी अधिकार और विशेषाधिकार का हकदार नहीं माना जाएगा। हालांकि, अगर बॉन्ड से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई प्रस्ताव हडको के सदस्यों के समक्ष रखा जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव पहले बॉन्ड धारकों के समक्ष उनके विचार के लिए रखा जाएगा।

y. भावी उधारी

हडको किसी भी रूप में उधार लेने/ऋण जुटाने या वित्तीय सहायता प्राप्त करने के साथ-साथ बॉन्ड/डिबेंचर/नोट्स/अन्य प्रतिभूतियों को किसी भी तरह से समानता के आधार पर जारी करने या अन्यथा जारी करने और अपनी पूंजी संरचना को बदलने, जिसमें किसी भी वर्ग के शेयरों को जारी करना या किसी भी वर्ग की प्रदत्त पूंजी को रिडेम्पशन या कम करना शामिल है, ऐसी शर्तों और नियमों पर, जैसा हडको उचित समझे, बॉन्डधारक(ओं) या इस संबंध में ट्रस्टी की सहमति या सूचना के बिना।

z. नोटिस

हडको या बॉन्ड ट्रस्टी द्वारा बॉन्ड धारकों को दी जाने वाली सभी सूचनाएं, यदि साधारण डाक/कूरियर द्वारा बॉन्ड के निर्दिष्ट एकल/प्रथम आवंटियों को भेज दी जाएं और/या जारीकर्ता की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएं, तो उन्हें दिया गया माना जाएगा।
बॉन्डधारक(ओं) द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाएं, जिनमें "ब्याज का भुगतान" और "रिडेम्पशन पर भुगतान" के अंतर्गत उल्लिखित सूचनाएं भी शामिल हैं, पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से हडको को या ऐसे व्यक्तियों को ऐसे पते पर भेजी जाएंगी, जिसे हडको द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

aa. आईएसआईएन के तहत आगे जारी करने का अधिकार

जारीकर्ता एक ही आईएसआईएन के तहत कई जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जारी करने का तरीका या तो नया आईएसआईएन बनाना या मौजूदा आईएसआईएन के तहत प्रीमियम, सममूल्य या छूट के माध्यम से हो सकता है, जैसा कि लागू कानून के अनुसार हो सकता है।

bb. बायबैक, पुनः खरीद और पुनः जारी करने का अधिकार

जारीकर्ता को समय-समय पर अपने पूर्ण विवेक से प्रयोग करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा, जो वह द्वितीयक बाजारों से या निविदा प्रस्ताव के माध्यम से या लागू कानून के तहत अनुमत किसी अन्य विधि के माध्यम से अपने बॉन्ड के एक भाग या सभी को पुनः खरीद या पुनर्खरीद कर सकता है, रिडेम्पशन तिथि से पहले किसी भी समय, लागू कानून के अधीन और लागू दिशानिर्देशों या विनियमों के अनुसार, यदि कोई हो।

बॉन्ड के किसी भाग या सभी को पूर्वोक्त रूप से वापस खरीदे जाने या पुनर्खरीद किए जाने या किसी भी परिस्थिति में रिडेम्पशन किए जाने की स्थिति में, जारीकर्ता के पास बॉन्ड को पुनः जारी करने या उनके स्थान पर अन्य डिबेंचर जारी करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा और ऐसा हमेशा माना जाएगा।

इसके अलावा, जारीकर्ता को, ऐसे वापस खरीदे गए या पुनः खरीदे गए या पुनः समझे गए बाण्डों के संबंध में, उन बाण्डों के एक भाग या सभी के लिए, रद्द करने, सक्रिय रखने, धारक के लिए नामिती नियुक्त करने या ऐसे मूल्य पर और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे और जैसा लागू कानूनों या विनियमों के तहत अनुमत हो, पुनः जारी करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा।

cc. विवाद और शासकीय कानून

बॉन्ड भारत के कानूनों के अनुसार शासित होंगे और उनके अनुसार ही व्याख्या की जाएगी। इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

dd. निवेशक संबंध और शिकायत निवारण

हडको ने पात्र निवेशक के प्रश्नों/शिकायतों/शिकायतों को यथासंभव शीघ्रता से हल करने के लिए एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति की है। आवंटन, बॉन्ड प्रमाणपत्र, डीमैटरियलाइज क्रेडिट, बैंक विवरण में परिवर्तन, पता, संपर्क विवरण, ट्रांसमिशन, डुप्लिकेट बॉन्ड प्रमाणपत्र या किसी अन्य प्रश्न/शिकायत जैसे किसी भी प्रश्न को निम्नलिखित पते पर संबोधित किया जा सकता है:

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
पता: सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर-31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, 500 032
टेलीफोन: 1800 309 4001
ईमेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

संपर्क व्यक्ति: श्री गोपालकृष्ण के वी एस

ee. अनुपालन अधिकारी

सभी पात्र निवेशकों को सूचित किया जाता है कि जारीकर्ता ने एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, जिनसे मुद्दे से संबंधित किसी भी समस्या के मामले में संपर्क किया जा सकता है।

श्री एल वी एस सुधाकर बाबू
कार्यकारी निदेशक (वित्त)
हडको भवन, कोर-7 ए, इंडिया हैबिटेटसेंटर, लोधीरोड,
नई दिल्ली-110 003
दूरभाष-(011)-24627093
फैक्स: (011)-24627035 ई- मेल:lvsbabu@हडको org

पात्र निवेशक किसी भी प्री-इश्यू/पोस्ट-इश्यू से संबंधित समस्याओं के मामले में अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि दस्तावेज़ी खाते में बॉन्ड का क्रेडिट न होना, फ्रीफंड ऑर्डर की प्राप्ति न होना, ब्याज वारंट/चेक आदि।

जारीकर्ता के वित्तीय दायित्व से संबंधित सामग्री अनुबंध और समझौता

अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार, जारीकर्ता वित्तीय दायित्वों से संबंधित बड़ी संख्या में लेनदेन में शामिल होता है और इसलिए जारीकर्ता के वित्तीय दायित्वों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुबंधों और समझौतों का विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता है। इन अनुबंधों की प्रतियां, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार के दौरान कार्य घंटों के दौरान जारीकर्ता के मुख्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(a)	जारीकर्ता के ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद, जैसा की आज तक संशोधित किया गया है
(b)	इस प्रमुख सूचना दस्तावेज की शर्तों के तहत प्रस्तावित एनसीडी जारी करने को अधिकृत करने वाले 04 अप्रैल, 2025 के बोर्ड प्रस्ताव की प्रति।
(c)	कंपनी अधिनयम,2013 की धारा 180(1)(सी) के अनुसरण में कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्ति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा गया विशेष प्रस्ताव, जैसा कि 25 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में संशोधित किया गया था।
(d)	कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 42 के अनुसरण में कंपनी (विवरण और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के साथ पढ़ा गया विशेष प्रस्ताव, जैसा कि 25 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में संशोधित किया गया था।
(e)	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में के. आई. डी. पर हस्तक्षार करने के लिए अधिकृत बोर्ड संकल्प की प्रति
(f)	एनसीडी धारकों के लिए ट्रस्टी के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की प्रति।
(g)	एनसीडी धारक(यों) की ओर से ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड से सहमति पत्र
(h)	डिबेंचर ट्रस्टी समझौता
(i)	डिबेंचर ट्रस्ट विलेख
(j)	हडको के कर पात्र एनसीडी जारी करने के लिए आईआरआरपीएल, आईसीआरए लिमिटेड और केयर रेटिंग का पत्र, रेटिंग तर्क और उससे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति।
(k)	पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2024, 2023 और 2022 के लिए हमारी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट।
(l)	31 दिसम्बर,2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण
(m)	विभिन्न बैंकों के वित्तीय संस्थाओं के साथ किए गए सावधि ऋण समझौते विदेशी ऋण संस्थाओं
(n)	एनएसडीएल, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और जारीकर्ता के बीच त्रिपक्षीय समझौता।
(o)	सीडीएसएल, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और जारीकर्ता के बीच त्रिपक्षीय समझौता।

XV. घोषणा

जारीकर्ता ने कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कंपनी अधिनियम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं है कि बॉन्डों के पुनर्भुगतान पर ब्याज के भुगतान की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

जारीकर्ता सूचना ज्ञापन या जारीकर्ता द्वारा या उसके द्वारा जारी की गई किसी अन्य सामग्री के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में दिए गए कथन के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और जो कोई भी सूचना के किसी अन्य स्रोत पर भरोसा करता है, वह ऐसा अपने जोखिम पर करेगा।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2025 को शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को इस सूचना ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है कि इस प्रपत्र की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। इस सूचना ज्ञापन और इसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना सामग्री दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह जारीकर्ता के संस्था ज्ञापन और संस्था के लेखों में सदस्यता लेने वाले प्रमोटर द्वारा बनाए गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2025 को शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को इस सूचना ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है कि इस प्रपत्र की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। इस सूचना ज्ञापन और इसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना सामग्री दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह जारीकर्ता के एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की सदस्यता लेने वाले प्रमोटर द्वारा बनाए गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।

यह भी घोषित और सत्यापित किया जाता है कि सभी आवश्यक अनुलग्नक इस सूचना ज्ञापन के साथ पूर्णतः, सही और सुपाठ्य रूप से संलग्न कर दिए गए हैं।

फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड

एलवीएस सुधाकर बाबू कार्यकारी निदेशक

अनुलग्नक-ए

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा **4** अप्रैल**, 2025** को आयोजित **679** वीं बैठक में पारित मद संख्या **679.25** के संकल्प का उद्धरण।

XXX XXX XXX XXX
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:

"संकल्प लिया गया कि सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसाय के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक समय-समय पर धन उधार लेने के लिए अधिकृत किया जाता है (सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त), भले ही ऐसे उधार चुकता पूंजी और उसके मुक्त भंडार (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग नहीं रखे गए भंडार) के योग से अधिक हो सकते हैं, बशर्ते कि कंपनी द्वारा उधार ली जा सकने वाली और किसी भी समय बकाया कुल राशि 150,000 करोड़ रुपये (केवल एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी, जिसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के बाद बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपये (केवल दो लाख पचास हजार करोड़ रुपये) किया जाएगा, जिसे 2016-17 में अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है। हडको की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अंतर्गत एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्पित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे आगे 'बोर्ड' कहा जाएगा, जिसमें कोई भी समिति और/या अधिकारी शामिल माने जाएँगे, जिन्हें बोर्ड इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित/अधिकृत कर सकता है) का अनुमोदन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋणों/ऋण रेखाओं, सावधि जमा पर ऋण, नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा, कार्यशील पूंजी मांग ऋण, वाणिज्यिक पत्र, बॉन्ड/डिबेंचर (कर-मुक्त बॉन्ड, पूंजीगत लाभ बॉन्ड, भारत सरकार के पूर्ण सेवा बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड, अधीनस्थ बॉन्ड, मुद्रास्फीति-सूचकांकित/ बाजार से जुड़े बॉन्ड, क्रमबद्ध परिपक्वता/संचयी ब्याज/स्टेप-अप कूपन के विकल्प वाले बॉन्ड, 'भारत बॉन्ड ईटीएफ' सहित बॉन्ड ईटीएफ का हिस्सा बनने वाले बॉन्ड, ईएसजी बॉन्ड, अलग से हस्तांतरणीय रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट्स (एसटीआरपीपी) या किसी भी प्रकार/नामकरण के बॉन्ड/डिबेंचर के विकल्प के साथ बॉन्ड, जैसा कि वर्ष के दौरान समय-समय पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति दी जा सकती है), संरचित पत्र, कोई अन्य अभिनव ऋण बाजार उत्पाद, एनएचबी/आईआईएफसीएल की पुनर्वित्त सहायता या किसी अन्य उधार एजेंसी/बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त सहायता, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियां या एनएसएसएफ से ऋण/क्रेडिट लाइन, एफसीएनआर (बी) ऋण, समकक्ष विदेशी मुद्रा में नामित बैंकों से उधार, बाहरी वाणिज्यिक उधार (रुपया नामित बॉन्ड (आरडीबी) यानी मसाला बॉन्ड/विदेशी मुद्रा सहित)।

बॉन्ड अर्थात ऋण बाजार उपकरण, सिंडिकेटेड ऋण, आदि, अपेक्षित अनुमोदन की उपलब्धता के अधीन, यदि आवश्यक हो), बहुपक्षीय संस्थानों / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि से उधार (इन बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिप्लानिंग ओं की उपलब्धता और इन सुविधाओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के अधीन), किसी भी समय बकाया उधार के अधीन, समग्र उधार शक्तियों से अधिक नहीं, जैसा कि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के अनुसार प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि अल्पकालिक/अस्थायी प्रकृति के उधार (अर्थात अल्पकालिक ऋण/क्रेडिट लाइन/नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि जमा पर ऋण, वाणिज्यिक पत्र या अल्पकालिक लिखत) या बैंक उधार/पुनर्वित्त सहायता, जो उसी वित्तीय वर्ष के भीतर ली और चुकाई जाती है, को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक उधार कार्यक्रम में शामिल 65,000 करोड़ रुपये की अधिकतम उधार सीमा से बाहर रखने के लिए बोर्ड की मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि हडको के एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 179 के प्रावधानों के अनुसार और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अधिकतम 65,000 करोड़ रुपये तक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो, निम्नलिखित अधिकारियों को 65,000 करोड़ रुपये की उपरोक्त सीमा के भीतर संसाधन जुटाने (वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की सिफारिश के आधार पर) के संबंध में सभी/विभिन्न निर्णय लेने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है:

i. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा संयुक्त रूप से
ii.निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से

iii. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में, दो कार्यात्मक निदेशकों अर्थात् निदेशक (वित्त) और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से
iv. दोनों कार्यात्मक निदेशकों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एजेंडा नोट में निहित प्रस्तावों को अनुमोदित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड की एक समिति को अधिकृत करने के लिए एतद्द्वारा बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो और प्रदान किया जाता है, जिसका नाम 'बॉन्ड आबंटन समिति' होगा और जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) सदस्य होंगे। बैठक का कोरम किन्हीं दो सदस्यों का होगा, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, न कि किसी प्रॉक्सी द्वारा, ताकि बॉन्ड के आबंटन के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए जा सकें (वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की सिफारिश के आधार पर)। उपरोक्त सभी प्रस्ताव 'वरिष्ठ अधिकारियों की समिति' (जिसमें संसाधन विंग के प्रमुख, परिचालन विंग के प्रमुख, सामान्य लेखा विंग के प्रमुख और ऋण लेखा विंग के प्रमुख शामिल होंगे) से सिफारिश(ओं) की प्राप्ति के बाद अनुमोदन के लिए रखे जाएँगे। समिति का कोरम किन्हीं तीन सदस्यों से पूरा होगा। समिति के गठन में निदेशक (वित्त) द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कार्यकारी निदेशक (वित्त/आरएम)/महाप्रबंधक (वित्त/आरएम) या संसाधन विंग के प्रमुख या संसाधन संग्रहण विंग में संयुक्त महाप्रबंधक के स्तर से नीचे का कोई अन्य अधिकारी, ऋण देने वाली एजेंसियों को निम्नलिखित अधिकारियों के निर्णयों और स्वीकृति से अवगत कराने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा संयुक्त रूप से
निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में, दो कार्यकारी निदेशकों अर्थात् निदेशक (वित्त) और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से।
दोनों कार्यकारी निदेशकों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास एजेंडा नोट में निहित प्रस्तावों को अनुमोदित करने की पूरी शक्ति होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक उधार कार्यक्रम (अर्थात 65,000 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय मध्यस्थों/स्टॉक एक्सचेंजों से आवश्यकतानुसार बैंक गारंटी और/या सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र और/या इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण के रूप में गैर-निधि आधारित सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधारी (गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित/अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक प्लानिंग बनाने तथा संभावित नकदी व्यवधानों के प्रति लचीलापन बनाने और परिचालन दक्षता/प्रभावी निधि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नकदी बफर बनाए रखने के उद्देश्य से, (1) अंतरिम अवधि में तत्काल निधि आवश्यकता को अल्पकालिक स्रोतों (अर्थात अल्पकालिक ऋण/ऋण व्यवस्था/नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं/कार्यशील पूंजी मांग ऋण सुविधाएं, आदि) से पूरा करने तथा उपयुक्त समय पर बॉन्ड जारी करने/लंबी अवधि के वैकल्पिक स्रोत से प्रतिस्थापित करने, जो प्रचलित बाजार स्थितियों और निधियों के अपेक्षित प्रवाह पर निर्भर करेगा, के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है; (ii) अल्पकालिक उधार के विभिन्न तरीकों के बीच पारस्परिक लचीलापन, तथा (ii) अल्पकालिक स्रोतों के माध्यम से जुटाई जा सकने वाली अधिकतम निधियों के लिए किसी भी समय उपयोग हेतु उपलब्ध समग्र स्वीकृत अल्पकालिक बैंक लाइनों की 70% (अधिकतम) की समग्र सीमा/सीमा, तथा जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत करना:

i. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा संयुक्त रूप से
ii. निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से
iii. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में, दो कार्यात्मक निदेशकों, अर्थात् निदेशक (वित्त) और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से।
iv. दोनों कार्यात्मक निदेशकों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास प्रस्तावों को अनुमोदित करने,

किसी भी समय उन्हें 80% तक बढ़ाने, बशर्ते कि एजेंडा नोट में दिए गए विवरण के अनुसार, उन्हें 35-50 दिनों की उचित अवधि के भीतर 70% तक नियमित किया जाए, की पूर्ण शक्तियाँ होंगी।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि एजेंडा नोट में दिए गए विवरण के अनुसार घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, अर्थात् इंडिया रेटिंग्स, आईसीआरए और केयर रेटिंग्स और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों, अर्थात् फिच रेटिंग्स, जेसीआरए और मूडीज से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है और

आगे निम्नलिखित अधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, अधिकृत किया जाता है :

i. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा संयुक्त रूप से
*ii.*निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से।
*iii.*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में, दो कार्यात्मक निदेशकों अर्थात् निदेशक (वित्त) और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से ।
*iv.*दोनों कार्यात्मक निदेशकों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास प्रस्तावों को अनुमोदित करने की पूरी शक्ति होगी।

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निधि जुटाने के लिए रेटिंग प्राप्त करने (रेटिंग प्रदान करने और रेटिंग शुल्क निर्धारण/वृद्धि सहित) से संबंधित सभी निर्णय लेना।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी समय जारी होने वाली अवधि को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है:

बॉन्ड/डिबेंचर जारी करना (टैक्साबिन, टीआईएक्स-मुक्त बॉन्ड, पूंजीगत लाभ बॉन्ड, जियोई पूर्णतः सेवायुक्त बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड, अधीनस्थ बॉन्ड, मुद्रास्फीति-सूचकांकित/बाजार-लिंक्ड बॉन्ड, स्टेप-अप कूपन के चरणबद्ध परिपक्वता/संचयी ब्याज विकल्प वाले बॉन्ड, भारत बॉन्ड ईटीएफ सहित बॉन्ड ईटीएफ का हिस्सा बनने वाले बॉन्ड, ईएसजी बॉन्ड, अलग से हस्तांतरणीय रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट्स (एसटीआरपीपी) के विकल्प वाले बॉन्ड या किसी भी प्रकार/नामकरण के बॉन्ड/डिबेंचर, जैसा कि समय-समय पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति दी जा सकती है) अधिकतम रु. 65,000 करोड़, एक या एक से अधिक किश्तों/संयोजनों में या मौजूदा श्रृंखला में पुनर्निर्गम पर, जिसमें ग्रीन-शू विकल्प का प्रयोग (65,000 करोड़ रुपये के समग्र बीएमआईटी के भीतर) शामिल है, सक्षम अधिसूचना(ओं) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों को कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के साथ पढ़ें, कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान/धाराएं, यदि कोई हों (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित), निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने पर एनएचबी/आरबीआई के निर्देश और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, और

गैर-परिवर्तनीय और रिडीमेबल, कर योग्य बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने के माध्यम से अधिकतम 65,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए व्यापक निर्गम संरचना, जिसमें पूंजीगत लाभ बॉन्ड, भारत सरकार के पूर्ण सेवा बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड, अधीनस्थ बॉन्ड, मुद्रास्फीति-सूचकांकित/बाजार-लिंक्ड बॉन्ड, ईएसजी बॉन्ड, बुनियादी ढांचा बॉन्ड या किसी भी प्रकृति के बॉन्ड (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी समय एक या एक से अधिक निर्गम/किश्त में) शामिल हैं, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

इशु मोड	निजी प्लेसमेंट/सार्वजनिक इशु (स्टॉक एक्सचेंजों/डिपॉज़िटरीज़ द्वारा प्रस्तुत/विकसित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्लेटफ़ॉर्म (ईबीपी) पर प्राथमिक बाज़ार में ऋण प्रतिभूतियों के सभी निजी प्लेसमेंट निर्गम, नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी ईबीपी विनियमों में निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण तंत्र/कार्यप्रणाली के अनुसार। हालाँकि, निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी किए गए 54 ईसी पूंजीगत लाभ बॉन्ड, यदि हडको को आवंटित किए जाते हैं, तो उन्हें न तो ईबीपी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जारी करने की आवश्यकता है और न ही स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है)।
मूल्यवर्ग (डिनोमीनेशन) (प्रति बॉन्ड रु.)	₹1,00,000/- (अंकित मूल्य) या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमत
अवधि	आबंटन की तिथि से 1-15 वर्ष, पुट कॉल विकल्प के साथ या उसके बिना, या समय-समय पर लागू कानूनों के तहत अनुमत अवधि तक।
कूपन दर/प्रकार	स्थिर या स्थिर, प्रचलित बाजार ब्याज दरों के अनुसार, वार्षिक या अन्यथा देय।
पुट/कॉल विकल्प	इसका निर्णय बाज़ार की मौजूदा स्थितियों के आधार पर निर्गम के निकट आने पर किया जाएगा।
रेटिंग	मैसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (फिच ग्रुप), मेसर्स

	आईसीआरए रेटिंग्स और मेसर्स केयर रेटिंग्स या किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एएए (या जैसा भी निर्दिष्ट किया जा सकता है) जिससे वर्ष के दौरान प्रारंभिक रेटिंग प्राप्त की जा सकती है।
उपकरण की प्रकृति	प्रतिभूतित या अप्रतिभूतित, जैसा भी मामला हो।
जारी करने का प्रारूप	अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में
सूचीबद्धता	बीएसई और/या एनएसई या किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या इनके संयोजन में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव। हालाँकि, 54 ईसी पूंजीगत लाभ बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होना आवश्यक नहीं है।
न्यूनतम आवेदन	आवेदन न्यूनतम 100 बॉन्ड के लिए होना चाहिए और उसके बाद 1 बॉन्ड के गुणकों में या निर्गम के निकट आने पर, प्रचलित बाजार स्थितियों और निजी प्लेसमेंट के आधार पर बॉन्ड/डिबेंचर के असुरक्षित निर्गम के लिए एनएचबी/आरबीआई के नियमों के अनुसार या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमत अनुसार होना चाहिए।
जारी करने की समय-सारणी / प्लानिंग होराइजन	यह निर्गम वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। वास्तविक समय-सारणी बॉन्ड जारी करने के समय निर्धारित की जाएगी।
इशु की आवधिकता	बाज़ार के उपयुक्त समय पर और मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर। हालाँकि, कोई भी नया निर्गम/प्रस्ताव तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले किए गए किसी भी निर्गम/प्रस्ताव के संबंध में आबंटन पूरा न हो जाए या कंपनी द्वारा उस निर्गम/प्रस्ताव को वापस न ले लिया जाए या त्याग न दिया जाए। दो निर्गमों के बीच अधिमानतः एक सप्ताह का अंतराल रखा जाएगा, बशर्ते कि वर्ष में यथासंभव 25 बॉन्ड निर्गम जारी किए जा सकें।
आबंटन की मान्य तिथि	बॉन्ड जारी करने के समय निर्धारित वास्तविक समय सारिणी के अनुसार।
बॉन्डों को पुनर्खरीद, जारी, पुनर्निर्गम या समेकित करने का अधिकार	हडको, प्रचलित दिशानिर्देशों/विनियमों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार बांडों को पुनर्खरीद और पुनर्निर्गम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
प्रतिभूति (यदि बॉन्ड प्रतिभूतित बॉन्ड जारी किए जाते हैं)	इश्यू के अंतर्गत जुटाई गई राशि की सीमा तक कंपनी की वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम सम-पार प्रभार। हालाँकि, हडको अपनी वर्तमान एवं भावी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, या इश्यू के निकट आने पर या भारतीय कंपनी अधिनियम की संबंधित धारा/प्रावधानों या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम सम-पार प्रभार लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
इशु व्यय	बॉन्ड मार्ग के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए सेबी द्वारा अधिदेशित ईबीपी प्लेटफ़ॉर्म पर मैप किए गए अरेंजर्स/मर्चेंट बैंकर्स (एमबी) को देय एकमुश्त शुल्क और पूंजीगत लाभ बॉन्ड के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए अरेंजर्स को देय शुल्क, जैसा कि बोर्ड की समिति अर्थात 'बॉन्ड आबंटन समिति' या हडको के सीएमडी द्वारा, जैसा भी मामला हो, अंतिम रूप दिया/अनुमोदित किया जा सकता है।
डिबेंचर रेडेम्पशन रिज़र्व (DRR)/डिबेंचर रेडेम्पशन निधि (DRF)	समय-समय पर संशोधित लागू कानून के तहत बॉन्डों के रेडेम्पशन के लिए आवश्यक DRR/DRF।
इशु आय का उपयोग	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाने वाली 100% धनराशि का उपयोग जारीकर्ता के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय/परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे कि ऋण देने की गतिविधियां, ऋण वितरण और वैधानिक भुगतानों के लिए परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई मौजूदा उधारियों का पुनर्भुगतान/पुनर्वित्तपोषण और/या जारीकर्ता के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

(उद्देश्य/प्रयोजन)	उठाई गई धनराशि कंपनी की व्यावसायिक/परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगी और इसका उपयोग किसी भी समूह इकाई/मूल कंपनी/सहयोगी कंपनी की संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।
वसूली व्यय निधि का निर्माण	यदि आवश्यक हो, तो कानून के तहत, जारीकर्ता समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से एक वसूली व्यय निधि बनाने और बॉन्ड ट्रस्टी को इसके बारे में सूचित करने का वचन देता है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि सीएमडी, हडको और/या निदेशक और/या कंपनी सचिव को सामान्य बैठक/असाधारण सामान्य बैठक (इसके किसी स्थगन सहित) बुलाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा भी मामला हो, सीएमडी, हडको और/या निदेशक द्वारा निम्नलिखित संकल्पों को विशेष संकल्पों के रूप में अपनाने के लिए तय की जाने वाली तिथि और समय पर:

संकल्प लिया गया कि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित, (किसी भी वैधानिक संशोधन या संशोधनों सहित) (इसके पुनः अधिनियमन, जो फिलहाल लागू है), अधिसूचना(ओं), यदि कोई हो, एनएचबी/आरबीआई द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने के निर्देश और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, को सक्षम करने के लिए, कंपनी की सहमति इस विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 65,000 करोड़ रुपये तक के फंड जुटाने के लिए दी जाती है (किसी भी समय बकाया उधारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक नहीं होने के अधीन) निजी प्लेसमेंट के आधार पर कंपनी के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने के माध्यम से, घरेलू और/या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, एक या एक से अधिक चरणों/संयोजनों में और ग्रीन-शू विकल्प (65,000 रुपये की समग्र सीमा के भीतर) का प्रयोग शामिल है। करोड़ (जैसा कि ऊपर कहा गया है), यदि कोई हो, तो ऐसे नियमों पर, जो दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, जो लागू हो सकते हैं, और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") या बोर्ड की विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकारी ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए अधिकृत है, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है, जिसमें जारी करने की शर्तों को निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, जिसमें निवेशकों का वर्ग शामिल है, जिन्हें बॉन्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित बॉन्ड/डिबेंचर की संख्या, जारी मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, जारी करने की राशि, जारी मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, कोई घोषणा/उपक्रम जारी करना या बॉन्ड जारी करने की कोई भी नियम और शर्तें, आदि, जिन्हें निजी प्लेसमेंट ऑफर लेटर/ऑफर डॉक्यूमेंट/ऑफरिंग सर्कुलर और उस समय लागू किसी अन्य नियामक आवश्यकता में शामिल करना आवश्यक है।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के वार्षिक उधार कार्यक्रम के तहत अनुमोदित सीमाओं तक समय-समय पर कोई अन्य प्रतिभूतियां (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) जारी करने के लिए कंपनी की सहमति दी जाती है, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित / अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो।

सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 की आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, कंपनी द्वारा जारी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में पुनर्भुगतान/सुरक्षा के निर्माण में चूक के मामले में डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान को शामिल करने के लिए कंपनी के एमओए/एओए में संशोधन करने के लिए कंपनी की सहमति दी जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल को समय-समय पर व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक धन उधार लेने की सहमति दी जाती है (व्यापार के सामान्य क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त) भले ही ऐसा उधार चुकता पूंजी और उसके मुक्त भंडार (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग नहीं रखे गए भंडार) के कुल योग से अधिक हो सकता है, बशर्ते कि निगम द्वारा उधार ली जा सकने वाली और किसी भी समय बकाया कुल राशि 2,50,000 करोड़ रुपये (केवल दो लाख पचास हजार करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 65,000 करोड़ रुपये के वार्षिक उधार कार्यक्रम के भीतर प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो, वचन पत्र के रूप में या डीमैट रूप में और कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र को सेबी एनसीएस, विनियम, 2021 के 'वाणिज्यिक पत्र की सूची' या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज(ओं) पर सूचीबद्ध किया जाए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि कार्यपालक निदेशक (वित्त/आरएम)/महाप्रबंधक (वित्त/आरएम) या संसाधन विंग के प्रमुख और/या संसाधन विंग में तैनात कोई भी अधिकारी जो संयुक्त महाप्रबंधक के स्तर से नीचे न हो और/या कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात कोई अन्य कार्यपालक निदेशक (वित्त) और/या कंपनी सचिव, सभी समझौतों, दस्तावेजों, उपकरणों, निर्देशों, कार्यों, संशोधनों, आवेदनों, नोटिसों, पत्रों, उपक्रमों, पुष्टियों, घोषणाओं, शपथपत्रों, प्रमाण पत्रों, अनुबंधों आदि और अन्य सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने, दाखिल करने और वितरित करने और ऐसे सभी कार्य, कार्य और चीजें करने और उधार के संबंध में आवश्यक और प्रासंगिक सभी औपचारिकताओं का पालन करने के लिए अधिकृत हैं, जिसमें बैंकों/वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य ऋणदाता संस्थान से दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण/क्रेडिट लाइनें, बॉन्ड/डिबेंचर, वाणिज्यिक/संरचित पत्र, एफसीएनआर(बी) ऋण, बैंकों से समकक्ष विदेशी मुद्रा में उधार, ईसीबी, बहुपक्षीय संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय से उधार शामिल हैं। उधार कार्यक्रम के तहत एजेंसियां, एफडी के खिलाफ ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा, कार्यशील पूंजी मांग ऋण आदि, किसी भी समय बकाया उधार के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित / अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक नहीं हो सकते हैं।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि कार्यकारी निदेशक (वित्त/आरएम)/महाप्रबंधक (वित्त/आरएम) या संसाधन विंग के प्रमुख और/या संसाधन विंग में तैनात कोई भी अधिकारी जो संयुक्त महाप्रबंधक के स्तर से नीचे का न हो और/या कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात कोई अन्य कार्यकारी निदेशक (वित्त) और/या कंपनी सचिव, एतद्द्वारा निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र/प्रस्ताव दस्तावेज/प्रकटीकरण दस्तावेज, प्रस्ताव पत्र, सौदे की पुष्टि, लिस्टिंग दस्तावेज, प्रतिभूतियों के आबंटन/मोचन/किसी अन्य मामले से संबंधित क्रेडिट/डेप कॉर्पोरेट कार्रवाई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर/निष्पादित करने के लिए अधिकृत हैं, डिपॉजिटरी के साथ या सेबी के दिशानिर्देशों/कंपनी अधिनियम/प्रासंगिक विनियमों के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज पर, जैसा कि बॉन्ड/डिबेंचर (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी भी प्रकृति का)/वाणिज्यिक पत्र या समान प्रकृति के उपकरणों के प्लेसमेंट के संबंध में आवश्यक हो सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि निदेशक वित्त और/या कार्यकारी निदेशक (वित्त/आरएम)/महाप्रबंधक (वित्त/आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख और/या संसाधन विंग में तैनात कोई भी अधिकारी जो संयुक्त महाप्रबंधक के स्तर से नीचे न हो और/या कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात कोई अन्य कार्यकारी निदेशक (वित्त) और/या कंपनी सचिव, एतद्द्वारा निदेशक मंडल की ओर से आवश्यक वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होंगे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी विनियमों और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो सकता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, भारत में या बाहर, वार्षिक उधार कार्यक्रम के तहत बॉन्ड/डिबेंचर सहित प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने के संबंध में, किसी भी समय बकाया उधार के अधीन कुल स्वीकृत/अनुमोदित उधार सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि निदेशक वित्त और/या ईडी (वित्त/आरएम)/महाप्रबंधक (वित्त/आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख और/या संसाधन विंग में तैनात कोई भी अधिकारी जो संयुक्त जीएम के स्तर से नीचे न हो और/या कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात कोई अन्य ईडी (वित्त) और/या कंपनी सचिव, एतद्द्वारा निदेशक मंडल की ओर से आवश्यक वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होंगे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी विनियमों और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक हो सकता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, भारत में या भारत के बाहर, वार्षिक उधार कार्यक्रम के तहत बॉन्ड/डिबेंचर सहित प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने के संबंध में, किसी भी समय

बकाया उधार के अधीन, कुल उधार सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए/जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि संशोधित सेबी विनियमों के अनुपालन में, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया दीर्घकालिक उधार वाली और 'एए' और उससे अधिक की क्रेडिट रेटिंग वाली संस्थाओं को 'बड़ी कॉर्पोरेट (एलसी)' माना जाता है और ऐसी एलसी को अनिवार्य रूप से ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से वृद्धिशील उधारों का कम से कम 25% जुटाना आवश्यक है, बोर्ड का अनुमोदन वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से वृद्धिशील उधारों का कम से कम 25% जुटाने के लिए प्रदान किया जाता है और किसी भी कमी की स्थिति में, इसे अगले दो वर्षों के अंत तक, अर्थात् वित्त वर्ष 2027-28 तक पूरा किया जाना आवश्यक है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि बोर्ड का अनुमोदन इसके लिए प्रदान किया जाता है।
एमटीएन कार्यक्रम को जीवित रखना, यह देखते हुए कि एक बार स्थापित होने के बाद एमटीएन कार्यक्रम सदाबहार प्रकृति का होता है, ट्रस्टी की संविदात्मक शर्तों को जारी रखते हुए, जिसमें संविदात्मक शर्तों के अनुसार वार्षिक ट्रस्टीशिप शुल्क का भुगतान शामिल है;

(ii) निम्नलिखित अधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, अधिकृत करना:

i. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा संयुक्त रूप से
ii. निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से
iii. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में, दो कार्यात्मक निदेशकों अर्थात् निदेशक (वित्त) और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से।
iv. दोनों कार्यात्मक निदेशकों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास प्रस्तावों को अनुमोदित करने की पूरी शक्ति होगी।

एमटीएन कार्यक्रम/प्रस्तावित जीएमटीएन कार्यक्रम की पुनर्वैधीकरण प्रक्रिया से संबंधित सभी निर्णय लेना तथा हडको कॉर्पोरेट कार्यालय के संसाधन संग्रहण विंग या किसी अन्य विभाग से अधिकारी (अधिकारियों) को नामित करना, जिन्हें वार्षिक संसाधन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं, ताकि वे ऐसे सभी कार्य, कर्म, बातें और मामले कर सकें तथा एमटीएन कार्यक्रम के पुनर्वैधीकरण के संबंध में या जीएमटीएन प्रक्रिया के समापन और उसके अंतर्गत उधार लेने के संबंध में ऐसे सभी कार्यों/गतिविधियों/व्ययों के लिए अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का अनुपालन कर सकें।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड द्वारा 27 जुलाई, 2022 को आयोजित 644 वीं बैठक (मद संख्या 644.11), 29 जून, 2021 को आयोजित 632 वीं बैठक (मद संख्या 632.16) और 28 फरवरी, 2020 को आयोजित 620 वीं बैठक (मद संख्या 620.08) में पूर्व में अनुमोदित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों/प्राधिकरणों को जारी रखने के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्रदान किया जाता है और इसके द्वारा इसकी समिति (अर्थात, तत्कालीन 'संसाधन समिति') या सीएमडी या अन्य पदाधिकारियों को, जैसा कि इस एजेंडा नोट का हिस्सा बनाने वाले अनुलग्नक-1 में बताया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक उधार कार्यक्रम के लिए उधार और उससे संबंधित मामलों को प्रभावित करने के लिए ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और उससे जुड़ी चीजें करने के लिए।

यह भी संकल्प लिया गया कि हडको की ओर से, हडको के संस्था-नियमों के अनुसार, उपरोक्त वार्षिक उधारी के संदर्भ में, दस्तावेजों पर कंपनी की सामान्य मुहर लगाने के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

यह भी संकल्प लिया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा लिए गए सभी निर्णय, जैसा भी मामला हो, मान्य होंगे:

i. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा संयुक्त रूप से
II. निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से
iii. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में, दो कार्यात्मक निदेशकों, अर्थात् निदेशक (वित्त) और निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) द्वारा संयुक्त रूप से।
iv. दोनों कार्यात्मक निदेशकों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास प्रस्तावों को अनुमोदित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अनुलग्नक -बी

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों द्वारा बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित उनकी 54 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में पारित मद संख्या 09 के संकल्प का अंश।

स्पेशल बिजनेस

(विशेष संकल्प)

निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर जारी करके अधिकतम 40,000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाव

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के साथ, अधिसूचना(ओं), यदि कोई हो, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी करने पर एनएचबी/आरबीआई के निर्देश और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, कंपनी की सहमति इस विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 40,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए दी जाती है (किसी भी समय बकाया उधारी के अधीन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक नहीं एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से) कंपनी के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के आधार पर घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक या एक से अधिक चरणों/संयोजनों में जारी करके और ग्रीन-शू विकल्प (40,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर, जैसा कि ऊपर बताया गया है), यदि कोई हो, का प्रयोग करके, लागू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों पर और बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले नियमों और शर्तों पर।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि असुरक्षित/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचर के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") या बोर्ड की विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकारी ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए अधिकृत है, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है, जिसमें जारी करने की शर्तों को निर्धारित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिसमें निवेशकों का वर्ग शामिल है, जिन्हें बॉन्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बॉन्ड/डिबेंचर की संख्या, जारी मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, जारी करने की राशि, जारी मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, कोई घोषणा/वचन जारी करना या बॉन्ड जारी करने की कोई नियम और शर्तें आदि, जिन्हें निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र/प्रस्ताव दस्तावेज/प्रस्ताव परिपत्र में शामिल करना आवश्यक है और समय के लिए कोई अन्य नियामक आवश्यकता लागू है।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के वार्षिक उधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित सीमाओं तक समय-समय पर कोई अन्य प्रतिभूतियां (दीर्घकालिक और अल्पावधि दोनों) जारी करने के लिए कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

180(1)(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित/अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो।"

प्रमाणित प्रतिलिपि

विकास गोयल

कंपनी सचिव

हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक- सी

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों द्वारा बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को हुडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित उनकी 54 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में पारित मद संख्या 08 के संकल्प का अंश।

स्पेशल बिजनेस

(विशेष संकल्प)

<u>कुल उधार सीमा को 1,00,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपये करना</u>

"संकल्पित है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी के निदेशक मंडल को समय-समय पर व्यवसाय के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक धन उधार लेने की सहमति प्रदान की जाती है (सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त), भले ही ऐसा उधार चुकता पूँजी और उसके मुक्त आरक्षित निधियों (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग न रखे गए आरक्षित निधियों) के योग से अधिक हो,

बशर्ते कि निगम द्वारा उधार ली जा सकने वाली और किसी भी समय बकाया कुल राशि 1,50,000 करोड़ रुपये (केवल एक लाख पचास हज़ार करोड़ रुपये) से अधिक न हो।"

प्रमाणित प्रतिलिपि

विकास गोयल

कंपनी सचिव

हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक -डी

हडको के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 22.01.2025 को आयोजित 676 वीं बैठक में पारित मद संख्या 676.2.13 के प्रस्तावों के अंश की प्रति।

676.2.13 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इशु और सूचीकरण) विनियम, 2021 में नए संशोधन, इसकी अधिसूचना दिनांक 18.09.2024 के अनुसार

XXX XXX XXX

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:

"संकल्प लिया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इशु और सूचीकरण) विनियम, 2021, जैसा कि दिनांक 18.09.2024 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, दस्तावेजों के सत्यापन और अवलोकन हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में, एजेंडा नोट के पैरा बी.एफ) में दिए गए संयोजन को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया कि श्री एल.वी.एस. सुधाकर बाबू, कार्यकारी निदेशक (संसाधन जुटाना) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इशु और सूचीकरण) विनियम, 2021 या उसके किसी संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) के रूप में नामित किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इशु और सूचीकरण) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य सूचना दस्तावेज (जीआईडी) और मुख्य सूचना दस्तावेज (केआईडी) एनसीडी जारी करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निदेशक मंडल के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि दिनांक 26.12.2024 को आवंटित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के संबंध में निदेशक मंडल को दिनांक 20.12.2024 को भेजे गए मेल को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके साथ निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित मुख्य सूचना दस्तावेज़ (केआईडी) संलग्न है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

विकास गोयल

कंपनी सचिव

अनुलग्नक- एच

हडको/लिस्ट. कम्प./एसई/2024-25 **22 जनवरी, 2025**

लिस्टिंग विभाग
बीएसई लिमिटेड,
फ़िराज़ जीजीभॉय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट,
मुंबई-400001
स्क्रिप कोड: 540530

लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट संख्या C-1, G ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
स्क्रिप कोड: हडको

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम

महोदय/महोदया,

निदेशक मंडल ने बुधवार, 22 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, निम्नलिखित बातों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया:

i) 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीने की अवधि के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

हम इसके साथ 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीने की अवधि के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (एकल और समेकित) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट और अन्य लागू प्रकटीकरण संलग्न कर रहे हैं। इन परिणामों की समीक्षा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और 22 जनवरी, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में अनुमोदित किया गया है।

वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा और रिकॉर्ड तिथि का निर्धारण

वर्ष 2024-25 के लिए 2.05 रुपये प्रति इक्विटी शेयर, यानी 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर 20-50% (टीडीएस कटौती के अधीन) के अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई है और अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु गुरुवार, 30 जनवरी, 2025 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

अंतरिम लाभांश के भुगतान की प्रक्रिया इसकी घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

iii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा उधार योजना/कार्यक्रम में वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा उधार योजना/कार्यक्रम को 40,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 55,000 करोड़ रुपये किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधार शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक न हो।

iv) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (आईबीएचएल), एक सहयोगी कंपनी से बाहर निकलने का प्रस्ताव

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) से बाहर निकलने का प्रस्ताव। इस संबंध में तौर-तरीकों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। तदनुसार, 11 नवंबर 2024 के सेबी मास्टर सर्कुलर के अनुसार आवश्यक विवरण उचित समय पर सूचित किए जाएँगे।

v) श्री एल.वी.एस. सुधाकर बाबू, कार्यकारी निदेशक (वित्त) की प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्ति

श्री एल.वी.एस. सुधाकर बाबू, कार्यकारी निदेशक (वित्त) को कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया गया है। सेबी के 11 नवंबर, 2024 के मास्टर सर्कुलर के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	विवरण	

1	कारण: नियुक्ति में परिवर्तन, पुनर्नियुक्ति, त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्यथा	श्री एल.वी.एस. सुधाकर बाबू, कार्यकारी निदेशक (वित्त) की कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्ति
2	नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/समाप्ति की तिथि (जैसा लागू हो) से नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि तक	22 जनवरी, 2025 उनकी नियुक्ति की शर्तें कंपनी में उनके ग्रेड के कार्मिकों पर लागू शर्तों के अनुसार होंगी।
3	संक्षिप्त विवरण	56 वर्षीय श्री एलवीएस सुधाकर बाबू प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमए) के एसोसिएट सदस्य हैं। हुडको में विभिन्न पदों, जैसे संसाधन जुटाना, बैंकिंग एवं निवेश, कॉर्पोरेट वित्त, व्यवसाय जुटाना, निगरानी और वसूली, में उन्हें लगभग 31 वर्षों का समृद्ध और विविध व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है, जिससे हुडको के व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।
4	निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण	लागू नहीं

बोर्ड की बैठक दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) शुरू हुई और दोपहर 2:28 बजे (आईएसटी) समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद

भवदीय,

फॉर **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

विकास गोयल

कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफ़िसर

संलग्न: उपरोक्तानुसार

अनुलग्नक-सी

सं.हडको/एसई/2024-25 22 जनवरी, 2025

लिस्टिंग विभाग
बीएसई लिमिटेड,
फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट,
मुंबई-400001
स्क्रिप कोड: 540530

लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट संख्या सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
स्क्रिप कोड: हडको

विषय: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 52(7) एवं (7A) के अंतर्गत प्रकटीकरण - 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही

महोदय/ महोदया

विनियम	विवरण	जानकारी
52(7)	गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इशु से प्राप्त राशि के उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण, जो तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि इशु से प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो जाता या जिस उद्देश्य के लिए यह राशि जुटाई गई थी, वह प्राप्त नहीं हो जाती।	कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इशु के माध्यम से 1230 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है और 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त अवधि तक जारी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इशु से प्राप्त राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेजों/सूचना ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से किया गया है
52(7 ए)	यदि इशु के उद्देश्यों की तुलना में आय के उपयोग में कोई महत्वपूर्ण विचलन होता है, तो उसे बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में दर्शाया जाएगा।	गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की आय के उपयोग में प्रस्ताव दस्तावेजों/सूचना ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों से कोई विचलन/ भिन्नता नहीं हुई है।

हम सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विवरण संलग्न कर रहे हैं।

उपरोक्त जानकारी कृपया सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

फॉर **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

विकास गोयल

कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफ़िसर

Annexure E

ICRA

ICRA Limited

Ref No: ICRA/ Housing and Urban Development Corporation Ltd./29042025/1
Date: April 29, 2025

Shri LVS Sudhakar Babu
Executive Director – Finance
Housing and Urban Development Corporation Ltd.
HUDCO Bhawan, India Habitat Center
Lodhi Road, New Delhi 110003

Dear Sir,

Re: ICRA's credit rating for below mentioned instruments of Housing and Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO)

Please refer to your email requesting ICRA Limited to revalidate the rating letter issued for the below mentioned instruments.

We confirm that the following ratings of the instruments rated by ICRA and last communicated to you vide our letter dated March 20, 2025 stands valid.

Instrument	Rated Amount (Rs. crore)	Rating[1]
Long term borrowing programme for FY2025	40,000.00*	[ICRA]AAA (Stable)

**Yet to be placed Rs. 22,801.00 crore as on April 28, 2025*

The proposed issue of Unsecured Taxable NCDs of up to Rs. 3,000 crore is included in the aforesaid rated long term borrowing programme of Housing and Urban Development Corporation Ltd.

The other terms and conditions for the rating of the aforementioned instrument shall remain the same as communicated vide our letter dated May 10, 2024.

The rating, as aforesaid, however, should not be treated as a recommendation to buy, sell or hold long term debt/non-convertible debenture to be issued by you.

In line with SEBI Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-3/P/CIR/2024/160 dated November 18, 2024, issuers are encouraged to utilize the penny-drop verification service as provided by banks. This measure is intended to prevent payment failures when disbursing principal and/or interest to respective investors or debenture holders.

Penny-drop verification serves as an efficient method for confirming the bank account details of persons designated to receive payments. Once an account has been verified through this facility, it can be used for subsequent transactions related to interest and principal payments, thereby ensuring successful remittance and avoiding failure.

We look forward to further strengthening our existing relationship and assure you of our best services.

With kind regards,
Yours sincerely,
For ICRA Limited

AGAPPA MANI KARTHIK
Digitally signed by AGAPPA MANI KARTHIK
Date: 2025.04.29 10:25:43 +05'30'

A M KARTHIK
Senior Vice President
a.karthik@icraindia.com

[1] Complete definitions of the ratings assigned are available at www.icra.in.

Sh. LVS Sudhakar Babu,
ED(Finance)
Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)
Core 7-A, HUDCO Bhawan, India Habitat Centre
Lodhi Road, New Delhi - 110003

April 25, 2025

Dear Sir/Madam,

Re: Rating Letter for Bonds & BLR of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)

India Ratings and Research (Ind-Ra) has taken the following rating actions on Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) and its debt instruments:

Instrument Type	**Size of Issue (billion)**	**Rating Assigned along with Outlook/Watch**	**Rating Action**
Proposed bonds@	INR650	IND AAA/Stable	Assigned
Proposed bank loans	INR706.40	IND AAA/Stable/IND A1+	Assigned
Long-term bank loan	INR93.60	IND AAA/Stable	Assigned
Issuer rating	-	IND AAA/Stable	Affirmed
Bonds#	INR375.81 (reduced from INR621.82)	IND AAA/Stable	Affirmed
Government of India fully serviced bonds	INR200	IND AAA/Stable	Affirmed
Short-term bank loans^	INR77.15	IND A1+	Affirmed
Long-term bank loans^	INR422.85	IND AAA/Stable	Affirmed
Fixed deposit	INR0.01	WD	Withdrawn**

WD- Rating Withdrawn

**Ind-Ra is no longer required to maintain the rating of the fixed deposit, as it there is no outstanding fixed deposit and the agency has received withdrawal request from the issuer. This is consistent with Ind-Ra's Policy on Withdrawal of Ratings.

@INR 650 billion proposed bonds also has a sub-limit of INR65 billion for subordinated debt.

#Previously rated FY24 long-term borrowing programme of INR15 billion and FY25 long-term borrowing programme of INR400 billion are clubbed with bonds.

^Out of INR185.68 billion proposed bank loans, INR175.08 billion has been sanctioned and clubbed with long-term bank loans, while remaining INR10.6 billion has been sanctioned and clubbed with short-term bank loans.

In issuing and maintaining its ratings, India Ratings relies on factual information it receives from issuers and underwriters and from other sources India Ratings believes to be credible. India Ratings conducts a reasonable investigation of the factual information relied upon by it in accordance with its ratings methodology, and obtains reasonable verification of that information from independent sources, to the extent such sources are available for a given security.

The manner of India Ratings factual investigation and the scope of the third-party verification it obtains will vary depending on the nature of the rated security and its issuer, the requirements and practices in India where the rated security is offered and sold, the availability and nature of relevant public information, access to the management of the issuer and its advisers, the availability of pre-existing third-party verifications such as audit reports, agreed-upon procedures letters, appraisals, actuarial reports, engineering reports, legal opinions and other reports provided by third parties, the availability of independent and competent third-party verification sources with respect to the particular security or in the particular jurisdiction of the issuer, and a variety of other factors.

Users of India Ratings ratings should understand that neither an enhanced factual investigation nor any third-party verification can ensure that all of the information India Ratings relies on in connection with a rating will be accurate and complete. Ultimately, the issuer and its advisers are responsible for the accuracy of the information they provide to India Ratings and to the market in offering documents and other reports. In issuing its ratings India Ratings must rely on the work of experts, including independent auditors with respect to financial statements and attorneys with respect to legal and tax matters. Further, ratings are inherently forward-looking and embody assumptions and predictions about future events that by their nature cannot be verified as facts. As a result, despite any verification of current facts, ratings can be affected by future events or conditions that were not anticipated at the time a rating was issued or affirmed.

India Ratings seeks to continuously improve its ratings criteria and methodologies, and periodically updates the descriptions on its website of its criteria and methodologies for securities of a given type. The criteria and methodology used to determine a rating action are those in effect at the time the rating action is taken, which for public ratings is the date of the related rating action commentary. Each rating action commentary provides information about the criteria and methodology used to arrive at the stated rating, which may differ from the general criteria and methodology for the applicable security type posted on the website at a given time. For this reason, you should always consult the applicable rating action commentary for the most accurate information on the basis of any given public rating.

Ratings are based on established criteria and methodologies that India Ratings is continuously evaluating and updating. Therefore, ratings are the collective work product of India Ratings and no individual, or group of individuals, is solely responsible for a rating. All India Ratings reports have shared authorship. Individuals identified in an India Ratings report were involved in, but are not solely responsible for, the opinions stated therein. The individuals are named for contact purposes only.

Ratings are not a recommendation or suggestion, directly or indirectly, to you or any other person, to buy, sell, make or hold any investment, loan or security or to undertake any investment strategy with respect to any investment, loan or security or any issuer. Ratings do not comment on the adequacy of market price, the suitability of any investment, loan or security for a particular investor (including without limitation, any accounting and/or regulatory treatment), or the tax-exempt nature or taxability of payments made in respect of any investment, loan or security. India Ratings is not your advisor, nor is India Ratings providing to you or any other party any financial advice, or any legal, auditing, accounting, appraisal, valuation or actuarial services. A rating should not be viewed as a replacement for such advice or services. Investors may find India Ratings ratings to be important information, and India Ratings notes that you are responsible for communicating the contents of this letter, and any changes with respect to the rating, to investors.

It will be important that you promptly provide us with all information that may be material to the ratings so that our ratings continue to be appropriate. Ratings may be raised, lowered, withdrawn, or placed on Rating Watch due to changes in, additions to, accuracy of or the inadequacy of information or for any other reason India Ratings deems sufficient.

Nothing in this letter is intended to or should be construed as creating a fiduciary relationship between India Ratings and you or between India Ratings and any user of the ratings.

In this letter, “India Ratings” means India Ratings & Research Pvt. Ltd. and any successor in interest.

We are pleased to have had the opportunity to be of service to you. If we can be of further assistance, please email us at infogrp@indiaratings.co.in

Sincerely,

India Ratings

Dr Devendra Pant
Senior Director

Annexure: Facilities Breakup

Instrument Description	Banks Name	Ratings	Outstanding/Rated Amount(INR million)
Long Term Bank loan	National Housing Bank	IND AAA/Stable	3458.10
Long Term Bank loan	Union Bank of India	IND AAA/Stable	20000.00
Long Term Bank loan	Canara Bank	IND AAA/Stable	29481.50
Long Term Bank loan	Karnataka Bank Ltd	IND AAA/Stable	10000.00
Long Term Bank loan	South Indian Bank	IND AAA/Stable	6000.00
Long Term Bank loan	Bank of India	IND AAA/Stable	19280.00
Long Term Bank loan	Indian Overseas Bank	IND AAA/Stable	20000.00
Long Term Bank loan	Central Bank of India	IND AAA/Stable	9999.80
Long Term Bank loan	HDFC Bank Limited	IND AAA/Stable	12149.90
Long Term Bank loan	State Bank of India	IND AAA/Stable	98042.30
Long Term Bank loan	ICICI Bank	IND AAA/Stable	62333.00
Long Term Bank loan	Axis Bank Limited	IND AAA/Stable	6972.20
Long Term Bank loan	DBS Bank India Limited	IND AAA/Stable	15067.10
Long Term Bank loan (Cash Credit)	Bank of Baroda	IND AAA/Stable	2000.00
Long Term Bank loan (Cash Credit)	Punjab National Bank	IND AAA/Stable	36000.00
Long Term Bank loan (Cash Credit)	State Bank of India	IND AAA/Stable	30000.00
Long Term Bank loan (Cash Credit)	Kotak Mahindra Bank	IND AAA/Stable	20.00
Long Term Bank loan (Bank Guarantee)	State Bank of India	IND AAA/Stable	13900.00
Long Term Bank loan (Bank Guarantee)	ICICI Bank	IND AAA/Stable	5000.00
Long Term Bank loan (Bank Guarantee)	RBL Bank	IND AAA/Stable	1250.00
Long Term Bank loan (Bank Guarantee)	Bank of India	IND AAA/Stable	500.00
Short-term Bank loan	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	IND A1+	3400.00
Short-term Bank loan	Bank of India	IND A1+	720.00
Short-term Bank loan	ICICI Bank	IND A1+	8750.00
Short-term Bank loan	Mizuho Bank Ltd	IND A1+	5000.00
Short-term Bank loan	Central Bank of India	IND A1+	30000.00
Short-term Bank loan	RBL Bank	IND A1+	2000.00
Short-term Bank loan	Axis Bank Limited	IND A1+	2780.00
Short-term Bank loan	Union Bank of India	IND A1+	20000.00
Short-term Bank loan	IDFC First Bank	IND A1+	3000.00
Short-term Bank loan	IndusInd Bank Limited	IND A1+	1500.00
Long Term Bank loan	Punjab National Bank	IND AAA/Stable	114999.50
Proposed Bank loan	NA	IND AAA/Stable/IND A1+	706396.60

Annexure: ISIN

Instrument	ISIN	Date of Issuance	Coupon Rate	Maturity Date	Ratings	Outstanding/Rated Amount(INR million)
Bonds	INE031A09FB7	21/10/2011	7.75	21/10/2026	IND AAA/Stable	110
Bonds	INE031A09FD3	11/11/2011	7.83	11/11/2026	IND AAA/Stable	670
Bonds	INE031A09FG6	22/12/2011	8.16	22/12/2026	IND AAA/Stable	480
Bonds	INE031A07840	05/03/2012	8.2	05/03/2027	IND AAA/Stable	25180
Bonds	INE031A07865	16/02/2013	7.51	16/02/2028	IND AAA/Stable	12740
Bonds	INE031A07881	28/03/2013	7.19	28/03/2028	IND AAA/Stable	1090
Bonds	INE031A07899	02/09/2013	8.56	02/09/2028	IND AAA/Stable	1910
Bonds	INE031A07923	25/10/2013	8.49	25/10/2033	IND AAA/Stable	360
Bonds	INE031A07956	25/10/2013	8.74	25/10/2033	IND AAA/Stable	890
Bonds	INE031A07915	25/10/2013	8.51	25/10/2028	IND AAA/Stable	7990
Bonds	INE031A07949	25/10/2013	8.76	25/10/2028	IND AAA/Stable	8150
Bonds	INE031A07980	13/01/2014	8.76	13/01/2034	IND AAA/Stable	2870
Bonds	INE031A07AB2	13/01/2014	9.01	13/01/2034	IND AAA/Stable	6710
Bonds	INE031A07972	13/01/2014	8.58	13/01/2029	IND AAA/Stable	1270
Bonds	INE031A07AA4	13/01/2014	8.83	13/01/2029	IND AAA/Stable	1240
Bonds	INE031A07AE6	24/03/2014	8.71	24/03/2034	IND AAA/Stable	90
Bonds	INE031A07AH9	24/03/2014	8.96	24/03/2034	IND AAA/Stable	420
Bonds	INE031A07AD8	24/03/2014	8.73	24/03/2029	IND AAA/Stable	280
Bonds	INE031A07AG1	24/03/2014	8.98	24/03/2029	IND AAA/Stable	1280
Bonds	INE031A07AI7	31/07/2015	7.19	31/07/2025	IND AAA/Stable	1510
Bonds	INE031A07AJ5	01/10/2015	7.07	01/10/2025	IND AAA/Stable	10290
Bonds	INE031A07AK3	09/10/2015	7	09/10/2025	IND AAA/Stable	1085
Bonds	INE031A07AM9	08/02/2016	7.39	08/02/2031	IND AAA/Stable	9100
Bonds	INE031A07AO5	08/02/2016	7.64	08/02/2031	IND AAA/Stable	5560
Bonds	INE031A07AL1	08/02/2016	7.02	08/02/2026	IND AAA/Stable	1170
Bonds	INE031A07AN7	08/02/2016	7.27	08/02/2026	IND AAA/Stable	1280
Bonds	INE031A07AP2	22/02/2016	7.39	22/02/2031	IND AAA/Stable	2120
Bonds	INE031A07AR8	15/03/2016	7.39	15/03/2031	IND AAA/Stable	10250
Bonds	INE031A07AT4	15/03/2016	7.69	15/03/2031	IND AAA/Stable	6100
Bonds	INE031A07AQ0	15/03/2016	7.04	15/03/2026	IND AAA/Stable	480
Bonds	INE031A07AS6	15/03/2016	7.29	15/03/2026	IND AAA/Stable	1050
GoI fully serviced bonds	INE031A08616	12/11/2018	8.6	12/11/2028	IND AAA/Stable	30000
GoI fully serviced bonds	INE031A08624	28/11/2018	8.52	28/11/2028	IND AAA/Stable	20500
GoI fully serviced bonds	INE031A08673	30/01/2019	8.38	30/01/2029	IND AAA/Stable	20670
GoI fully serviced bonds	INE031A08681	14/02/2019	8.58	14/02/2029	IND AAA/Stable	25630
GoI fully serviced bonds	INE031A08699	15/03/2019	8.41	15/03/2029	IND AAA/Stable	53200
GoI fully serviced bonds	INE031A08707	25/03/2019	8.37	25/03/2029	IND AAA/Stable	50000
Bonds	INE031A08806	29/05/2020	6.75	29/05/2030	IND AAA/Stable	10400
Bonds	INE031A08814	04/08/2020	5.35	11/04/2025	IND AAA/Stable	8000

Bonds	INE031A08830	22/02/2022	5.59	04/03/2025	IND AAA/Stable	10000
Bonds	INE031A08848	25/03/2022	5.62	25/05/2025	IND AAA/Stable	15000
Bonds	INE031A08855	11/11/2022	7.54	11/02/2026	IND AAA/Stable	15000
Bonds	INE031A08863	19/12/2022	7.52	15/04/2033	IND AAA/Stable	4700
Bonds	INE031A08871	16/02/2023	7.68	16/05/2026	IND AAA/Stable	20000
Bonds	INE031A08889	20/04/2023		20/08/2026	IND AAA/Stable	15000
Bonds	INE031A08897	17/05/2024	7.48	17/05/2029	IND AAA/Stable	19360
Bonds	INE031A08905	18/07/2024	7.28	18/07/2029	IND AAA/Stable	18500
Bonds	INE031A08913	25/09/2024	7.15	25/09/2034	IND AAA/Stable	20000
Bonds	INE031A08921	26/12/2024	7.12	26/12/2034	IND AAA/Stable	12300
Bonds	INE031A08939	12/02/2025	7.29	12/02/2035	IND AAA/Stable	29100
Bonds	INE031A08947	12/03/2025	7.37	12/03/2035	IND AAA/Stable	28430
Bonds	INE031A08954	27/03/2025	7.19	27/03/2035	IND AAA/Stable	20000
Bonds	INE031A08962	23/04/2025	6.9	23/04/2032	IND AAA/Stable	24300
Proposed bonds (unutilised)					IND AAA/Stable	650000

Source: HUDCO

No. CARE/NRO/RL/2025-26/1051

Shri Sanjay Kulshreshta
Chairman & Managing Director
Housing and Urban Development Corporation Limited
Core 7A, HUDCO Bhawan,
Indian Habitat Centre, Lodhi Road,
New Delhi
Delhi 110003

April 10, 2025

Confidential

Dear Sir,

Credit rating for proposed Non-Convertible Debentures of up to Rs. 25,231.50 crore (within the overall Long-Term Bonds of Rs. 40,000.00 crore)

Please refer to our letter no. CARE/NRO/RL/2025-26/1027 dated April 08, 2025, and your request for revalidation of the rating assigned to the Non-Convertible Debenture (NCD) of the company, for a limit of Rs. 40,000.00 crore.

2. The following rating(s) have been reviewed:

Sr. No.	Instrument	Amount (₹ crore)	Rating[1]	Rating Action
1.	Long-Term Instrument-Bond (FY24-FY25) *	40,000.00	CARE AAA; Stable	Reaffirmed

* With a sub limit of Rs. 4,000.00 crore for subordinated debt.

3. The NCDs are repayable as per Annexure 1.

4. Please arrange to get the rating revalidated, in case the proposed issue is not made within **six months** from the date of this letter.

5. Please inform us the below-mentioned details of issue immediately, but not later than 7 days from the date of placing the instrument:

Instrument type	ISIN	Issue Size (Rs cr.)	Coupon Rate	Coupon Payment Dates	Terms of Redemption	Redemption date	Name and contact details of Trustee/IPA	Details of top 10 investors

[1]Complete definitions of the ratings assigned are available at www.careedge.in and in other CARE Ratings Ltd.'s publications.

6. CARE Ratings Ltd. reserves the right to undertake a surveillance/review of the rating from time to time, based on circumstances warranting such review, subject to at least one such review/surveillance every year.

7. CARE Ratings Ltd. reserves the right to revise/reaffirm/withdraw the rating assigned as a result of periodic review/surveillance, based on any event or information which in the opinion of CARE Ratings Ltd. warrants such an action. In the event of failure on the part of the entity to furnish such information, material or clarifications as may be required by CARE Ratings Ltd. so as to enable it to carry out continuous monitoring of the rating of the debt instruments, CARE Ratings Ltd. shall carry out the review on the basis of best available information throughout the life time of such instruments. In such cases the credit rating symbol shall be accompanied by "ISSUER NOT COOPERATING". CARE Ratings Ltd. shall also be entitled to publicize/disseminate all the afore-mentioned rating actions in any manner considered appropriate by it, without reference to you.

8. Our ratings do not factor in any rating related trigger clauses as per the terms of the facility/instrument, which may involve acceleration of payments in case of rating downgrades. However, if any such clauses are introduced and if triggered, the ratings may see volatility and sharp downgrades.
9. Users of this rating may kindly refer our website www.careedge.in for latest update on the outstanding rating.
10. CARE Ratings Ltd. ratings are **not** recommendations to buy, sell, or hold any securities.

If you need any clarification, you are welcome to approach us in this regard.

Thanking you,

Yours faithfully,

Jaya Gupta
Analyst
jaya.gupta@careedge.in

Jatin Arora
Assistant Director
jatin.arora@careedge.in

Encl.: As above

Disclaimer

The ratings issued by CARE Ratings Limited are opinions on the likelihood of timely payment of the obligations under the rated instrument and are not recommendations to sanction, renew, disburse or recall the concerned bank facilities or to buy, sell or hold any security. These ratings do not convey suitability or price for the investor. The agency does not constitute an audit on the rated entity. CARE Ratings Limited has based its ratings/outlooks based on information obtained from reliable and credible sources. CARE Ratings Limited does not, however, guarantee the accuracy, adequacy or completeness of any information and is not responsible for any errors or omissions and the results obtained from the use of such information. Most entities whose bank facilities/instruments are rated by CARE Ratings Limited have paid a credit rating fee, based on the amount and type of bank facilities/instruments. CARE Ratings Limited or its subsidiaries/associates may also be involved with other commercial transactions with the entity. In case of partnership/proprietary concerns, the rating /outlook assigned by CARE Ratings Limited is, inter-alia, based on the capital deployed by the partners/proprietor and the current financial strength of the firm. The rating/outlook may undergo a change in case of withdrawal of capital or the unsecured loans brought in by the partners/proprietor in addition to the financial performance and other relevant factors. CARE Ratings Limited is not responsible for any errors and states that it has no financial liability whatsoever to the users of CARE Ratings Limited's rating.

Our ratings do not factor in any rating related trigger clauses as per the terms of the facility/instrument, which may involve acceleration of payments in case of rating downgrades. However, if any such clauses are introduced and if triggered, the ratings may see volatility and sharp downgrades.

Annexure 1

ISIN	Date of Issuance	Coupon Rate (%)	Maturity Date	Size of the issue (₹ crore)
INE031A08897	May 17, 2024	7.48% p.a.	May 17, 2029	1,936.00
INE031A08905	July 18, 2024	7.28% p.a.	July 18, 2029	1,850.00
INE031A08913	Sep 25, 2024	7.15% p.a.	Sep 25, 2034	2,000.00
INE031A08921	December 26, 2024	7.12%	December 26, 2034	1,230.00
INE031A08939	February 12, 2025	7.29%	February 12, 2035	2,910.00
INE031A08947	March 12, 2025	7.37%	March 12, 2035	2,842.50
INE031A08954	March 27, 2025	7.19%	March 27, 2035	2,000.00
Proposed				25,231.50
Total				**40,000.00**

Annexure G

ANNUAL REPORT OF OUR COMPANY FOR THE LAST THREE FISCALS 2022, 2023 AND 2024.

Link for the FY-2023-24

https://hudco.org.in//writereaddata/ar24.pdf

Link for the FY-2022-23

https://hudco.org.in//writereaddata/ar23.pdf

Link for the FY-2021-22

https://hudco.org.in//writereaddata/ar22.pdf

SARC & ASSOCIATES
Chartered Accountants

N-226, LGF, Greater Kailash-I,
New Delhi- 110 048
M: +91 98103 07182
T: +91 11 4173 4656-57-58
Email: dinesh@sarcmail.in

Independent Auditor's Review Report on Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended and nine month ended December 31, 2024 of the Company pursuant to the Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

To
The Board of Directors
Housing and Urban Development Corporation Ltd.

1. We have reviewed the accompanying Statement of Unaudited Standalone Financial Results of Housing and Urban Development Corporation Ltd. (herein after referred to as the "The company") for the quarter ended and nine month ended December 31, 2024 (herein after referred to as "statement"), being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

2. This Statement, which is the responsibility of the Company's Management and approved by the Company's Board of Directors in its meeting held on 22nd January 2025, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.

3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

4. Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying statement of unaudited standalone financial results for the quarter ended and nine month ended 31st December 2024 read with notes therein, prepared in accordance with the applicable Indian Accounting Standards and other accounting practices and policies generally accepted in India has not disclosed the information required to be disclosed in terms of Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTS

5. Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the notes to the accompanying Standalone Financial Results:

a) The Company has recognized interest income on "No Lien AGP Account amounting to Rs. 7.38 cores for the quarter ended 31st December 2024 and Rs. 22.04 crores for the nine-month ended 31st December 2024.

b) The balance outstanding as at 31st December 2024 is Rs. 618.10 crores (debit) in "No Lien AGP Account". The Company is in discussion with MOHUA for recovery/reimbursement of outstanding amount (including interest) as well as booking of expenses.

Our Opinion is not modified in respect of the above matters.

For S A R C & Associates
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.006085N

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

Shambhu Nath
Partner
Membership No.: 529220
UDIN No.:

Place: Mumbai
Dated: 22.01.2025

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.(HUDCO)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING) CIN: L74899DL1970GOI005276 GSTIN: 07AAACH0632A1ZF website: www.hudco.org.in
REGISTERED OFFICE: CORE 7A, HUDCO BHAWAN, INDIA HABITAT CENTRE, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

(₹ in crore)

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2024

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31/12/24	30/09/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23	31/03/24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	Income						
I	**Revenue from operations**						
1	Interest Income	2745.54	2459.31	1980.12	7379.45	5651.61	7653.21
2	Dividend Income	0.01	7.28	0.12	7.29	5.78	5.89
3	Rental Income	14.30	14.14	14.65	42.13	43.21	54.76
4	Fees and Commission Income	0.00	0.00	0.01	0.00	0.65	0.64
5	Net Gain on Fair Value Changes	(0.02)	36.99	17.27	37.03	17.27	68.69
6	Sale of Services	0.40	0.00	0.49	0.40	0.55	1.10
	Total revenue from Operations	**2,760.23**	**2,517.72**	**2,012.66**	**7,466.30**	**5,719.07**	**7,784.29**
II	Other Income	9.91	8.42	10.28	27.17	34.99	163.81
III	**Total Income (I + II)**	**2,770.14**	**2,526.14**	**2,022.94**	**7,493.47**	**5,754.06**	**7,948.10**
IV	**Expenses**						
1	Finance Costs	1,762.49	1,662.02	1,312.73	4,888.20	3,720.52	4,960.82
2	Fees and Commission Expense	0.34	0.00	1.48	0.48	2.74	3.12
3	Net Loss on Fair Value Changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Impairment on Financial instrument and written offs	(16.84)	(233.15)	(59.01)	(268.68)	(109.87)	(208.09)
5	Employee Benefit Expenses	60.21	65.76	31.76	165.85	134.03	232.51
6	Depreciation and Amortization	2.63	2.54	2.46	7.13	7.38	9.86
7	Corporate Social Responsibilities (CSR)	12.25	12.25	11.39	37.02	34.18	45.57
8	Other Expenses	17.40	16.68	26.04	47.07	64.76	60.87
	Total expenses	**1,838.48**	**1,526.10**	**1,326.85**	**4,877.07**	**3,853.74**	**5,104.66**
V	**Profit/(loss) before Tax (III-IV)**	**931.66**	**1,000.04**	**696.09**	**2,616.40**	**1,900.32**	**2,843.44**
VI	**Tax Expense**						
1	Current Tax Expense including adjustment of tax of earlier years (Net)	182.07	136.00	123.76	444.39	350.80	510.50
2	Deferred Tax Expense/ (Credit)	14.56	175.42	53.14	190.61	132.94	216.20
	Total Tax Expense	**196.63**	**311.42**	**176.90**	**635.00**	**483.74**	**726.70**
VII	**Profit /(loss) for the Period / Year (V-VI)**	**735.03**	**688.62**	**519.19**	**1,981.40**	**1,416.58**	**2,116.74**
VIII	Other Comprehensive Income						
A	Items that will not be reclassified to profit or loss						
1	Re-measurement gains/losses on defined benefit plans	(3.64)	12.48	5.29	(7.32)	8.43	9.53
2	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	0.91	(3.14)	(1.33)	1.84	(2.12)	(2.40)
	Sub Total (A)	**(2.73)**	**9.34**	**3.96**	**(5.48)**	**6.31**	**7.13**
B (i)	Items that will be reclassified to profit and loss						
	-Effective portion of Gains/(loss) in Cash Flow Hedge	546.49	(93.99)	0.00	622.00	0.00	54.00
	-Cost of Hedging Reserve	(400.91)	(121.07)	0.00	(700.79)	0.00	(37.10)
(ii)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss						
	-Effective Portion of Gains/(Loss) in Cash Flow Hedge	(137.54)	23.66	0.00	(156.54)	0.00	(13.59)
	-Cost of Hedging Reserve	100.90	30.47	0.00	176.37	0.00	9.34
	Sub Total (B)	**108.94**	**(160.93)**	**0.00**	**(58.96)**	**0.00**	**12.65**
	Other Comprehensive Income (A+B)	**106.21**	**(151.59)**	**3.96**	**(64.44)**	**6.31**	**19.78**
IX	**Total Comprehensive Income for the Period (VII+VIII)**	**841.24**	**537.03**	**523.15**	**1916.96**	**1422.89**	**2136.52**
X	**Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 each)**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**
XI	**Other Equity (Reserves excluding revaluation reserve) (As per audited financial accounts as at 31st March)**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**14,612.40**
XII	**Net worth**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**16,614.30**
XIII	**Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each)**(Not annualised)						
	Basic (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.59**	**9.90**	**7.08**	**10.57**
	Diluted (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.59**	**9.90**	**7.08**	**10.57**

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Notes to the Financial Results:	
1	The above Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine month ended 31st December, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors in their meeting held on 22nd January,2025. These Financial Results for the Quarter/Nine month ended 31st December, 2024 have also been reviewed by the Statutory Auditors of the Company in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
2	The company does not have separate reportable segments in terms of Indian Accounting Standard (Ind AS-108) on "Operating Segments".
3	The company has made provision on loans (impairment) as per Expected credit Loss (ECL) method amounting to ₹ 1953.87 crore as on 31st December, 2024 (₹ 2321.19 crore as on 31st December, 2023) as per Ind-AS requirement.
4	During the quarter ended 31st December 2024, no Fresh NPA in Project Loan has been added. Besides, 3 NPA in Project Loan has been resolved having an outstanding loan amount of ₹ 20.33 Crore with reversal of ECL provision of ₹ 8.94 Crore.
5	In respect of Andrews Ganj Project (AGP), being executed by HUDCO as an agent on behalf of MoUD (now MoHUA), HUDCO does not have any right or interest in the property leased to it. Expenditure and liability, if any, on account of this project is paid out of No Lien AGP Account maintained with HUDCO. The company continues to book the interest income & expenditure incurred as per past practice. Interest income of ₹ 7.38 crore on the amount of deficit (recoverable) from MoHUA has been booked for the quarter ended 31st December, 2024. As on 31st December, 2024, No Lien AGP account is in deficit (recoverable) to the extent of ₹ 618.10 crore, which includes amounts paid by HUDCO on behalf of MoHUA and interest as on date.
6	During the quarter ended 31st December, 2024, there were no transactions in the nature of exceptional or extraordinary items.
7	The additional information as required under Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is attached as **Annexure A.**
8	The company has maintained 100% security cover by way of charge on the receivables of the company for all the secured bonds/ debentures issued by the company and outstanding as on December 31, 2024. In compliance to clause 54(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015, as amended, a 'Statement of Security Coverage Ratio', in respect of listed non-convertible debt securities, in the format as specified in SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_CRADT/CIR/P/2022/67 dated May 19, 2022, is attached as **Annexure-B**
9	During the quarter ending December 31, 2024, the Company has raised funds amounting to Rs 1230 Crore through issue of listed non-convertible debt securities on private placement basis. The amounts raised till December 31, 2024 have been utilized for the purpose stated in the Offer document(s)/ Information Memorandum and there has been no deviation/ variation in the use of proceeds of non-convertible debt securities from the objects stated in the offer document(s)/ Information memorandum. Accordingly, in compliance to the regulation 52(7) & (7A) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Operational Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div1/P/CIR/2022/0000000103 dated July 29, 2022, a copy of statement filed with Stock Exchange(s) is attached as **Annexure-C.**
10	The statement as prescribed under Regulation 32 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been annexed at **Annexure-D.**
11	The format for disclosing outstanding default on loans and debt securities has been annexed at **Annexure-E.**
12	The Company has sufficient liquidity as well as adequate undrawn lines of credits from various banks to take care of its operational requirements. Considering high credit worthiness and well-established relationship of the Company with lenders, it can continue to mobilise sufficient funds from domestic & international markets to meet contingencies, if any. Further, there has been no default in repayment of debt securities, borrowings and other liabilities and the Company has met all its debt servicing obligations, both towards principal and interest, during the period in a timely manner."
13	There are 9 investor complaint pending with HUDCO as on 31st December, 2024
14	In line with the requirements of Regulation 33 and 52(4) read with regulation 63(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Financial Results for the Quarter/Nine months ended 31st December, 2024 are available on the website of BSE Limited (URL: www.bseindia.com/corporates), National Stock Exchange of India Limited (URL: www.nseindia.com/corporates) and on company's website (URL: www.hudco.org.in)
15	Figures of corresponding period have been regrouped, wherever necessary. The Figures for the quarters ended 31st December, 2024 are the balancing figures between the reviewed figures for the nine months ended 31st December, 2024 and reviewed year to date figures upto 30th September, 2024, being the end of the half year of the financial year.

For and on behalf of the Board of Directors

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Sanjay Kulshrestha
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date: 22.01.2025

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

Annexure A

Disclosure in compliance with Regulations 52(4) of Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the Quarter/ Nine Months ended 31st December, 2024 on standalone basis

S.No.	Particulars	Unit	As at/ For the Period ended 31st December, 2024	As at/ For the Period ended 31st December, 2023
1	Debt Equity Ratio[1]	times	5.17	3.87
2	Debt service coverage ratio[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
3	Interest service coverage ratio[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
4	Outstanding Redeemable preference shares	INR in Crore	Nil	Nil
5	Debenture Redemption Reserve (as on 31st March, 2024)	INR in Crore	2726.11	2896.95
6	Net Worth[2]	INR in Crore	17965.59	16247.54
7	Profit After Tax	INR in Crore	1981.40	1416.58
8	Earnings Per Share[3] (Face Value of ₹10 each)			
	a) Basic(₹)	INR	9.90	7.08
	b) Diluted(₹)	INR	9.90	7.08
9	Current Ratio[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
10	Long term debt to working capital[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
11	Bad debts to accounts receivable ratio[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
12	Current liability ratio[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
13	Total debts to total assets[5]	times	0.82	0.77
14	Debtors turnover[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
15	Inventory turnover[4]	times	Not Applicable	Not Applicable
16	Operating Margin[6]	%	35.04	33.23
17	Net profit Margin[7]	%	26.44	24.62
18	Sector specific equivalent ratios			
(a)	CRAR[8] (Unaudited) as at 30th September	%	48.27	72.49
(b)	Provision Coverage Ratio[9]	%	85.60	86.26
(c)	Gross Credit Impaired Assets Ratio[10]	%	1.88	3.14
(d)	Net Credit Impaired Assets Ratio[11]	%	0.27	0.44

Notes:

1. Debt/Equity Ratio = Total Debt/Net Worth
2. Net Worth is calculated as defined in section 2(57) of Companies Act, 2013
3. Earning per share is calculated as Profit after tax by number of shares.
4. The Company is registered as Housing Finance Company, hence these ratios are generally not applicable
5. Total debts to total assets = Total Debts/Total Assets
6. Operating Margin = Net Operating Profit Before Tax/ Total Revenue from Operation
7. Net Profit Margin = Net Profit After Tax/ Total Income
8. CRAR = Adjusted Net Worth/ Risk Weighted Assets, calculated as per applicable RBI guidelines
9. Provision Coverage Ratio = Impairment Loss allowance on Stage 3 Loans/ Loan outstanding of Stage 3 Loans
10. Gross Credit Impaired Asset Ratio = Gross Credit Impaired Assets/ Gross Loan Assets
11. Net Credit Impaired Asset Ratio = Net Credit Impaired Assets/ Gross Loan Assets

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORP. LTD. hudco

SARC & ASSOCIATES
Chartered Accountants

N-226, LGF, Greater Kailash-I,
New Delhi- 110 048
M: +91 98103 07182
T: +91 11 4173 4656-57-58
Email: dinesh@sarcmail.in

Certificate for Security Cover
in respect of listed debt securities of the listed entity

Based on our examination of books of Accounts and other relevant records/ documents, we certify as under:

(a) The listed entity has vided its Resolution(s) and information memorandum(s)/ offer document(s) and under various Debenture Trust Deeds, has issued/ allotted the following listed debt securities as on 31st December, 2024:

Sr. No.	Name of Bond Series	ISIN	Private Placement/ Public Issue	Secured/ Unsecured	Sanctioned Amount (Rs. in crore)
A.	**Secured Listed Debt Securities:**				
1	7.75% Tax free 2011 Series A	INE031A09FB7	Private Placement	Secured	10.81
2	7.83% Tax free 2011 Series B	INE031A09FD3	Private Placement	Secured	66.51
3	8.16% Tax free 2011 Series C	INE031A09FG6	Private Placement	Secured	47.67
4	8.20% Tax free 2011 Tranche I*	INE031A07840	Public Issue	Secured	2,518.30
5	7.51% Tax free 2012 Tranche I**	INE031A07865	Public Issue	Secured	1,274.24
6	7.19% Tax free 2012 Tranche II**	INE031A07881	Public Issue	Secured	109.40
7	8.56% Tax free 2013 Series A	INE031A07899	Private Placement	Secured	190.80
8	8.51% Tax free 2013 Tranche I	INE031A07915	Public Issue	Secured	799.27
9	8.49% Tax free 2013 Tranche I	INE031A07923	Public Issue	Secured	35.51
10	8.76% Tax free 2013 Tranche I #	INE031A07949	Public Issue	Secured	815.00
11	8.74% Tax free 2013 Tranche I	INE031A07956	Public Issue	Secured	88.85
12	8.58% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07972	Public Issue	Secured	127.38
13	8.76% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07980	Public Issue	Secured	286.54
14	8.83% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07AA4	Public Issue	Secured	123.75
15	9.01% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07AB2	Public Issue	Secured	671.16
16	8.73% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AD8	Public Issue	Secured	28.47
17	8.71% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AE6	Public Issue	Secured	8.76
18	8.98% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AG1	Public Issue	Secured	128.42
19	8.96% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AH9	Public Issue	Secured	41.54
20	7.19% Tax Free 2015 Series A	INE031A07AI7	Private Placement	Secured	151.00
21	7.07% Tax Free 2015 Series B	INE031A07AJ5	Private Placement	Secured	1,029.00
22	7.00% Tax Free 2015 Series C	INE031A07AK3	Private Placement	Secured	108.50
23	7.02% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AL1	Public Issue	Secured	117.21
24	7.39% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AM9	Public Issue	Secured	909.69
25	7.27% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AN7	Public Issue	Secured	128.45
26	7.64% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AO5	Public Issue	Secured	556.15
27	7.39% Tax Free 2015 Series D	INE031A07AP2	Private Placement	Secured	211.50
28	7.04% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AQ0	Public Issue	Secured	48.16
29	7.39% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AR8	Public Issue	Secured	1,024.94
30	7.29% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AS6	Public Issue	Secured	105.35
31	7.69% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AT4	Public Issue	Secured	610.05
	Sub Total (A)				**12,372.38**

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

B.	Unsecured Listed debt securities				
32	8.60% S. A. HUDCO GOI Fully Serviced Bond Series-I 2018 (Taxable)	INE031A08616	Private Placement	Unsecured	3,000.00
33	8.52% S.A HUDCO GOI Fully Serviced Bond Series-I I 2018 (Taxable)	INE031A08624	Private Placement	Unsecured	2,050.00
34	8.38% S.A HUDCO GOI Fully Serviced Bond Series-I I I 2018 (Taxable)	INE031A08673	Private Placement	Unsecured	2,066.90
35	8.58% S.A HUDCO GOI Fully Serviced Bond Series-IV 2018 (Taxable)	INE031A08681	Private Placement	Unsecured	2,563.10
36	8.41% S.A HUDCO GOI Fully Serviced Bond Series-V 2018 (Taxable)	INE031A08699	Private Placement	Unsecured	5,320.00
37	8.37% S.A HUDCO GOI Fully Serviced Bond Series-VI 2018 (Taxable)	INE031A08707	Private Placement	Unsecured	5,000.00
38	6.75% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2020 Series -D	INE031A08806	Private Placement	Unsecured	1,040.00
39	5.35% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2020 Series -E	INE031A08814	Private Placement	Unsecured	800.00
40	5.59% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2021 Series-A	INE031A08830	Private Placement	Unsecured	1,000.00
41	5.62% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2021 Series-A	INE031A08848	Private Placement	Unsecured	1,500.00
42	7.54% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2022 Series-A	INE031A08855	Private Placement	Unsecured	1,500.00
43	7.52% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2022 Series-B	INE031A08863	Private Placement	Unsecured	470.00
44	7.68% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2022 Series -C	INE031A08871	Private Placement	Unsecured	2,000.00
45	7.48% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2023 Series -A	INE031A08889	Private Placement	Unsecured	1,500.00
46	7.48% P.A. HUDCO Taxable Bonds 2024 Series -A	INE031A08897	Private Placement	Unsecured	1,936.00
47	7.28% P.A.-HUDCO Taxable Bonds 2024 Series-B	INE031A08905	Private Placement	Unsecured	1,850.00
48	7.15% P.A.-HUDCO Taxable Bonds 2024 Series-C	INE031A08913	Private Placement	Unsecured	2,000.00
49	7.12% P.A.-HUDCO Taxable Bonds 2024 Series-D	INE031A08921	Private Placement	Unsecured	1,230.00
	Sub Total (B)				**36,826.00**
	Total (A+B)				**49,198.38**

** An additional interest at the rate of 0.15% p.a. is payable to the allottees under category III for the tax-free bonds 2011 Tranche-I Series 2 Bonds. Accordingly, Tranche-I Series 2 Bonds allotted to category III investors will carry an aggregate coupon rate of 8.35% pa., payable annually on the interest payment date. The said additional interest of 0.15% p.a. is available to the original allottees only.*

*** An additional interest at the rate of 0.50% pa. is payable to all the allottees under Category IV for Tranche I and Tranche II Bonds. Accordingly, bonds allotted to Category IV investors (Retail) shall carry aggregate coupon rate of 8.01% pa. for Tranche-I Series 2 and 7.69% p.a. for Tranche-II Series 2. The said additional interest of 0.50% p.a. is available to the original allottees only.*

(b) Security Cover for listed debt securities:

i. The financial information as on 31.12.2024 has been extracted from the un-audited standalone books of accounts for the period 31.12.2024 and other relevant records of the listed entity.

BARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTS

ii. The assets of the listed entity provide coverage of 1 time (100%) of the interest and principal amount, which is in accordance with the terms of issue/ debenture trust deed (calculation as per attached statement of Security/ asset coverage ratio for the Secured debt securities - **Annexure – I**).

ISIN Wise detail of Outstanding amount and the interest accrued (as on 31.12.2024) in respect of secured listed debt securities is attached as **Annexure-II.**

(c) Compliance of all the covenants/ terms of the issue in respect of listed debt securities of the listed entity

We have prima facie examined the compliances made by the listed entity in respect of the covenants/ terms of the issue of the listed debt securities (NCD's), as informed and explained to us and certify that the covenants/ terms of the issue have been complied by the listed entity.

For SARC & Associates
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 006085N)

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

Shambhu Nath
(Partner)
M. No. 529220

Place: Mumbai
Date: 22.01.2025
UDIN:

Annexure-I

Statement of Security Coverage Ratio

Column A	Column B	Column C	Column D	Column E	Column F	Column G	Column H	Column I	Column J	Column K	Column L	Column M	Column N	Column O
		Exclusive Charge		Pari- Passu Charge				Elimination on (amount in negative)		Related to only those items covered by this Certificate				
Particulars	Description of Asset for which this Certificate relate	Debt for which this certificate being issued	Other Secured Debt	Debt for which this certificate being issued	Assets shared by pari passu debt holder **(includes debt for which this certificate is issued & other debt with pari-passu charge**	Other assets on which there is pari-Passu charge (excluding items Covered in column F)	Assets not offered as Security	Debt amount considered more than once (due to exclusive plus pari passu charge)	(Total C to H)	Market Value for Assets charged on Exuclusive Basis	Carrying /book value for exclusive charge assets where market value is not ascertainable or applicable (For Eg. Bank Balance, DSRA market value is not applicable)	Market Value for Pari passu charge Assets	Carrying value/book value for pari passu charge assets where market value is not ascertainable or applicable (For Eg. Bank Balance, DSRA market value is not applicable)	Total Value(=K+L+M+N)
		Book Value	Book Value	Yes/ Nc	Book Value	Book Value						Relating to Column F		
Assets														
Property, Plant and Equipment		-	-		-	-	55.62	-	55.62	-	-	-		-
Capital Work-in- Progress		-	-		-	-	14.33	-	14.33	-	-	-		-
Right of Use Assets		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-
Goodwill		-	-		-	-		-	-	-	-	-		-
Intangible Assets		-	-		-	-	11.44	-	11.44	-	-	-		-
Intangible Assets under Development		-	-		-	-	2.40	-	2.40	-	-	-		-
Investments		-	-		-	-	1,321.07	-	1,321.07	-	-	-		-
Loans (Refer Note - 9)	√	-	-		**12,920.92**	-	1,05,514.77	-	1,18,435.69	-	-	-	12,920.92	12,920.92
Trade Receivables (Refer Note - 9)		-	-		-	-	1.28	-	1.28	-	-	-		-
Inventories		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-
Cash and Cash Equivalents		-	-		-	-	154.74	-	154.74	-	-	-		-
Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents		-	-		-	-	19.06	-	19.06	-	-	-		-
Others		-	-		-	-	2,363.91	-	2,363.91	-	-	-		-
Total		-	-		**12,920.92**	-	**1,09,458.62**	-	**1,22,379.54**	-	-	-	**12,920.92**	**12,920.92**

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Column A	Column B	Column C	Column D	Column E	Column F	Column G	Column H	Column I	Column J	Column K	Column L	Column M	Column N	Column O
		Exclusive Charge		Pari- Passu Charge				Elimination on (amount in negative)		Related to only those items covered by this Certificate				
Particulars	Description of Asset for which this Certificate relate	Debt for which this certificate being issued	Other Secured Debt	Debt for which this certificate being issued	Assets shared by pari passu debt holder **(includes debt for which this certificate is issued & other debt with pari-passu charge**	Other assets on which there is pari-Passu charge (excluding items Covered in column F)	Assets not offered as Security	Debt amount considered more than once (due to exclusive plus pari passu charge)	(Total C to H)	Market Value for Assets charged on Exuclusive Basis	Carrying /book value for exclusive charge assets where market value is not ascertainable or applicable (For Eg. Bank Balance, DSRA market value is not applicable)	Market Value for Pari passu charge Assets	Carrying value/book value for pari passu charge assets where market value is not ascertainable or applicable (For Eg. Bank Balance, DSRA market value is not applicable)	Total Value(=K+L+M+N)
Liabilities														
Debt securities to which Certificate pertains *(Refer Note-10)*		-	-	Yes	**12,920.92**	-		-	12,920.92	-	-	-	-	-
Other debt sharing pari-passu charge with above debt		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
other debt		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Subordinated debt		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Borrowings		-	-		-	-	8,572.69	-	8,572.69	-	-	-	-	-
Bank		-	-		-	-	43,081.19	-	43,081.19	-	-	-	-	-
Debt Securities		-	-		-	-	36,788.44	-	36,788.44	-	-	-	-	-
Others		-	-		-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
Trade Payables		-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Lease Liabilities		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions		-	-		-	-	384.17	-	384.17	-	-	-	-	-
Others *(Refer Note-11)*		-	-		-	-	20,632.12	-	20,632.12	-	-	-	-	-
Total		-	-		**12,920.92**	-	**1,09,458.62**	-	**1,22,379.54**	-	-	-	-	-
Cover on Book Value		-	-											1.00
Cover on Market Value (Refer Note - 12)		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
		Exclusive Security Cover Ratio	-		Pari-Passu Security Cover Ratio	-		-	-	-	-	-	-	-
		-	-		1.00	-		-	-	-	-	-	-	-

Notes

1. **Column C** - includes book value of assets having exclusive charge and outstanding book value of debt for which this certificate is issued.
2. **Column D** - includes book value of assets having exclusive charge and outstanding book value of all corresponding debt other than column C.
3. **Column E** -include debt for which this certificate is issued having any pari passu charge
4. **Column F** - includes : **a)** book value of assets having pari-passu charge **b)** outstanding book value of debt for which this certificate is issued and **c)**. other debt sharing pari-passu charge along with debt for which certificate is issued.
5. **Column G** - includes book value of all other assets having pari passu charge and outstanding book value of corresponding debt.
6. **Column H** - includes all those assets which are not charged and shall include all unsecured borrowings including subordinated debt and shall include only those assets which are paid-for.
7. **Column I** - includes the debt which has been counted more than once (included under exclusive charge column as also under pari passu). In order to match the liability amount with financials, it is necessary to eliminate the debt which has been counted more than
8. **Column N**- Assets which are considered at Market Value like Land, Building, Residential/ Commercial Real Estate to be stated at Market Value. Other assets having charge to be stated at book value/ Carrying Value.
9. The secured debt securities issued by the company are secured by pari-passu charge on present and future receivables of the company. The Company is in business of financing housing and urban infrastructure projects across the country. Accordingly, Receivables of the Company includes Loans and Advances of the Company. For the purpose of calculation of security cover available for secured listed debt securities, receivables amounting to Rs.12,920.92 crore (comprising of Principal (i.e. Rs. 12,372.38 cr) and Interest accrued but not due (i.e., Rs.548.54 cr as on 31.12.2024) in respect of secured listed debt securities have been considered as available, out of total receivables of Rs.118435.69 crore of the company. The total Loan receivables represents the net realisable value of the asset and excludes the provision made in respect of non-performing assets.
10. ISIN Wise detail of Outstanding amount and the interest accrued (as on 31.12.2024) in respect of above secured listed debt securities is attached as Annexure-II.
11. **Other Liabilities** include the Current Tax Liabilities, Deferred Tax Liabilities, other financial and Non-financial liabilities, equity share capital and other equity of the company.
12. **Cover on Market Value** - The market value shall be calculated as per the total value of assets mentioned in Column O.
13. The above financial information as on 31.12.2024 has been extracted from the limited reviewed standalone books of accounts for the period ended 31.12.2024 and other relevant records of the listed entity.

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Annexure-II

ISIN Wise details:

ISIN Wise detail of Outstanding amount and the interest accrued (as on 31.12.2024) in respect of secured listed debt securities is as under:

Sr. No	Name of Bond Series	ISIN	Facility	Type of Charge	Sanctioned Amount (Rs.)	Outstanding Amount as on 31.12.2024 (Amt. in Rs. Crore)	Interest accrued but not due as on 31.12.2024 (Amt. in Rs. Crore)	Cover Required	Assets Required
1	7.75% Tax free 2011 Series A	INE031A09FB7	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	10.81	10.81	0.17	10.98	Present and Future Receivables*
2	7.83% Tax free 2011 Series B	INE031A09FD3	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	66.51	66.51	0.73	67.24	Present and Future Receivables*
3	8.16% Tax free 2011 Series C	INE031A09FG6	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	47.67	47.67	0.99	48.66	Present and Future Receivables*
4	8.20% Tax free 2011 Tranche I	INE031A07840	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	2,518.30	2,518.30	171.10	2689.40	Present and Future Receivables*
5	7.51% Tax free 2012 Tranche I	INE031A07865	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	1,274.24	1,274.24	85.49	1359.73	Present and Future Receivables*
6	7.19% Tax free 2012 Tranche II	INE031A07881	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	109.4	109.4	6.27	115.67	Present and Future Receivables*
7	8.56% Tax free 2013 Series A	INE031A07899	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	190.8	190.8	5.41	196.21	Present and Future Receivables*
8	8.51% Tax free 2013 Tranche I	INE031A07915	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	799.27	799.27	12.67	811.94	Present and Future Receivables*
9	8.49% Tax free 2013 Tranche I	INE031A07923	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	35.51	35.51	0.56	36.07	Present and Future Receivables*
10	8.76% Tax free 2013 Tranche I	INE031A07949	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	815	815	13.24	828.24	Present and Future Receivables*
11	8.74% Tax free 2013 Tranche I	INE031A07956	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	88.85	88.85	1.44	90.29	Present and Future Receivables*
12	8.58% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07972	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	127.38	127.38	10.51	137.89	Present and Future Receivables*
13	8.76% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07980	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	286.54	286.54	24.14	310.68	Present and Future Receivables*

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

14	8.83% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07AA4	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	123.75	123.75	10.48	134.23	Present and Future Receivables*
15	9.01% Tax free 2013 Tranche II	INE031A07AB2	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	671.16	671.16	57.88	729.04	Present and Future Receivables*
16	8.73% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AD8	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	28.47	28.47	0.21	28.68	Present and Future Receivables*
17	8.71% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AE6	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	8.76	8.76	0.06	8.82	Present and Future Receivables*
18	8.98% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AG1	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	128.42	128.42	0.98	129.40	Present and Future Receivables*
19	8.96% Tax free 2013 Tranche III	INE031A07AH9	Non-Convertible Debt Securities	Floating first pari-passu	41.54	41.54	0.32	41.86	Present and Future Receivables*
20	7.19% Tax Free 2015 Series A	INE031A07AI7	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	151	151	4.58	155.58	Present and Future Receivables*
21	7.07% Tax Free 2015 Series B	INE031A07AJ5	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	1,029.00	1,029.00	18.34	1047.34	Present and Future Receivables*
22	7.00% Tax Free 2015 Series C	INE031A07AK3	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	108.5	108.5	1.75	110.25	Present and Future Receivables*
23	7.02% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AL1	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	117.21	117.21	7.37	124.58	Present and Future Receivables*
24	7.39% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AM9	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	909.69	909.69	60.25	969.94	Present and Future Receivables*
25	7.27% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AN7	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	128.45	128.45	8.36	136.81	Present and Future Receivables*
26	7.64% Tax free 2015 Tranche I	INE031A07AO5	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	556.15	556.15	37.96	594.11	Present and Future Receivables*
27	7.39% Tax Free 2015 Series D	INE031A07AP2	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	211.5	211.5	1.07	212.57	Present and Future Receivables*
28	7.04% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AQ0	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	48.16	48.16	0.16	48.32	Present and Future Receivables*
29	7.39% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AR8	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	1,024.94	1,024.94	3.53	1028.47	Present and Future Receivables*

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

30	7.29% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AS6	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	105.35	105.35	0.36	105.71	Present and Future Receivables*
31	7.69% Tax free 2015 Tranche II	INE031A07AT4	Non-Convertible Debt Securities	First Pari-passu	610.05	610.05	2.16	612.21	Present and Future Receivables*
					12372.38	**12372.38**	**548.54**	**12920.92**	

**** The secured debt securities issued by the company are secured by pari-passu charge on present and future receivables of the company. The Company is in business of financing housing and urban infrastructure projects across the country. Accordingly, Receivables of the Company includes Loans and Advances of the Company.***

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

Annexure-A

A. Statement of utilization of issue proceeds:

Name of the Issuer	ISIN	Mode of Fund Raising (Public issues/ Private placement)	Type of instrument	Date of raising funds	Amount Raised	Funds utilized	Any deviation (Yes/ No)	If 8 is Yes, then specify the purpose of for which the funds were utilized	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Housing and Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08921	Private Placement	Non-Convertible Debt Securities	26.12.2024	1,230.00 Crore	1,230.00 Crore	No	NA	Nil

B. Statement of deviation/ variation in use of Issue proceeds:

Name of listed entity	Housing and Urban Development Corporation Ltd.	
Mode of Fund Raising	~~Public Issue~~/ Private Placement	
Type of instrument	Non-Convertible Debt Securities	
Date of Raising Funds	**Date**	**(INR Crores)**
	26.12.2024	1,230.00 Cr
Amount Raised	1,230.00 Cr	
Report filed for quarter ended	31.12.2024	
Is there a Deviation / Variation in use of funds raised?	No	
Whether any approval is required to vary the objects of the issue stated in the prospectus/ offer document?	No	
If yes, details of the approval so required?	NA	
Date of approval	NA	
Explanation for the Deviation / Variation	NA	
Comments of the audit committee after review	NA	
Comments of the auditors, if any	NA	

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Objects for which funds have been raised and where there has been a deviation, in the following table:						
Original Object	**Modified Object, if any**	**Original Allocation**	**Modified allocation, if any**	**Funds Utilised**	**Amount of Deviation/ Variation for the half-year according to Applicable object (INR Crores and in %)**	**Remarks, if any**
100% of the funds to be raised through the private placement are to augment long-term resources of the Issuer for the purpose of meeting business/ operational requirements viz. lending activities, repayment/refinancing of existing debt (both long term and short term) and/or for any other purpose in the ordinary course of business of the Issuer.	NA	Rs.1,230.00 Cr	NA	Rs.1,230.00 Cr.	NIL	NIL

Deviation could mean:

(a) Deviation in the objects or purposes for which the funds have been raised

(b) Deviation in the amount of funds actually utilized as against what was originally disclosed.

Name of Signatory : **Vikas Goyal**

Designation : **Company Secretary**

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Annexure-D

STATEMENT ON DEVIATION OR VARIATION FOR PROCEEDS OF PUBLIC ISSUE, RIGHTS ISSUE, PREFERENTIAL ISSUE, QUALIFIED INSTITUTIONS PLACEMENT ETC.

Statement on deviation / variation in utilisation of funds raised	
Name of listed entity	HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.(HUDCO)
Mode of Fund Raising	~~Public Issues / Rights Issues / Preferential Issues / QIP / Others~~
Date of Raising Funds	NA
Amount Raised	Na
Report filed for Quarter ended	December 2024
Monitoring Agency	~~Applicable~~ / Not applicable
Monitoring Agency Name, if applicable	NA
Is there a Deviation / Variation in use of funds raised	~~Yes~~ / No
If yes, whether the same is pursuant to change in terms of a contract or objects, which was approved by the shareholders	NA
If Yes, Date of shareholder Approval	NA
Explanation for the Deviation / Variation	NA
Comments of the Audit Committee after review	NA
Comments of the auditors, if any	NA
Objects for which funds have been raised and where there has been a deviation, in the following table	NA

Original Object	Modified Object, if any	Original Allocation	Modified allocation, if any	Funds Utilised	Amount of Deviation/Variation for the quarter according to applicable object	Remarks if any
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Deviation or variation could mean:
(a) Deviation in the objects or purposes for which the funds have been raised or
(b) Deviation in the amount of funds actually utilized as against what was originally disclosed or
(c) Change in terms of a contract referred to in the fund raising document i.e. prospectus, letter of offer, etc.

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Annexure E

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.(HUDCO)
CIN:L74899DL1970GOI005276

DISCLOSURE FORMAT FOR DISCLOSING OUTSTANDING DEFAULT ON LOANS AND DEBT SECURITIES UNDER SEBI (LISTING OBLIGATION AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2024.

(₹ in crore)

S. No.	Particulars	Amount (As on 31.12.2024)
1.	**Loans / revolving facilities like cash credit from banks / financial institutions**	
A	Total amount outstanding as on date	51,653.88
B	Of the total amount outstanding, amount of default as on date	Nil
2.	**Unlisted debt securities i.e. NCDs and NCRPS**	
A	Total amount outstanding as on date	10.90
B	Of the total amount outstanding, amount of default as on date	NA
3.	**Total financial indebtedness of the listed entity including short-term and long-term debt**	1,00,814.71

Details of total financial indebtedness of the Company :

(₹ in crore)

S. No.	Particulars	Amount (As on 31.12.2024)
1	Secured loans	411.37
2	Short term loans	7,897.20
3	Long term loans	25,725.81
4	FCNR loans	12,458.18
5	ECB loans	5,161.32
6	Bonds	49,160.83
	Total	1,00,814.71

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

SARC & ASSOCIATES
Chartered Accountants

N-226, LGF, Greater Kailash-I,
New Delhi- 110 048
M: +91 98103 07182
T: +91 11 4173 4656-57-58
Email: dinesh@sarcmail.in

Independent Auditor's Review Report on Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended and nine month ended December 31, 2024 of the Company pursuant to the Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

To
The Board of Directors
Housing and Urban Development Corporation Ltd.

1. We have reviewed the accompanying Statement of Unaudited Consolidated Financial Results of Housing and Urban Development Corporation Ltd. (herein after referred to as the "Parent") for the quarter ended and nine month ended December 31, 2024 (herein after referred to as "the statement"), being submitted by the Parent pursuant to the requirements of Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

2. This Statement, which is the responsibility of the Parent's Management and approved by the Company's Board of Directors in its meeting held on 22nd January 2025, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.

3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.
   We also performed procedures in accordance with the circular issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), under Regulation 33(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended to date, to the extent applicable.

4. This Statement includes the financial results of below mentioned entities:

   - Shristi Urban infrastructure Development Limited

5. Based on our review conducted and procedures performed as stated in paragraph 3 above and based on the consideration of the review reports of the other auditors referred to in paragraph 7(a) below, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accounting Standard ("Ind AS") and other

accounting principles generally accepted in India, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

6. **Emphasis of Matters**

We draw attention to the following matters in the notes to the accompanying Consolidated Financial Results:

a) The Company has recognized interest income on "No Lien AGP Account amounting to Rs. 7.38 cores for the quarter ended 31st December 2024 and Rs. 22.04 crores for the nine-month ended 31st December 2024.

b) The balance outstanding as at 31st December 2024 is Rs. 618.10 crores (debit) in "No Lien AGP Account". The Company is in discussion with MOHUA for recovery/reimbursement of outstanding amount (including interest) as well as booking of expenses.

Our Opinion is not modified in respect of the above matters.

7. **Other Matters**

We did not review the interim financial results of associate included in the unaudited consolidated financial results, whose interim financial results reflect total net loss after tax of Rs. 0.15 Lacs (HUDCO's share) and the total comprehensive loss of Rs. 0.15 Lacs (HUDCO's share) for the Nine month ended 31 December 2024, as considered in the unaudited consolidated financial results. This quarterly and Nine month ended financial result has been furnished to us by the Management and our conclusion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the associate is based solely on the report of the management and the procedures performed by us as stated in paragraph 3 above. According to the information and explanation given to us by the management, this financial information is not material to the group.

Our conclusion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

For S A R C & Associates
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.006085N

SARC & ASSOCIATES MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

Shambhu Nath
Partner
Membership No.: 529220
UDIN No.:

Place: Mumbai
Dated:22.01.2025

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.(HUDCO)

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING) CIN: L74899DL1970GOI005276 GSTIN: 07AAACH0632A1ZF website: www.hudco.org.in

Registered Office: CORE 7A, HUDCO BHAWAN, INDIA HABITAT CENTRE, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

(₹ in crore)

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2024

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31/12/24	30/09/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23	31/03/24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	Income						
I	**Revenue from operations**						
1	Interest Income	2,745.54	2,459.31	1,980.12	7,379.45	5,651.61	7,653.21
2	Dividend Income	0.01	7.28	0.12	7.29	5.78	5.89
3	Rental Income	14.30	14.14	14.65	42.13	43.21	54.76
4	Fees and Commission Income	0.00	0.00	0.01	0.00	0.65	0.64
5	Net gain on Fair value changes	(0.02)	36.99	17.27	37.03	17.27	68.69
6	Sale of services	0.40	0.00	0.49	0.40	0.55	1.10
	Total revenue from Operations	**2,760.23**	**2,517.72**	**2,012.66**	**7,466.30**	**5,719.07**	**7,784.29**
II	Other Income	9.91	8.42	10.28	27.17	34.99	163.81
III	**Total Income (I + II)**	**2,770.14**	**2,526.14**	**2,022.94**	**7,493.47**	**5,754.06**	**7,948.10**
IV	**Expenses**						
1	Finance costs	1,762.49	1,662.02	1,312.73	4,888.20	3,720.52	4,960.82
2	Fees and Commission expense	0.34	0.00	1.48	0.48	2.74	3.12
3	Net Loss on Fair Value Changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Impairment on financial instrument and written offs	(16.84)	(233.15)	(59.01)	(268.68)	(109.87)	(208.09)
5	Employee Benefit Expenses	60.21	65.76	31.76	165.85	134.03	232.51
6	Depreciation and Amortization	2.63	2.54	2.46	7.13	7.38	9.86
7	Corporate Social Responsibilities (CSR)	12.25	12.25	11.39	37.02	34.18	45.57
8	Other expenses	17.40	16.68	26.04	47.07	64.76	60.87
	Total expenses	**1,838.48**	**1,526.10**	**1,326.85**	**4,877.07**	**3,853.74**	**5,104.66**
V	**Profit/(loss) before Tax and before share of associate**	**931.66**	**1,000.04**	**696.09**	**2,616.40**	**1,900.32**	**2,843.44**
	Share in profit/(Loss) of Associate	0.00	0.00	0.04	0.00	(0.05)	(0.05)
	Profit/(loss) before Tax	**931.66**	**1,000.04**	**696.13**	**2,616.40**	**1,900.27**	**2,843.39**
VI	**Tax Expense**						
1	Current Tax Expense including adjustment of tax of earlier years (Net)	182.07	136.00	123.76	444.39	350.80	510.50
2	Deferred Tax Expense/ (credit)	14.56	175.42	53.14	190.61	132.94	216.20
	Total Tax Expense	**196.63**	**311.42**	**176.90**	**635.00**	**483.74**	**726.70**
VII	**Profit /(loss) for the Period / Year (V-VI)**	**735.03**	**688.62**	**519.23**	**1,981.40**	**1,416.53**	**2,116.69**
VIII	Other Comprehensive Income						
A	Items that will not be reclassified to profit or loss						
1	Re-measurement gains/losses on defined benefit plans	(3.64)	12.48	5.29	(7.32)	8.43	9.53
2	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	0.91	(3.14)	(1.33)	1.84	(2.12)	(2.40)
	Sub-total (A)	**(2.73)**	**9.34**	**3.96**	**(5.48)**	**6.31**	**7.13**
B (i)	Items that will be reclassified to profit and loss						
	- Effective Portion of Gains/(Loss) in Cash Flow Hedge	546.49	(93.99)	0.00	622.00	0.00	54.00
	- Cost of Hedging Reserve	(400.91)	(121.07)	0.00	(700.79)	0.00	(37.10)
(ii)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss						
	- Effective Portion of Gains/(Loss) in Cash Flow Hedge	(137.54)	23.66	0.00	(156.54)	0.00	(13.59)
	- Cost of Hedging Reserve	100.90	30.47	0.00	176.37	0.00	9.34
	Sub-total (B)	**108.94**	**(160.93)**	**0.00**	**(58.96)**	**0.00**	**12.65**
	Other Comprehensive Income (A+B)	**106.21**	**(151.59)**	**3.96**	**(64.44)**	**6.31**	**19.78**
IX	**Total Comprehensive Income for the Period (VII+VIII)**	**841.24**	**537.03**	**523.19**	**1916.96**	**1422.84**	**2136.47**
X	**Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10 each)**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**
XI	**Other Equity (Reserves excluding revaluation reserve) (As per audited financial accounts as at 31st March)**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**14610.66**
XII	**Net worth**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**16612.56**
XIII	**Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each)** (Not annualised)						
	Basic (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.59**	**9.90**	**7.08**	**10.57**
	Diluted (₹)	**3.67**	**3.44**	**2.59**	**9.90**	**7.08**	**10.57**

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

Notes to the Financial Results:	
1	The above Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine month ended 31st December, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors in their meeting held on 22nd January,2025. These Financial Results for the Quarter/Nine month ended 31st December, 2024 have also been reviewed by the Statutory Auditors of the Company in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
2	The Consolidated Financial Results comprises of the Financial Results of the Company and an associate company M/s Shristi Urban Infrastructure Development Ltd. (SUIDL). Investments in associate company is accounted as per Ind AS-28 under equity method. The accounts of the associate are unaudited. The figures of Standalone and Consolidated Financial Results remain same as the loss of Associate consolidated is negligible and is rounded off as "0" on conversion to crores.
3	The company does not have separate reportable segments in terms of Indian Accounting Standard (Ind AS-108) on "Operating Segments".
4	The company has made provision on loans (impairment) as per Expected credit Loss (ECL) method amounting to ₹ 1953.87 crore as on 31st December, 2024 (₹ 2321.19 crore as on 31st December, 2023) as per Ind-AS requirement.
5	During the quarter ended 31st December 2024, no Fresh NPA in Project Loan has been added. Besides, 3 NPA in Project Loan has been resolved having an outstanding loan amount of ₹ 20.33 Crore with reversal of ECL provision of ₹ 8.94 Crore.
6	In respect of Andrews Ganj Project (AGP), being executed by HUDCO as an agent on behalf of MoUD (now MoHUA), HUDCO does not have any right or interest in the property leased to it. Expenditure and liability, if any, on account of this project is paid out of No Lien AGP Account maintained with HUDCO. The company continues to book the interest income & expenditure incurred as per past practice. Interest income of ₹ 7.38 crore on the amount of deficit (recoverable) from MoHUA has been booked for the quarter ended 31st December, 2024. As on 31st December, 2024, No Lien AGP account is in deficit (recoverable) to the extent of ₹ 618.10 crore, which includes amounts paid by HUDCO on behalf of MoHUA and interest as on date.
7	During the quarter ended 31st December, 2024, there were no transactions in the nature of exceptional or extraordinary items.
8	The additional information as required under Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is attached as **Annexure A.**
9	The company has maintained 100% security cover by way of charge on the receivables of the company for all the secured bonds/ debentures issued by the company and outstanding as on December 31, 2024. In compliance to clause 54(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015, as amended, a 'Statement of Security Coverage Ratio', in respect of listed non-convertible debt securities, in the format as specified in SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_CRADT/CIR/P/2022/67 dated May 19, 2022, is attached as **Annexure-B**
10	During the quarter ending December 31, 2024, the Company has raised funds amounting to Rs 1230 Crore through issue of listed non-convertible debt securities on private placement basis. The amounts raised till December 31, 2024 have been utilized for the purpose stated in the Offer document(s)/ Information Memorandum and there has been no deviation/ variation in the use of proceeds of non-convertible debt securities from the objects stated in the offer document(s)/ Information memorandum. Accordingly, in compliance to the regulation 52(7) & (7A) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Operational Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div1/P/CIR/2022/0000000103 dated July 29, 2022, a copy of statement filed with Stock Exchange(s) is attached as **Annexure-C**.
11	The statement as prescribed under Regulation 32 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been annexed at **Annexure-D**.
12	The format for disclosing outstanding default on loans and debt securities has been annexed at **Annexure-E.**
13	The Company has sufficient liquidity as well as adequate undrawn lines of credits from various banks to take care of its operational requirements. Considering high credit worthiness and well-established relationship of the Company with lenders, it can continue to mobilise sufficient funds from domestic & international markets to meet contingencies, if any. Further, there has been no default in repayment of debt securities, borrowings and other liabilities and the Company has met all its debt servicing obligations, both towards principal and interest, during the period in a timely manner."
14	There are 9 investor complaint pending with HUDCO as on 31st December, 2024
15	In line with the requirements of Regulation 33 and 52(4) read with regulation 63(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Financial Results for the Quarter/Nine months ended 31st December, 2024 are available on the website of BSE Limited (URL: www.bseindia.com/corporates), National Stock Exchange of India Limited (URL: www.nseindia.com/corporates) and on company's website (URL: www.hudco.org.in)
16	Figures of corresponding period have been regrouped, wherever necessary. The Figures for the quarters ended 31st December, 2024 are the balancing figures between the reviewed figures for the nine months ended 31st December, 2024 and reviewed year to date figures upto 30th September, 2024, being the end of the half year of the financial year.

For and on behalf of the Board of Directors

Sanjay Kulshrestha
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date: 22.01.2025

SARC & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI

HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPN. LTD. hudco

आवेदन पत्र

निजी एवं गोपनीय – वितरण के लिये नहीं

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय:

कोर 7ए, हडको भवन, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दिल्ली, भारत

सीआईएन:L74899DL1970GOI005276

दूरभाष :011-24649610-21;ई-मेल:capitalgainbonds@hudco.org;www.hudco.org.in

हडको hudco A NAVRATNA CPSE

आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्तपोषण

ब्याज दर 5.25% प्रतिवर्ष अवधि: 5 वर्ष

54ईसी बॉण्ड आवेदन संख्या

डीमेट प्रारूप में आवेदन करें और ₹500 पाएं (23IFI पढ़ें)

गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल प्रतिभूतित कर बांड हेतु आवेदन पत्र

आयकर एक्ट -ईसी के अंतर्गत श्रृंखला 54 के अनुभाग 1961 का लाभ

(कृपया इस फॉर्म को भरने से पहले निजी प्लेसमेंट के लिए सूचना ज्ञापन को ध्यान से पढ़ें)

ब्रोकर का नाम और कोड	सब ब्रोकर्स का नाम और कोड	बैंक शाखा क्रम सं. और मुहर	कलैक्टिंग बैंक शाखा द्वारा उपयोग हेतु
			आवेदन रसीद की दिनांक रजिस्ट्रार संदर्भ नंम्बर हडको के खाते में डिमाण्ड ड्राफ्ट/ चैक जमा करने की तिथि

प्रिय महोदय/महोदया,

मैंने/हमने निजी प्लेसमेंट के लिए सूचना ज्ञापन को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं/हम उनके प्रावधानों के बाध्य हैं और आबंटन के लिए आवेदन करते हैं। कृपया मेरा/हमारा नाम बॉन्डधारकों के रजिस्टर में दर्ज करें।

	बॉन्ड्स की संख्या (न्यूनतम **2**)(अधिकतम **500**)	के नाम आहरित चैक / डिमांड ड्राफ्ट (बैंक और शाखा का नाम)	बैंक खाता संख्या जिससे निवेश किया गया है	चेक/डिमांड ड्राफ्ट/ यूटीआर नं.	दिनांक
संख्या (ए) में					
शब्दों में					
बॉन्ड का इश्यू साईज	रु.**10,000/-** प्रति बांड-देय राशि (रु.)(**Ax10,000**)				
रुपये					
शब्दों में					

मैं/हम आवेदन कर रहे हैं (जो भी हो उसे टिक करें)

☐ व्यक्तियों ☐ **HUF** ☐ बैंक/वाणिज्यिक आरआरबी/कंपनी ☐ कंपनी ☐ म्यूचुअल फंड ☐ फर्म ☐ **NRI** ☐ अन्य (निर्दिष्ट करे।.....)

बॉन्ड प्रमाणपत्र मोड (टिक□√कोई भी एक)

☐ भौतिक मोड ☐ डीमैट मोड

डीपीआईडी नं.

ग्राहक आईडी

प्रथम/एकमात्र आवेदक का पूरा नाम

जन्म तिथि (यदि नाबालिग हो)

दूसरे आवेदक का पूरा नाम (केवल व्यक्तियों के मामले में)

तीसरे आवेदक का पूरा नाम (केवल व्यक्तिगत मामले में)

व्यक्तियों के मामले में प्रथम/एकमात्र आवेदक के लिए पिता का नाम

प्रथम/एकमात्र आवेदक का पूरा पता (नाम दोबारा न भरें)

शहर

पिनकोड

फोन

ईमेल

ब्याज / मोचन वारंट के भुगतान के लिए बैंक विवरण (कृपया नीचे दिए गए खाता संख्या का रद्द चेक संलग्न करें)

बैंक का नाम_____

खाता सं.

शाखा का नाम/पता_____

खाता प्रकार ☐ **एसबी** ☐ **करंट खाता** ☐ कैश क्रेडिट खाता ☐ **एनआरआई खाता**

ईसीएस / आरटीजीएस / एनईएफटी भुगतान के लिए

आईएफएससी कोड

एमआईसीआर कोड

पावती पर्ची

(एकमात्र / प्रथम आवेदक द्वारा दाखिल किया जाना है) 54 ईसी बांड - श्रृंखला-**I**

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: कोर 7ए, हडको भवन इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

आवेदन सं._____

सुश्री/श्री/श्रीमती ..... से प्राप्त

डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी नं.

पता_____

	बांडों की संख्या (अधिकतम **500**)	राशि (रुपये)	दिनांक	स्वीकृति अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक की मुहर
संख्या में				
शब्दों में				

चैक/डीडी सं._____ दिनांक _____ के नाम आहरित _____

_____ रुपये के लिए

शब्दों में _____

फॉर्म-एसएच-13 (नामांकन फॉर्म) का सार (केवल व्यक्ति के लिए)

नामांकित व्यक्ति का नाम	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) का नाम
पता	1.....
पैन/आधार नामांकित व्यक्ति की संख्या	2.....
आवेदक के साथ संबंध	पदनाम (व्यक्तिगत के अलावा अन्य के मामले में)
नामांकित व्यक्ति के नाबालिग होने की स्थिति में:	1.....
संरक्षक का नाम	2.....
जन्म तिथि (यदि नाबालिग हो).....नामिती/संरक्षक के हस्ताक्षर (वैकल्पिक)	अस्वीकरण: बॉन्ड इश्यू पूरी तरह से निजी प्लेसमेंट के आधार पर बनाया जा रहा है। यह आम जनता के लिए एक प्रस्ताव नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाना चाहिए। इसे उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसके लिए इसे निर्देशित किया गया है।
(प्रति आवेदन एक नामांकित व्यक्ति)	

घोषणा: मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 54ईसी कैपिटल गेन्स टैक्स छूट बॉन्ड में मेरे/हमारे द्वारा किया गया कुल निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और निधियों का स्रोत भूमि या भवन या दोनों पर पूंजीगत लाभ है, जो दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति हैं। मैं/हम घोषणा करते हैं कि निवेश प्रथम आवेदक के अपने बैंक खाते से किया गया है। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि निवेश धन शोधन विरोधी कानूनों का अनुपालन करता है। आय का कोई भी हिस्सा भारत या विदेश में किसी भी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है।

	पैन/जीआईआर सं.	व्यवसाय	हस्ताक्षर
पहला आवेदक			
दूसरा आवेदक			
तीसरा आवेदक			

आवेदक का वचनपत्र

मैं/हम इससे सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि:

1. मैंने/हमने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बांड सीरीज-I के लिए निजी प्लेसमेंट सूचना ज्ञापन की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के प्रावधान और अन्य संबंधित विधि विषय-वस्तु और नियमों व शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनसे सहमत हूं।
2. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है और मैं/हम इसके साथ केवाईसी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न कर रहे हैं।

.....

आवेदक का हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या 60

(दूसरा प्रावधान नियम 114B देखें)

घोषणा पत्र उस व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए जिसके पास पैन नम्बर नहीं है और जो नियम 114बी में निर्दिष्ट कोई लेन देन करता है।

1. घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता .....
2. लेन-देन का विवरण .....
3. लेनदेन की राशि .....
4. क्या आप पर कर लगाया जाता है?.....
5. यदि हां,
   (i) उस वार्ड/सर्किल/रेंज का ब्यौरा जहां अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था?
   (ii) पैन नम्बर न होने के कारण?
6. उपरोक्त क्रमांक 1 में पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेज का विवरण**।

सत्यापन

मैं ..... यहाँ घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।
.....दिन..... का.....

दिनांक.....

स्थान:.....

.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज़ :-**(निम्नलिखित में से कोई एक)

(क) राशन कार्ड या आधार कार्ड;
(ख) पासपोर्ट;
(ग) आवासीय पता दर्शाने वाले बिजली बिल या टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि;
(घ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज या पत्र जिसमें आवासीय पता दर्शाया गया हो;
(ई) घोषणा में दी गई जानकारी के समर्थन में कोई अन्य वैध दस्तावेजी साक्ष्य।

.....

पावती पर्ची

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण नोट

1. निवेश करें या हडकोखाते में जमा धनराशि से आय अधिनियम, 1961 के तहत ब्याज और 54 ईसी लाभ के लिए पात्र होंगे।
2. आबंटन अनुसूची

भुगतान प्राप्त हुआ	आबंटन अनुसूची	डीमैट/फिजिकल बॉन्ड में क्रेडिट के लिए संभावित समय-सीमा
01 से 15 तारीख तक	महीने की अंतिम तिथि तक	डीमैट मोड के मामले में, बॉन्ड आवंटन के 15 दिनों के भीतर जमा कर दिए जाएँगे। भौतिक मोड के मामले में, बॉन्ड प्रमाणपत्र आवंटन के 45 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा।
महीने के 16वें दिन से लेकर आखिरी दिन तक	अगले महीने की 15 तारीख तक	

3. संपर्क विवरण

नाम	ई-मेल	दूरभाष विवरण
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (आरटीए)	einward.ris@kfintech.com	9492937746(केवीएस गोपाल कृष्णा)(सोमवार से शनिवार–(09:00AMto07:00PM) 9949511718(ए चन्द्रशेखर)(सोमवार से शनिवार–(09:00AMto07:00 PM)
हडको लिमिटेड	capitalgainbonds@hudco.org	011-24649610-21

निवेशकों के लिए निर्देश

1) आवेदन पत्र अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में भरा जाना चाहिए। नाम के दो या अधिक भागों के बीच खाली स्थान छोड़ा जाना चाहिए।
2) न्यूनतम निवेश - 10,000 रुपये के 2 बॉन्ड और अधिकतम निवेश - एक वित्तीय वर्ष में 500 बॉन्ड की राशि 50 लाख रुपये।
3) निवेशकों को आवेदन पत्र को विधिवत भरकर या तो डिमांड ड्राफ्ट या अकाउंट पेयी चेक के साथ "हडकोकैपिटल गेन बॉन्ड्स" के पक्ष में देय आवश्यक संलग्नकों के साथ संग्रह बैंकों की नामित शाखाओं - इंडसइंड बैंक लिमिटेड, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और केनरा बैंक में जमा करना होगा।
4) आवेदक को चेक / डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता और आवेदन संख्या लिखनी चाहिए। नकद, मनी ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5) नामित बैंक शाखाओं के विवरण के लिए, कृपया निजी प्लेसमेंट ऑफर लेटर / सूचना ज्ञापन (आईएम) देखें या अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ। (https://kosmic.kfintech.com/HUDCO)
6) आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए, कृपया लिंक देखें। (https://kosmic.kfintech.com/HUDCO_query_window.aspx)
7) निवेशकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक विवरण के साथ-साथ एक रद्द चेक भी भरें। ऐसी जानकारी न होने पर, ब्याज और मोचन वारंट आवेदक के एकमात्र जोखिम पर दिए गए पते पर मेल किए जाएँगे।
8) आवेदकों को आईएम पढ़ने वाला माना जाएगा और उन्हें आईएम की सामग्री से अच्छी तरह अवगत होना चाहिए।
9) एक बार जमा किए गए आवेदन को वापस नहीं लिया जा सकता है और सदस्यता राशि वापस नहीं की जाएगी (आईएम के अनुसार)।
10) आवेदन हमारी वेबसाइट पर उल्लिखित किसी भी बैंक शाखा में बैंकिंग घंटों के दौरान जमा किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदनों के लिए बैंक शुल्क आवेदकों द्वारा वहन किया जाएगा। हडकोडाक में खोए गए किसी भी आवेदन/चेक/डिमांड ड्राफ्ट या आवेदन राशि के देरी से/कम जमा होने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
11) यदि न तो पैन और न ही जीआईआर नंबर आवंटित किया गया है, या आवेदक पर कर नहीं लगाया गया है, तो दिए गए स्थान पर उचित जानकारी का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि निवेशक ने आवेदन किया है और उसे अभी तक पैन/जीआईआर नंबर आवंटित नहीं किया गया है, तो उसे स्वीकृत फॉर्म 49 ए की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि निवेशक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन कर रहा है और पैन/जीआईआर नंबर आवंटित नहीं किया गया है, तो उसे फॉर्म 60 में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
12) पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत या सीमित कंपनियों या अन्य कॉर्पोरेट निकायों द्वारा आवेदन के मामले में, पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति या संबंधित प्राधिकारी के अनुमोदन की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
13) यदि कोई साझेदारी फर्म निवेश करती है, तो आवेदन साझेदारी फर्म के नाम से किया जाना आवश्यक है और आवेदन पत्र पर इस ओर से अधिकृत किसी भी भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और फर्म की रबर स्टैंप लगाई जा सकती है।
14) आवेदन पत्र निर्गम के आईएम, अन्य लागू नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे। हडको अपने पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का हकदार है। ऐसा आवेदन जो सभी मामलों में पूरा नहीं है, उसे अस्वीकार किया जा सकता है।
15) यह सलाह दी जाती है कि निवेशक आवेदन पत्र की एक फोटो कॉपी अपने पास रखें और आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखें।
16) डीमैट मोड के तहत आवंटित बॉन्ड के मामले में, जनसांख्यिकीय विवरण डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी से लिया जाएगा, अर्थात भुगतान वारंट एकमात्र/प्रथम आवेदक के पक्ष में तैयार किए जाएंगे और बॉन्ड धारक के डी मैट खाते द्वारा पहचाने गए विवरण के अनुसार जारी किए जाएंगे। इसलिए, आवेदन पत्र में बैंक विवरण डीमैट खाते में दिए गए बैंक विवरण से मेल खाना चाहिए।
17) हानि/गुम होने के कारण ब्याज/मोचन वारंट के संभावित धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण के खिलाफ सुरक्षा की दृष्टि से, आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अपने बैंक खाते का पूरा विवरण बताएं। ऐसे मामले में, जहां निवेशक भौतिक मोड के तहत बॉन्ड के लिए आवेदन करता है, सभी भुगतान वारंट बॉन्ड धारक के रजिस्टर में दर्ज विवरण के अनुसार जारी किए जाएंगे और आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी विसंगति आवेदक के अकेले जोखिम पर होगी।
18) मामले की मुख्य बातें: ब्याज दर 5.25% है जो 30 अप्रैल को वार्षिक रूप से देय है। 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि (हस्तांतरण की अनुमति नहीं है)। पांच वर्ष की समाप्ति के बाद बांड स्वतः ही भुनाए जा सकेंगे। बॉन्ड को आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स और केयर द्वारा एएए रेटिंग दी गई है।
19) ब्याज/मोचन का भुगतान वारंट/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सममूल्य पर उन स्थानों पर किया जाएगा जहां संग्रह केंद्र नियुक्त किए गए हैं।
20) अधिसूचना संख्या 31/2025 के अनुसार, हडको द्वारा 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किए गए और पांच वर्षों के बाद भुनाए जाने वाले बॉन्डस को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत 'दीर्घकालिक निर्दिष्ट संपत्ति' के रूप में अधिसूचित किया गया है, इस शर्त के साथ कि आय का उपयोग केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए किया जाना है जो राज्य सरकार के समर्थन से स्वतंत्र रूप से ऋण की सेवा करने में सक्षम हैं।
21) हडको कूपन दर को संशोधित करने और/या नोटिस देकर मुद्दे को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हडको द्वारा प्रस्तुत किए गए लेकिन स्वीकार नहीं किए गए सभी आवेदनों को हडको द्वारा आवेदक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
22) आवंटन/सर्विसिंग की स्थिति या किसी अन्य विवरण के लिए, कृपया हमारे आरटीए/हडकोसे संपर्क करें।
23) डी मैट मोड में आवेदन करने का विकल्प चुनने वाले पात्र निवेशकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के पूरा होने के बाद केवल एक वर्ष के लिए प्रति निवेशक प्रति पैन 500/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।

सभी निवेशक उपलब्ध कराएं

- पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (संयुक्त आवेदन के मामले में, सभी आवेदकों की स्व-सत्यापित पैन प्रति) या फॉर्म 60 जहां बॉन्ड्स आवेदन का साइज़ रु. 50,000/- या उससे अधिक है।
- एनईसीएस सुविधा के लिए केंसिल चैक की फोटो प्रति।

(क) भारतीय निवासी नागरिकों के लिए

नाम और पते के समर्थन में दस्तावेज (केवल व्यक्तिगत मामले में राजपत्रित अधिकारी / नोटरी / स्व-सत्यापित द्वारा सत्यापित प्रतियां)

पैन कार्ड और निम्नलिखित में से कोई एक

(i) आधार कार्ड (ii) पासपोर्ट (iii) ड्राइविंग लाइसेंस (iv) किसी संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र (v) आवासीय पता दर्शाने वाले बिजली बिल या टेलीफोन बिल की प्रति (vi) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज या पत्र व्यवहार जिसमें आवासीय पता दर्शाया गया हो (vii) मतदाता पहचान पत्र (viii) राशन कार्ड।

(बी) एनआरआई/अन्य विदेशी पात्र निवेशकों के लिए

(i) पासपोर्ट-अनिवार्य (ii) पैन कार्ड (iii) केंसिल चैक की फोटो प्रति (एनआरओ खाता) (iv) स्व-प्रमाणित पता प्रमाण

(सी) कॉर्पोरेट निवेशक के लिए

समर्थन में दस्तावेज (कंपनी सचिव / निदेशक द्वारा सत्यापित प्रतियां)

(ii) निगमन प्रमाणपत्र और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अनुच्छेद (ii) निदेशक मंडल का संकल्प और उन लोगों की पहचान जिनके पास संचालन का अधिकार है (iii) अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को अपनी ओर से व्यवसाय करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी (iv) पैन/पैन आवंटन पत्र की प्रति।

(डी) साझेदारी फर्म-निवेशक के लिए

समर्थन में दस्तावेज़ (नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतियां)

(iii) पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि पंजीकृत हो (ii) साझेदारी विलेख (iii) फर्म के किसी साझेदार या कर्मचारी को उसकी ओर से व्यवसाय करने के लिए दी गई मुख्तारनामा (iv) साझेदारों और मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति और उनके पते की पहचान करने वाला कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (v) फर्म/साझेदारों के नाम का टेलीफोन बिल (vi) पैन/पैन आवंटन पत्र की प्रति।

(ई) ट्रस्ट और फाउंडेशन- निवेशक

समर्थन में दस्तावेज़ (नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतियां)

(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि पंजीकृत हो (ii) अपनी ओर से व्यवसाय करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी (iii) ट्रस्टियों, सेटलरों, लाभार्थियों और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वालों, संस्थापकों / प्रबंधकों / निदेशकों और उनके पते की पहचान करने के लिए कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (iv) फाउंडेशन / एसोसिएशन के संचालक निकाय का संकल्प (v) टेलीफोन बिल (vi) पैन की प्रति / पैन आवंटन पत्र (अन्यथा आईटी अधिकारियों द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र)

(एफ) फॉर्म जमा करने के निर्देश

1) विकल्प **1**-नेट बैंकिंग भुगतान (हडको द्वारा अनुशंसित): यदि निवेशक के पास ई-बैंकिंग सुविधा है, तो निवेशक हडको पोर्टल (लिंक: **https://www.hudco.org.in/54EC**) पर ऑनलाइन बॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंकर से प्रतिदिन थर्ड-पार्टी पेमेंट लिमिट की जांच करें।

2) विकल्प **2- RTGS/NEFT** भुगतान: यदि निवेशक के पास आवश्यक नेट-बैंकिंग भुगतान सीमा नहीं है, तो वे **RTGS/NEFT** के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। निवेशकों को अनिवार्य रूप से **UTRN** नंबर का उल्लेख करना होगा और भुगतान प्रमाण संलग्न करना होगा। दस्तावेजों को हडको पोर्टल (लिंक: **https:// www. hudco.org.in/54EC)** पर अपलोड किया जा सकता है या निवेशकों के लिए निर्देशों के बिंदु संख्या **3** के अनुसार किसी भी संग्रह शाखा में जमा किया जा सकता है। निवेशकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेजों को **capitalgainbonds@hudco.org** पर ईमेल करें। **RTGS** भुगतान के लिए हडको के बैंक विवरण इस प्रकार हैं। निवेशक नीचे दिए गए किसी भी खाते में भुगतान कर सकते हैं:

विवरण	एचडीएफसी बैंक	आईसीआईसीआई बैंक	यस बैंक	एक्सिस बैंक	इंडसइंड बैंक
लाभार्थी का नाम	हडको कैपिटल गेन बांड संग्रह खाता	**हडको कैपिटल गैन बांड**			
खाता संख्या	50200109629574	000405163236	001681100000111	925020020084002	201034058456
आईएफएससी	HDFC0000003	ICIC0000004	YESB0000016	UTIB0000007	INDB0000005
शाखा	एचडीएफसी बैंक, 209 - 214, कैलाश बिल्डिंग, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, 110001	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कैपिटल मार्केट डिवीजन, 163, 5वीं मंजिल, एच. टी. पारेख मार्ग, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400020	यस बैंक लिमिटेड, डी-12, साउथ एक्सटेंशन पार्ट II, नई दिल्ली-122051	एक्सिस बैंक लिमिटेड, नई दिल्लीमुख्य शाखा, 148 स्टेट्समैन हाउस, बारा खंभा रोड, नई दिल्ली -110001	इंडसइंड बैंक, डॉ गोपाल दास, भवन 28 बाराखंभा रोड नई, नई दिल्ली, 110001

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए): इस आवेदन के संबंध में कोई भी अन्य संचार (आवेदन संख्या उद्धृत करते हुए) "केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड", सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट **31-32**, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना **500 032** को संबोधित किया जाना चाहिए। संपर्क व्यक्ति: श्री के वी एस गोपाल कृष्ण, दूरभाष। **(040) 67162222**, मोबाइल: **9492937746** ईमेल: **einward.ris@kfintech.com**

हडको: हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय: कोर **7**ए, हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-**110003**, दूरभाष: **011-24649610-21**; ईमेल: **capitalgainbonds@hudco.org;www.hudco.org.in 54ECBonds** के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया (**https://kosmic.kfintech.com/HUDCO**)लिंक देखें आवेदन की स्थिति की जांच के लिए,कृपया(**https://kosmic.kfintech.com/HUDCO/hudco_query_window.aspx)** लिंक देखें।